वार्षिक रिपोर्ट 2023-24
ANNUAL REPORT 2023-24

स्पाइसेस बोर्ड
भारत

स्पाइसेस बोर्ड भारत
SPICES BOARD INDIA

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
Ministry of Commerce & Industry
भारत सरकार
Government of India
कोचिन / Cochin – 682 025

Export of Indian Spices 2013-14 to 2023-24

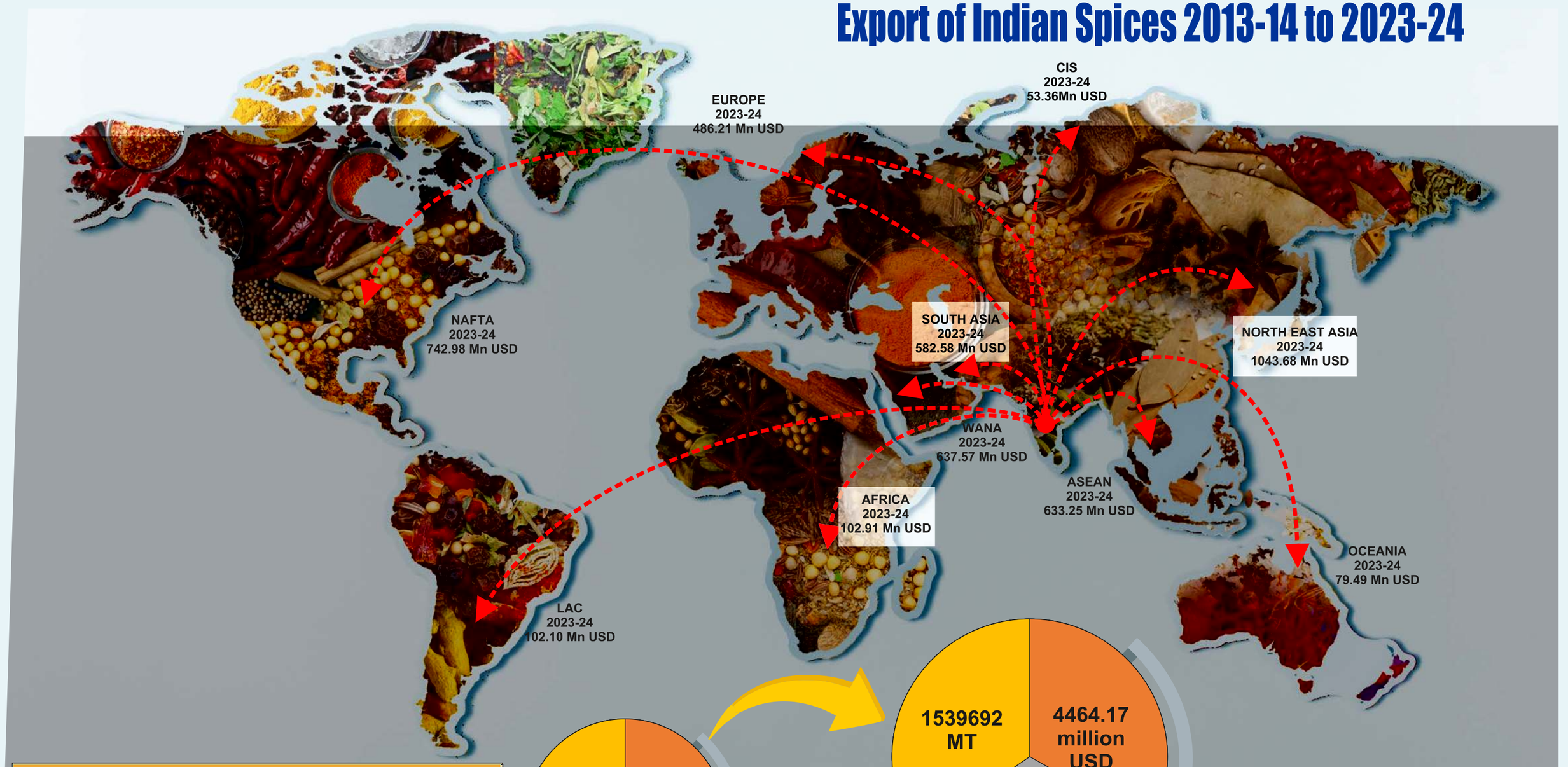

REGION WISE TOTAL EXPORT OF SPICES FROM INDIA

REGION	2013-14			2023-24(*)		
	QTY(MT)	VALUE(LKS)	VALUE (MIL.US$)	QTY(MT)	VALUE(LKS)	VALUE (MIL.US$)
ASEAN	228511.82	265431.43	438.22	222696.25	524269.73	633.25
SOUTH ASIA	197757.68	140860.92	232.56	388047.16	482315.51	582.58
NORTH EAST ASIA	33821.52	226184.69	373.42	331463.66	864063.90	1043.68
NAFTA	82910.58	255776.90	422.28	135270.95	615111.08	742.98
WANA	150063.21	180141.36	297.41	265699.09	527844.23	637.57
EUROPE	72116.32	208690.28	344.54	101320.30	402530.17	486.21
AFRICA	16994.84	29851.89	49.28	35591.36	85196.28	102.91
LAC	18803.39	38134.85	62.96	27370.88	84526.28	102.10
OCEANIA	7134.01	15539.35	25.65	17791.68	65809.36	79.49
CIS	9136.65	12927.59	21.34	14419.14	44180.60	53.36
TOTAL(Incl. others)	**817250**	**1373539.26**	**2267.67**	**1539692.32**	**3695880.50**	**4464.17**

Source: 2013-14: DGCI&S,Kolkata/DLE from customs/Exporter Return and 2023-24: MOC/DGCI&S,Kolkata

(*): Provisional

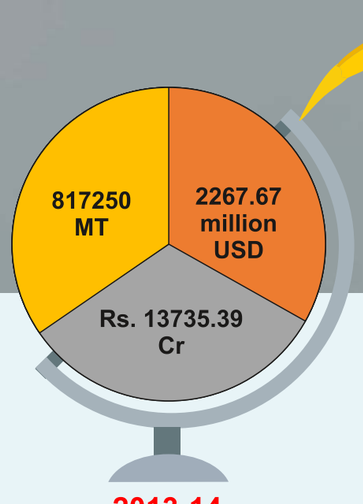

2013-14

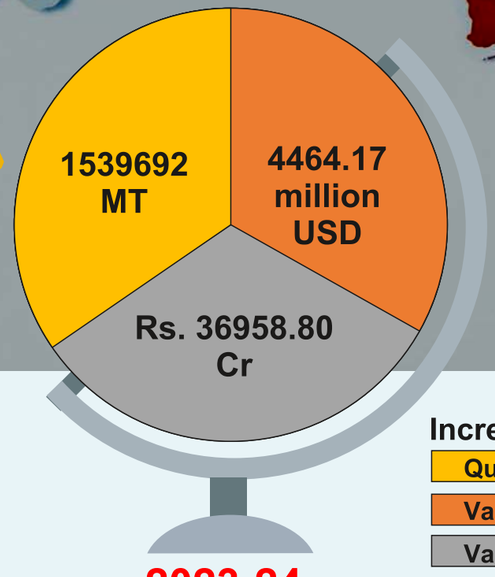

2023-24

Increase	CAGR
Quantity - 88%	Quantity - 7%
Value in Rs - 169%	Value in Rs -10%
Value in USD - 97%	Value in USD - 7%

EXPORT OF SPICES FROM INDIA DURING 2023-24

(Value - Rs in Lakhs)

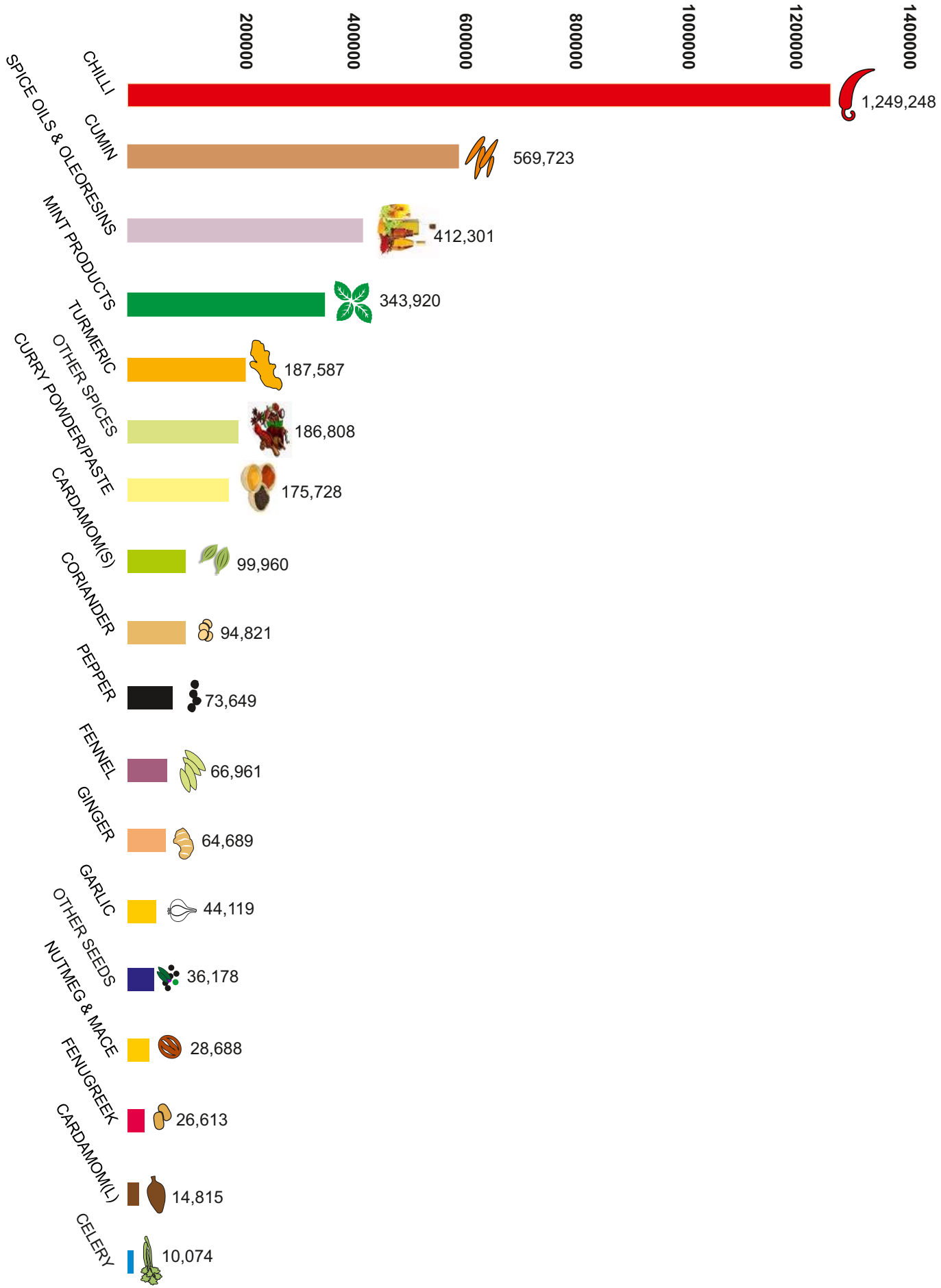

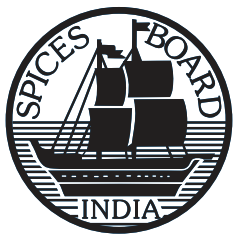

स्पाइसेस बोर्ड
भारत

वार्षिक रिपोर्ट
2023-24

संकलन व सम्पादनः

श्री नितिन जो
उप निदेशक

श्री टी.पी.प्रत्यूष
उप निदेशक

श्री बीजु डी. षेणाई
सहायक निदेशक

सुश्री रेशमी ई. जी.
फार्म प्रबंधक

सुश्री अनीनामोऴ पी. एस.
संपादक

तकनीकी सहायताः

श्री आर. जयचंद्रन
ईडीपी सहायक

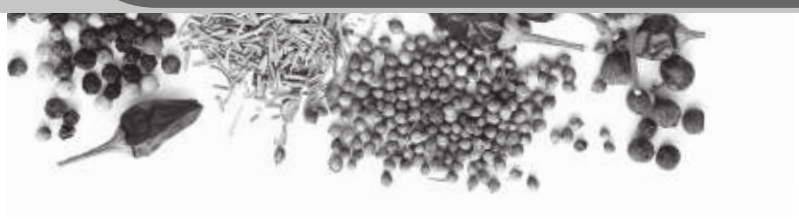

विषय-वस्तु

कार्यकारी सारांश

1.	संघटन एवं प्रकार्य	**10**
2.	प्रशासन	**13**
3.	वित्त और लेखा	**19**
4.	मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन और फसलोत्तर सुधार	**21**
5.	निर्यात विकास एवं संवर्धन	**33**
6.	व्यापार सूचना सेवा	**45**
7.	प्रचार एवं संवर्धन	**51**
8.	कोडेक्स सेल और हस्तक्षेप	**54**
9.	गुणवत्ता सुधार	**57**
10.	निर्यातोन्मुख अनुसंधान	**63**
11.	सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रक्रमण	**69**
12.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन	**70**
	भविष्य की ओर	**71**
	परिशिष्ट	
	पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट-2023-24 के खंड	

कार्यकारी सारांश

स्पाइसेस बोर्ड भारतीय मसालों के विकास और विश्वव्यापी प्रचार के लिए भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत प्रमुख संगठन है। बोर्ड भारतीय मसालों की उत्कृष्टता के लिए गतिविधियों का नेतृत्व कर रहा है ताकि भारतीय मसाला उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय प्रसंस्करण केंद्र बनने और वैश्विक मसाला बाजार के औद्योगिक, खुदरा और खाद्य सेवा क्षेत्रों में स्वच्छ और मूल्यवर्धित मसालों और सहायकों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिल सके। बोर्ड ने गुणवत्ता और स्वच्छता को अपने विकास और प्रचार रणनीतियों के लिए आधारशिला बनाया है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत ने ₹ 36,958.80 करोड़ (4,464.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 15,39,692 मीट्रिक टन मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 3969.79 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 31898.64 करोड़) मूल्य के 14,14,254 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया था। पिछले वर्ष की तुलना में, भारतीय मसालों के निर्यात में मात्रा के लिहाज से नौ प्रतिशत, रुपये के मूल्य के लिहाज से 16 प्रतिशत और डॉलर के मूल्य के लिहाज से 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई। भारतीय मसाला निर्यात टोकरी में 225 मसाले और मसाला उत्पाद शामिल हैं, जिन्हें रिपोर्ट के तहत अवधि के दौरान वैश्विक स्तर पर 180 से अधिक गंतव्यों को निर्यात किया गया। वर्ष 2023-24 के दौरान, मूल्य के लिहाज से मसाला निर्यात टोकरी में प्रमुख योगदानकर्ता मिर्च (34%), जीरा (16%), मसाला तेल और तैलीराल (11%), पुदीना उत्पाद (9%), हल्दी (5%), करी पाउडर/पेस्ट (5%), धनिया (3%), छोटी इलायची (3%), कालीमिर्च (2%), सौंफ (2%), और अदरक (2%) थे, जिन्होंने मसालों से कुल निर्यात आय में 90 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया।

वर्ष 2023-24 के दौरान भारतीय मसालों के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य चीन (21%), यू.एस.ए. (14%), बांग्लादेश (8%), यू.ए.ई. (7%), थाईलैंड (4%), मलेशिया (4%), इंडोनेशिया (3%), श्रीलंका (3%), यू.के. (3%), सऊदी अरब (2%), जर्मनी (2%), नीदरलैंड (2%), कनाडा (2%), नेपाल (2%), ऑस्ट्रेलिया (1%), जापान (1%), कनाडा, सिंगापुर (1%), मैक्सिको (1%), वियतनाम (1%), मोरक्को (1%) और दक्षिण अफ्रीका (1%)।

वर्ष 2023-24 में मिर्च, अदरक, धनिया, अजवाइन, सौंफ, लहसुन, जायफल और जावित्री तथा करी पाउडर एवं पेस्ट जैसे मसालों के निर्यात में मात्रा और मूल्य दोनों में वृद्धि दर्ज की गई। पिछले वर्ष की तुलना में इलायची (छोटी) के निर्यात मूल्य में रुपये के संदर्भ में 14 प्रतिशत और डॉलर के संदर्भ में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसी प्रकार, इलायची (बड़ी) के निर्यात मूल्य में रुपये के संदर्भ में आठ प्रतिशत और डॉलर के संदर्भ में चार प्रतिशत की वृद्धि हुई। मात्रा में 11 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद जीरे के निर्यात मूल्य में रुपये के संदर्भ में 43 प्रतिशत और डॉलर के संदर्भ में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हल्दी के लिए, निर्यात की मात्रा में पांच प्रतिशत की गिरावट के बावजूद, निर्यात मूल्य में रुपये के संदर्भ में 13 प्रतिशत और डॉलर के संदर्भ में नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई। काली मिर्च के मामले में, मात्रा में एक प्रतिशत और डॉलर के मूल्य में दो प्रतिशत की मामूली गिरावट के बावजूद, रुपये में मापने पर मूल्य के संदर्भ में एक प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है। मात्रा में 12 प्रतिशत की गिरावट और डॉलर के मूल्य में तीन प्रतिशत की गिरावट के बावजूद मेथी का निर्यात मूल्य रुपये के संदर्भ में पिछले वर्ष के समान ही रहा। मसाला तेल और तैलीरील के निर्यात में मात्रा में दो प्रतिशत और रुपये के मूल्य में एक प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की गई, हालांकि डॉलर के मूल्य में दो प्रतिशत की गिरावट आई। निर्यात की मात्रा में 11 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद, मिंट उत्पादों ने पिछले वर्ष की तुलना में रुपये के मूल्य में एक प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज की।

वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड द्वारा मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण के कुल 2,401 प्रमाणपत्र (सीआरईएस) जारी किए गए। इनमें से 2,169 प्रमाणपत्र व्यापारी निर्यातकों को और 232 निर्माता निर्यातकों को

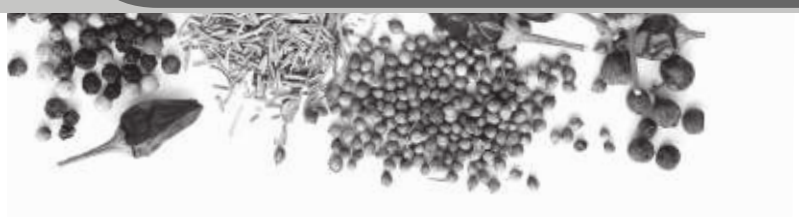

जारी किए गए। इसके अतिरिक्त, 295 सीआरईएस का नवीनीकरण किया गया, जिसमें व्यापारी निर्यातकों के लिए 159 और विनिर्माता निर्यातकों के लिए 136 थे। बोर्ड ने पूरे भारत में 607 इलायची ब्यौहारी लाइसेंस (600 छोटी इलायची ब्यौहारी लाइसेंस और सात बड़ी इलायची ब्यौहारी लाइसेंस) जारी किए, जिनमें से 593 लाइसेंस (587 छोटी इलायची ब्यौहारी लाइसेंस और छह बड़ी इलायची ब्यौहारी लाइसेंस) वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान जारी किए गए। साथ ही, वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा 15 ई-नीलामीकर्ता लाइसेंस और तीन मैनुअल नीलामीकर्ता लाइसेंस जारी किए गए।

वर्ष 2023-24 के दौरान ई-नीलामी/मैनुअल नीलामी के माध्यम से कुल 29,217 मीट्रिक टन इलायची (छोटी) बेची गई, जिसका भारित औसत मूल्य ₹1764.51/किलोग्राम था, जिसमें से विशेष नीलामी के माध्यम से बेची गई मात्रा लगभग 10 मीट्रिक टन है, जिसका भारित औसत मूल्य ₹1086.83/किलोग्राम है। वर्ष 2023-24 के दौरान छोटी और बड़ी इलायची का उत्पादन क्रमशः 25,230 मीट्रिक टन और 9288 मीट्रिक टन था, जिसमें छोटी इलायची में 521.33 किलोग्राम/हेक्टेयर और बड़ी इलायची में 288.54 किलोग्राम/हेक्टेयर उत्पादकता थी।

वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड के लिए स्वीकृत बजट ₹11,550.00 लाख था। अनुदान के लिए ₹6753.50 लाख, हमदाद के लिए ₹3199 लाख; पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सहायता अनुदान के लिए ₹747.50 लाख; एससी उप योजना के लिए प्रावधान ₹300 लाख; और जनजातीय उप योजना के लिए प्रावधान ₹550 लाख बोर्ड को भारत सरकार से 2023-24 के दौरान प्राप्त हुए। बोर्ड ने गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला द्वारा प्रदान की गई गुणवत्ता परीक्षण सेवाओं के लिए विश्लेषणात्मक शुल्क, नर्सरियों से पौधों की बिक्री और अनुसंधान फार्मों के कृषि उत्पादों, सदस्यता और विज्ञापन शुल्क, निर्यातकों के पंजीकरण शुल्क, अग्रिम पर ब्याज, अल्पकालिक जमा पर ब्याज आदि से 2023-24 में ₹3349.29 लाख का राजस्व (IEBR) उत्पन्न किया। वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड का कुल व्यय ₹12,164.66 लाख था।

स्पाइसेस बोर्ड ने भारत और विदेशों में प्रमुख मसाला निर्यातक संघों और व्यापार निकायों के साथ मिलकर 15-17 सितंबर 2023 के दौरान सिडको प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में विश्व मसाला कांग्रेस (डब्ल्यूएससी-2023) के 14वें संस्करण का आयोजन किया। विश्व मसाला कांग्रेस 2023 का उद्घाटन 15 सितंबर 2023 को भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के अपर सचिव और स्पाइसेस बोर्ड के अध्यक्ष श्री अमरदीप सिंह भाटिया आईएएस ने किया। इस कार्यक्रम में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, और कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल और भारत सरकार की वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल की गरिमामयी उपस्थिति रही।

डब्ल्यूएससी 2023 मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों में वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए भारत की ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य करता है। इस आयोजन में 33 देशों के 825 भारतीय प्रतिनिधियों और 132 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों का पंजीकरण था। प्रदर्शनी स्टालों पर काम करने वाले प्रतिनिधियों, मसालों के निर्यात में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार विजेताओं, मसाला उद्योग से विशेष आमंत्रितों आदि सहित, विश्व मसाला कांग्रेस के 14वें संस्करण में कुल प्रतिभागियों की संख्या 1300 से अधिक थी, जिससे यह दुनिया का सबसे बड़ा मसाला कार्यक्रम बन गया। आयोजन के हिस्से के रूप में आयोजित प्रदर्शनी में राज्य मंडप, विभिन्न मसालों के लिए वस्तु पवलीयन और विभिन्न मसालों और उनके मूल्यवर्धित उत्पादों का प्रत्यक्ष अनुभव देने वाले अनुभव क्षेत्र जैसे घटक थे और यह मसालों पर केंद्रित सबसे बड़ी प्रदर्शनी बन गई।

स्पाइसेस बोर्ड द्वारा स्थापित भारत से मसालों के निर्यत में उत्कृष्टता केलिए वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 केलिए ट्रॉफी/पुरस्कार/योग्यता प्रमाण डब्ल्यूएससी 2023 के दौरान 15 सितंबर 2023 और 16 सितंबर 2023 को प्रदान किए गए। वर्ष 2017-18, 2018-19 के दौरान ट्रॉफी/पुरस्कार/योग्यता प्रमाण पत्र पहले दिन श्रीमती अनुप्रिया पटेल, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार द्वारा दिए गए और वर्ष 2019-20, और 2020-21 के दौरान ट्रॉफी/पुरस्कार/योग्यता प्रमाण पत्र दूसरे दिन श्री पीयूष गोयल, माननीय वाणिज्य एवं उद्योग, उपभोक्ता मामले, खद्य और सार्वजनिक वितरण, औ वस्त्र मंत्री, भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए।

मसालों और पाक शाकों पर कोडेक्स समिति (CCSCH) का 7वां सत्र 29 जनवरी 2024 से 2 फरवरी 2024 तक कोच्ची, केरल में आयोजित किया गया। कोविड-19 महामारी के बाद, क्क्च्क्त्7 शारीरिक रूप से आयोजित होने वाला पहला सत्र था और इस सत्र में 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सत्र का उद्घाटन भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव श्री अमरदीप सिंह भाटिया आईएएस ने किया। पांच मसालों अर्थात छोटी इलायची, हल्दी, जुनिपर बेरी, ऑलस्पाइस और स्टार ऐनीज़ के लिए मानकों को अंतिम रूप देने के साथ सत्र सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। CCSCH7 ने इन पांच मानकों को कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC) को अंतिम चरण 8 में पूर्ण कोडेक्स मानकों के रूप में अपनाने के लिए भेज दिया।

वर्ष 2023-24 के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड ने भारतीय मसालों को विश्व स्तर पर बढ़ावा देने के उद्देश्य से 24 घरेलू व्यापार मेलों और दो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों में भाग लिया। भारत की जी20 अध्यक्षता के संबंध में, स्पाइसेस बोर्ड ने 23-25 मई 2023 के दौरान बेंगलुरु, कर्नाटक में; 10-12 जुलाई 2023 को केवडिया, गुजरात में और 21-25 अगस्त 2023 को जयपुर, राजस्थान में आयोजित व्यापार और निवेश कार्य समूह (TIWG) की बैठकों के स्थल पर मसाला अनुभव क्षेत्र स्थापित किए। मसाला अनुभव क्षेत्र की स्थापना 24-25 अगस्त 2023 के दौरान जयपुर में आयोजित व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भी की गई थी। मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने और मसालों के निर्यात सोर्सिंग के लिए संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से, बोर्ड क्रेता-विक्रेता बैठकें (BSM) आयोजित कर रहा है। स्पाइसेस बोर्ड, प्रगतिशील हितधारकों को मसाला व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए आकर्षित करने, प्रेरित करने और सुसज्जित करने के लिए, पूरे भारत से प्रतिभागियों को शामिल करते हुए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (ईडीपी) आयोजित कर रहा है। वर्ष 2023-24 में, बोर्ड ने दो उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।

उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के मामले में इलायची (छोटी और बड़ी) के समग्र विकास के लिए जिम्मेदार होने के नाते मसाला बोर्ड ने इलायची क्षेत्र की बेहतरी के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को लागू किया है। वर्ष 2023-24 के दौरान, पुनर्रोपण/नए रोपण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के माध्यम से, बोर्ड ने ₹370.41 लाख की वित्तीय सहायता के साथ 728 हेक्टेयर छोटी इलायची के पुनर्रोपण/नए रोपण में सहायता की। ₹322 लाख की सहायता के साथ 927.85 हेक्टेयर बड़ी इलायची के पुनर्रोपण/नए रोपण के लिए भी सहायता दी गई। इनके माध्यम से 5993 उत्पादकों को लाभ हुआ।

बोर्ड की विभागीय नर्सरियों ने कुल 65,576 इलायची रोपण सामग्री, 2,14,316 मिर्च की मूल लगाई कतरनें और 11,985 मिर्च के न्यूक्लियस रोपण सामग्री का उत्पादन किया और वर्ष 2023-24 के दौरान 751 उत्पादकों को वितरित किया। प्रमाणित नर्सरी योजना के तहत, 151.4 छोटी इलायची इकाइयाँ (7,57,000 रोपण सामग्री) और 319.87 बड़ी इलायची इकाइयाँ (15,99,350 रोपण सामग्री) ₹118.86 लाख की वित्तीय सहायता से स्थापित की गईं। सिंचाई और भूमि विकास कार्यक्रम के तहत, कुल 23 जल भंडारण संरचनाओं और 44 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया और 57 सिंचाई पंप सेट स्थापित किए गए, जिससे 2023-24 में ₹26.82 लाख की वित्तीय सहायता से 124 किसानों को लाभ हुआ। फसलोत्तर गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत छोटी इलायची के लिए 43 उन्नत इलायची उपचार उपकरण स्थापित किए गए, जिन पर कुल ₹ 53.21 लाख खर्च हुए। बड़ी इलायची के उपचार के लिए ₹ 5.19 लाख की वित्तीय सहायता से 22 संशोधित भट्टी इकाइयों का निर्माण किया गया।

बोर्ड ने किसानों के खेतों में 88 बिजली से चलने वाले थ्रेशर लगाने के लिए कुल ₹68.91 लाख की इमदाद दी; 356 मिर्च थ्रेशर लगाने के लिए कुल ₹65.92 लाख की इमदाद दी; 89 हल्दी भाप उबालने वाली इकाइयों के लिए कुल ₹199.49 लाख की वित्तीय सहायता दी; 132 मसाला पॉलिशिंग इकाइयों के लिए कुल ₹120.44 लाख की वित्तीय सहायता दी और 373 जायफल/लौंग ड्रायर लगाने के लिए कुल ₹75.89 लाख की वित्तीय सहायता दी। इसके अलावा, नौ पुदीना आसवन इकाइयों, 62 मसाला क्लीनर/ग्रेडर/स्पाइरल ग्रेविटी सेपरेटर और 36 मसाला वॉशिंग मशीनों की स्थापना के लिए कुल ₹53.91 लाख की वित्तीय इमदाद दी गई। गुणवत्ता अंतर पाटने वाले समूहों के अंतर्गत, मसाला क्षेत्र में 47 किसान समूहों ने विभिन्न कटाई उपरांत मशीनें स्थापित कीं और 118,44 किसानों को ₹326.88 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

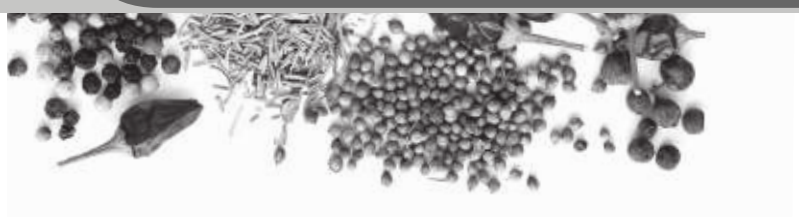

मसालों के जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 254 वर्मीकंपोस्टिंग इकाइयाँ स्थापित की गईं, जिससे 236 उत्पादकों को कुल ₹23.99 लाख की इमदाद पर लाभ मिला। वर्ष 2023-24 के दौरान 264 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत 15,003 कर्मियों को गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण दिया गया, जिस पर कुल ₹27.23 लाख खर्च हुए। वर्ष 2023-24 के दौरान केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिलों में इलायची (छोटी और बड़ी) के लिए 17,157 विस्तार दौरे किए गए और 1920 समूह बैठकें/अभियान आयोजित किए गए और संबंधित उत्पादक क्षेत्रों में अन्य मसालों के लिए। विस्तार सलाहकार सेवा के तहत कुल व्यय ₹129.30 लाख था।

छोटी इलायची उत्पादकों को प्रतिकूल मौसम की घटनाओं जैसे कम या अधिक वर्षा, गर्मी (तापमान), सापेक्ष आर्द्रता आदि से बचाने के लिए, जो उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले माने जाते हैं, केरल के इडुक्की जिले में छोटी इलायची के लिए मौसम आधारित फसल बीमा योजना को कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड (एआईसी) के सहयोग से एक पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया था। 2023-24 के दौरान, 39.29 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली इस योजना के तहत 60 किसानों को नामांकित किया गया और बोर्ड के हिस्से के रूप में ₹6.26 लाख की सहायता प्रदान की गई।

किसानों के बीच इलायची और अन्य मसालों की टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए 23 मई 2023 को केएडीएस विलेज स्क्वायर तोडुपुषा में मसालों के लिए एक आईपीएम सेवा केंद्र स्थापित किया गया। यह आईपीएम सेवा केन्द्र, केन्द्रीय एकीकृत नाशीजीव प्रबन्धन केन्द्र, (CIPMC), एरणाकुलम्; आईसीएआर - भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर), कोषि़क्कोड; भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआई), मैलाडुंपारा; इलायची अनुसंधान केन्द्र केरल कृषि विस्वविध्यालय, पांपाडुंपारा; और कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), शांतनपारा जैसे संबन्ध विभागों के सहयोग से स्थापित हुई है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड और केरल कृषि विकास सोसायटी (केएडीएस) पीसीएल द्वारा संयुक्त रूप से तोडुपुषा, इडुक्की, केरल में स्थापित प्रशिक्षण केंद्र ने 17 प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान की और प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित मॉड्यूल के अनुसार 588 प्रतिभागियों को सशक्त और संवेदनशील बनाया गया।

भारत में अच्छी कृषि पद्धतियों को मजबूत करने के लिए, भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) भारत अच्छी कृषि पद्धतियाँ (IndGAP) प्रमाणन योजना लागू करती है। यह योजना ISO 17065 के अनुसार संरेखित है, जो उत्पाद/प्रक्रिया प्रमाणन आवश्यकताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जो प्रमाणन और मान्यता ढांचे के साथ पूर्ण है। मसाला बोर्ड ने राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में जीरा, धनिया, सौंफ़ और काली मिर्च जैसे मसालों को कवर करते हुए "मसालों के IndGAP प्रमाणन पर पायलट परियोजना" के दूसरे चरण को पूरा करने के लिए भारतीय गुणवत्ता परिषद (QCI) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

बोर्ड के 37वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 27 फरवरी 2024 को देश के 14 राज्यों के 22 स्थानों से 1307 प्रतिभागियों को शामिल करते हुए "स्वच्छ और सुरक्षित मसाले" पर एक अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य हितधारकों को उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और मसालों के निर्यात के विभिन्न चरणों में जोखिम, सुधारात्मक कार्रवाइयों और अपनाई जाने वाली अच्छी प्रथाओं के बारे में जागरूक करना था।

युवा मामले और खेल मंत्रालय, भारत सरकार के मेरा युवा भारत अभियान के हिस्से के रूप में, स्पाइसेस बोर्ड न वर्ष 2023-24 के लिए **"सुगंध उद्योग मंथन"** नामक मेरा युवा भारत कार्यक्रम को एक उप कार्यक्रम "खेती, गुणवत्ता प्रबंधन और निर्यात पर बूट कैंप- युवा मसाला उद्यमियों को सशक्त बनाना" के साथ लागू किया। यह कार्यक्रम युवाओं को मसाला आपूर्ति श्रृंखला, आईपीएम, जीएपी, जीएचपी, जीएमपी और कटाई के बाद गुणवत्ता बढ़ाने पर ज्ञान साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने हेतु आयोजित किया गया था। खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल, मूल्य संवर्धन, ई-कॉमर्स, नेतृत्व और सॉफ्ट स्किल्स इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल अन्य महत्वपूर्ण पहलू थे। आठ राज्यों के 11 स्थानों से कुल 1823 प्रतिभागियों को इस कार्यक्रम से लाभ मिला।

मसाला उत्पादकों के लिए अच्छे कृषि पद्धतियों (जीएपी) पर सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम बागवानी अनुसंधान केंद्र, असम कृषि विश्वविद्यालय, काहिकुची, गुवाहाटी

और केएडीएस प्रशिक्षण केंद्र, विलेज स्क्वायर, तोडुपुषा, केरल में जून 2023 के दौरान और अलकोडे, तोडुपुषा, केरल में मार्च 2024 के दौरान आयोजित किया गया था। ये कार्यक्रम स्पाइसेस बोर्ड द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यूएसएफडीए) और ज्वाइंट इंस्टीट्यूट फॉर फूड सेफ्टी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन (जेआईएफएसएएन) के सहयोग से यूएसएफडीए से ₹3.74 लाख के एकमुश्त अनुदान के साथ आयोजित किए गए थे। इस सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कुल 196 किसानों को प्रशिक्षित किया गया।

त्रिपुरा के लिए काली मिर्च के उत्पादन और कटाई के बाद प्रबंधन पर एकीकृत परियोजना के तहत वर्ष 2023-24 के दौरान काली मिर्च किसानों के लिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। ये कार्यक्रम स्पाइसेस बोर्ड द्वारा त्रिपुरा सरकार की वित्तीय सहायता से आयोजित किए गए थे। वर्ष 2023-24 के दौरान दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत कुल 115 कर्मियों (30 अधिकारी और 85 किसान) को प्रशिक्षित किया गया, जिस पर कुल ₹0.30 लाख खर्च हुए।

"निर्यात विकास एवं संवर्धन" (ईडीपी) घटक के अंतर्गत कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य निर्यातकों को बुनियादी ढांचे के विकास, भारतीय मसालों और मसाला उत्पादों को बढ़ावा देने आदि में सहायता करना है, ताकि प्रसंस्कृत और मूल्यवर्धित मसालों के निर्यात को बढ़ाया जा सके, जो आयातक देशों के बदलते खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन करते हैं। वैज्ञानिक प्रथाओं और प्रक्रिया उन्नयन को अपनाने को प्रोत्साहित करने के अलावा, बोर्ड ने मसालों की आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया। निर्यात विकास एवं संवर्धन (ईडीपी) के अंतर्गत प्रमुख जोर देने वाले क्षेत्र हैं व्यापार संवर्धन, उत्पाद विकास और अनुसंधान, बुनियादी ढांचे का विकास, विदेशों में भारतीय मसाला ब्रंडों का प्रचार, प्रमुख मसाला उगाने/विपणन केंद्रों में सामान्य सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग और भंडारण (मसाला पार्क) के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना, जैविक मसालों/जीआई मसालों का प्रचार, क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित करना आदि। साथ ही, पूर्वोत्तर क्षेत्र के मसालों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम शुरू किए गए। बुनियादी ढांचे के विकास और व्यापार संवर्धन कार्यक्रमों के तहत, विभिन्न घटकों के तहत पात्र निर्यातकों को ₹456.70 लाख की सहायता प्रदान की गई।

कोच्ची, चेन्नई, गुंटूर, मुंबई, नई दिल्ली, तूतीकोरिन, कांडला और कोलकाता में स्पाइसेस बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं (क्यूईएल) ने चुनिंदा मसालों की निर्यात खेपों के लिए विश्लेषणात्मक सेवाएं और अनिवार्य परीक्षण और प्रमाणन प्रदान करना जारी रखा। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, प्रयोगशाला ने एफ़्लैटॉक्सिन, अवैध रंग, कीटनाशक अवशेष, एथिलीन ऑक्साइड (ईटीओ) और साल्मोनेला एसपीपी आदि सहित कुल 1,34,208 मापदंडों का विश्लेषण किया।

वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान, भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (ICRI) ने अपने शोध प्रयासों को विभिन्न मोर्चों पर केंद्रित किया। मुख्य रूप से, शोध कार्यक्रम फसल सुधार, जैव प्रौद्योगिकी और फसल उत्पादन अध्ययन पर केंद्रित थे। तीस जनवरी 2024 को कोच्ची में आयोजित स्पाइसेस बोर्ड की 94वीं बोर्ड बैठक के दौरान ICRI द्वारा विकसित बेहतर गुणवत्ता वाले कैप्सूल के साथ एक उच्च उपज देने वाली इलायची क्लोन को ICRI-10 के रूप में जारी करने की मंजूरी दी गई थी। क्लोन को ICAR-नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज, नई दिल्ली में एक अद्वितीय इलायची जीनोटाइप (IC 645601) के रूप में पंजीकृत किया गया है। यह एक जलवायु प्रतिरोधी किस्म है जिसकी मध्यम प्रबंधन के तहत 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपज क्षमता है और यह उच्च रिकवरी प्रतिशत के साथ कीटों और बीमारियों के प्रति अपेक्षाकृत सहनशील है।

साइट-विशिष्ट उर्वरक अनुशंसा के लिए एक मोबाइल ऐप/वेब पेज संस्करण विकसित किया गयाः साइट-विशिष्ट ऑनलाइन उर्वरक अनुशंसाओं के लिए इंटरपोलेटेड मृदा उर्वरता डेटा के आधार पर "कार्डसैप" नामक एक एंड्रॉइड-आधारित एप्लिकेशन विकसित किया गया है। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के इडुक्की जिले के कार्डामम हिल रिजर्व के 1,439 मिट्टी के नमूनों से लगभग 17,268 मृदा उर्वरता मापदंडों का परीक्षण किया गया और इनपुट पर सिफारिशें दी गईं। इसके अतिरिक्त, सिक्किम में 70 मिट्टी के नमूनों से 840 मृदा उर्वरता मापदंडों का परीक्षण किया गया और मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए रिपोर्ट प्रदान की गई।

नए पैकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स और पॉलीथीन कवर में 10

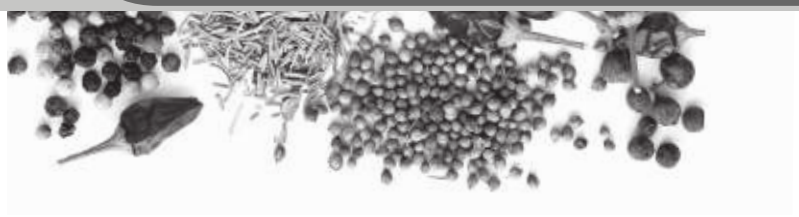

बायोएजेंट के पाउडर फॉर्मूलेशन तैयार किए गए। उत्पादों को 26 फरवरी 2024 को आयोजित स्पाइसेस बोर्ड स्थापना दिवस समारोह के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव और स्पाइसेस स्पाइसेस बोर्ड के अध्यक्ष श्री अमरदीप सिंह भाटिया आईएएस द्वारा जारी किया गया।

राज्य बागवानी मिशन (एसएचएम) केरल के वित्त पोषण से फार्म गेट स्तर पर कीटनाशक अवशेष विश्लेषण के लिए आईसीआरआई मैलाडुंपारा में एक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (क्यूईएल) की स्थापना की गई थी। क्यूईएल का उद्घाटन 31 जनवरी 2024 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव और स्पाइसेस बोर्ड के अध्यक्ष श्री अमरदीप सिंह भाटिया आईएएस ने किया था।

वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान, दो बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं, यानी 20 अक्तूबर, 2023 को 93वीं बोर्ड बैठक और 30 जनवरी, 2024 को कोच्ची में हाइब्रिड मोड में 94वीं बोर्ड बैठक। श्री अमरदीप सिंह भाटिया आईएएस, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार को 12 जुलाई 2023 को बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उन्होंने 26 जुलाई 2023 को पदभार ग्रहण किया।

वार्षिक कार्यक्रम के साथ-साथ राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा राजभाषा के रूप में हिंदी के प्रयोग के संबंध में जारी आदेशों के अनुरूप, राजभाषा अनुभाग ने वर्ष 2023-24 के दौरान राजभाषा नीति के कार्यान्वयन को अधिक उपयोगी और प्रभावी बनाने के लिए अपने प्रयास जारी रखे।

बोर्ड ने आरटीआई अधिनियम, 2005 को प्रभावी रूप से लागू किया और इस संबंध में सरकार के सभी निर्देशों का अनुपालन किया। बोर्ड ने सीपीआईओ द्वारा सूचना के प्रसार के समन्वय के लिए पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी को समन्वय केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया।

बोर्ड ने आरटीआई अधिनियम, 2005 को प्रभावी रूप से लागू किया और इस संबंध में सरकार के सभी निर्देशों का अनुपालन किया। बोर्ड ने सीपीआईओ द्वारा सूचना के प्रसार के समन्वय के लिए पुस्तकालय एवं सूचना अधिकारी को समन्वय केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया। बोर्ड ने स्वप्रेरणा से प्रकट की जाने वाली प्रत्येक सूचना को एसे रूप और तरीके से प्रकट किया, जो बोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट के माद्यम से जनता के लिए सुलभ है (आरटीआई अधिनियम 2005 की धारा 4(1))। वर्ष 2023-24 के दौरान, आरटीआई अधिनियम के तहत कुल 88 आरटीआई आवेदन (भौतिक और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से) और 25 अपील प्राप्त हुईं और निर्धारित समय के भीतर सभी मामलों में सुचना प्रासारित की गई। इस अवधि के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) की दो सुनवाई हुई।

01

संघटन एवं प्रकार्य

अ) स्पाइसेस बोर्ड का संघटन

संसद द्वारा अधिनियमित स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 (1986 की सं. 10) में इलायची की खेती एवं उससे जुडे मामलों के नियंत्रण सहित मसालों के निर्यात के विकास तथा इलायची उद्योग के नियंत्रणार्थ बोर्ड के गठन का प्रावधान है। सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा केंद्रीय सरकार ने स्पाइसेस बोर्ड का गठन किया, जो 26 फरवरी 1987 से अस्तित्व में आ गया।

आ) स्पाइसेस बोर्ड की सदस्यता में:

क) अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्रीय सरकार द्वारा की जाएगी

ख) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो लोकसभा से और एक राज्य सभा से चुने होते हैं

ग) केन्द्रीय सरकार के निम्नलिखित मंत्रालयों के प्रतिनिधि तीन सदस्य :

(i) वाणिज्य

(ii) कृषि; एवं

(iii) वित्त;

घ) मसाले कृषकों के प्रतिनिधि छह सदस्य *;

ङ) मसाले निर्यातकों के प्रतिनिधि दस सदस्य;

च) प्रमुख मसाले उत्पादक राज्यों के प्रतिनिधि तीन सदस्य;

छ) निम्नलिखित प्रत्येक का प्रतिनिधित्व करनेवाले चार सदस्य :

(i) योजना आयोग (संप्रति नीति आयोग);

(ii) भारतीय पैकेजिंग संस्थान, मुंबई;

(iii) केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसुरु;

(iv) भारतीय मसाला फसल अनुसंधान संस्थान, कोषिक्कोड;

झ) मसाले श्रमिकों के हितों का प्रतिनिधि एक सदस्य ।

✶ वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना (असाधारण) सं.जी.एस.आर.157 (ई) दिनांक 2 फरवरी, 2018 के अनुसार संशोधित।

इ) बोर्ड के कार्य

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986, के अनुसार स्पाइसेस बोर्ड को निम्नलिखित काम सौंप दिए गए हैं :-

क) बोर्ड:

(i) मसालों के निर्यात का विकास, संवर्धन एवं विनियमन करें ;

(ii) मसालों के निर्यात केलिए प्रमाणपत्र प्रदान करें;

(iii) मसालों के निर्यात के संवर्धन केलिए कार्यक्रम व परियोजनाएँ प्रारंभ करें;

(iv) मसालों के प्रसंस्करण, गुणवत्ता, श्रेणीकरण के तकनीक और पैकिंग में सुधार केलिए अनुसंधान व अध्ययन में सहायता दें एवं उसका प्रोत्साहन करें;

(v) निर्यात केलिए मसालों की कीमतों के स्थिरीकरण केलिए प्रयास करें;

(vi) निर्यातार्थ मसालों केलिए उपायुक्त गुणवत्ता मापमान विकसित करें और "गुणवत्ता-चिह्नाँकन" के माध्यम से गुणवत्ता का प्रमाणन प्रारंभ करें;

(vii) निर्यातार्थ मसालों की गुणवत्ता का नियंत्रण करें;

(viii) निर्यातार्थ मसालों के विनिर्माताओं को, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो विहित की जाए, अनुज्ञप्तियां प्रदान करें;

(ix) यदि निर्यात के संवर्धन के हित में आवश्यक समझे तो किसी मसाले का विपणन करें;

(x) मसालों केलिए विदेशों में भंडारकरण की सुविधाओं की व्यवस्था करें;

(xi) संकलन एवं प्रकाशन केलिए मसालों के बारे में आंकड़ों का संग्रह करें;

(xii) केंद्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से बिक्री केलिए किसी भी मसाले का आयात करें; तथा

(xiii) मसालों के आयात-निर्यात संबंधी किसी विषय पर केंद्रीय सरकार को सलाह दें ।

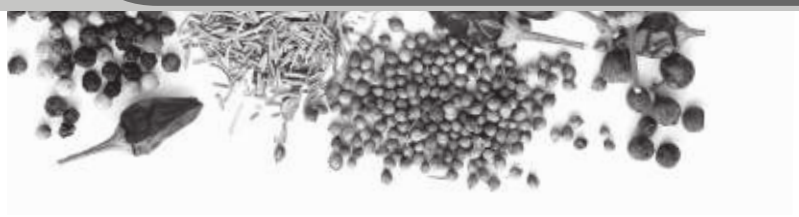

ख) साथ ही, बोर्ड:-

(i) इलायची कृषकों के बीच सहकारिता प्रयासों को बढ़ावा दें;

(ii) इलायची कृषकों केलिए लाभकारी पारिश्रमिक सुनिश्चित करें;

(iii) इलायची की खेती और प्रसंस्करण के उन्नत तकनीकों केलिए इलायची पुनरोपण तथा इलायची खेती इलाकों के विस्तारण केलिए वित्तीय एवं अन्य सहायता की व्यवस्था करें;

(iv) इलायची के विक्रय और इलायची की कीमतों के स्थिरीकरण का विनियमन करें;

(v) इलायची की जाँच तथा उसके श्रेणीमानदण्ड नियत करने में प्रशिक्षण की व्यवस्था करें;

(vi) इलायची के उपभोग में वृद्धि और उस प्रयोजन केलिए प्रचार करें ;

(vii) इलायची के दलालों (जिनके अंतर्गत नीलामकर्त्ता हैं) एवं इलायची के कारोबार में लगे व्यक्तियों को रजिस्ट्रीकृत और अनुज्ञप्त करें;

(viii) इलायची के विपणन में वृद्धि करें;

(ix) कृषकों, व्यापारियों और अन्य व्यक्तियों से जो विहित किए गए जाए, इलायची उद्योग से संबंधित किसी विषय पर आँकडों का संग्रह करें; ऐसे संगृहीत आंकड़ों या उनके भागों या उनसे उद्धरणों का प्रकाशन भी करें;

(x) कर्मचारियों केलिए अधिक अच्छी कार्यकारी दशाओं और सुविधाओं की व्यवस्था तथा प्रोत्साहन को भी सुनिश्चित करें और

(xi) वैज्ञानिक, तकनीक और आर्थिक अनुसंधान आरंभ करें, उसमें प्रोत्साहन या सहायता प्रदान करें।

ग) बोर्ड के अधिकार क्षेत्र के अधीन आनेवाले मसाले

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम की अनुसूचि में निम्नलिखित 52 मसाले आते हैं :-

1	इलायची	19	कोकम	37	जूनिपर बेरी
2	कालीमिर्च	20	पुदीना	38	बे-पत्ता
3	मिर्च	21	सरसों	39	लूवेज
4	अदरक	22	अजमोद	40	मर्जोरम
5	हल्दी	23	अनारदाना	41	जायफल
6	धनिया	24	केसर	42	जावित्री (मेस)
7	जीरा	25	वैनिला	43	तुलसी
8	बडी सौंफ	26	तेजपात	44	खसखस
9	मेथी	27	पीपला	45	ऑलस्पाइस
10	अजवाइन	28	स्टार एनीज़	46	रोज़मेरी
11	सौंफ	29	घोड बच (स्वीट फ्लैग)	47	सेज
12	अजोवन	30	महा गलेंजा	48	सेवरी
13	काला जीरा	31	होर्स-रैडिश	49	थाइम
14	सोआ	32	केपर	50	ओरगेनो
15	दालचीनी	33	लौंग	51	टेरागन
16	अमलतास (कैसिया)	34	हींग	52	इमली
17	लहसुन	35	केंबोज		
18	करी पत्ता	36	हिस्सप		

(करी पाउडर, मसाले तेल, तैलीराल एवं अन्य मिश्रण सहित किसी भी रूप में हो, जहाँ मसाला घटक प्रमुख है)

स्पाइसेस बोर्ड
भारत

स्पाइसेस बोर्ड का ऑर्गेनोग्राम

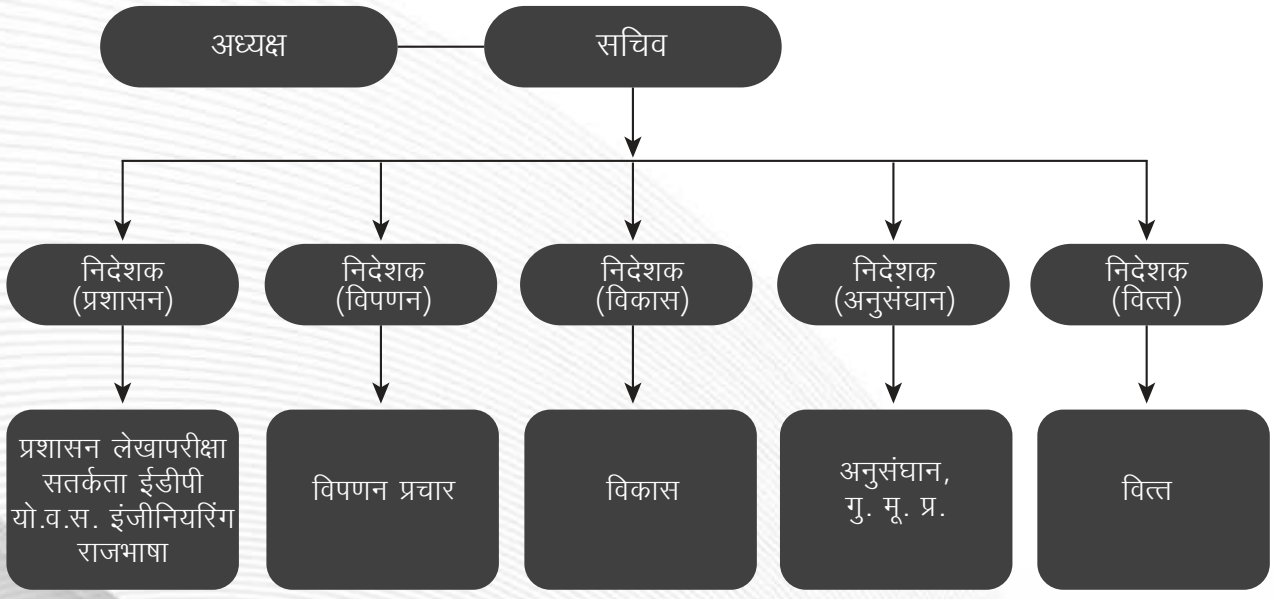

स्वीकृत कार्मिक संख्या - 379
विद्यमान - 223 (जैसेकि 31.03.2024 को है)

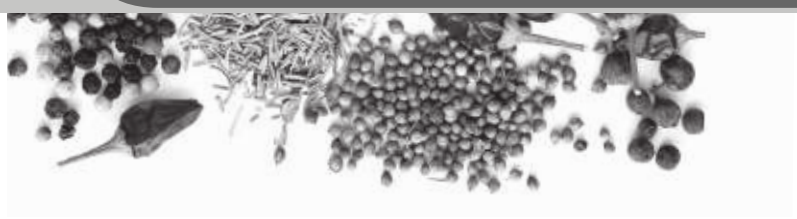

02

प्रशासन

अ) प्रशासन

श्री डी. सत्यन आईएफएस 17 मार्च 2024 तक स्पाइसेस बोर्ड के सचिव के रूप में कार्य करते रहे। डॉ. के.जी. जगदीशा आईएएस ने 18 मार्च 2024 से स्पाइसेस बोर्ड के सचिव का पदभार ग्रहण किया। रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान डॉ. रमा श्री ए.बी. निदेशक (अनुसंधान) के रूप में बनी रही और उन्होने निदेशक (वित्त) का अतिरिक्त प्रभार संभाला । श्री जिजेष टी दास, उप निदेशक (ईडीपी) और श्री बी एन झा, उप निदेशक (विपणन) क्रमशः निदेशक (प्रशासन) और निदेशक (विपणन) का कार्यभार संभालते रहे। श्री जोजी मैथ्यू, उप निदेशक (विकास) ने 31 मई 2023 तक निदेशक (विकास) का कार्यभार संभाला। इसके बाद, श्री धर्मेंद्र दास, उप निदेशक (विकास) ने रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान निदेशक (विकास) का कार्यभार संभाला।

स्पाइसेस बोर्ड ने पहले ही पुनर्गठन प्रस्ताव में स्वीकृत लक्षित कर्मचारियों की संख्या हासिल कर ली है। जैसेकि 31 मार्च, 2024 को है, 379 की स्वीकृत संख्या के मुकाबले, स्पाइसेस बोर्ड के कर्मचारियों की संख्या 223 है जिसमें 68 वर्ग 'क', 75 वर्ग 'ख' और 90 वर्ग 'ग' कर्मचारी शामिल हैं।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान बोर्ड ने 44 कर्मचारियों को पदोन्नति दी है और पात्र एक कर्मचारी को संशोधित सुनिश्चित कैरियर प्रगति योजना (एमएसीपी) के तहत वित्तीय उन्नयन प्रदान किया है। बोर्ड ने निर्यात संवर्धन राम विकास गतिविधियों के समर्थन के लिए पाँच विपणन सलाहकारों, दो विपणन कार्यपालकों और सात विकास कार्यपालकों को नियुक्त किया है।

बोर्ड ने स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के 144 से अधिक बेरोजगार युवाओं को गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं में विश्लेषणात्मक सेवाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और अनुसंधान स्टेशनों में कृषि विस्तार सेवा और लेखा तथा पुस्तकालय अनुभाग में शासकीय कार्यों के लिए प्रशिक्षुओं के रूप में नियुक्त किया है।

क) नियुक्तियों एवं पदोन्नतियों में अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. के लिए आरक्षण

बोर्ड अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. के लिए पद-आधारित आरक्षण रोस्टर का उचित रूप से कार्यान्वयन करता है। सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी अनुदेशों का भी कडाई से अनुपालन किया जा रहा है। जैसे कि 31 मार्च, 2024 को है, अ.जा/अ.ज.जा और अ.पि.व. की श्रेणियों में 131 पदाधिकारी(अ.पि.व.-76, अ.जा-32 और अ.ज.जा-23) थे।

स्पाइसेस बोर्ड के भर्ती विनियम की स्वीकृति लम्बित होने के कारण वाणिज्य विभाग से प्राप्त निदेशों के अनुसार, रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान कोई नियुक्ति नहीं हुई है । मंत्रालय ने पत्र संख्या 5/6/2018-प्लांट-डी दिनांक 04.02.2020 के माध्यम से बोर्ड को निदेश दिया है कि जब तक मंत्रालय द्वारा भर्ती नियम को मंजूरी नहीं दी जाती है, तब तक वह कोई भर्ती न करें।

ख) महिला कल्याण

जैसे कि 31 मार्च 2024 को है, बोई की 'क', 'ख' व 'ग' श्रेणियों की महिला पदाधिकारियों की कुल संख्या 61 है। महिला पदाधिकारियों की शिकायतों पर समय पर और उचित तौर पर ध्यान जाता है। बोर्ड की वर्ग 'क' स्तर की एक महिला अधिकारी को "महिला कल्याण अधिकारी" के रूप में नियुक्त किया गया है, ताकि महिलाओं की परेशानियां/समस्याओं, यदि कोई हो, तो उन्हें जानने और संभव समाधान के लिए सुझावों के साथ उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाया जा सके। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति का पुनर्गठन किया गया था।

ग) अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.व. कल्याण

बोर्ड द्वारा अ.जा/अ.ज.जा व अ.पि.व. के कर्मचारियों के कल्याण की देखभाल और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु समितियों का गठन किया गया है। बोर्ड

द्वारा अ.जा/अ.ज.जा व अ.पि.व. से संबंधित आरक्षण मामलों के लिए एक संपर्क अधिकारी को पदनामोद्दिष्ट किया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (एनसीएसटी) द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के लिए एक 'आंतरिक शिकायत समिति' भी गठित की गई थी।

घ) दिव्यांग व्यक्तियों का कल्याण

बोर्ड द्वारा दिव्यांग श्रेणी से संबंधित कर्मचारियों के कल्याण और उनकी समस्याओं के समाधान हेतु दिव्यांग सेल का गठन किया गया है। बोर्ड द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों से जुडे आरक्षण मामलों के लिए एक संपर्क अधिकारी को पदनामोद्दिष्ट किया है। सरकार के निदेशानुसार बोर्ड द्वारा दिव्यांग को पदोन्नति में आरक्षण भी लागू किया गया है। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए उपयुक्त पदों की पहचान के उद्देश्य से एक विशेषज्ञ समिति का भी पुनर्गठन किया गया है। जैसेकि 31 मार्च, 2024 को है, दिव्यांग व्यक्तियों की (दिव्यांगजन) श्रेणी से संबंधित 9 (ओएच-5, वीएच-3, एच एच-1) कर्मचारी थे।

ङ) स्पाइसेस बोर्ड का कार्यात्मक नेटवर्क

बोर्ड का मुख्यालय केरल के कोच्ची में स्थित है। बोर्ड के देश भर में कार्यालय हैं जिनमें निर्यात संवर्धन कार्यालय, छोटी व बड़ी इलायची के लिए विकास कार्यालय, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएँ (गु.मू.प्र.), अनुसंधान स्टेशन और मसाला पार्क शामिल हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड के निम्नलिखित कार्यालय प्रवृत्त रहेः

(i) निर्यात संवर्धन कार्यालय

क्रम सं.	स्थान	राज्य/ संघ शासित प्रदेश
1	पडेरू	आंध्र प्रदेश
2	वारंगल	आंध्र प्रदेश
3	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
4	गुवाहटी	असम
5	पटना	बिहार
6	जगदलपुर	छत्तीसगढ़
7	नई दिल्ली	दिल्ली
8	पोंडा	गोआ
9	अहमदाबाद	गुजरात
10	ऊँझा	गुजरात
11	उना	हिमाचल प्रदेश
12	श्रीनगर	जम्मू व कश्मीर
13	बैंगलूरू	कर्नाटक
14	मुंबई	महाराष्ट्र
15	शिलाँग	मेघालय
16	आइज़ॉल	मिज़ोरम
17	कोरापुट	उडीसा
18	जोधपुर	राजस्थान
19	चेन्नई	तमिलनाडु
20	नागरकोविल	तमिलनाडु
21	निज़ामाबाद	तेलंगाना
22	हैदराबाद	तेलंगाना
23	अगरतला	त्रिपुरा
24	बाराबंकी	उत्तर प्रदेश
25	कोलकाता	पश्चिम बंगाल

(ii) विकास कार्यालय/फार्म

छोटी इलायची का अनुसंधान व विकास

क्रम सं.	स्थान	राज्य/ संघ शासित प्रदेश
1	अडिमाली	केरल
2	एलप्पारा	केरल
3	कल्पेट्टा	केरल
4	कट्टप्पना	केरल
5	कुमली	केरल
6	नेडुंकण्डम	केरल
7	पांपाडुम्पारा	केरल
8	पीरमेड	केरल
9	पुट्टडी	केरल
10	राजाक्काड	केरल
11	राजकुमारी	केरल
12	शांतनपारा	केरल
13	उडुन्पनचोला	केरल
14	बोडिनायकन्नूर	तमिलनाडु
15	इरोड	तमिलनाडु
16	बत्लगुंडु	तमिलनाडु

17	आइगूर (फार्म)	कर्नाटक
18	बेलगोला (फार्म)	कर्नाटक
19	बेलिगेरी (फार्म)	कर्नाटक
20	बेट्टडामने (फार्म)	कर्नाटक
21	सकलेशपुर	कर्नाटक
22	हावेरी	कर्नाटक
23	कोप्पा	कर्नाटक
24	मडिक्केरी	कर्नाटक
25	मुडिगेरे	कर्नाटक
26	शिवमोगा	कर्नाटक
27	सिरसी	कर्नाटक
28	सोमवारपेट	कर्नाटक
29	वनगूर	कर्नाटक
30	येसलूर(फार्म)	कर्नाटक

बड़ी इलायची का अनुसंधान व विकास

क्रम सं.	स्थान	राज्य/ संघ शासित प्रदेश
1	इटानगर	अरुणाचल प्रदेश
2	नमसाई	अरुणाचल प्रदेश
3	पासीघाट	अरुणाचल प्रदेश
4	रोइंग	अरुणाचल प्रदेश
5	ज़िरो	अरुणाचल प्रदेश
6	दीमापुर	नागालैंड
7	कोहिमा	नागालैंड
8	गान्तोक	सिक्किम
9	गेयसिंग	सिक्किम
10	जोरथांग	सिक्किम
11	मंगन	सिक्किम
12	कलिम्पोंग	पश्चिम बंगाल
13	सुखियापोखरी	पश्चिम बंगाल
14	चुराचंदपुर	मनिपुर

(iii) अनुसंधान स्टेशनें

क्रम सं.	स्थान	राज्य/ संघ शासित प्रदेश
1	मैलाडुंपारा	केरल
2	डोनिगल-सकलेशपुर	कर्नाटक
3	ताडियनकुड़िशि	तमिलनाडु
4	तादोंग	सिक्किम

(iv) गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं (QEL)

क्रम सं.	स्थान	राज्य/ संघ शासित प्रदेश
1	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
2	काण्डला	गुजरात
3	कोच्ची	केरल
4	मुम्बई	महाराष्ट्र
5	नरेला	नई दिल्ली
6	चेन्नई	तमिलनाडु
7	तूतिकोरिन	तमिलनाडु
8	कोलकाता	पश्चिम बंगाल

(v) मसाला पार्क

क्रम सं.	स्थान	राज्य/ संघ शासित प्रदेश
1	गुंटूर	आंध्र प्रदेश
2	पुट्टडी	केरल
3	छिंदवाडा	मध्य प्रदेश
4	गुना	मध्य प्रदेश
5	जोधपुर	राजस्थान
6	रामगंज मंडी (कोटा)	राजस्थान
7	शिवगंगा	तमिलनाडु
8	राय बरेली	उत्तर प्रदेश

च) वर्ष 2023-24 के दौरान कार्यकलाप

(i) उत्पादों व सेवाओं की अधिप्राप्ति

सुरक्षा, हाउसकीपिंग, इलेक्ट्रीशियन, ड्रैवर्स(चालक) आदि सभी आउटसोर्स की गई सेवाएँ, केंद्र/राज्य सरकार के अधीन वाले सेवा प्रदाताओं के ज़रिए अधिप्राप्त की गईं। कम्प्यूटर, प्रिंटर, लेखन-सामग्रियाँ आदि जैसे उत्पाद भी जेम (GeM) के ज़रिए खरीदे गए हैं (कुल खरीद का 80 प्रतिशत से अधिक जेम (GeM) के ज़रिए किया गया)।

(ii) स्वच्छ भारत मिशन कार्यकलापों का कार्यान्वयन

स्वच्छ भारत मिशन के कार्यान्वयन के भाग के रूप में मंत्रालय द्वारा अधिसूचित सभी गतिविधियों को स्पाइसेस बोर्ड में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया और तस्वीरों सहित रिपोर्ट मंत्रालय को भेज दी गई।

स्वच्छता ही सेवा (विशेष अभियान 3.0) के एक भाग के रूप में, स्पाइसेस बोर्ड के विभिन्न स्थानों की निष्क्रिय और स्क्रैप वस्तुओं की पहचान की गई और माल और

सेवाओं की खरीद के लिए मैनुअल में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके उनका निपटान किया गया और कार्यवाही को स्पाइसेस बोर्ड को जमा किया गया।

(iii) वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड बैठकें

वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान, दो बोर्ड बैठकें आयोजित की गईं, यानी 20 अक्तूबर, 2023 को 93वीं बोर्ड बैठक और 30 जनवरी, 2024 को 94वीं बोर्ड बैठक हाइब्रिड मोड में कोच्ची में आयोजित की गई। बोर्ड के कुल 31 संख्या में से, 16 सदस्यों को नियुक्त किया गया था। श्री अमरदीप सिंह भाटिया, आईएएस, अपर सचिव, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार को 12 जुलाई 2023 को बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था और उन्होंने 26 जुलाई 2023 को कार्यभार ग्रहण किया।

स्पाइसेस बोर्ड के सचिव के रूप में श्री डी. सत्यन आईएफएस का कार्यकाल 17 मार्च 2024 को पूरा हुआ और डॉ. के. जी. जगदीश आईएएस, सचिव, कॉफी बोर्ड को 18 मार्च 2024 से 17 सितंबर 2024 तक या अगले आदेश तक सचिव, स्पाइसेस बोर्ड का अतिरिक्त प्रभार दिया गया।

(iv) बाहरी कार्यालयों का अनुरक्षण

कोच्ची में स्थित स्पाइसेस बोर्ड के मुख्यालय और देश भर के 82 कार्यालयों, जिनमें निर्यात संवर्धन कार्यालय, विकास कार्यालय, आठ गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं (क्यूईएल), चार अनुसंधान स्टेशन और आठ स्पाइस पार्क शामिल हैं, का अनुरक्षण किया गया।

(v) राष्ट्रीय महत्ववाले दिनों का मनाया जाना:

स्पाइसेस बोर्ड में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित राष्ट्रीय महत्व के दिन मनाए गए हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान ऐसे निम्नलिखित दिन मनाए गए :-

क) अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस

ख) विश्व रक्तदान दिवस

ग) सांप्रदायिक सद्भावना सप्ताह

घ) पर्यावरण के लिए जीवन शैली

ङ) "मेरी माटी मेरा देश" पर अभियान

च) "हर घर तिरंगा" पहल का कार्यान्वयन

छ) "स्वच्छ दिवाली, शुभ दिवाली" पर अभियान

ज) शहीद दिवस

झ) ऑनलाइन अंग-दान प्रतिज्ञा अभियान

ञ) स्वतन्त्रता दिवस, गणतन्त्र दिवस, संविधान दिवस आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के अन्य दिवस

आ) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

स्पाइसेस बोर्ड मुख्यालय का राजभाषा अनुभाग, राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यक्रम बनाने और उनका संचालन करने में बोर्ड की सहायता करने और बोर्ड के कार्यालयों में राजभाषा नीति के मॉनीटरिंग और कार्यन्वयन हेतु उत्तरदायी नॉडल पॉइंट है। राजभाषा के रूप में हिन्दी के प्रयोग के संबंध में राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम और आदेशों के अनुरूप, राजभाषा अनुभाग, सचिव और बोर्ड की राजभाषा कार्यन्वयन समिति की सहमति और अनुमोदन से वर्ष 2023-24 के दौरान भी राजभाषा नीति के कार्यन्वयन को अधिक कारगर और प्रभावी बनाने में राजभाषा अनुभाग प्रयासरत रहा।

प्रमुख कार्यकलाप और उपलब्धियां:

(i) अनुवाद

निम्नलिखित का अनुवाद कार्य (अंग्रेजी से हिन्दी और उल्टेः) किया गयाः

- राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) के अंतर्गत आने वाले दस्तावेज जैसे कि सामान्य आदेश (परिपत्र), निविदा दस्तावेज, विज्ञापन, प्रेस विज्ञप्ति, अधिसूचना, वीआईपी संदर्भ आदि
- वर्ष 2022-23 केलिए वार्षिक रिपोर्ट व लेखापरीक्षा रिपोर्ट और संसद के समक्ष प्रस्तुत बोर्ड की अन्य प्रशासनिक रिपोर्टें
- हिन्दी में प्राप्त पत्र और उनके हिन्दी में उत्तर
- सेवारत कार्मिकों के लिए विजिटिंग कार्ड, रबड़ मुहर और बोर्ड की सेवा से सेवानिवृत होने वाले कार्मिक को स्मृति-चिह्न के लिए सामग्री
- बोर्ड द्वारा आयोजित विभिन्न सरकारी समारोहों के लिए सामग्रियाँ [बैनर, बैकड्रोप, निमंत्रण-कार्ड, कार्यक्रम शीट आदि]

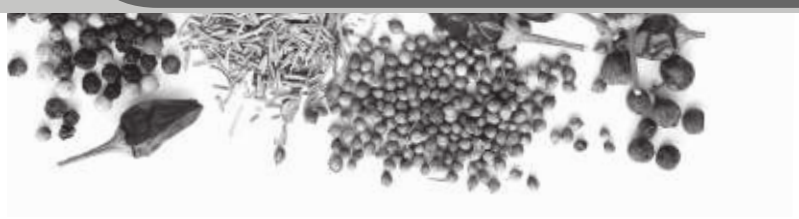

(ii) राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक

प्रत्येक तिमाही में एक बैठक आयोजित करने के अनुरूप चार बैठकें क्रमशः 27 जून, 2023 (अप्रैल-जून, 2023), 29 सितंबर, 2023 (जुलाई-सितंबर, 2023), 28 दिसंबर, 2023 (अक्तूबर-दिसंबर, 2023) और 27 मार्च, 2024 (जनवरी-मार्च, 2024) को आयोजित की गईं।

ख) हिन्दी कार्यशाला

बोर्ड के स्टाफ सदस्यों के लिए प्रत्येक तिमाही में नियमित रूप से चार हिंदी कार्यशालाएँ आयोजित की गईं और प्रतिभागियों को कार्यालय में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने हेतु नवीनतम तकनीकों के बारे में जानकारी प्रदान की गई। उन्हें राजभाषा नीति के साथ-साथ चेक-प्वाइंट के प्रभावी ढंग से अनुपालन सुनिश्चित करने पर जोर देने के साथ राजभाषा नीति को लागू करने के लिए बोर्ड की गतिविधियों से अवगत कराया गया।

ग) हिन्दी समाचार पत्र/पत्रिकाओं के लिए चंदा

बोर्ड ने, हिन्दी अखबार 'डेली हिन्दी मिलाप' और सरिता व वनिता नामक हिन्दी पत्रिकाओं के लिए चंदा देना ज़ारी रखा।

घ) राजभाषा निरीक्षण

माननीय संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति ने 12 मार्च 2024 को बोर्ड के प्रादेशिक कार्यालय व संपर्क कार्यालय, नई दिल्ली की राजभाषा का निरीक्षण किया। समिति ने संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के क्षेत्र में बोर्ड द्वारा की गई प्रगति का मूल्यांकन किया। निरीक्षण के दिन समिति के माननीय सदस्यों ने स्टॉल पर जाकर प्रदर्शित सामग्रियों को देखा। निरीक्षण/बैठक के दौरान समिति ने राजभाषा नीति के बेहतर क्रियान्वयन हेतु बहुमूल्य सुझाव दिये। समिति द्वारा दिये गये सुझावों एवं समिति को दिये गये आश्वासनों पर कार्यवाही की जा रही है।

ङ) हिन्दी दिवस/पखवाड़ा समारोह 2023

बोर्ड में 14 सितम्बर, 2023 को हिन्दी दिवस के रूप में मनाया गया। बोर्ड की ओर से, उप निदेशक, प्रादेशिक कार्यालय, बोडिनायकन्नूर 14-15 सितंबर, 2023 को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित अखिल भारतीय हिंदी सम्मेलन में भाग लिया। उसी दिन को बोर्ड भर में हिंदी दिवस के रूप में मनाया गया। 14 से 29 सितंबर, 2022 के दौरान आयोजित हिंदी पखवाड़ा समारोह में पूरे भारत के अधिकारियों ने भाग लिया। हिंदी पखवाड़ा समारोह 2023 के संबंध में स्टाफ सदस्यों के लिए ऑनलाइन माध्यम से विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया।

हिंदी पखवाड़ा 2023 - विशेष कार्यक्रम

स्पाइसेस बोर्ड अपने हिंदी पखवाड़ा समारोह के हिस्से के रूप में हर साल स्कूली बच्चों और जनता के लिए हिंदी में विशेष कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड ने गुवाहटी शहर और उसके आसपास के स्कूलों के हाई स्कूल के बच्चों के लिए 06 जनवरी, 2024 को हिंदी में वार्तालाप प्रतियोगिता - 'वार्तालाप' आयोजित की। कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन स्पाइसेस बोर्ड क्षेत्रीय कार्यालय, गुवाहटी के उप निदेशक डॉ. द्विजेन्द्र मोहन बर्मन ने किया। विजेताओं को ट्रॉफी और मसाला उपहार बॉक्स देकर सम्मानित किया गया।

च) नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में सहभागिता

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड को कार्यालय में राजभाषा नीति के सर्वोत्तम कार्यान्वयन के लिए कोच्ची टोलिक द्वारा स्थापित रोलिंग ट्रॉफी (द्वितीय स्थान) से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार 25 मई, 2023 को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (TOLIC), कोच्ची की आवधिक बैठक के दौरान प्रभारी निदेशक (प्रशासन) द्वारा ग्रहण किया गया।

इस अवधि के दौरान, बोर्ड के प्रभारी निदेशक (प्रशासन) और सहायक निदेशक(राजभाषा) ने 14 नवंबर, 2023 को आयोजित नराकास, कोच्ची की अर्धवार्षिक बैठक में भाग लिया।

सहायक निदेशक (राजभाषा) ने 18 अगस्त 2023 को हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, अंबलमुगल, कोच्ची के तत्वावधान में आयोजित "राजभाषा कार्यान्वयन में सूचना प्रौद्योगिकी का योगदान" विषयक तकनीकी कार्यशाला में भाग लिया।

छ) सेवाकालीन प्रशिक्षण

स्पाइसेस बोर्ड ने केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा आयोजित पत्राचार माध्यम से प्राज्ञ हिंदी

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के लिए एक अधिकारी और प्रवीण पाठ्यक्रम केलिए एक पदाधिकारी को नामित किया।

iii) स्पाइस इंडिया (हिन्दी)

बोर्ड की हिंदी मासिक पत्रिका 'स्पाइस इंडिया' के विमोचन से संबंधित कार्य में सहायता प्रदान की गई।

इ) पुस्तकालय एवं प्रलेखन सेवा

बोर्ड के पुस्तकालय में कंप्यूटरीकृत ग्रंथसूची डाटा सहित पुस्तकों व पत्रिकाओं का एक अच्छा संग्रहण है। पुस्तकालय व प्रलेखन इकाई को मजबूत बनाने की प्रक्रिया, नई पुस्तकों व पत्रिकाओं को जोड़कर जारी रखा गया। वर्ष 2023-24 के दौरान, 123 नई पुस्तकें जोडी गईं और करीब 80 पत्रिकाओं के लिए चंदा ज़ारी रखा गया । पुस्तकालय ने किताबें जारी करना तथा वापस लेना, दस्तावेज़ों व पत्रिकाओं का परिचालन, करंट एवेयरनेस सेवा, दैनिक सूचना सेवाएं, ई-समाचार-पत्र पठन और जर्नलों को मुक्त अभिगम्यता और "स्पाइसेस समाचार सेवा" जैसी नियमित सेवाएं ज़ारी रखीं। विविध संस्थाओं के लगभग 10 छात्रों तथा शोधकर्ताओं को मार्गदर्शन सहित संदर्भ सुविधाएं प्रदान की गईं। नियमित कार्यकलापों के अलावा जैविक कृषि, जलवायु परिवर्तन, भारतीय कृषि, कालीमिर्च, इलायची, अदरक, हल्दी, मिर्च, लहसुन, पुदीना, बीजीय मसाले, वृक्ष मसाले, तेल व तैलीराल पर सूचना समेकित की गई।

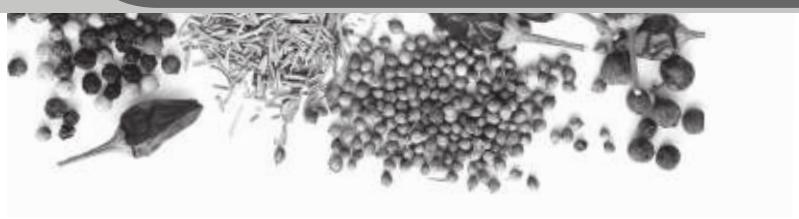

कार्यक्रम	प्राप्त अनुदान (₹ लाख में)	व्यय (₹ लाख में) (*)
क्षेत्र व्यापी आई पीएम कालीमिर्च	2.00	2.25
आई सी ए आर-ए आई सी आर पी एस	14.18	15.38
बेयर परियोजना	-	7.61
फ्लूपाईरिमिन का मूल्यांकन	11.92	0.16
डब्ल्यूटीओ - एसटीडीएफ़	65.05	84.37
डीयूएस जांच केंद्र	1.00	-
पॉलीसल्फेट का मूल्यांकन	-	3.84
स्पिनेटोरम का मूल्यांकन	-	10.70
नैनो उर्वरक का मूल्यांकन	2.40	0.75
एस एच एं है - टेक पौधशाला	100.00	-
सिंजेंटा कवकनाशी	9.71	0.61
सिंजेंटा कीटनाशी	23.88	-
आर के वी वाई आंध्र प्रदेश	-	12.19
एम आई डी एच	-	5.82
नबार्ड सिक्किम	0.94	-
कुल	**231.08**	**143.68**

(*) व्यय में, पिछले वर्षों में प्राप्त अनुदान एवं वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान उपयोग में लाया गया अनुदान शामिल है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी), भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा विकसित एक नई वित्तीय लेखा प्रणाली (एफएएस) को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। सॉफ्टवेयर बेहतर डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता, असीमित भंडारण क्षमता, कम जनशक्ति हस्तक्षेप, वेब-आधारित पहुंच आदि प्रदान करता है। नया एफएएस बोर्ड को पूरे भारत में यूनिट कार्यालयों तक उपयोगकर्ता की पहुंच प्रदान करने और दिन-प्रतिदिन के व्यय और प्राप्तियों को रिकॉर्ड करने का प्रावधान करने में सक्षम बनाता है। नए एफएएस में पेमेंट गेटवे सिस्टम 'वास्तविक समय' के आधार पर बैंक प्राप्तियों के लेखांकन में मदद करेगा। अनुमोदित योजनाओं/बजट आवश्यकताओं के आधार पर प्रत्येक इकाई कार्यालय स्तर पर मुख्यालय से मौद्रिक सीमाएं आबंटित की जा सकती हैं । इन विशेषताओं ने वित्त विभाग को बोर्ड के सभी इकाई कार्यालयों से संबंधित बैंक शेष, व्यय, अग्रिम, सब्सिडी भुगतान, आवंटित व्यय सीमा आदि की वर्तमान स्थिति को देखने में सक्षम बनाया, जो बदले में बेहतर प्रबंधन नियंत्रण और कार्यालय प्रमुख से नियमित निगरानी में मदद करता है। सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ता के अनुकूल है और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, बोर्ड के वार्षिक खाते इस सॉफ्टवेयर से तैयार किए जाते हैं। एनआईसी द्वारा अतिरिक्त सुविधाओं का विकास और अन्य विभाग मॉड्यूल के साथ एकीकरण भी शुरू किया गया है।

स्पाइसेस बोर्ड पर सांविधिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट 2023-24 के खंड परिशिष्ट-1 के रूप में रखे गए हैं।

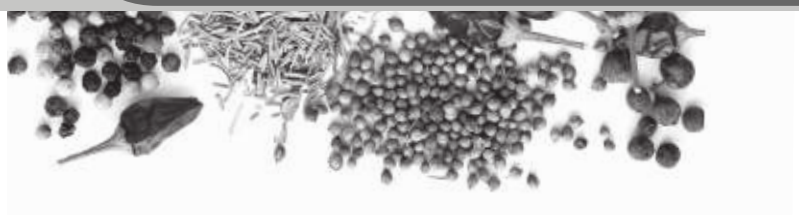

04

मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन और फसलोत्तर सुधार

स्पाइसेस बोर्ड इलायची (छोटी और बड़ी) के उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के मामले में उनके समग्र विकास के लिए जिम्मेदार है। बोर्ड निर्यात के लिए गुणवत्ता पूर्ण मसालों के उत्पादन के लिए फसलोत्तर सुधार कार्यक्रम भी लागू कर रहा है। बोर्ड के विभिन्न विकास कार्यक्रमों और फसल कटाई के बाद गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों को केंद्रीय क्षेत्रीय योजना - "मसालों में निर्यात प्रोत्साहन और गुणवत्ता में सुधार और इलायची के अनुसंधान और विकास के लिए एकीकृत योजना" के तहत 'निर्यात उन्मुख उत्पादन' घटक में शामिल किया गया है।

विकास कार्यक्रमों को बोर्ड के विस्तार नेटवर्क के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जिसमें उसके क्षेत्रीय कार्यालय, मंडल कार्यालय और क्षेत्र कार्यालय शामिल हैं। बोर्ड मसाला उत्पादकों की रोपाई के लिए गुणवत्तापूर्ण सामग्री की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर्नाटक के प्रमुख इलायची उत्पादक क्षेत्रों में पांच विभागीय नर्सरी का रखरखाव कर रहा है।

मसालों का निर्यातोन्मुख उत्पादन

वर्ष 2023-24 के दौरान 'मसालों का निर्यातोन्मुखी उत्पादन' घटक के तहत कार्यान्वित विभिन्न कार्यक्रमों का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है:

अ. इलायची (छोटी)

छोटी इलायची की खेती मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में की जाती है। छोटी इलायची के अधिकांश किसान छोटे और सीमांत किसान हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान छोटी इलायची की खेती का कुल क्षेत्रफल 70,410 हेक्टेयर (हे) और अनुमानित उत्पादन 25,230 मीट्रिक टन था। छोटी इलायची के विकास हेतु क्रियान्वित कार्यक्रम नीचे दिये गये हैं:

क) पुनःरोपण/नया रोपण

इस कार्यक्रम का उद्देश्य केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में छोटी इलायची के उत्पादकों को रोगग्रस्त, पुराने, जीर्ण और अलाभकारी खेती की व्यवस्थित पुनः रोपाई के माध्यम से उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए प्रेरित करना और सीमांत उत्पादकों को प्रोत्साहित करने और उन्हें पुनर्रोपण/नए रोपण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के द्वारा छोटी इलायची की खेती के क्षेत्रफल में विस्तार करना है। उत्पादकों को केरल और तमिलनाडु में प्रति हेक्टेयर सामान्य वर्ग के किसानों को ₹1,00,000/- और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को ₹2,10,000/- और कर्नाटक में प्रति हेक्टेयर सामान्य वर्ग के किसानों को ₹75,000/- और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को ₹1,68,000/- की वित्तीय सहायता दी जा रही है जो पक्वनावधि के दौरान पुनः रोपण और रखरखाव की लागत के मद में क्रमशः 33.33 प्रतिशत और 75 प्रतिशत है, जिसका भुगतान दो समान वार्षिक किश्तों में किया जाता है। पंजीकृत छोटे और सीमांत इलायची उत्पादक जिनके पास आठ (8) हेक्टेयर तक खेत हैं, इस कार्यक्रम के तहत लाभ पाने के पात्र हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 728 हेक्टेयर छोटी इलायची की पुनःरोपण के लिए ₹370.41 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई (जिसमें वर्ष 2023-24 के दौरान 288.08 हेक्टेयर पुनःरोपण की पहली किस्त के लिए ₹146.56 लाख, वर्ष 2022-23 के दौरान 439 हेक्टेयर पुनःरोपण की दूसरी किस्त के लिए ₹223.39 लाख और वर्ष 2022-23 के बैकलॉग मामले शामिल हैं), जिससे 2052 उत्पादक (महिलाः 578, ट्रांसजेंडरः 0, एससीः 47, एसटीः 48) लाभान्वित हुए ।

ख) गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण

रोग मुक्त, स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण बोर्ड की विभागीय पौधशालाओं द्वारा किया गया। पाँच विभागीय पौधशालाओं में उत्पादित रोपण सामग्री का वितरण उत्पादकों को मामूली दर पर किया गया।

वर्ष 2023-24 के दौरान, कर्नाटक क्षेत्र की पांच विभागीय पौधशालाओं से, कुल 65,576 इलायची रोपण सामग्री, काली मिर्च की 2,14,316 मूल लगाई कतरनें और कालीमिर्च की 15,027 न्यूक्लियस रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण किया गया जिससे 765 उत्पादक लाभान्वित हुए ।

ग) रोपण सामग्री का उत्पादन

आगामी सीज़न के लिए रोग मुक्त, स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री तैयार करने के लिए, किसानों को अपने ही खेत में इलायची की कलम/पादप का उत्पादन करने हेतु प्रेरित किया गया। प्रमाणित पौधशालाओं में उत्पादित रोपण सामग्री का उपयोग आवेदकों द्वारा पुनः रोपण/अंतराल भरने में किया जाएगा (50 प्रतिशत से अधिक नहीं) और शेष पड़ोसी/जरूरतमंद किसानों को एक इष्टतम कीमत पर आपूर्ति की जाएगी जो बाजार मूल्य से अधिक नहीं होगी।

वर्ष 2023-24 के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत ₹23.28 लाख की वित्तीय सहायता से 356 लाभार्थी किसानों(अर्थात महिला-110, ट्रांसजेंडरः 0, एससीः 13, एसटीः1) को कवर करते हुए 151.4 इकाइयां (यानी, 7,57,000 रोपण सामग्रियां) स्थापित की गईं।

घ) सिंचाई एवं भूमि विकास

इलायची के बागानों में गर्मी के महीनों के दौरान अधिक उपज प्राप्त करने के लिए सिंचाई आवश्यक है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खेत तालाबों, टंकियों, कुओं, वर्षा जल संचयन संरचनाओं, सिंचाई उपकरणों की स्थापना और मृदा संरक्षण कार्यों जैसी सिंचाई संरचनाओं के निर्माण के माध्यम से जल संसाधनों को बढ़ाकर इलायची बागानों में सिंचाई को बढ़ावा देना है। बोर्ड यह कार्यक्रम केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में लागू कर रहा है।

(i) भण्डारण संरचनाओं का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक जो 0.10 हेक्टेयर से 8.00 हेक्टेयर तक भू स्वामित्व वाले हैं, इस कार्यक्रम के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं। कार्यक्रम के तहत लाभ को अधिक उत्पादकों तक पहुंचाने के लिए, एक व्यक्ति को वित्तीय सहायता केवल एक निर्माण यानी खेत तालाब/कुआँ/भंडारण टैंक तक सीमित है। कार्यक्रम के तहत अधिकतम सहायता प्राप्त करने के लिए सिंचाई संरचना की न्यूनतम क्षमता 25 घन मीटर होनी चाहिए। कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत या ₹30,000/- और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या ₹45,000/-, जो भी कम हो, दी जाती है।

(ii) सिंचाई उपकरणों की स्थापना

पंजीकृत इलायची कृषक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से 8.00 हेक्टेयर भूमि का भू स्वामित्व है, वे सिंचाई पंपिंग सेट/गुरूत्व सिंचाई उपकरण कार्यक्रम के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। स्प्रिंकलर/ड्रिप/सूक्ष्म सिंचाई के मामले में, 0.40 हेक्टेयर से 8.00 हेक्टेयर भूमि के भू स्वामित्व वाले पंजीकृत इलायची उत्पादक वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। प्रस्तावित सहायता का पैमाना इस प्रकार है, सामान्य श्रेणी के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत या ग्रविटी सिंचाई के लिए ₹5,000/-; सिंचाई पंप सेट के लिए ₹15,000/-; स्प्रिंकलर/ड्रिप/सूक्ष्म सिंचाई के लिए ₹ 32,000/- जो भी कम हो और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या ग्रविटि सिंचाई के लिए ₹11,250/-; सिंचाई पंप सेट के लिए ₹45,000/-; स्प्रिंकलर/ड्रिप/सूक्ष्म सिंचाई के लिए ₹95,000/- जो भी कम हो, दिया जाता है।

(iii) वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक जो 0.10 हेक्टेयर से 8.00 हेक्टेयर तक भू स्वामित्व वाले हैं, इस कार्यक्रम के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं। कोई भी किसान जिसने पहले यह लाभ लिया है, वह दोबारा लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है। दो सौ घनमीटर क्षमता की टंकी का निर्माण हेतु वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत, ₹18,000/- तक सीमित और अनुससुचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत, ₹40,000/- तक सीमित, जो भी कम हो, की दर से प्रदान की जाती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल 18 जल भंडारण संरचनाओं और 27 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया और 23 सिंचाई पंप सेट स्थापित की गईं, जिस केलिए 68 किसानों(महिला15; ट्रांसजेंडरः 0, एससीः03, एसटीः0) को ₹13.75 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

आ) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए विकास कार्यक्रम

इलायची (बड़ी)

बड़ी इलायची मुख्य रूप से सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड के उप-हिमालयी इलाकों और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में उगाई जाती है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम के दार्जिलिंग और कलिम्पोंग जिलों में वर्ष 2023-24 के दौरान बड़ी इलायची का कुल क्षेत्रफल 26,617 हेक्टेयर और अनुमानित उत्पादन 6,349.29 मीट्रिक टन था। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और नागालैंड में वर्ष 2023-24 में बड़ी इलायची उगाने वाला कुल क्षेत्रफल 18,979 हेक्टेयर और उत्पाद 2,939.07 मीट्रिक टन था। गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री की अनुपलब्धता, जीर्ण, पुराने और अलाभकारी पौधों की उपस्थिति और झुलसा रोग की घटनाएँ बड़ी इलायची उत्पादन को प्रभावित करने वाली प्रमुख चुनौतियाँ हैं। इसे ध्यान में रखते हुए, बोर्ड बड़ी इलायची के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम लागू कर रहा है।

क) बडी इलायचीः पुनःरोपण/नया रोपण

बड़ी इलायची समाज के कमजोर वर्गों से आने वाले छोटे और सीमांत किसानों द्वारा उगाई जाती है। कार्यक्रम का उद्देश्य उत्पादकों को उत्पादकता बढ़ाने के लिए व्यवस्थित तरीके से पुनः रोपण अपनाने के लिए प्रेरित करना है। अधिक निवेश की आवश्यकता के कारण इलायची किसानों के लिए पुनः रोपण/नए रोपण की लागत को पूरा कर पाना मुश्किल होता है। यह कार्यक्रम गैर-पारंपरिक क्षेत्रों में नए रोपण और पारंपरिक क्षेत्रों में पुनर्रोपण के साथ-साथ कार्यक्रम की अवधि (प्रथम और द्वितीय वर्ष) के दौरान रखरखाव की लागत के लिए सामान्य वर्ग के किसानों को 33.33 प्रतिशत और एससी और एसटी वर्ग के किसानों को 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिसे अधिकतम क्रमशः ₹33,600/- और ₹75,000/- प्रति हेक्टेयर की दर से, दो समान वार्षिक किश्तों में भुगतान किया जाता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 927.85 हेक्टेयर बड़ी इलायची की पुनःरोपण/नवरोपण के लिए ₹322 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई (जिसमें वर्ष 2023-24 के दौरान 354.25 हेक्टेयर पुनःरोपण की पहली किस्त के लिए ₹125.31 लाख, वर्ष 2022-23 के दौरान 549 हेक्टेयर पुनःरोपण की दूसरी किस्त के लिए ₹189.68 लाख और वर्ष 2022-23 के बैकलॉग मामले शामिल हैं), जिससे 3941 उत्पादक (महिलाः1065, ट्रांसजेंडरः 0, एससीः44, एसटीः3475) लाभान्वित हुए।

ख) रोपण सामग्री का उत्पादन

आगामी सीज़न के लिए रोग मुक्त, स्वस्थ और गुणवत्तापूर्ण रोपण सामग्री का उत्पादन करने के लिए, किसानों को अपने ही खेत में इलायची की कलम का उत्पादन करने के लिए प्रेरित किया गया।

वर्ष 2023-24 के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत ₹95.58 लाख की वित्तीय सहायता से 623 लाभार्थी किसानों (महिलाः147, ट्रांसजेंडरः0, एससीः11, एसटीः454) को कवर करते हुए 319.87 इकाइयां (यानी, 15,99,350 रोपण ससामग्रियां) स्थापित की गईं।

ग) सिंचाई एवं भूमि विकास

बड़ी इलायची मुख्यतः वर्षा आधारित फसल के रूप में उगाई जाती है। जलवायु की अनियमितताएं उत्पादन को अक्सर प्रभावित करती हैं। नवंबर से मार्च तक के लंबे शुष्क दौर में भीषण सर्दी भी पड़ती है जिसके परिणामस्वरूप फसल का विकास धीमा हो जाता है और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। सर्दियों के महीनों के दौरान लंबे समय तक सूखे से निपटने के लिए सिंचाई को सक्षम करने और उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बडी इलायची बागानों में जल संसाधनों को बढ़ाने के साथ-साथ सिंचाई उपकरण स्थापित करने के लिए, बोर्ड यह कार्यक्रम उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में लागू कर रहा है।

(i) भण्डारण संरचनाओं का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक जो 0.10 हेक्टेयर से 8.00 हेक्टेयर तक भू स्वामित्व वाले है, कार्यक्रम के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं। कार्यक्रम के तहत लाभ को अधिक उत्पादकों तक पहुंचाने के लिए, एक व्यक्ति को वित्तीय सहायता केवल एक निर्माण यानी खेत तालाब/कुआँ/भंडारण टैंक तक सीमित है। कार्यक्रम के तहत अधिकतम वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए सिंचाई संरचना की न्यूनतम क्षमता 25 घन मीटर होनी चाहिए। कार्यक्रम के तहत दी जाने वाली वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत या ₹ 30,000/- और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या ₹ 45,000/- जो भी कम हो, दी जाती है।

(ii) सिंचाई उपकरणों की स्थापना

पंजीकृत इलायची उत्पादक जिनके पास 0.10 हेक्टेयर से 8.00 हेक्टेयर भूमि का भू स्वामित्व है, वे सिंचाई पंपिंग सेट/गुरुत्व सिंचाई उपकरण कार्यक्रम के तहत

वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। कार्यक्रम के तहत लाभ को अधिक उत्पादकों तक पहुंचाने के लिए, किसी भी व्यक्ति को वित्तीय सहायता केवल एक ही इकाई के लिए दी जाती है। सिंचाई उपकरण/गुरूत्व सिंचाई उपकरण के तहत सहायता प्रदान करने का पैमाना इस प्रकार है, सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत या ₹ 15,000/- और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या ₹ 20,000/- जो भी कम हो।

(iii) वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण

पंजीकृत इलायची उत्पादक जो 0.10 हेक्टेयर से 8.00 हेक्टेयर तक भू स्वामित्व वाले हैं, इस कार्यक्रम के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं। कोई भी किसान जिसने पहले यह लाभ लिया है, वह दोबारा लाभ लेने के लिए पात्र नहीं है। 200 घनमीटर क्षमता की टंकी का निर्माण हेतु वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 33.33 प्रतिशत, ₹ 18,000/- तक सीमित और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत ₹ 40,000/- तक सीमित, जो भी कम हो, की दर से प्रदान की जाती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, पाँच जल भंडारण संरचनाओं और 17 वर्षा जल संचयन संरचनाओं का निर्माण किया गया और 34 सिंचाई पंप सेट स्थापित किए गए, जिस केलिए 81 किसानों(महिलाः9, ट्रांसजेंडरः0, एससीः02, एसटीः51) को ₹ 13.07 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

इ) उत्तर पूर्व में पहचाने गए मसालों के निर्यात योग्य अधिशेष को बढ़ावा देना

क) लकडोंग हल्दी की खेती

कार्यक्रम का उद्देश्य निर्यात के लिए लाकाडोंग हल्दी की खेती को बढ़ावा देना है। उत्तर-पूर्व भारत के हल्दी उत्पादक जिनके पास 0.10 से 8.00 हेक्टेयर भूमि का भू स्वामित्व है, वे सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। इस कार्यक्रम में रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 30,000/- प्रति हेक्टेयर सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के 92 (महिलाः 31, ट्रांसजेंडरः 0, एससीः 0, एसटीः 92) किसानों को ₹ 6.42 लाख की वित्तीय सहायता के साथ लकाडोंग हल्दी क्षेत्र के 21.41 हेक्टेयर को कवर करने के लिए सहायता प्रदान की गई।

ख) उत्तर पूर्व में अदरक की विशिष्ट किस्मों की खेती

कार्यक्रम का उद्देश्य उत्तर पूर्व में निर्यात के लिए अदरक की विशिष्ट किस्मों की खेती को बढ़ावा देना है। उत्तर पूर्व के अदरक उत्पादक जिनके पास 0.10 से 8.00 हेक्टेयर भूमि का भू स्वामित्व है, सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। कार्यक्रम में सहायता के रूप में रोपण सामग्री की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 30,000/- प्रति हेक्टेयर तक प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के 77(महिलाः18, ट्रांसजेंडरः0, एससीः0, एसटीः41) किसानों को 6.74 लाख रूपये की वित्तीय सहायता के साथ उत्तर-पूर्वी अदरक क्षेत्र के 22.46 हेक्टेयर को कवर करने के लिए सहायता प्रदान की गई।

ई) मसालों का फसलोत्तर सुधार

क) छोटी इलायची के लिए उन्नत इलायची उपचार उपकरणों की आपूर्ति

कार्यक्रम का उद्देश्य निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली इलायची का उत्पादन करने के लिए उत्पादकों को इलायची सुखाने के लिए उन्नत इलायची उपचार उपकरणों को अपनाने हेतु प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम में सहायता के रूप में सामान्य वर्ग के किसानों को ड्रायर की लागत का 33.33 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75 प्रतिशत प्रदान किया जाता है, जो क्रमशः सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम ₹ 1,50,000/- और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए ₹ 3,37,500/- है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल ₹ 53.21 लाख की वित्तीय सहायता से 43 उन्नत इलायची उपचार उपकरण स्थापित किए गए, जिससे 43 उत्पादकों(महिलाः13, ट्रांसजेंडरः0, एससीः2, एसटीः0) को लाभ हुआ।

ख) बड़ी इलायची ड्रायर की आपूर्ति (सावो ड्रायर/संशोधित भट्टी/अनुमोदित समतुल्य ड्रायर)

कार्यक्रम का उद्देश्य बड़ी इलायची की गुणवत्ता में सुधार के लिए किसान समुदाय को वैज्ञानिक उपचार विधियों को अपनाने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम में कुल लागत का 33.33 प्रतिशत सामान्य वर्ग के किसानों को और 75 प्रतिशत एससी और एसटी वर्ग के किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाता है, इसके तहत अधिकतम सहायता राशि क्रमशः सामान्य वर्ग के किसानों के लिए ₹ 16,000/- प्रति यूनिट और पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए ₹ 28,000/- प्रति यूनिट है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 5.19 लाख की वित्तीय सहायता से कुल 22 संशोधित भट्टी इकाइयों का निर्माण किया गया, जिससे 22 (महिलाः11, ट्रांसजेंडरः0, एससीः2, एसटीः19) उत्पादक लाभान्वित हुए।

ग) बीज मसाला थ्रेशर की आपूर्ति

कुछ बीज मसाला उत्पादकों द्वारा अपनाई जाने वाली कटाई और कटाई के बाद की प्रथाएं अस्वास्थ्यकर हैं, जिसके परिणामस्वरूप उत्पाद डंठल, धूल, रेत, तने के टुकड़े आदि जैसे बाहरी पदार्थों से दूषित हो जाते हैं। बीज को कटे और सूखे पौधों को बांस की डंडियों से पीटकर, पौधों को हाथ से रगड़ कर अलग किया जाता है। सूखे पौधों से बीज अलग करने और साफ मसालों का उत्पादन करने के लिए, बोर्ड थ्रेशर के उपयोग को लोकप्रिय बनाना चाहता है जो मैनुअल रूप से या बिजली का उपयोग करके संचालित होते हैं।

बोर्ड थ्रेशर की लागत के लिए सामान्य को 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के किसानों केलिए 75 प्रतिशत वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान कर रहा है जिसकी अधिकतम सीमा क्रमश ₹ 75,000/- और ₹ 1,12,000/- है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, किसानों के खेतों में 88 बिजली संचालित थ्रेशर स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान किया गया और कुल ₹ 68.91 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे 88 कृषक(महिलाः20, ट्रांसजेंडरः0, एससीः6, एसटीः3) लाभान्वित हुए ।

घ) कालीमिर्च थ्रेशर की आपूर्ति

कार्यक्रम का उद्देश्य काली मिर्च की फलियों को बाली से स्वच्छतापूर्वक अलग करने के लिए काली मिर्च थ्रेशर की स्थापना को बढ़ावा देकर, काली मिर्च उत्पादकों को निर्यात के लिए अच्छी गुणवत्ता वाली काली मिर्च का उत्पादन करने के लिए प्रेरित करना है। इस कार्यक्रम में वित्तीय सहायता के रूप में सामान्य वर्ग के किसानों को थ्रेशर की लागत का 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75 प्रतिशत प्रदान किया जाता है, जो क्रमशः सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम ₹ 19,000/- और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए ₹ 28,000/- है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 65.92 लाख रुपये की कुल वित्तीय सहायता के साथ 356 थ्रेशर स्थापित करने के लिए सहायता प्रदान की गई, जिससे 356 उत्पादकों(महिलाः44, ट्रांसजेंडरः0, एससीः9, एसटीः98) को लाभ हुआ।

ङ) हल्दी को भाप से उबालने वाली इकाइयों की आपूर्ति

कार्यक्रम का उद्देश्य भाप से उबालने वाली इकाइयों का उपयोग करके हल्दी प्रसंस्करण के लिए बेहतर वैज्ञानिक तरीकों को अपनाने में हल्दी उत्पादकों की सहायता करना है। यह अंतिम उत्पाद को बेहतर रंग और गुणवत्ता प्रदान करता है। स्पाइसेस बोर्ड निर्यात के लिए उपयुक्त गुणवत्ता वाली हल्दी के उत्पादन के लिए बड़े पैमाने पर हल्दी को उबालने वाली इकाई के उपयोग को उत्पादकों के बीच लोकप्रिय बनाता है। इस कार्यक्रम के तहत उबालने वाली इकाई की वास्तविक लागत के मद में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत और पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या सामान्य वर्ग और पूर्वोत्तर/अनसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए क्रमशः ₹ 1,88,000/- और ₹ 2,82,000/- जो भी कम हो, वह होती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 199.49 लाख की वित्तीय सहायता से हल्दी को भाप से उबालने वाली कुल 89 इकाइयों की स्थापना की गईं, जिससे 89 उत्पादकों (महिलाः22, ट्रांसजेंडरः0, एससीः18, एसटीः18) को लाभ प्राप्त हुआ।

च) मसालों के लिए पॉलिशर की आपूर्ति

कार्यक्रम का उद्देश्य मसाला उत्पादकों, विशेष रूप से हल्दी और छोटी इलायची उत्पादकों, उत्पादकों के समूह, मसाला उत्पादक समितियों/मसाला किसान उत्पादक कंपनी इत्यादि को, रियायती दरों पर बेहतर पॉलिशर्स की आपूर्ति करके निर्यात के लिए उपयुक्त गुणवत्ता वाले मसालों का उत्पादन करने के लिए मसालों की पॉलिशिंग को अपनाने के लिए प्रेरित करना और इसमें उनको सहायता देना है। इस कार्यक्रम के तहत उबालने वाली इकाई की वास्तविक लागत के मद में प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत और पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए वास्तविक लागत का 75 प्रतिशत या सामान्य वर्ग और पूर्वोत्तर/अनसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए क्रमशः ₹ 94,000/- और ₹ 140,000/- जो भी कम हो, वह होती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 120.44 लाख की वित्तीय सहायता से 132 मसाला पॉलिशिंग इकाइयाँ (इलायची

पॉलिशर व हल्दी पॉलिशर) इकाइयों की स्थापना केलिए सहायता प्रदान की गईं, जिससे 132 उत्पादकों(महिलाः38, ट्रांसजेंडरः0, एससीः26, एसटीः27) को लाभ प्राप्त हुआ।

छ) जायफल/लौंग के ड्रायर की आपूर्ति

इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण जायफल, जावित्री और लौंग का उत्पादन करने के लिए उत्पादकों के बीच यांत्रिक ड्रायर को लोकप्रिय बनाना है। इस कार्यक्रम में वित्तीय सहायता के रूप में सामान्य वर्ग के किसानों को ड्रायर की लागत का 50 प्रतिशत और पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75 प्रतिशत प्रदान किया जाता है, जो क्रमशः सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम ₹ 37,500/- और पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों के लिए ₹ 56,000/- है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 373 जायफल/लौंग के ड्रायर की स्थापना के लिए ₹ 75.89 लाख की सहायता दी गई, जिससे 373 उत्पादकों(महिलाः88, ट्रांसजेंडरः0, एससीः0, एसटीः0) को लाभ हुआ।

ज) पुदीना की डिस्टिलेशन इकाई की आपूर्ति

कार्यक्रम का उद्देश्य पुदीना उत्पादकों को अपने खेतों में स्टेनलेस स्टील से सुसज्जित आधुनिक डिस्टिलेशन इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रेरित करना है ताकि डिस्टिलेशन इकाई की दक्षता में सुधार के साथ-साथ निर्यात के लिए तेल की गुणवत्ता में सुधार हो सके। इस कार्यक्रम में वित्तीय सहायता के रूप में सामान्य वर्ग के किसानों को डिस्टिलेशन इकाई की लागत का 50 प्रतिशत और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75 प्रतिशत प्रदान किया जाता है, जो क्रमशः सामान्य वर्ग के किसानों के लिए अधिकतम ₹ 1,88,000/- और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के किसानों के लिए ₹ 2,80,000/- है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल ₹ 11.59 लाख की वित्तीय सहायता से नौ डिस्टिलेशन इकाइयां स्थापित की गईं, जिससे नौ उत्पादकों(महिलाः2, ट्रांसजेंडरः0, एससीः0, एसटीः0) को लाभ हुआ।

झ) मसाला क्लीनर/ग्रेडर/स्पाइरल ग्रेविटी सेपरेटर की आपूर्ति

इस कार्यक्रम का उद्देश्य मशीनीकरण के माध्यम से मसालों के उत्पादन में लाभप्रदता बढ़ाने और निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मसाला क्लीनर/ग्रेडर/स्पाइरल ग्रेविटी सेपरेटर को लोकप्रिय बनाना है। इस कार्यक्रम में सामान्य वर्ग के किसानों को इकाई की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 44,000/- प्रति इकाई और पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को इकाई की लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 66,000/- प्रति इकाई सहायता प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 23.44 लाख की वित्तीय सहायता से कुल 62 मसाला क्लीनर/ग्रेडर/स्पाइरल ग्रेविटी सेपरेटर इकाइयों को स्थापित किया गया, जिससे 62 उत्पादकों(महिलाः13, ट्रांसजेंडरः0, एससीः0, एसटीः8) को लाभ प्राप्त हुआ।

ञ) मसाला वाशिंग मशीन की आपूर्ति

इस कार्यक्रम का उद्देश्य मशीनीकरण के माध्यम से मसालों के उत्पादन में लाभप्रदता बढ़ाने और निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए मसाला वाशिंग मशीन को लोकप्रिय बनाना है। इस कार्यक्रम में सामान्य वर्ग के किसानों को इकाई की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 53,000/- प्रति इकाई और पूर्वोत्तर/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को इकाई की लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 80,000/- प्रति इकाई सहायता क्रमशः प्रदान किया जाता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 18.88 लाख की वित्तीय सहायता से कुल 36 मसाला वाशिंग मशीनों की स्थापना की गई, जिससे 36 उत्पादकों(महिलाः9, ट्रांसजेंडरः0, एससीः1, एसटीः0) को लाभ प्राप्त हुआ।

ट) मसाला स्लाइसिंग मशीनों की आपूर्ति

इस कार्यक्रम का उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरल स्लाइसिंग मशीनों का उपयोग करके सुखाने से पहले अदरक/हल्दी की स्लाइसिंग अपनाने के लिए उत्पादकों को प्रेरित करना है। यह कार्यक्रम क्रमशः सामान्य श्रेणी के किसानों के लिए इकाई लागत का 50 प्रतिशत बशर्तेकि अधिकतम ₹ 9,000/- प्रति यूनिट हो और पूर्वोत्तर / अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों के लिए 75 प्रतिशत, बशर्तेकि अधिकतम ₹ 13,000/- प्रति यूनिट हो, की सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, ₹ 0.13 लाख की वित्तीय सहायता के साथ एक मसाला स्लाइसिंग मशीन स्थापित की गई थी।

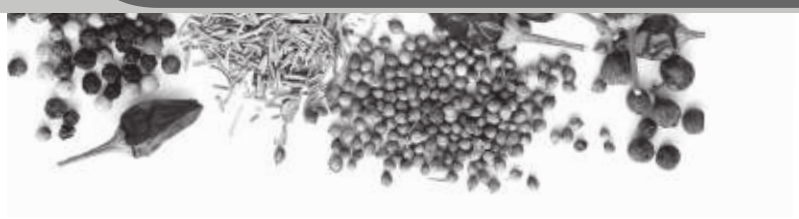

ठ) तिरपाल/सिलपॉलीन शीटों की आपूर्ति

इस योजना का उद्देश्य गुणवत्ता में सुधार करने के लिए उत्पादकों को मसालों को स्वच्छ रूप से सुखाने के लिए प्रेरित करना है। मसाला उत्पादक जिसके पास 0.20 से आठ हैक्टेयर तक की जोत वाली भूमि है, वे सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। यह योजना सामान्य श्रेणी के लिए लागत का 50 प्रतिशत, बशर्तेकि अधिकतम ₹ 2,000 प्रति शीट हो और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति किसानों केलिए 75 प्रतिशत, बशर्तेकि अधिकतम ₹ 3,000 प्रति शीट हो, की सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, जीईएम के माध्यम से 6500 तिरपाल शीट की खरीद की गई और ₹ 91.46 लाख की वित्तीय सहायता के साथ पूरे भारत में मसाला उत्पादकों को आपूर्ति की गई, जिससे 4795 किसान(महिलाः 881, ट्रांसजेंडरः 0 एससीः 556, एसटीः 1219) लाभान्वित हुए।

ड) गुणवत्ता अंतराल पाटने वाले समूह-चिन्हित क्लस्टरों में मसाला उत्पादक समूह

कार्यक्रम का उद्देश्य चिन्हित क्लस्टरों का समर्थन करके मसाला उत्पादकों को गुणवत्ता, सुरक्षा और ट्रेसबिलिटी के साथ मसालों का उत्पादन करने में सक्षम बनाना है। यह कार्यक्रम पोस्ट-हार्वेस्ट मशीन/उपकरण बैंक की स्थापना के लिए प्रति मसाला उत्पादक समूह को अधिकतम ₹ 25 लाख की सहायता, ट्रेसेबिलिटी और मसाला उत्पादक समूह द्वारा बिक्री की मात्रा में सुधार से संबंधित ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म में शामिल होने के लिए आईटी सहायता, अच्छी कृषि प्रथाओं (जीएपी) के लिए प्लॉट की स्थापना और स्पाइसेस बोर्ड के साथ एमओयू के आधार पर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जीएपी प्लॉट और मसाला उत्पादक समूह के कार्यालय के रखरखाव के लिए तकनीकी जनशक्ति समर्थन प्रदान करता है। पंजीकृत एफपीओ, एफपीसी, एसएचजी, एसपीएस आदि जैसी कानूनी इकाई वाला समूह, जो सक्रिय रूप से मसाला क्षेत्र में कार्य करता है, सहायता के लिए पात्र है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, मसाला क्षेत्र के 47 किसान समूहों ने फसल कटाई उपरांत की विभिन्न मशीनें स्थापित कीं और ₹ 326.88 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई, जिससे 11,844 किसान लाभान्वित हुए।

ढ) केरल के इडुक्की जिले में छोटी इलायची के लिए मौसम आधारित फसल बीमा

इस कार्यक्रम का उद्देश्य छोटी इलायची उत्पादकों को मौसम की प्रतिकूल घटनाओं जैसे कम या अधिक वर्षा, गर्मी (तापमान), सापेक्ष आर्द्रता इत्यादि से बचाना है, जिनसे उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पंजीकृत छोटी इलायची उत्पादक जो 0.10 हेक्टेयर से 8.00 हेक्टेयर तक भू स्वामित्व वाले हैं, कार्यक्रम के तहत लाभ उठाने के पात्र हैं। यह कार्यक्रम छोटी इलायची की किसी भी प्रचलित किस्म को एकल फसल या अंतराफसल के रूप में उगाने वाले किसानों के लिए लागू है। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एआईसी) स्पाइसेस बोर्ड के तत्वावधान में इस कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसी है। कार्यक्रम में बीमा प्रीमियम का 75 प्रतिशत सहायता के रूप में स्पाइसेस बोर्ड द्वारा भुगतान किया जाता है और शेष 25 प्रतिशत का भुगतान लाभार्थी को करना होता है। बोर्ड सहायता के रूप में अधिकतम ₹ 16,040/हेक्टेयर (जीएसटी सहित) प्रदान करता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 39.29 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाले कार्यक्रम के तहत 60 किसानों को नामांकित किया गया और बोर्ड के हिस्से के रूप में ₹ 6.26 लाख की सहायता प्रदान की गई।

उ) जैविक खेती

मसालों के जैविक उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, वर्ष 2023-24 में वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना और मसालों के जैविक बीज बैंक को बढ़ावा देने के लिए सहायता का कार्यान्वयन किया गया।

क) जैविक प्रमाणन (समूह)

कार्यक्रम का उद्देश्य मसाला उत्पादक समूहों/एफपीओ को जैविक मसाला फार्मों के लिए प्रमाणन प्राप्त करने में सहायता करना है, जिससे जैविक मसालों के निर्यात को बढ़ावा मिले। यह कार्यक्रम एनईआर समूहों के अलावा अन्य के लिए जैविक प्रमाणीकरण की लागत का 50 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 1,50,000) और एनईआर समूहों के लिए 90 प्रतिशत (अधिकतम ₹ 2,70,000) की सहायता प्रदान करता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान एक किसान समूह को ₹ 0.23 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

ख) आंतरिक नियंत्रण प्रणाली(समूह)

स्पाइसेस बोर्ड उत्पादक समूह प्रमाणन स्थापित करने के लिए किसान समूहों/एफपीओ को समर्थन देकर मसाला क्षेत्र में जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है। जैविक खेती अपनाने के इच्छुक किसानों को जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली (आईसीएस) की स्थापना उत्पादक समूह प्रमाणन (अम्ब्रेला प्रमाणन) के लिए एक पूर्व-अपेक्षा है, ताकि इन किसानों को समूह गठन, जैविक विनियमन, प्रमाणन प्रक्रिया, प्रशिक्षण, दस्तावेज़ीकरण, आंतरिक निरीक्षण आदि के बारे में तैयार किया जा सके। बोर्ड जैविक प्रमाणीकरण और उपज के एकत्रीकरण के लिए आईसीएस स्थापित करने के लिए उत्पादक समूहों/एफपीओ आदि को समर्थन देने का प्रस्ताव करता है। एक समूह/एफपीओ निधि की उपलब्धता के अनुसार लगातार पांच साल के ब्लॉक वर्ष में तीन बार या चरणों में वित्तीय सहायता के लिए पात्र है। जैविक मसाले पैदा करने वाले समूह को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के तहत जैविक प्रमाणीकरण की लागत का 50 प्रतिशत (जो एनईआर समूहों के अलावा अन्य के लिए अधिकतम ₹ 1,12,000 तक है) और एनईआर समूहों के लिए 90 प्रतिशत (जो अधिकतम ₹ 1,68,000 तक है) की सहायता प्रदान की जाती है।

वर्ष 2023-24 के दौरान एक किसान समूह को ₹ 0.25 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

ग) वर्मीकम्पोस्ट इकाइयों की स्थापना

जैविक उत्पादन में मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने के लिए जैविक इनपुट का खेत में ही उत्पादन करना आवश्यक है। किसानों को जैविक कृषि इनपुट, विशेष रूप से वर्मीकम्पोस्ट का उत्पादन करने में सक्षम बनाने के लिए, एक टन वर्मीकम्पोस्ट उत्पादन की क्षमता वाली इकाई स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में सामान्य श्रेणी के किसानों को 33.33 प्रतिशत की दर से ₹ 4,500/- और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के किसानों को 75 प्रतिशत की दर से ₹ 10,000/- दिए जाते हैं।

वर्ष 2023-24 के दौरान, कुल 254 वर्मीकम्पोस्ट इकाइयाँ स्थापित की गईं, जिसके लिए 236 किसानों(महिला:51, ट्रांसजेंडर: 0 एससी:32, एसटी:181) को कुल ₹ 23.99 लाख की वित्तीय सहायता प्राप्त हुई।

ऊ) मसालों की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम (क्यूआईटीपी)

स्पाइसेस बोर्ड नियमित रूप से किसानों, राज्य के कृषि/बागवानी विभागों के अधिकारियों, व्यापारियों, गैर सरकारी संगठनों के सदस्यों आदि के लिए गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, ताकि उन्हें फसल कटाई से पहले और बाद के लिए वैज्ञानिक तरीकों और भंडारण प्रौद्योगिकियों और प्रमुख मसालों के लिए नवीनतम गुणवत्ता आवश्यकताओं के बारे में शिक्षित किया जा सके।

वर्ष 2023-24 के दौरान, 264 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत कुल 15,003 कर्मियों (महिला:3,591; ट्रांसजेंडर: 0; अनुसूचित जाति:701; अनुसूचित जनजाति:4,551) को प्रशिक्षित किया गया और इसके लिए कुल ₹ 27.23 लाख का व्यय हुआ। यह व्यय मानव संसाधन विकास मद से किया गया।

ऋ) विस्तार सलाहकार सेवा

मसालों के उत्पादन और कटाई के बाद सुधार से संबंधित तकनीकी जानकारी का किसानों को हस्तांतरण के बारे में प्रशिक्षण, मसालों की उत्पादकता बढ़ाने और गुणवत्ता में सुधार करने में एक महत्वपूर्ण कारक है। इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत संपर्क, क्षेत्र दौरे, समूह बैठकों और साहित्य के वितरण के माध्यम से छोटी इलायची (केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों में) और बड़ी इलायची (सिक्किम और पश्चिम बंगाल राज्यों में) के लिए खेती और फसल कटाई के बाद के प्रबंधन के वैज्ञानिक पहलुओं के बारे में किसानों को तकनीकी/विस्तार सहायता की परिकल्पना की गई है।

विस्तार सलाहकार सेवा के अलावा, विस्तार नेटवर्क के माध्यम से 'निर्यात उन्मुख उत्पादन' घटक के तहत बोर्ड के उत्पादन और फसल कटाई के बाद के कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित किया जाता है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड राज्यों में एवं पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिलों में इलायची (छोटी और बड़ी) के लिए और अन्य मसालों के लिए संबंधित उत्पादक क्षेत्रों में कुल 17,157 विस्तार दौरे और 1920 समूह बैठकें/ अभियान आयोजित किए गए। वर्ष 2023-24 के दौरान, विस्तार सलाहकार सेवा के तहत कुल व्यय ₹ 129.30 लाख था।

ए) किसानों का एक्सपोजर दौरा

बोर्ड द्वारा किसानों के लिए एक्सपोजर दौरे का आयोजन किया गया था। बोडिनायकन्नूर (तमिलनाडु) और निज़ामाबाद (तेलंगाना) के क्षेत्रीय कार्यालयों के अधिकारक्षेत्र के अधीन वाले क्षेत्रों के कुल 45 किसानों ने ₹ 1.62 लाख की वित्तीय सहायता से दो अलग-अलग बैचों में आयोजित एक्सपोज़र दौरे से लाभ उठाया। निजामाबाद के किसानों को मैसूर के केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान और कर्नाटक के कृषि विज्ञान केंद्र ले जाया गया। इडुक्की के इलायची किसानों को केरल के काक्कनाड स्थित केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र ले जाया गया।

ऐ) केसर उत्पादन व निर्यात विकास अभिकरण (एसपिईडीए)

मसाला बोर्ड अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बोर्ड ने 17 मार्च 2015 के राजपत्र अधिसूचना के माध्यम से केसर उत्पादन और निर्यात विकास एजेंसी (एसपीईडीए) की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जम्मू और कश्मीर से केसर के अनुसंधान, विकास, विपणन, गुणवत्ता, खपत और निर्यात के लिए केंद्रीय/राज्य एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित कार्यक्रमों/परियोजनाओं का समन्वय करना है। एसपीईडीए में 17 सदस्य हैं, जो कृषि मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, किसानों, व्यापारियों और निर्यातकों के प्रतिनिधियों सहित विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एसपीईडीए की सह-अध्यक्षता भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सचिव और जम्मू और कश्मीर सरकार के मुख्य सचिव द्वारा की जाती है।

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड ने एसपीईडीए के पुनर्गठन के लिए कदम उठाए हैं। इसके अलावा, गुणवत्ता सुधार प्रशिक्षण कार्यक्रम, क्रेता-विक्रेता बैठकें जैसी अन्य गतिविधियाँ आयोजित की गईं। बोर्ड ने जीआई कश्मीर केसर के प्रचार के लिए केसर महोत्सव में भी भाग लिया।

ओ) अन्य गतिविधियां

क) तोडुपुशा में मसालों केलीए आईपीएम सेवा केंद्र

किसानों के बीच इलायची और अन्य मसालों की टिकाऊ खेती को बढ़ावा देने के लिए केएडीएस विलेज स्क्वायर तोडुपुषा में मसालों के लिए एक आईपीएम सेवा केंद्र स्थापित किया गया था। आईपीएम सेवा केंद्र का उद्घाटन 23 मई 2023 को स्पाइसेस बोर्ड के सचिव द्वारा किया गया था। केएडीएस पीसीएल ने आईपीएम सेवा केंद्र की स्थापना के लिए केएडीएस विलेज स्क्वायर में 150 वर्ग फुट किराए पर मुफ्त जगह की पेशकश की थी। स्पाइसेस बोर्ड ने संबद्ध विभागों जैसे केंद्रीय एकीकृत कीट प्रबंधन केंद्र (सीआईपीएमसी), एरणाकुलम; आईसीएआर-भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर), कोषिक्कोड; भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (आईसीआरआई), मैलाडुम्पारा; इलायची अनुसंधान स्टेशन, केरल कृषि विश्वविद्यालय, पांपाडुंपारा मसाला उद्योग के हितधारक नियमित रूप से आईपीएम सेवा केंद्र का दौरा करते हैं और मसालों के उत्पादन और फसलोत्तर सुधार पर उनके प्रश्नों का समाधान स्पाइसेस बोर्ड के विस्तार कर्मियों और संबद्ध विभागों द्वारा समय-समय पर किया जाता है।

ख) तोडुपुषा, इडुक्की, केरल में प्रशिक्षण केंद्र के क्रियाकलाप

वर्ष 2023-24 के दौरान, स्पाइसेस बोर्ड और केरल कृषि विकास सोसाइटी (केएडीएस) पीसीएल द्वारा संयुक्त रूप से तोडुपुषा, इडुक्की, केरल में स्थापित प्रशिक्षण केंद्र ने निम्नानुसार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सुविधा प्रदान की:

क्रमांक	प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना से अब तक के प्रशिक्षण का विवरण	कुल
1	आयोजित प्रशिक्षण की संख्या	17
2	प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित मॉड्यूल के अनुसार सशक्त और संवेदनशील प्रतिभागियों की कुल संख्या	588
3	प्रतिभागियों की कुल संख्या - मसाला हितधारकों और अधिकारियों के लिए मसालों के उत्पादन के लिए जी.ए.पी. पर सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम	49
4	प्रतिभागियों की कुल संख्या - निर्यातकों और अधिकारियों के लिए मसालों के उत्पादन के लिए जी.एम.पी. पर सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम	57
5	प्रतिभागियों की कुल संख्या - अधिकारियों के लिए एस.टी.डी.एफ. परियोजना के तहत इंडगैप प्रमाणन के लिए प्रलेखन प्रक्रिया पर प्रशिक्षण	28

ग) क्षमता निर्माण के माध्यम से भारत में मसाला मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना और बाजार पहुंच में सुधार करना

मसालों में स्वच्छता और पादप स्वच्छता (एसपीएस) समस्याओं का समाधान करने के लिए, स्पाइसेस बोर्ड ने वर्ष 2014 में, मानकों और व्यापार विकास सुविधा (एसटीडीएफ - विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के तहत एक संगठन, जो विकासशील देशों को उनके मानव, पशु और पौधों के स्वास्थ्य की स्थिति और अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच हासिल करने या बनाए रखने की क्षमता में सुधार करने के साधन के रूप में अन्तर्राष्ट्रीय मानकों, दिशानिर्देशों और सिफारिशों को लागू करने की क्षमता बनाने में सहायता करता है) के लिए, 'क्षमता निर्माण और नवीन हस्तक्षेपों के माध्यम से भारत में मसाला मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना और बाजार पहुंच में सुधार' शीर्षक से एक परियोजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था।

इस परियोजना को अक्तूबर 2018 में एसटीडीएफ द्वारा अनुमोदित किया गया था। एफएओ इंडिया इस परियोजना के कार्यान्वयन में भागीदार और बजट धारक है और परियोजना के समग्र पर्यवेक्षण के लिए जिम्मेदार है। स्पाइसेस बोर्ड इस परियोजना का स्थानीय भागीदार है और सभी स्थानीय गतिविधियों का कार्यान्वयन और उनका समन्वय सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उठाता है।

परियोजना के समग्र उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- सुरक्षित और उच्च गुणवत्ता वाले मसालों का भारत से विदेशी बाज़ार में निर्यात का विस्तार करने के लिए मसाला मूल्य श्रृंखला में शामिल हितधारकों की क्षमता निर्माण।
- छोटे पैमाने के किसानों की आय बढ़ाना, महिलाओं और हाशिए पर रहने वाले अन्य समुदायों को सशक्त बनाना
- गरीबी कम करने के प्रयासों का समर्थन करना (एसडीजी 1/0 और भूख (एसडीजी 2))

यह परियोजना चार राज्यों के 12 गांवों में कार्यान्वित की जा रही है, जिसमें चार मसालों पर ध्यान केंद्रित किया गया है अर्थात;

- गुजरात और राजस्थान में (प्रत्येक राज्य के चार गांवों में लागू) में जीरा और सौंफ
- मध्य प्रदेश में (दो गांवों में) धनिया
- आंध्र प्रदेश में (दो गांवों में) काली मिर्च

यह परियोजना 22 अक्तूबर, 2020 को आयोजित एक आरंभिक कार्यशाला के साथ शुरू हुई थी। परियोजना के तीन चरण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और वर्तमान में यह चौथे चरण में है। तीसरे चरण के दौरान आयोजित गतिविधियों में शामिल हैं:

- वैश्विक बाजार की आवश्यकता के अनुसार फोकस मसालों के लिए अच्छे कृषि (जीएपी) और अच्छे स्वास्थ्यकर प्रथाओं (जीएचपी) का विकास और मानकीकरण। ब्रोशर, सूचना वीडियो आदि जैसी सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) सामग्री का विकास। परियोजना के तहत विकसित जीएपी और जीएचपी पर कुल 226 मास्टर प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया, ताकि चार राज्यों में किसानों को ज्ञान प्रदान किया जा सके (महिलाः 59; एससीः 2; एसटीः 105)। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में बीजीय मसालों के लिए तीन क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित की गईं। परियोजना गांवों में 16 नुक्कड़ नाटक आयोजित किए गए, जिससे 1238 किसान लाभान्वित हुए (महिलाः 424; एससीः 9; एसटीः400)। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों में आठ स्थानीय परियोजना कार्यान्वयन समितियों की बैठकें आयोजित की गईं। प्रबंधन और बाजार संपर्क पर एफआईजी/किसान समूह/एफपीओ के लिए चार कार्यशालाएं आयोजित की गईं, जिनसे 230 किसान लाभान्वित हुए (महिलाः 23; एससीः 9; एसटीः 74)। विभिन्न फसल चरणों पर जीएपी और जीएचपी पर किसानों के 12 प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिसमें खेत स्तर पर जैव-इनपुट उत्पादन, जैव-कीटनाशकों का अनुप्रयोग, कीटनाशकों का विवेकपूर्ण उपयोग शामिल था, जिससे 699 किसान लाभान्वित हुए (महिलाः 75; एससीः 25; एसटीः 119)।
- इंडगैप प्रमाणीकरण पर किसानों और व्यापारियों के लिए 12 प्रशिक्षण आयोजित किए गए, जिससे 532 किसान (महिलाः 44; अनुसूचित जातिः 30; अनुसूचित जनजातिः 110) लाभान्वित हुए।
- स्पाइसेस बोर्ड की सूचीबद्ध प्रयोगशाला के माध्यम से 144 मसाला नमूने एकत्र किए गए और उनका विश्लेषण किया गया।

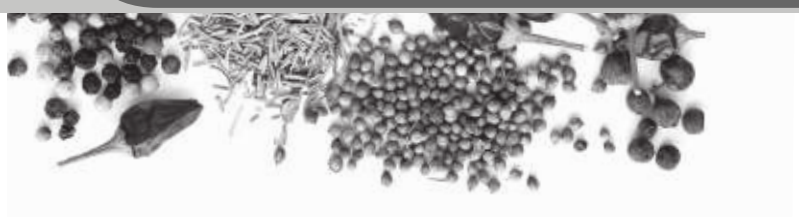

- इंडगैप प्रमाणीकरण की दस्तावेज़ीकरण प्रक्रियाओं पर अड्डाईस परियोजना कार्यान्वयन अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
- 1000 किसानों (महिलाः 65; अनुसूचित जातिः 27; अनुसूचित जनजातिः 6) को जीएपी इनपुट ट्राइकोडर्मा वितरित किया गया।
- आईपीएम को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान (400), गुजरात (400) और मध्य प्रदेश (200) के 1000 किसानों को 5000 पीले चिपचिपे जाल वितरित किए गए।
- बीजीय मसालों की नमी के स्तर को सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान (2), गुजरात (2) और मध्य प्रदेश (1) के पांच एफपीओ को दस नमी मीटर वितरित किए गए।

घ) इंडजीएपी

भारत में, भोजन की गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा को गुणवत्ता आश्वासन (क्यूए) प्रणालियों और मानदंडों की एक श्रृंखला के माध्यम से लागू किया जाता है, जिनका विभिन्न उद्योगों द्वारा लक्ष्य बाजार के आधार पर और उनके क्षेत्र की उपयुक्तता के अनुसार पालन किया जाता है।

भारतीय गुणवत्ता परिषद (क्यूसीआई) अनुरूपता मूल्यांकन निकायों के लिए राष्ट्रीय मान्यता संरचना का संचालन करती है और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य और गुणवत्ता संवर्धन के क्षेत्र में मान्यता भी प्रदान करती है। यह राष्ट्रीय प्रमाणन निकाय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीसीबी) द्वारा प्रदान की गई मान्यता सेवाओं के माध्यम से गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 14001 श्रृंखला), खाद्य सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली (आईएसओ 22000 श्रृंखला) और उत्पाद प्रमाणन और निरीक्षण निकायों से संबंधित गुणवत्ता मानकों को अपनाने को बढ़ावा भी देती है।

इंडिया गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज (इंडजीएपी) सर्टिफिकेशन स्कीम भारत में अच्छी कृषि पद्धतियों को मजबूत करने के लिए क्यूसीआई द्वारा विकसित एक ऐसा ही प्रमाण पत्र देने वाला कार्यक्रम है। यह योजना आईएसओ 17065 के अनुरूप संरेखित है, जो उत्पाद/प्रक्रिया प्रमाणन आवश्यकताओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक है, जिसने प्रमाणन और मान्यता का पूरा ढांचा तैयार किया है। मानक उत्पादन में अधिक दक्षता सुनिश्चित करते हैं, व्यावसायिक प्रदर्शन में सुधार करते हैं और किसानों, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को दुनिया भर में लाभान्वित करते हैं।

स्पाइसेस बोर्ड ने 'मसालों के इंडजीएपी प्रमाणीकरण पर पायलट प्रोजेक्ट' चलाने के लिए क्यूसीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। पांच परियोजनाओं और क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल मसाले तथा परियोजना इस प्रकार हैं:

ङ) स्वच्छ एवं सुरक्षित मसाले पर अभियान

बोर्ड के 37वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 27 फरवरी, 2024 को 'स्वच्छ और सुरक्षित मसालों' पर एक अभियान चलाया गया। इस अभियान का उद्घाट न श्री अमरदीप सिंह भाटिया आईएएस, अपर सचिव, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार और अध्यक्ष, स्पाइसेस बोर्ड द्वारा ऑनलाइन में किया गया।

क्रम सं.	मसाले	जिला	परियोजना
क	जीरा	पाली, राजस्थान	जैतारण किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड
ख	धनिया	गुना, मध्य प्रदेश	जय श्री बजरंगगढ़ जैविक किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड
ग	बड़ी सौंफ	उंझा, गुजरात	कृषिधन उत्पादक कंपनी लिमिटेड
घ	कालीमिर्च	अल्लुरी सितारामलू जिला, आंध्र प्रदेश	मोदापल्ली किसान उत्पादक संगठन
ङ	हल्दी	निजामबाद, तेलंगाना	मोर्थड फेड उत्पादक कंपनी लिमिटेड

इस अभियान का उद्देश्य मसालों के उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और निर्यात के विभिन्न चरणों में जोखिम, सुधारात्मक कार्रवाइयों और अपनाई जाने वाली अच्छी प्रथाओं के बारे में हितधारकों को जागरूक करना था। यह अभियान मसाला क्षेत्र के सभी हितधारकों और आम जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए पूरे देश में चलाया गया।

क्रम सं.	अभियान का सारांश	
1	कवर किए गए राज्यों की संख्या	14
2	स्थानों की संख्या	22
3	प्रतिभागियों की संख्या	1307 (महिला 400 अ.जा.:119, तथा अनुसूचित जनजाति :265)

ङ) मेरा युवा भारत कार्यक्रम

युवा मामले एवं खेल मंत्रालय, भारत सरकार के मेरा युवा भारत अभियान के हिस्से के रूप में, स्पाइसेस बोर्ड ने 2023-24 के लिए 'सुगंध उद्योग मंथन' नामक मेरा युवा भारत कार्यक्रम को लागू किया, जिसमें एक उप- कार्यक्रम 'खेती, गुणवत्ता प्रबंधन और निर्यात पर बूट कैंप-युवा मसाला उद्यमियों को सशक्त बनाना' शामिल है। यह कार्यक्रम युवाओं को मसाला आपूर्ति श्रृंखला, आईपीएम, जीएपी, जीएचपी, जीएमपी और कटाई के बाद गुणवत्ता बढ़ाने पर ज्ञान साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए आयोजित किया गया था। खाद्य सुरक्षा प्रोटोकॉल, मूल्य संवर्धन, ई-कॉमर्स, नेतृत्व और सॉफ्ट स्किल्स कार्यक्रम के तहत शामिल किए गए अन्य महत्वपूर्ण पहलू थे।

क्रम सं.	कार्यक्रम का सारांश	
1	कवर की गए राज्यों की संख्या	08
2	स्थानों की संख्या	11(17 कार्यक्रम)
3	प्रतिभागियों की संख्या	1823(महिला:1173, अ.जा. :184, तथा अनुसूचित जनजाति :154)

च) मसालों के लिए अच्छी कृषि प्रथाओं (जीएपी) पर सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम

मसाला उत्पादकों के लिए अच्छी कृषि प्रथाओं (जीएपी) पर सहयोगात्मक प्रशिक्षण कार्यक्रम बागवानी अनुसंधान केंद्र, असम कृषि विश्वविद्यालय, काहिकुची, गुवाहाटी और केएडीएस प्रशिक्षण केंद्र, विलेज स्क्वायर, तोडुपुषा, केरल में जून 2023 के दौरान और अलकोडे, तोडुपुषा, केरल में मार्च 2024 के दौरान आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम मसाला बोर्ड द्वारा यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन (यूएसएफडीए) और ज्वाइंट इंस्टीट्यूट फॉर फूड सेफ्टी एंड एप्लाइड न्यूट्रिशन (जेआईएफएसएएन) के सहयोग से आयोजित किए गए थे, जिसमें यूएसएफडीए से ₹ 3.74 लाख का एकमुश्त अनुदान मिला था।

क्रम सं.	कार्यक्रम का सारांश	
1	कवर की गए राज्यों की संख्या	02
2	स्थानों की संख्या	3 (3 कार्यक्रम)
3	प्रतिभागियों की संख्या	196 (महिला:26, अ.जा:23, तथा अनुसूचित जनजाति: 17)

छ) त्रिपुरा के लिए कालीमिर्च के उत्पादन और कटाई उपरांत प्रबंधन पर एकीकृत परियोजना

त्रिपुरा के लिए काली मिर्च के उत्पादन और कटाई उपरांत प्रबंधन पर एकीकृत परियोजना के तहत वर्ष 2023-24 के दौरान काली मिर्च किसानों के लिए मानव संसाधन विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों का आयोजन त्रिपुरा सरकार की वित्तीय सहायता से मसाला बोर्ड द्वारा किया गया।

वर्ष 2023-24 के दौरान दो प्रशिक्षण कार्यक्रमों के तहत कुल 115 कर्मियों (30 अधिकारी और 85 किसान) को (महिलाः 21; एससीः 14; एसटीः 78) ₹ 0.30 लाख के कुल व्यय पर प्रशिक्षित किया गया।

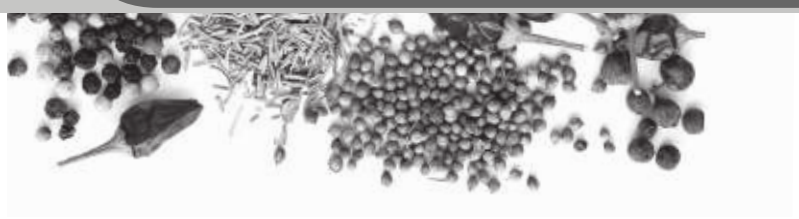

05

निर्यात विकास एवं संवर्धन

स्पाइसेस बोर्ड को मसालों (52 सूचित मसालों और उनके उत्पादों) के निर्यात संवर्धन एवं इलायची (छोटी और बड़ी) के उत्पादन, अनुसंधान, विकास और घरेलू विपणन एवं निर्यात के लिए मसालों की गुणवत्ता मूल्यांकन और प्रमाणन का काम सौंपा गया है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, बोर्ड केंद्रीय क्षेत्र योजना के अंतर्गत - 'मसालों में निर्यात संवर्धन और गुणवत्ता सुधार एवं इलायची के अनुसंधान और विकास के लिए एकीकृत योजना' जैसे विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में निर्यातोन्मुख उत्पादन, निर्यातोन्मुख अनुसंधान, निर्यात विकास और संवर्धन, गुणवत्ता सुधार और मानव संसाधन विकास जैसे विभिन्न घटक शामिल हैं।

भारत का मसालों का निर्यात वर्ष 2013-14 में 8,17,250 मीट्रिक टन मूल्य ₹ 13,735.39 करोड़ (2,268 मिलियन अमेरिकी डॉलर) से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 15,39,692 मीट्रिक टन हो गया, जिसका मूल्य ₹ 36,958.80 करोड़ (4,464.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर) रहा, जो मात्रा में 88 प्रतिशत, मूल्य (रुपयों में) में 169 प्रतिशत और मूल्य (यू एस डॉलर में) में 97 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है। मसालों के निर्यात ने वर्ष 2013-14 से मात्रा में सात प्रतिशत, मूल्य में दस प्रतिशत और मूल्य (यूएस डॉलर) में सात प्रतिशत सीएजीआर दर्ज किया।

निर्यात विकास एवं संवर्धन घटक (ईडीपी) के तहत कार्यान्वित किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का उद्देश्य आयातक देशों के बदलते खाद्य सुरक्षा मानकों का अनुपालन करने वाले प्रसंस्कृत और मूल्यवर्धन मसालों के निर्यात में वृद्धि करने की दृष्टि से अवसंरचना का विकास करने, भारतीय मसालों और मसाला उत्पादों आदि को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को सहायता प्रदान करना है। वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाने और प्रक्रिया उन्नयन को प्रोत्साहित करने के अलावा, बोर्ड मसालों की आपूर्ति श्रृंखला में गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा मानदंडों के अनुपालन को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करता है। निर्यात विकास एवं संवर्धन (ईडीपी) के अंतर्गत प्रमुख बल क्षेत्र हैं - व्यापार संवर्धन, उत्पाद विकास एवं अनुसंधान, अवसंरचना विकास, विदेशों में भारतीय मसाला ब्रंडों का संवर्धन, प्रमुख मसाला उत्पादकों/विपणन केन्द्रों में सामान्य सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, पैकिंग एवं भण्डारण (मसाला पार्क) के लिए अवसंरचना की स्थापना, जैविक मसालों/जीआई मसालों का संवर्धन, क्रेता-विक्रेता बैठकों का आयोजन आदि। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर क्षेत्र के मसालों को बढ़ावा देने के लिए विशेष कार्यक्रम चलाए जाते हैं।

अ) बुनियादी ढांचे का विकास

क) हाई-टेक/प्रौद्योगिकी अपग्रेडेशन को अपनाना और इन-हाउस प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन

इस कार्यक्रम के तहत, बोर्ड का लक्ष्य मसालों के प्रसंस्करण और मूल्यवर्धन, मसालों और मसाला उत्पादों की गुणवत्ता मूल्यांकन आदि के लिए सुविधाएं स्थापित करने में निर्यातकों की सहायता करना है। कार्यक्रम के तहत सहायता का पैमाना मशीनरी/उपकरण और सहायक उपकरण की लागत का 33 प्रतिशत है, जो सामान्य श्रेणी के लिए प्रति निर्यातक अधिकतम ₹ 1.00 करोड़ है एवं अनुससुचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों; एफपीओ निर्यातकों; पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित), जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमालयी राज्यों, राज्य द्वारा अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश) में निर्यातको के लिए मशीनरी/उपकरण और सहायक उपकरण की लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 1.50 करोड़ है। वर्ष 2023-24 के दौरान, इस कार्यक्रम के अधीन छह निर्यातकों को ₹ 319.28 लाख की सहायता प्रदान की गई।

ख) मसालों के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण उपकरण स्थापित करने हेतु निर्यातकों को सहायता

इस कार्यक्रम के तहत, प्राथमिक प्रसंस्करण जैसे सफाई, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, स्लाइसिंग, कटिंग, क्रशिंग, पिसाई, पैकिंग इत्यादि के लिए मशीनरी की लागत पर सहायता के लिए विचार किया जाता है। सहायता का पैमाना मशीनरी की लागत का 33 प्रतिशत है, जो सामान्य श्रेणी के निर्यातकों के लिए प्रति निर्यातक अधिकतम ₹ 10 लाख और अनुससुचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों और एफपीओ के लिए मशीनरी की लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 15 लाख तक, है। वर्ष 2023-24 के दौरान, इस कार्यक्रम के अधीन चार निर्यातकों को ₹ 27.98 लाख की सहायता प्रदान की गई।

ग) त्वरित खाद्य परीक्षण उपकरणों और किटों के लिए निर्यातकों को सहायता

त्वरित खाद्य परीक्षण उपकरणों और किटों का उपयोग मसालों और मसाला उत्पादों में आंतरिक गुणों, भौतिक मापदंडों, विषाक्त पदार्थों, संदूषकों, अवशेषों आदि के परीक्षण के लिए किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य निर्यातकों को आपूर्ति श्रृंखला के विभिन्न चरणों में कच्चे माल के साथ-साथ प्रसंस्कृत उत्पादों का परीक्षण करने के लिए तेजी से परीक्षण उपकरण और किट स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है, जो आंतरिक मापदंडों, गुणवत्ता और सुरक्षा पहलुओं आदि की निगरानी करने में मदद करेगा।

कार्यक्रम के तहत सहायता का पैमाना त्वरित गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण उपकरण और किट की लागत का 33 प्रतिशत है, जो सामान्य श्रेणी के लिए प्रति निर्यातक अधिकतम ₹ 10 लाख है, एवं लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 15 लाख अनुससुचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों; एफपीओ निर्यातक; पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित), जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अन्य हिमालयी राज्यों, राज्य द्वारा अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश) में निर्यातको के लिए है। वर्ष 2023-24 के दौरान, इस कार्यक्रम के अधीन एक निर्यातक को ₹ 0.32 लाख की सहायता प्रदान की गई।

घ) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन तंत्र /प्रमाणन के कार्यान्वयन के लिए सहायता

इस कार्यक्रम के अंतर्गत, मान्यता प्राप्त आईएसओ / एचएसीसीपी / एफएसएससी 22000 / एनपीओपी, आदि (कोषेर, हलाल, जीएमपी, एसक्यूएफ, बीआरसी, आदि सहित) के तहत मसाला निर्यातकों की प्रसंस्करण इकाइयों, घरेलू प्रयोगशालाओं आदि की मान्यता / प्रमाणन की लागत, आयातक देशों की अधिकृत एजेंसियों द्वारा प्रमाणीकरण/फोरेन बायर वेरीफिकेशन प्रोग्राम(एफबीवीपी), आदि पर विचार किया जाता है।

बोर्ड सामान्य श्रेणी के निर्यातको के लिए प्रमाणन की लागत का 33 प्रतिशत और अधिकतम ₹ 5.00 लाख देता है एवं अनुससुचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों, एफपीओ निर्यातकों और पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित) और अन्य हिमालयी राज्यों/जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, राज्यों द्वारा अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीप समूह (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश) के निर्यातकों के लिए प्रमाणन की लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 7.50 लाख देता है।

ङ) सामान्य प्रसंस्करण (मसाला पार्क) के लिए बुनियादी ढांचे की स्थापना और रखरखाव

स्पाइसेस बोर्ड ने किसानों को उनकी उपज के लिए बेहतर मूल्य प्राप्ति और व्यापक बाजार पहुंच प्राप्त करने हेतु सशक्त बनाने की दृष्टि से प्रमुख उत्पादन/बाजार केंद्रों में आठ फसल विशिष्ट स्पाइसेस पार्क स्थापित किए हैं। पार्क का उद्देश्य मसालों और मसाला उत्पादों की खेती, कटाई के बाद, प्रसंस्करण, वैल्यू एडिशन, पैकेजिंग और भंडारण के लिए एक एकीकृत ऑपरेशन संचालन करना है। सफाई, ग्रेडिंग, पैकिंग, स्टीम स्टरलाइज़ेशन आदि के लिए सामान्य प्रसंस्करण सुविधाओं से किसानों को अपनी उपज की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद मिलेगी और इस प्रकार उन्हें अधिक कीमत प्राप्त होगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने मई 2018 के दौरान सभी आठ स्पाइस पार्कों को नामित खाद्य पार्क के रूप में अधिसूचित किया था। प्रमुख उत्पादन/बाजार केंद्रों में बोर्ड द्वारा स्थापित फसल विशिष्ट स्पाइस पार्क इस प्रकार हैं:

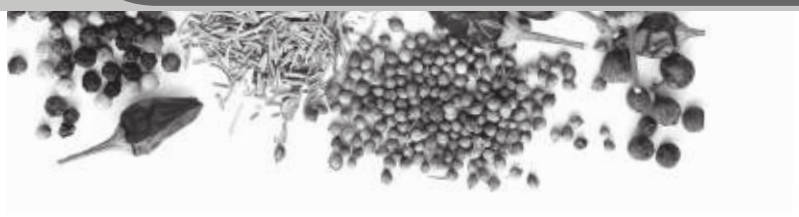

क्रम सं	स्थान/राज्य	शामिल मसाले	भूमि क्षेत्रफल (एकड़ में)
1	छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश	मिर्च और लहसुन	10.00
2	पुट्टाडी, केरल	कालीमिर्च और इलायची	12.50
3	जोधपुर, राजस्थान	ज़ीरा और धनिया	60.00
4	गुना, मध्य प्रदेश	धनिया	100.00
5	सिवागंगा, तमिलनाडु	मिर्च और हल्दी	75.00
6	गुंटूर, आंध्र प्रदेश	मिर्च	125.00
7	रामगंजमंडी (कोटा), राजस्थान	धनिया	30.00
8	रायबरेली, उत्तर प्रदेश	पुदीना	11.79

(i) मसाला पार्कों में सामान्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थिति

सभी पार्कों में मसालों और मसाला उत्पादों की प्रसंस्करण, मूल्य योजन और भंडारण के लिए अच्छी तरह से स्थापित सामान्य प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं और रायबरेली को छोड़कर सभी पार्कों में इकाइयाँ वर्तमान में बोर्ड द्वारा पहचाने गए ऑपरेटरों के माध्यम से काम कर रही हैं। प्रत्येक पार्क में उपलब्ध प्रसंस्करण सुविधाएं ऑपरेटरों के नाम के साथ नीचे दी गई हैं:

स्पाइस पार्क का स्थान	प्रोसेसिंग सुविधाओं का विवरण	ऑपरेटर का नाम
छिंदवाड़ा	लहसुन को सुखाना/निर्जलीकरण एवं मिर्च निष्कर्षण	मैसर्स वी नैचुरल
गुना	बीज मसालों विशेषकर धनिया के लिए सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पीसने, पैकेजिंग सुविधाएं	मैसर्स मयंक इंडस्ट्रीज़
गुंटूर	मिर्च की सफाई, छंटाई, पीसने और पैकेजिंग की सुविधा	मैसर्स माने कंकोर स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड
जोधपुर	बीजीय मसालों विशेषकर ज़ीरा के लिए सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पीसने, पैकेजिंग सुविधाएं	मैसर्स श्री राधे कृष्णा स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड.
रामगंजमंडी (कोटा)	बीजीय मसालों विशेषकर धनिया के लिए सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पीसने, पैकेजिंग सुविधाएं	मैसर्स ऑरकला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
पुट्टडी	इलायची और काली मिर्च की सफाई, ग्रेडिंग, पीसने, पैकेजिंग की सुविधा	मैसर्स फ्लेवोरिट स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड
रायबरेली	पार्क और प्रभाव क्षेत्र में पुदीना और अन्य जड़ी-बूटियों की तेल आसवन इकाई	आसवन इकाइयाँ सीधे किसान समूहों द्वारा संचालित की जाती हैं
सिवागंगा	मिर्च और हल्दी के लिए सफाई, ग्रेडिंग, रंग छंटाई, पीसना, पैकेजिंग सुविधाएं	मैसर्स सीजन फ्रेश एग्रो फूड्स

स्पाइसेस पार्क, जोधपुर और सिवागंगा में सामान्य भंडारण सुविधाएं (गोदाम) निर्यातकों को पट्टे पर दी गई हैं।

(ii) निर्यातकों को भूखंडों के आवंटन की स्थिति एवं मसाला पार्कों में स्थापित इकाइयों की स्थिति

छिंदवाड़ा और पुट्टडी को छोड़कर सभी स्पाइस पार्कों में ज़मीन है जो भावी उद्यमियों को मसालों मूल्य योजन और उच्च-स्तरीय प्रसंस्करण के लिए अपनी स्वयं की प्रसंस्करण इकाइयों को विकसित करने के लिए आवंटित करने के लिए निर्धारित की गई है।

वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड ने मसाला प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए दो निर्यातकों को मसाला पार्क, जोधपुर में दो भूखंड, एक निर्यातक को मसाला पार्क, गुना में दो भूखंड, एक निर्यातक को मसाला पार्क, रायबरेली में तीन भूखंड तथा एक निर्यातक को मसाला पार्क, शिवगंगा में दो भूखंड आवंटित किए हैं।

जैसेकि 31 मार्च 2024 को है, मसाला पार्क, जोधपुर में 21 निर्यातकों को पच्चीस भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से दस इकाइयाँ कार्य कर रही हैं; मसाला पार्क, गुना में 22 निर्यातकों को 29 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से तीन इकाइयाँ कार्यरत हैं; मसाला पार्क, रामगंजमंडी (कोटा) में 15 निर्यातकों को 16 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से एक इकाई कार्य कर रही है; मसाला पार्क, गुंटूर में 27 निर्यातकों को 52 भूखंड आवंटित किए गए हैं, जिनमें से आठ इकाइयां काम कर रही हैं; स्पाइसेस पार्क, शिवगंगा में 16 निर्यातकों को 22 भूखंड आवंटित किए गए हैं; और मसाला पार्क, रायबरेली में चार निर्यातकों को नौ भूखंड आवंटित किए गए हैं।

इकाइयों को पूरी तरह कार्यात्मक बनाने के लिए, बोर्ड निर्माण पूरा करने हेतु नियमित रूप से भूखंड धारकों के साथ संपर्क कर रहा है। आवंटित भूखंडों में इकाइयों के निर्माण के चरण के आधार पर भूखंड धारकों को कारण बताओ नोटिस और पत्र भेजे गए थे।

साथ ही, बोर्ड विभिन्न मसाला पार्कों में खाली भूखंडों को आवंटित करने की प्रक्रिया में है। शिवगंगा और गुना जैसे क्षेत्रों में जो भूखंड लंबे समय तक रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) अवधि के बाद भी आवंटित नहीं किए जा सके, उन्हें 30 जनवरी 2024 की बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णय के आधार पर संबद्ध खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए एपीडा, चाय बोर्ड और कॉफी बोर्ड के साथ पंजीकृत निर्यातकों को आवंटित किया गया था। 30 सितंबर 2024 को अंतिम तिथि के साथ ईओआई आमंत्रित किए गए हैं।

इसके अलावा, बोर्ड बोली के माध्यम से पात्र हितधारकों को पार्क में सहायक सुविधाएं जैसे प्रयोगशाला, कार्यालय स्थान, कैंटीन भवन, बैंक भवन आदि स्थापित करने के लिए निर्मित क्षेत्र आवंटित करने की प्रक्रिया में है।

(iii) मसाला पार्कों का प्रदर्शन

वर्ष 2023-2024 के दौरान, मसाला पार्कों में निर्यातकों द्वारा स्थापित सामान्य प्रसंस्करण इकाइयों और इकाइयों में ₹ 58,000 लाख मूल्य के 46,101 मीट्रिक टन मसालों का प्रसंस्करण किया गया, जिनमें से ₹ 25,858.08 लाख मूल्य के 19,075 मीट्रिक टन मसाले/मसाला उत्पाद निर्यात के लिए निर्यातकों को निर्यात/आपूर्ति किए गए थे। इसके अलावा, मसाला पार्क, रायबरेली के प्रभाव क्षेत्र में स्थापित मिंट आसवन इकाइयों के माध्यम से ₹ 18.5 लाख मूल्य के 1,580 लीटर पुदीना तेल का प्रसंस्करण किया गया। इसके अलावा, मसाला पार्कों में कुल 825 कामगार/श्रमिक कार्यरत थे। वर्ष 2023-2024 के दौरान, मसाला पार्कों में रखरखाव/उपक्रम कार्यों के लिए ₹ 77.69 लाख का कुल व्यय किया गया।

(iv) स्पाइस कॉम्प्लेक्स सिक्किम

सिक्किम सरकार ने राज्य से मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे के विकास के लिए स्पाइस कॉम्प्लेक्स स्थापित करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड को सिक्किम के पूर्वी जिले के नामचेबोंग में दस एकड़ जमीन मुफ्त में आवंटित की थी। ट्रेड इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एक्सपोर्ट स्कीम (टीआईईएस) की कार्यकारी समिति ने 9 फरवरी 2021 को आयोजित अपनी 13वीं बैठक में ₹ 26.51 करोड़ के कुल वित्तीय परिव्यय पर तीन साल की अवधि के भीतर सिक्किम में स्पाइस कॉम्प्लेक्स की स्थापना को मंजूरी दे दी। जिसमें स्पाइसेस बोर्ड का हिस्सा ₹ 8.77 करोड़ है और शेष राशि ₹ 17.74 करोड़ टी आई ई एस का योगदान होगा। स्पाइसेस बोर्ड ने टर्न-की के आधार पर स्पाइस कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (सीपीडब्ल्यूडी), गंगटोक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। सीपीडब्ल्यूडी ने निर्माण कार्यों को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार तीन पैकेजों में विभाजित किया है:

- पैकेज-I: गेट कॉम्प्लेक्स और साइट क्षेत्र की कांटेदार तार से बाड़ लगाना, जिसकी अनुमानित लागत ₹ 120 लाख है।
- पैकेज-II: ₹ 884 लाख की अनुमानित लागत से सुविधा केंद्र, सामान्य प्रसंस्करण केंद्र और बायो एजेंट उत्पादन केंद्र एवं उपकरण सहित मसाला अनुसंधान और गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला का निर्माण।
- पैकेज-III: ₹ 1,523 लाख की अनुमानित लागत से डीपीआर के अनुसार प्रशासनिक भवन, प्रशिक्षण हॉल, गेस्ट हाउस और कैंटीन, सड़कों सहित सर्विस ब्लॉक, तूफान जल निकासी, बिजली आपूर्ति और अन्य कार्यों का निर्माण।

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, सीपीडब्ल्यूडी ने स्पाइसेस बोर्ड के निदेशक (विपणन) की स्वीकृति से, भविष्य की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए स्पाइस कॉम्प्लेक्स में लंबे चेसिस/भारी लोड वाले वाहनों की आवाजाही की व्यवहार्यता के लिए भारी वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए प्रवेश द्वार और सड़क के शुरुआती हिस्से के स्थान में परिवर्तन के साथ स्पाइस कॉम्प्लेक्स, सिक्किम के लेआउट को संशोधित किया है।

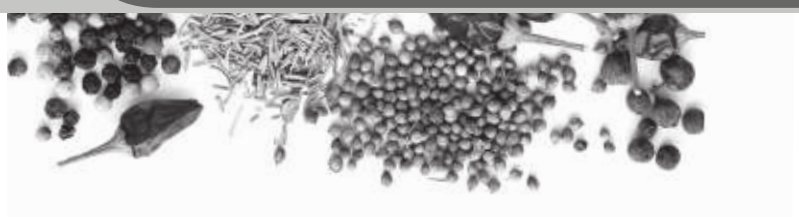

सीपीडब्ल्यूडी को कुल ₹ 11.77 करोड़ (टीआईईएस से प्राप्त ₹ 8.87 करोड़ और बोर्ड का हिस्सा ₹ 2.90 करोड़) जारी किए गए हैं, जिसमें से ₹ 6.37 करोड़ वर्ष 2023-2024 के दौरान जारी किए गए।

वर्तमान में, सीपीडब्ल्यूडी ने ₹ 38.72 लाख की लागत से बिजली के काम सहित कंटीले तारों की बाड़ लगाने और सुरक्षा कार्य का 75 प्रतिशत और ₹ 3.46 लाख की लागत से प्रशासनिक भवन, कोर प्रोसेसिंग यूनिट और बायो एजेंट यूनिट के निर्माण का दो प्रतिशत काम पूरा कर लिया है। कुल व्यय ₹ 42.18 लाख है और शेष राशि ₹ 11.34 करोड़ सीपीडब्ल्यूडी के पास है। काम प्रगति पर है और मार्च 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

आ) व्यापार संवर्धन

क) व्यापार नमूने विदेश भेजना

सामान्य तौर पर मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात अनुबंध खरीदारों को उपलब्ध कराए गए नमूनों के आधार पर संपन्न किए जाते हैं। निर्यातकों को अनुमोदन के लिए और खरीदारों की आवश्यकताओं से मेल खाने के लिए विदेश में अपने ग्राहकों को नमूने भेजने की आवश्यकता होती है। कूरियर नमूनों की उच्च लागत और अनुबंध हासिल करने के लिए कूरियर किए जाने वाले नमूनों की संख्या को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड निर्यातकों को विदेश में नमूने भेजने के लिए कूरियर शुल्क की लागत की भरपाई के लिए सहायता प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान ₹ 250 करोड़ से अधिक वार्षिक टर्नओवर वाले व्यापारी निर्यातकों और एमएसएमई निर्यातकों को कूरियर शुल्क की लागत के 50 प्रतिशत की दर पर प्रतिपूर्ति के रूप में सहायता प्रदान की गई, जो अधिकतम ₹ 1.50 लाख प्रति वार्षिक सामान्य वर्ग के लिए है एवं कूरियर शुल्क का 5 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 2.25 लाख प्रति वर्ष; अनुससुचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों, एफपीओ निर्यातक; पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित), जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमालयी राज्यों, राज्य द्वारा अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश) में निर्यातको के लिए है। वर्ष 2023-24 के दौरान 31 निर्यातकों को इस कार्यक्रम के तहत ₹ 4.09 लाख की सहायता प्रदान की गई।

ख) पैकेजिंग विकास एवं बारकोडिंग

शेल्फ लाइफ़ बढ़ाने, भंडारण स्थान को कम करने और विदेशों के बाजारों में भारतीय मसालों की बेहतर प्रस्तुति के लिए मौजूदा पैकेजिंग में सुधार करने एवं आधुनिक पैकेजिंग विकसित करने की आवश्यकता महसूस की गई है। कार्यक्रम के तहत बोर्ड उन सभी पंजीकृत निर्यातकों को सहायता प्रदान करता है जिन्होंने मौजूदा पैकेजिंग में सुधार करने और आधुनिक पैकेजिंग विकसित करने के लिए स्पाइसेस बोर्ड के साथ अपने ब्रंड नाम पंजीकृत किए हैं। कार्यक्रम के तहत, उभरते बाजार की आवश्यकताओं के अनुसार पैकेजिंग विकास, बार कोडिंग, क्यूआर कोड, इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद कोड (ईपीसी) / रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (आरएफआईडी) टैग आदि जैसी गतिविधियों पर विचार किया जाता है।

ग) उत्पाद अनुसंधान एवं विकास

मसालों को औषधीय, सौंदर्यवर्धक, पोषण और स्वास्थ्य मूल्यों के लिए जाना जाता है। ऐसे उपयोगों के बारे में पारंपरिक ज्ञान का एक विशाल भंडार देश में उपलब्ध है। हालाँकि, मसाला/मसालों के अर्क/मसाला मिश्रण के प्रशंसित गुणों को स्थापित करने के लिए पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य/सत्यापन अध्ययन मौजूद नहीं हैं। दस्तावेज़ीकरण/सत्यापन का अभाव ऐसे उत्पादों की विपणन क्षमता को रोकता है। यह महसूस किया गया है कि यदि वैज्ञानिक रूप से आयोजित परीक्षणों और नैदानिक मूल्यांकन के आधार पर आवश्यक दस्तावेज/सत्यापन तैयार किया जाता है, तो उत्पादों को बहुत अधिक वैल्यू एडिशन के साथ तैयार किया जा सकता है और इन उत्पादों को वैकल्पिक दवाओं, कार्यात्मक खाद्य पदार्थ, न्यूट्रास्यूटिकल्स, प्रतिरक्षा बूस्टर इत्यादि के विकल्प के रूप में स्थापित बाजारों में विपणन और पेटेंट कराया जा सकता है (यदि आवश्यक हो)। इसके अलावा, देश के भीतर उत्पादित मसालों से नए अंतिम उपयोग और अनुप्रयोग प्राप्त करने की भी गुंजाइश है।

ऐसे नए उत्पादों और फॉर्मूलेशन के निर्यात से मिलने वाला रिटर्न निम्न स्तर के मूल्य योजन के साथ साबुत मसालों के निर्यात से प्राप्त मूल्य से काफी अधिक होगा। मसालों से बने नए अंतिम उत्पादों के विकास में अपरंपरागत अनुप्रयोगों के क्षेत्रों में वैज्ञानिक अनुसंधान शामिल है, जिससे निर्यात के लिए उच्च क्षमता वाले पेटेंट योग्य उत्पादों का निर्माण हो सकता है। यह योजना उत्पाद अनुसंधान और विकास,

नैदानिक परीक्षण, संपत्तियों के सत्यापन और पेटेंटिंग और परीक्षण विपणन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। आवश्यक सुविधाओं वाले पंजीकृत निर्यातक और अनुसंधान एवं विकास संस्थान, अध्ययन की प्रगति के मूल्यांकन के आधार पर किश्तों में उत्पाद अनुसंधान और विकास की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 25.00 लाख तक कार्यक्रम के तहत सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। यदि नैदानिक परीक्षण और पेटेंटिंग शामिल है, तो सहायता की सीमा ₹ 1.00 करोड़ है, साथ ही, केंद्रीय/राज्य विश्वविद्यालयों, अनुसंधान एवं विकास और सरकार के अन्य संस्थानों के लिए, सहायता का पैमाना अधिकतम सीमा में कोई बदलाव किए बिना परियोजना की लागत के 100 प्रतिशत तक बढ़ाया जाता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड ने इस कार्यक्रम के तहत ₹ 13.70 लाख की सहायता प्रदान की है।

घ) विदेशों में भारतीय स्पाइस ब्रंडों को बढ़ावा देना

भारत से मसालों का एक बड़ा हिस्सा थोक रूप में निर्यात किया जाता है और इसे दक्षिण पूर्व एशिया, अफ्रीका और सुदूर पूर्व की कम लागत वाली अर्थव्यवस्थाओं से कड़ी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। भारत स्पाइस प्रसंस्करण का केंद्र है, इसलिए मसाला क्षेत्र को प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर, मजबूत और अधिक अनुकूलनीय बनने की आवश्यकता है। इस योजना का उद्देश्य निर्यातकों को ट्रेसेबिलिटी और खाद्य सुरक्षा के स्पष्ट चिह्न के साथ विदेशी बाजारों में भारतीय ब्रंडों के प्रवेश में सहायता करना है।

कार्यक्रम का उद्देश्य प्रचार कार्यक्रमों की एक श्रृंखला के माध्यम से, पहचाने गए विदेशी बाजारों में भारतीय ब्रंडों की पैठ बनाने में सहायता करना है। इस कार्यक्रम के तहत, जिन निर्यातकों ने अपने ब्रंड को बोर्ड के साथ पंजीकृत किया है, वे प्रति ब्रंड ₹ 100 लाख तक के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। कार्यक्रम के तहत सहायता में स्लॉटिंग/लिस्टिंग शुल्क और प्रचार व्यय का 100 प्रतिशत और उत्पाद विकास की लागत का 50 प्रतिशत शामिल है, ताकि निर्यातकों को विदेश में चयनित शहरों में पहचाने गए आउटलेट में निर्दिष्ट ब्रंडों को स्थापित करने में मदद मिल सके।

वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड ने इस कार्यक्रम के तहत दो निर्यातकों को ₹ 52.20 लाख की राशि जारी की है।

ङ) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/बैठकों और प्रशिक्षणों में भागीदारी

स्पाइसेस बोर्ड भारतीय निर्यातकों और विदेश में आयातकों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय कड़ी के रूप में कार्य करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय मसालों को बढ़ावा देने और निर्यातकों के लिए अवसर प्रदान करने की अपनी पहल के तहत, बोर्ड अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों को भारतीय मसालों की क्षमताओं का प्रदर्शन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेलों, प्रदर्शनियों आदि में भाग लेता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड ने दो अंतर्राष्ट्रीय मेलों एवं 24 घरेलू प्रदर्शनियों में भाग लिया।

बोर्ड निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्यातकों को विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। बोर्ड मसालों के निर्यात में अपनी क्षमताओं और योग्यताओं को प्रदर्शित करने के लिए निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय मेलों में अपने स्वयं के स्टॉल स्थापित करने में सहायता करने का प्रस्ताव देता है। कार्यक्रम के तहत, बोर्ड के पंजीकृत निर्यातक हवाई किराए की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 1.50 लाख और स्टाल किराए की लागत का 50 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 1.50 लाख की सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं सामान्य वर्ग के लिए अधिकतम ₹ 5.00 लाख और हवाई किराये की लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 2.25 लाख और स्टाल किराए की लागत का 75 प्रतिशत, अधिकतम ₹ 7.50 लाख; अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों, एफपीओ निर्यातक; पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित), जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, हिमालयी राज्य, राज्य द्वारा अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्र और द्वीप समूह (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश) के निर्यातको के लिए है। वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड ने इक्कीस निर्यातकों को हवाई किराए के साथ-साथ स्टॉल शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में ₹ 39.28 लाख की सहायता प्रदान की।

च) मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र के लिए शुल्क की प्रतिपूर्ति

देश से मसालों के निर्यात के लिए मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (सीआरईएस) अनिवार्य है। पूर्वोत्तर क्षेत्र (सिक्किम और दार्जिलिंग क्षेत्र सहित) और अन्य हिमालयी राज्यों/जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, राज्य अधिसूचित आईटीडीपी क्षेत्रों और द्वीपों (अंडमान

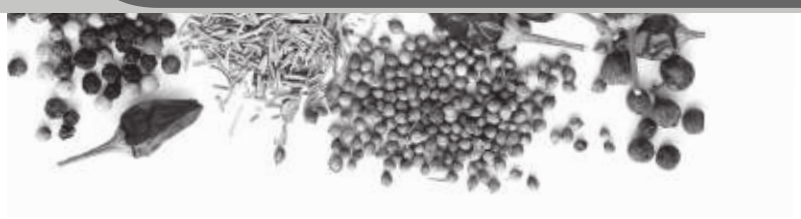

और निकोबार और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति निर्यातकों और किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए देशभर में मसालों का निर्यात कारोबार करने के लिए बोर्ड सीआरईएस शुल्क के एक हिस्से की प्रतिपूर्ति करता है। वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड ने दो निर्यातकों को इस घटक के तहत ₹ 0.23 लाख की सहायता प्रदान की।

इ) विपणन और सहायक सेवाएँ

क) विपणन सेवाएँ

स्पाइसेस बोर्ड भारत से मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात को विकसित करने और बढ़ावा देने एवं इलायची के घरेलू विपणन को मजबूत करने के लिए कार्यक्रमों की एक श्रृंखला लागू कर रहा है। बोर्ड मसालों की कटाई के बाद प्रबंधन, विपणन, प्रसंस्करण, गुणवत्ता में सुधार आदि के संबंध में आने वाले विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए हितधारकों को दैनिक आधार पर सहायता करता है और निर्यातकों, किसानों और राज्य सरकारों को सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।

(i) पंजीकरण और लाइसेंसिंग

क) मसालों के निर्यातक के रूप में पंजीकरण प्रमाणपत्र (CRES)

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम 1986 के अनुसार, मसालों का निर्यात करने वाले किसी भी व्यक्ति के पास मसालों के निर्यातक (सीआरईएस) के रूप में पंजीकरण का वैध प्रमाणपत्र होना आवश्यक है। स्पाइसेस बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) (संशोधन) विनियम, 2021 के अनुसार, सीआरईएस जारी होने की तारीख से तीन साल के लिए वैध है।

वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान बोर्ड द्वारा जारी किए जाने वाले सीआरईएस को डीजीएफटी द्वारा विकसित कॉमन डिजिटल प्लेटफॉर्म (ईआरसीएमसी) में स्थानांतरित कर दिया गया था और मई 2022 से, सीआरईएस डीजीएफटी प्लेटफॉर्म के माध्यम से जारी किए गए थे।

वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड द्वारा मसालों के निर्यातक (सीआरईएस) के रूप में पंजीकरण के कुल 2,401 प्रमाण पत्र जारी किए गए, जिनमें से 2,169 प्रमाण पत्र व्यापारी निर्यातक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं और 232 प्रमाण पत्र निर्माता निर्यातक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं।

ख) इलायची ब्यौहारी और नीलामकर्ता लाइसेंस

इलायची लाइसेंसिंग एवं विपणन नियम, 1987 के अनुसार, कोई भी व्यक्ति जो नीलामकर्ता या ब्यौहारी के रूप में इलायची का व्यवसाय करना चाहता है, उसके पास बोर्ड से वैध लाइसेंस होना चाहिए। तदनुसार, बोर्ड द्वारा इलायची (छोटी और बड़ी) के लिए नीलामकर्ता और ब्यौहारी लाइसेंस जारी किए जाते हैं। व्यापार को आसान बनाने के लिए, स्पाईसेस बोर्ड ने एक अगस्त 2022 से इलायची ब्यौहारी और नीलामकर्ता लाइसेंस जारी करने के लिए उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) द्वारा विकसित राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (NSWS) को अपनाया है। नीलामकर्ता और ब्यौहारी लाइसेंस तीन साल की ब्लॉक अवधि के लिए जारी किए जाते हैं और वर्तमान ब्लॉक अवधि (2023-26) 31 अगस्त 2026 तक है।

बोर्ड ने पूरे भारत में 607 इलायची ब्यौहारी लाइसेंस (600 छोटी इलायची ब्यौहारी लाइसेंस और सात बड़ी इलायची डीलर लाइसेंस) जारी किए हैं, जिनमें से वित्तीय वर्ष 2023-2024 के दौरान 593 लाइसेंस (587 छोटी इलायची ब्यौहारी लाइसेंस और छह बड़ी इलायची ब्यौहारी लाइसेंस) जारी किए गए। साथ ही, वित्तीय वर्ष के दौरान बोर्ड द्वारा 15 ई-नीलामीकर्ता लाइसेंस और तीन मैनुअल नीलामीकर्ता लाइसेंस जारी किए गए।

(ii) इलायची की नीलामी

(क) क्लाउड-आधारित लाइव ई-नीलामी प्रणाली की स्थापना

बोर्ड ने 01 नवंबर 2021 से "क्लाउड आधारित लाइव ई-नीलामी" की शुरुआत की, जिससे दोनों नीलामी केंद्रों को वर्चुअल लिंकिंग और ई-नीलामी का एक साथ संचालन संभव हो गया। इस प्रणाली में, किसान और डीलर अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी नीलामी केंद्र से इलायची की नीलामी में भाग ले सकते हैं, जबकि पहले की प्रणाली में किसानों और ब्यौहारीयों को नीलामी में भाग लेने के लिए संबंधित नीलामी केंद्रों पर जाना पड़ता था। बोर्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान भी क्लाउड आधारित लाइव ई-नीलामी प्रणाली को जारी रखा। क्लाउड आधारित लाइव ई-नीलामी प्रणाली ने नीलामी में खरीदार की भागीदारी बढ़ाने में मदद की, जिससे बेहतर मूल्य प्राप्ति संभव हुई।

बोर्ड ने ब्यौहारीयों द्वारा इलायची की पूलिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए हस्तक्षेप जारी रखा। वर्ष 2023-24 के दौरान ई-नीलामी/मैनुअल नीलामी के माध्यम से कुल 28,750 मीट्रिक टन इलायची (छोटी) बेची गई, जिसका भारित औसत मूल्य ₹ 1542.70/किलोग्राम था, जिसमें से विशेष नीलामी के माध्यम से बेची गई मात्रा लगभग 10 मीट्रिक टन है, जिसका भारित औसत मूल्य ₹ 1086.83/ किलोग्राम था।

ख) इलायची के लिए विशेष नीलामी

बोर्ड ने 22.10.2022 से कीटनाशकों और कृत्रिम रंगों के लिए प्रयोगशाला में परीक्षण की गई इलायची के लिए एक अलग विपणन चैनल की सुविधा के लिए पायलट आधार पर प्रयोगशाला में परीक्षण की गई इलायची की विशेष ई-नीलामी शुरू की है। इलायची के लिए महीने में एक बार विशेष नीलामी आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य उत्पादन को बढ़ावा देना और आईपीएम (एकीकृत कीट प्रबंधन) इलायची के निर्यात सोर्सिंग की सुविधा प्रदान करना है, जो कीटनाशक एमआरएल का अनुपालन करती है, और जो कृत्रिम हरे रंग से मुक्त होती है। वर्तमान में, दो कृत्रिम रंग (ब्रिलियंट ब्लू और टार्ट्राज़िन) और छह कीटनाशकों, अर्थात् एसिटामिप्रिड, साइहलोथ्रिन (लैम्ब्डा साइहलोथ्रिन शामिल हैं), साइपरमेथ्रिन (अल्फा- और ज़ेटा साइपरमेथ्रिन सहित), प्रोफेनोफोस, ट्रायज़ोफोस और डिथियोकार्बामेट्स का परीक्षण किया जा रहा है और केवल उन इलायची लॉट का परीक्षण किया जा रहा है, जो निर्धारित मानकों का अनुपालन प्रदर्शित करते हैं, उन्हें परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर विशेष ई-नीलामी में रखा जाता है।

यदि नमूने विशेष ई-नीलामी में रखने के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं तो बोर्ड किसानों को चालान में छूट के रूप में परीक्षण शुल्क के 1/3 सीमा तक सहायता प्रदान करता है। यदि नमूनों को विशेष ई-नीलामी में रखने के लिए मंजूरी नहीं दी जाती है तो किसान को चालान के अनुसार कुल परीक्षण शुल्क वहन करना होगा। यदि डीलर विशेष ई-नीलामी में इलायची की पूलिंग कर रहे हैं, तो उन्हें नमूनों का पूरा परीक्षण शुल्क वहन करना होगा, भले ही नमूनों को विशेष ई-नीलामी में रखने के लिए मंजूरी दे दी गई हो या नहीं।

वर्ष 2023-24 के दौरान विशेष नीलामी के माध्यम से कुल 10 मीट्रिक टन इलायची 1086.83 रुपये प्रति किलोग्राम के भारित औसत मूल्य पर बेची गई।

(iii) अनिवार्य नमूनाकरण और परीक्षण

स्पाइसेस बोर्ड अधिनियम, 1986 और स्पाइसेस बोर्ड (निर्यातकों का पंजीकरण) विनियम 1989 के प्रावधानों के तहत, स्पाइसेस बोर्ड आयातक देश की आवश्यकताओं, निर्यात अलर्ट की पिछली घटनाओं, जोखिम मूल्यांकन के आधार पर चयनित गंतव्यों के लिए कुछ मसालों और मसाला उत्पादों की निर्यात खेपों का अनिवार्य नमूनाकरण और परीक्षण कर रहा है, वित्ति वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड ने बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप, परीक्षण किए गए मापदंडों और मसालों में समय-समय पर संशोधन के साथ, मसाला खेपों के अनिवार्य नमूने, परीक्षण और निकासी को जारी रखा है।

अनिवार्य नमूनाकरण और परीक्षण कार्यक्रम के हिस्से के रूप में, बोर्ड ने वर्ष 2023-24 के दौरान विभिन्न देशों में निर्यात के लिए मसालों और मसाला उत्पादों के 86,456 नमूनों में एफ्लाटॉक्सिन, अवैध रंग, बाहरी पदार्थ, कीटनाशक अवशेष, साल्मोनेला, ईटीओ इत्यादि जैसे 1,49,852 मापदंडों का विश्लेषण किया। इसके अलावा, बोर्ड ने यूरोपीय संघ और ब्रिटेन को मसालों और मसाला उत्पादों की निर्यात खेप के लिए 7556 आधिकारिक प्रमाण पत्र जारी किए।

व्यापार करने में आसानी के लिए, बोर्ड ने 01 मार्च 2024 से विश्लेषणात्मक शुल्क और स्वास्थ्य प्रमाणपत्रों के लिए शुल्क के भुगतान के लिए निर्यात सहायता प्रणाली में ऑनलाइन भुगतान गेटवे की शुरुआत की। ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के कार्यान्वयन के बाद भुगतान के अन्य सभी तरीके बंद कर दिए गए।

(iv) मसालों के सीमा शुल्क नमूनों का परीक्षण

बोर्ड सीमा शुल्क विभाग के माध्यम से अग्रिम प्राधिकरण योजना (एएएस) के तहत देश में आयातित मसालों और मसाला उत्पादों के नमूने प्राप्त कर रहा है, ताकि उपज का आकलन किया जा सके और मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (एसआईओएन) के निर्धारण के लिए डीजीएफटी को सिफारिश प्रदान की जा सके। वर्ष 2023-2024 के दौरान, बोर्ड ने सीमा शुल्क विभाग से प्राप्त मसालों और मसाला उत्पादों की आयात खेपों में 393 नमूनों का परीक्षण किया और परीक्षण रिपोर्ट जारी की गईं।

(v) भौगोलिक संकेत पंजीकरण

स्पाइसेस बोर्ड ने जीआई रजिस्ट्री से 5 मसालों जैसे मलबार काली मिर्च, एलेप्पी हरी इलायची, कूर्ग हरी इलायची, गुंटूर सन्नम मिर्च और ब्यादगी मिर्च के लिए जीआई टैग प्राप्त किया है और वह इन पांच जीआई टैग मसालों का पंजीकृत मालिक है।

(vi) क्रेता-विक्रेता बैठकें, सेमिनार और प्रशिक्षण कार्यक्रम

निर्यात प्रक्रियाओं, आयात दस्तावेज़ीकरण आदि पर हितधारकों को ज्ञान प्रदान करने और उन्हें मसाला व्यवसाय में प्रवेश करने हेतु प्रेरित करने के लिए, बोर्ड उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता रहा है। इसके अलावा, खरीदारों और विक्रेताओं के बीच बाजार संबंधों को सुविधाजनक बनाने के लिए, बोर्ड मसालों के उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों को लक्षित करते हुए क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित कर रहा है।

(क) क्रेता-विक्रेता बैठकें

मसालों के निर्यात को बढ़ावा देने और मसालों की निर्यात सोर्सिंग के लिए एवं सीधे बाज़ार संपर्क संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से, बोर्ड मसाला उत्पादकों, निर्यातकों और आयातकों के बीच सीधी बातचीत के लिए एक मंच प्रदान करने की दृष्टि से क्रेता-विक्रेता बैठकें (बीएसएम) आयोजित कर रहा है।

(i) घरेलू क्रेता-विक्रेता बैठकें

घरेलू क्रेता-विक्रेता किसानों के समूहों और निर्यातकों के बीच सीधे संपर्क की सुविधा प्रदान करते हैं, और निर्यात क्षेत्र की गुणवत्ता और सुरक्षा आवश्यकताओं पर सूचना के आदान-प्रदान की सुविधा के अलावा, निर्यात सोर्सिंग को मजबूत करने में मदद करते हैं। वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड ने निम्नलिखित घरेलू क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित कीं।

(ii) अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकें

स्पाइसेस बोर्ड, दूतावासों/मिशनों के सहयोग से, वर्चुअल प्लेटफॉर्म के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकें (आईबीएसएम) आयोजित कर रहा है। आईबीएसएम में भारतीय मसाला निर्यातकों, संबंधित देशों के प्रमुख आयातकों, व्यापार संघों, वाणिज्य मंडलों, प्रमुख सुपरमार्केट श्रृंखलाओं/विभागीय स्टोरों आदि की भागीदारी शामिल है, यह आयोजन भारतीय निर्यातकों को पूरे विश्व में आयातकों के साथ सीधे व्यापार संबंध बनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है। वर्ष 2022-23 के दौरान, बोर्ड ने निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठकें आयोजित कीं।

क्रम सं	कार्यक्रम का नाम	तारीख
1	गुना, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश पर ध्यान केन्द्रित करते हुए मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता और मसाला पार्क निवेशक बैठक	20 अप्रैल 2023
2	श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक	07 नवंबर 2023
3	गांधी नगर, गुजरात में बीजीय मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक	05 दिसंबर 2023
4	मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में मसाला महोत्सव और क्रेता-विक्रेता बैठक	10 दिसंबर 2023
5	शिवगंगा, तमिलनाडु में मसालों के लिए निवेशक सम्मेलन और क्रेता-विक्रेता बैठक	23 दिसंबर 2023
6	बेल्लारी, कर्नाटक में मिर्च के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक	09 जनवरी 2024
7	जोधपुर, राजस्थान में बीजीय मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक	10 जनवरी 2024
8	कोयंबत्तूर, तमिलनाडु में मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक	15 फरवरी 2024
9	शिलांग, मेघालय में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र पर केन्द्रीत करते हुए क्रेता-विक्रेता बैठक	23 फरवरी 2024
10	समस्तीपुर, बिहार में मसालों के लिए क्रेता-विक्रेता बैठक	29 फरवरी 2024

क्रम सं	कार्यक्रम का नाम	तारीख
1	ग्वाटीमाला केलिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक	15 जून 2023
2	चीन केलिए अंतर्राष्ट्रीय क्रेता-विक्रेता बैठक	27 फरवरी 2024

मसाला उद्योग के हितधारकों ने गहरी रुचि दिखाई है और क्रेता-विक्रेता बैठक में सक्रिय रूप से भाग लिया है, ताकि बाजार संपर्क बनाने के लिए मंच का सर्वोत्तम उपयोग किया जा सके।

(ख) उद्यमिता विकास कार्यक्रम

मसाले और मूल्य-योजित मसाला उत्पाद विश्व बाजार में लगातार वृद्धि दर्ज कर रहे हैं, जिससे मसाला प्रसंस्करण और मूल्य-योजन में उद्यमशीलता की संभावनाएं बढ़ रही हैं। स्पाइसेस बोर्ड, प्रगतिशील हितधारकों को मसाला व्यवसाय में प्रवेश करने के लिए आकर्षित, प्रेरित और सुसज्जित करने के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, जिसमें पूरे भारत से प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को मसाला निर्यात क्षेत्र के विभिन्न पहलुओं पर संवेदनशील और शिक्षित करना है, जिसमें निर्यात दस्तावेज़ीकरण और प्रक्रिया, गुणवत्ता और सुरक्षा मानक, निर्यात के लिए नियामक अपेक्षाएं, अंतर्राष्ट्रीय विपणन, निर्यात रसद, निर्यात डेटा और रुझानों का विश्लेषण शामिल है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड ने दो उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं	कार्यक्रम का नाम	तारीख
1	मसाला हितधारकों के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, इंदौर, मध्य प्रदेश	02 - 03 फरवरी 2024
2	मसाला हितधारकों के लिए उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम, अहमदाबाद, गुजरात	23- 24 जनवरी 2024

ई) अंतर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय (आईपीसी)

अंतर्राष्ट्रीय कालीमिर्च समुदाय एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग (यूएन-ईएससीएपी) के तत्वावधान में एक अंतरसरकारी संगठन है। समुदाय में अब भारत, इंदोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम स्थायी सदस्य और पापुआ न्यू गिनी और फिलीपींस सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल हैं। समुदाय एक गैर-लाभकारी संगठन है जिसे वैश्विक काली मिर्च उद्योग के लिए आम मुद्दों पर चर्चा करने और वैश्विक काली मिर्च उद्योग की बेहतरी हेतु समाधान खोजने के लिए एक मंच के रूप में परिकल्पित किया गया है। सदस्य देशों के प्रतिनिधि एक वर्ष की अवधि के लिए रोटेशन के आधार पर आईपीसी के अध्यक्ष का पद संभालते हैं। आईपीसी ने वर्तमान और उभरते मुद्दों के समाधान के लिए काली मिर्च के अनुसंधान एवं विकास, विपणन और गुणवत्ता मूल्यांकन के संबंध में नीतियों और विशिष्ट रणनीतियों को तैयार करने के लिए विभिन्न स्थायी समितियों का गठन किया है। प्रमुख समितियाँ हैं:

(क) अनुसंधान एवं विकास पर आईपीसी समिति (अनुसंधान)

अनुसंधान एवं विकास पर आईपीसी समिति (अनुसंधान) की 11वीं बैठक आईपीसी सचिवालय द्वारा 05 जुलाई 2023 को वर्चुअल मोड में आयोजित की गई थी। भारत, इंदोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम के प्रतिनिधियों के साथ-साथ सभी सदस्य देशों के सरकारी अधिकारियों ने आभासी बैठक में भाग लिया। बैठक में डॉ. ए.बी. रेमा श्री, निदेशक (अनुसंधान) स्पाइसेस बोर्ड, भारत सरकार को अध्यक्ष और श्री आनंद सुबासिंघे, निदेशक (अनुसंधान), निर्यात कृषि विभाग, श्रीलंका सरकार को बैठक का उपाध्यक्ष चुना गया।

(ख) विपणन पर आईपीसी समिति

विपणन पर आईपीसी समिति की 9वीं बैठक 21-22 अगस्त 2023 को हो ची मिन्ह सिटी, वियतनाम में आयोजित की गई। बैठक में भारत, इंदोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका और वियतनाम के प्रतिनिधियों के साथ-साथ सदस्य देशों के सरकारी अधिकारियों ने भी भाग लिया। स्पाइसेस बोर्ड के निदेशक प्रभारी (विपणन) श्री बी.एन. झा ने बैठक में भाग लिया।

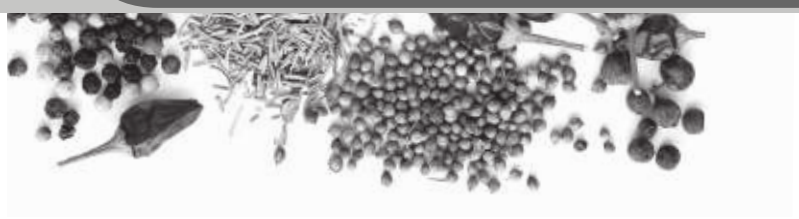

उ) मसालों के निर्यात के लिए किए गए प्रमुख हस्तक्षेप

चीन के जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ़ कस्टम्स ऑफ़ चाइना (जीएसीसी), पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना (पीआरसी) ने 'आयातित खाद्य पदार्थों के विदेशी निर्माताओं के पंजीकरण और प्रशासन पर विनियम' लागू किया है, और 14 श्रेणियों के विदेशी उत्पादन उद्यमों के पंजीकरण के लिए निर्धारित किया है जिसमे वर्ष 2021 के दौरान मसालों सहित खाद्य उत्पाद भी शामिल है। तदनुसार, चीन को निर्यात किए जाने वाले उत्पादों की उपरोक्त श्रेणियों के उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण में शामिल प्रतिष्ठानों को पहले जीएसीसी द्वारा चीन आयात खाद्य उद्यम पंजीकरण (सीअईएफइआर) प्रणाली में पंजीकृत होना आवश्यक था।

वर्ष 2022-23 के दौरान, जीएसीसी ने जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे में मसालों के पंजीकरण की प्रक्रिया को विभाजित कर दिया और बिना जमीन/असंसाधित मसालों के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण और निर्यात में शामिल प्रतिष्ठानों के पंजीकरण को जीएसीसी के पशु और पादप संगरोध विभाग (डीएपीक्यू) को सौंप दिया गया है। तदनुसार, बोर्ड ने चीन को कच्चे मसालों के निर्यातकों के डीएपीक्यू पंजीकरण की सुविधा प्रदान की और नए निर्यातकों को जोड़कर पंजीकृत निर्यातकों की सूची को समय-समय पर अद्यतन किया जाता है।

ऊ) गुआंगज़ौ, चीन के भारतीय महावाणिज्यदूत का दौरा

चीन के ग्वांगझू के भारतीय महावाणिज्यदूत श्री शंभू एल. हक्की आईएफएस ने 18 जुलाई 2023 को स्पाइसेस बोर्ड का दौरा किया। महावाणिज्यदूत ने भारत के ग्वांगझू वाणिज्य दूतावास के अंतर्गत आने वाले चीन के सात प्रांतों, उनकी अर्थव्यवस्था और भारत से आयातित मसालों के प्रतिशत के साथ व्यापार किए जाने वाले मसालों की मात्रा के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि चीन में तीन साल से अधिक समय तक चले कोविड-19 लॉकडाउन के बाद मसालों की घरेलू खपत बढ़ रही है। इसलिए, चीन को भारतीय मसालों के निर्यात में वृद्धि की बहुत संभावना है। महावाणिज्यदूत ने यह भी बताया कि उनकी टीम भारतीय मसाला व्यापारियों को उनके प्रांतों के साथ-साथ बंदरगाह में उनकी चिंताओं को दूर करने में सहायता करेगी।

भारतीय मसालों के लिए ब्लॉक चेन-सक्षम ट्रैसेबिलिटी सिस्टम संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) भारत की एक्सेलेरेटर लैब और स्पाइसेस बोर्ड ने व्यापार में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भारतीय मसालों के लिए ब्लॉकचेन आधारित ट्रैसेबिलिटी इंटरफ़ेस बनाने के उद्देश्य से 5 अप्रैल 2021 को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। ब्लॉकचेन, एक खुले और साझा इलेक्ट्रॉनिक बहीखाते पर लेनदेन को रिकॉर्ड करने की विकेन्द्रीकृत प्रक्रिया है, जो किसानों, दलालों, वितरकों, प्रोसेसर, खुदरा विक्रेताओं, नियामकों और उपभोक्ताओं सहित एक जटिल नेटवर्क में डेटा प्रबंधन में आसानी और पारदर्शिता की अनुमति देती है, जिससे आपूर्ति शृंखला सरल हो जाती है।

ए) विश्व मसाला कॉंग्रेस

स्पाइसेस बोर्ड ने भारत और विदेशों में प्रमुख मसाला निर्यातक संघों और व्यापार निकायों के साथ मिलकर 15-17 सितंबर 2023 के दौरान सिड़को प्रदर्शनी और कन्वेंशन सेंटर, नवी मुंबई, महाराष्ट्र में विश्व मसाला कांग्रेस (डब्लीयूएससी-2023) के 14वें संस्करण का आयोजन किया। यह आयोजन मसालों और मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों में वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए भारत की ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने के लिए एक प्रभावी मंच के रूप में कार्य करता है।

इस आयोजन के हिस्से के रूप में आयोजित प्रदर्शनी में राज्य पवालियन्स, विभिन्न मसालों के लिए कमोडिटी पवलियन और विभिन्न मसालों और उनके मूल्यवर्धित उत्पादों का प्रत्यक्ष अनुभव देने वाले अनुभव क्षेत्र जैसे घटक शामिल थे और यह मसालों पर केंद्रित सबसे बड़ी प्रदर्शनी बन गई। लगभग 130 प्रदर्शकों ने 156 स्टालों में अपनी उत्पाद श्रृंखला और आपूर्ति क्षमता प्रदर्शित की। प्रदर्शनी में सभी प्रमुख मसाला ब्रंडों और उद्योग के प्रमुख हितधारकों की भागीदारी ने भारत को "विविध मसालों की भूमि और दुनिया के मसाला प्रसंस्करण केंद्र" के रूप में उजागर करने में मदद की।

इस कार्यक्रम में 825 भारतीय प्रतिनिधियों और 33 देशों से 132 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। वीज़ा संबंधी समस्याओं के कारण 132 पंजीकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों में से कुछ भाग नहीं ले सके। प्रदर्शनी स्टॉल पर मौजूद प्रतिनिधियों, मसालों के निर्यात में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कार विजेताओं, मसाला उद्योग से विशेष आमंत्रितों आदि को मिलाकर, विश्व मसाला कांग्रेस के 14वें संस्करण में कुल प्रतिभागियों की संख्या 1300 से अधिक थी, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा मसाला कार्यक्रम बनाती है।

स्पाइसेस बोर्ड द्वारा स्थापित भारत से मसालों के निर्यात में उत्कृष्टता के लिए वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-2020 और 2020-21 के लिए पुरस्कार 15 और 16 सितंबर, 2023 को WSC 2023 के दौरान प्रदान किए गए।

विश्व मसाला कांग्रेस 2023 के पहले दिन 15 सितंबर 2023 को दो तकनीकी सत्र हुए और ये सत्र "मसाला उद्योग के देश के परिप्रेक्ष्य और वैश्विक अवसरों" और "मसालों के लिए विकसित बाजार आवश्यकताओं" पर केंद्रित थे। सत्रों में यूएसएफडीए, कनाडा के उच्चायोग, अज़रबैजान के दूतावास, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के दूतावास, भारत मध्य पूर्व कृषि गठबंधन और विदेश मंत्रालय, इंडोनेशिया के वक्ताओं ने मसाला उद्योग के देश के परिप्रेक्ष्य और वैश्विक अवसरों और मसालों के लिए विकसित बाजार आवश्यकताओं पर विस्तार से बताया।

दूसरे दिन, 16 सितंबर 2023 को, पहला व्यावसायिक सत्र मसाला आधारित अनुप्रयोगः क्षमताएँ और संभावनाएँ पर केंद्रित था, जिसमें भारतीय मसाला उद्योग को कवर करने वाले वक्ताओं का एक बहुत ही प्रतिष्ठित पैनल था, जिसमें एवीटी मैककॉर्मिक, आईआईएफ, एमडीएच और सिंथाइट जैसे प्रमुख मसाला ब्रंड शामिल थे। सत्र की अध्यक्षता भारत सरकार के विदेश व्यापार महानिदेशक ने की। सत्र में उपभोक्ता प्राथमिकताएँ और उभरते रुझान जैसे विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की गईः पिसे हुए और मिश्रित मसाले, स्वास्थ्य, तंदुरुस्ती और न्यूट्रास्युटिकल्स के लिए मसाले, भोजन का भविष्य और खाद्य डिजाइन में मसालों की भूमिका, मसाला-आधारित सीज़निंग और सॉसः विकास के अवसर, और जिम्मेदार खाद्य पैकेजिंग और उभरते रुझान।

कांग्रेस के दूसरे दिन रिवर्स क्रेता - विक्रेता बैठक (आरबीएसएम) और उत्पाद लॉन्च सत्र आयोजित किए गए। आरबीएसएम ने भारतीय निर्यातकों और श्रीलंका, बांग्लादेश, कनाडा, जर्मनी, रूस आदि के प्रमुख विदेशी खरीदारों के बीच व्यापारिक बातचीत को सुविधाजनक बनाया। उत्पाद लॉन्च सत्र में ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) पर नई पहलों की शुरुआत और इलायची से तैयार न्यूट्रास्युटिकल उत्पादों को लॉन्च किया गया।

कांग्रेस के अंतिम दिन आयोजित तकनीकी चर्चा सत्र ने उद्योग को दुनिया भर में प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियों में नवीनतम विकास और भारत में अग्रणी परीक्षण और प्रमाणन प्रयोगशालाओं द्वारा दी जाने वाली नवीनतम विश्लेषणात्मक सेवाओं के बारे में जानने में मदद की।

अंतिम दिन, 17 सितंबर 2023 को, व्यापार सत्र प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मसाला व्यापार संघों द्वारा "वैश्विक मसाला बाजारः रुझान और अवसर" पर प्रस्तुति पर केंद्रित था। अमेरिकी मसाला व्यापार संघ (एएसटीए), ऑल निप्पॉन स्पाइस एसोसिएशन (एएनएसए), कंबोडिया पेपर एंड स्पाइसेस फेडरेशन (सीपीएसएफ), श्रीलंका की स्पाइस काउंसिल, वियतनाम पेपर एंड स्पाइस एसोसिएशन (वीपीएसए) आदि जैसे वैश्विक मसाला व्यापार संघों ने वैश्विक मसाला व्यापार के लिए अपने विचार और आवश्यकताएं प्रस्तुत कीं।

अंतिम व्यावसायिक सत्र में "फसल और बाजार रिपोर्ट" पर चर्चा की गई, जिसके दौरान उद्योग विशेषज्ञों ने प्रमुख मसाला फसलों जैसे इलायची, मिर्च, अदरक, हल्दी, धनिया, मेथी, जीरा, सौंफ, पुदीना और शाकों, जायफल और जावित्री, लहसुन और लौंग के वर्तमान और भविष्य पर चर्चा की।

अंतिम दिन विदेशी प्रतिनिधियों के लिए मसाला प्रसंस्करण इकाइयों का दौरा आयोजित किया गया, ताकि वे भारतीय मसाला उद्योग द्वारा स्थापित मसाला प्रसंस्करण सुविधाओं की क्षमताओं और ताकत को देख सकें। प्रतिभागियों के लिए महाराष्ट्र के नवी मुंबई में कृषि उपज विपणन समिति (एपीएमसी) यार्ड का दौरा भी आयोजित किया गया।

ऐ) निर्यातक ट्रॉफी/पुरस्कार/योग्यता प्रमाण पत्र

स्पाइसेस बोर्ड द्वारा भारत से मसालों के निर्यात में उत्कृष्टता के लिए स्थापित ट्रॉफी/पुरस्कार/योग्यता प्रमाण पत्र, वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-2020 और 2020-21 के लिए डब्ल्यूएससी 2023 के दौरान 15 सितंबर 2023 और 16 सितंबर 2023 को प्रदान किए गए। वर्ष 2017-18 और 2018-19 के ट्रॉफी/पुरस्कार/योग्यता प्रमाण पत्र पहले दिन श्रीमती अनुप्रिया पटेल माननीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री, भारत सरकार, द्वारा दिए गए और वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए ट्रॉफी/पुरस्कार/प्रमाण पत्र प्रदान किए गए और दूसरे दिन माननीय वाणिज्य एवं उद्योग, भारत सरकार उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा कपड़ा मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान ट्रॉफी/पुरस्कार/योग्यता प्रमाण पत्र प्रदान किए गए।

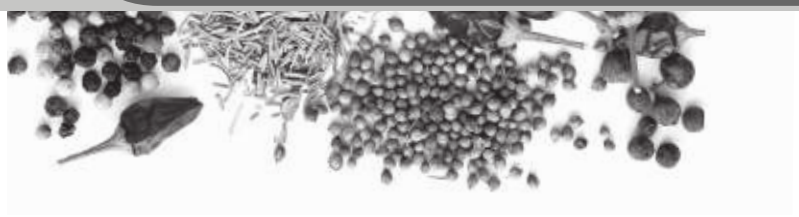

06

व्यापार सूचना सेवा

विपणन विभाग की व्यापार सूचना सेवा मसालों के निर्यात, आयात, क्षेत्र, उत्पादन, नीलामी और घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से संबंधित आंकड़ों के संग्रह, संकलन, विश्लेषण और प्रसार के लिए जिम्मेदार है।

वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस), कोलकाता/ वाणिज्या मंत्रालय की वेबसाइट/ सीमा शुल्क प्राधिकरण द्वारा जारी निर्यात की दैनिक सूची (डीएलई) द्वारा प्रदान किया गया निर्यात/आयात डेटा भारत से मसालों के अनुमानित निर्यात/आयात को संकलित करने के लिए सूचना का प्रमुख स्रोत है। बोर्ड मासिक आधार पर मसालों के निर्यात विवरण और वार्षिक आधार पर मसालों के आयात विवरण संकलित कर रहा है और नियमित आधार पर अपनी वेबसाइट और मंत्रालय/विभागों के माध्यम से हितधारकों को मसालों के निर्यात और आयात के आंकड़े प्रसारित कर रहा है। इस उद्देश्य से, बोर्ड कोच्ची, जेएनपीटी, चेन्नई, तूतिकोरिन, मुंद्रा, कोलकाता, पेट्रापोल, मोहाधीपुर, रक्सुअल, अमृतसर, आदि जैसे सभी प्रमुख बंदरगाहों और डीजीसीआईएंडएस, कोलकाता से डीएलई और डीएलआई दोनों नियमित रूप से एकत्र कर रहा है, और इस उद्देश्य से बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से भी जानकारी एकत्र की जाती है।

बोर्ड अपनी वेबसाइट और प्रकाशनों के माध्यम से नियमित आधार पर भारत और विदेशों में स्थित प्रमुख बाजारों से सम्बंधित मसालों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों का संकलन और अंतिम उपयोगकर्ताओं तक प्रसार कर रहा है। मूल्य विवरणों को एकत्र करने का प्रमुख स्रोत इंडिया पिपर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन; एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी; मर्चेंट एसोसिएशन; इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर, जिनेवा; और इंटरनेशनल पिपर कम्युनिटी, इंडोनेशिया जैसी एजेंसियां हैं। इन सभी सूचनाओं को बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालयों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों की सदस्यता के माध्यम से ऑनलाइन/ऑफलाइन तरीके से एकत्र किया जाता है।

चूंकि स्पाइसेस बोर्ड इलायची (छोटी और बड़ी) के उत्पादन के विकास के लिए जिम्मेदार है, इसलिए व्यापार सूचना सेवा द्वारा बोर्ड के फील्ड सेट अप के माध्यम से किए गए फील्ड सैंपल अध्ययन की सहायता से इलायची के क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता का अनुमान लगाया जाता है। संकलन के लिए अन्य मसालों के क्षेत्रफल और उत्पादन का विवरण राज्य के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी/ कृषि/बागवानी विभागों/डीएएसडी से एकत्र किया जाता है। सभी मसालों के क्षेत्र और उत्पादन की जानकारी बोर्ड के प्रकाशनों के साथ-साथ वेबसाइट के माध्यम से पणधारियों और नीति निर्माताओं को प्रसारित की जाती है।

निर्यातकों का पंजीकरण (विनियमों) के अनुसार, मसालों के सभी पंजीकृत निर्यातकों को अपनी तिमाही निर्यात विवरणी बोर्ड को प्रस्तुत करनी होती है। व्यापार सूचना सेवा पंजीकृत निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत त्रैमासिक निर्यात विवरणियों को संकलित करती है और मसालों के निर्यातक-वार निर्यात के डेटाबेस का रखरखाव करती है। इस डेटाबेस का उपयोग करके, प्रत्येक मसाले के प्रमुख निर्यातकों का विवरण संकलित किया जाता है और उनके अनुरोध के आधार पर सरकारी कार्य /हितधारकों तक प्रसार के लिए उपयोग किया जाता है।

स्पाइसेस बोर्ड इलायची के व्यापार के लिए बोडिनायकन्नूर और पुट्टडी में बोर्ड द्वारा विकसित ई-नीलामी केंद्रों के माध्यम से ई-नीलामी आयोजित कर रहा है। इलायची की नीलामी की दैनिक मात्रा और कीमत का विवरण दैनिक आधार पर संकलित और हमारी वेबसाइट के माध्यम से प्रकाशित किया जाता है। नीलामी बिक्री और औसत कीमतों का समेकित विवरण बोर्ड के प्रकाशन के माध्यम से संकलित और प्रसारित किए जाते हैं।

प्रमुख विदेशी बाजारों सहित विभिन्न बाजार केंद्रों के लिए विभिन्न मसालों के साप्ताहिक घरेलू मूल्य का संकलन उद्योग के हितधारकों के लाभ के लिए साप्ताहिक आधार पर (वेबसाइट पर) स्पाइसेस मार्केट नामक बोर्ड के प्रकाशन के माध्यम से एकत्र, संकलित और प्रकाशित किए जाते हैं।

क) मसालों के क्षेत्रफल और उत्पादन

वर्ष 2022-23 की तुलना में, 2023-24 के लिए छोटी व बड़ी इलायची का क्षेत्रफल, उत्पादन और उत्पादकता तालिका-I और तालिका-II में दी गई है। अन्य मसालों के क्षेत्रफल और उत्पादन तालिका-III में दिए गए हैं।

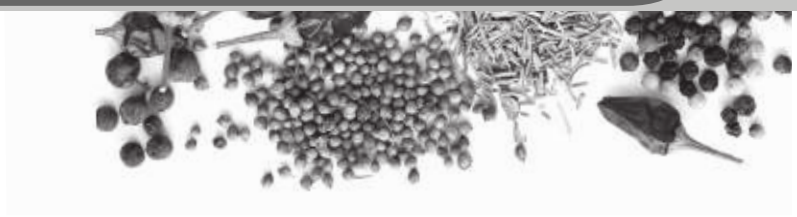

तालिका-I इलायची (छोटी) का क्षेत्र व उत्पादन

राज्य	2022-23				2023-24			
	कुल क्षेत्र (हे.)	उपजवाला क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे.टन)	उपज (कि.ग्रा./हे.)	कुल क्षेत्र (हे.)	उपजवाला क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे.टन)	उपज (कि.ग्रा./हे.)
केरल	40345	30295	22165	731.64	40345	30949	22868	738.9
कर्नाटक	25135	14548	833	57.23	25135	14666	867	59.21
तमिल नाडु	4930	2781	1466	527.18	4930	2781	1495	537.73
कुल	**70410**	**47624**	**24463**	**513.68**	**70410**	**48396**	**25230**	**521.33**

स्रोत : स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अनुमान

तालिका-II इलायची (बड़ी) का क्षेत्र व उत्पादन

राज्य	2022-23				2023-24			
	कुल क्षेत्र (हे.)	उपजवाला क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे.टन)	उपज (कि.ग्रा./हे.)	कुल क्षेत्र (हे.)	उपजवाला क्षेत्र (हे.)	उत्पादन (मे.टन)	उपज (कि.ग्रा./हे.)
सिक्किम	23312	17281	5147	297.84	23312	17453	5279.5	302.50
पश्चिम बंगाल	3305	3159	1076	340.49	3305	3165	1069.8	338.00
सिक्किम व पश्चिम बंगाल कुल	**26617**	**20440**	**6223**	**304.45**	**26617**	**20618**	**6349.3**	**307.95**
अरुणाचल प्रदेश	11912	6953	1751	251.78	12131	7078	1806	255.14
नागालैंड	6650	4298	1096	254.98	6631	4431	1128	254.64
मणिपुर	217	64	4.74	74.11	217	64	4.90	76.50
कुल	**45396**	**31755**	**9074**	**285.76**	**45596**	**32191**	**9288.35**	**288.54**

स्रोतः स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अनुमान

तालिका-III प्रमुख मसालों का क्षेत्र व उत्पादन

(क्षेत्र हेक्टेयर में ,उत्पादन टनों में)

मसाला	2022-23		2023-24(*)	
	क्षेत्र	उत्पादन	क्षेत्र	उत्पादन
कालीमिर्च	299053	117067	313632	125927
मिर्च	851607	2782009	871504	2596634
अदरक (ताज़ा)	190959	2201187	193192	2226239
हल्दी (शुष्क)	320782	1169982	305182	1074526
धनिया	710613	973973	583294	791273
जीरा	937596	577273	1187609	860087
अजवाइन		6627	4562	6537
बड़ी सौंफ	88299	151937	155476	292292
मेथी	145363	229841	145366	228649
लहसुन	386832	3239453	382610	3213930
इमली	38855	151282	39639	148958
लौंग	1952	1270	2063	1578
जायफल	24250	18094	24176	18254
अन्य सहित कुल योग	4544253	11827483	4761260	11801737
मिलियन टन में कुल योग		**11.83**		**11.80**

स्रोतः राज्य आर्थिकी व सांख्यिकी निदेशालय/कृषि/बागवानी विभाग/ सुपारी व मसाले विकास निदेशालय, कोषिक्कोड; कालीमिर्च उत्पादन : व्यापार आकलन; इलायची का स्पाइसेस बोर्ड द्वारा अनुमानित (*) पहला अग्रिम आकलन

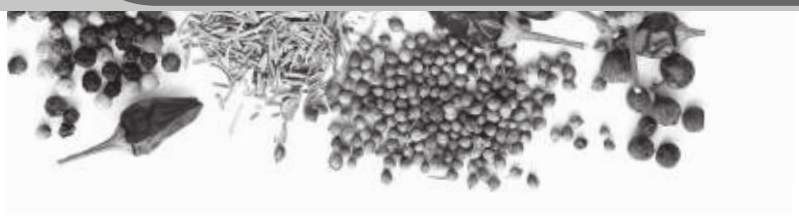

ख) इलायची (छोटी) की नीलाम बिक्री और कीमतें

वर्ष 2023-24 (अगस्त 2023-जुलाई 2024) और वर्ष 2022-23 (अगस्त 2022-जुलाई 2023) के लिए इलायची (छोटी) की राज्यवार नीलामी बिक्री और भारित औसत कीमतें तालिका IV में दी गई हैं:

तालिका-IV इलायची (छोटी) की नीलामी बिक्री और मूल्य
(मात्रा: टनों में, मूल्य : ₹/कि.ग्रा. में)

राज्य	2021-22 (अगस्त-जुलाई)		2022-23 (अगस्त-जुलाई) *	
	बेची गई मात्रा	भारित औसत नीलामित मूल्य	बेची गई मात्रा	भारित औसत नीलामित मूल्य
केरल और तमिलनाडु (इ-नीलामी)	27604	1088.45	29099	1763.94
कर्नाटक	15.86	706.64	11	1335.40
महाराष्ट्र	119.29	1164.69	106	1916.09
कुल	**27739**	**1177.90**	**29217**	**1764.51**

ग) इलायची (बड़ी) की कीमतें

वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए गान्तोक और सिलिगुडी बाज़ारों में इलयाची (बड़ी) की औसत थोक कीमतें तालिका-V में दी गई हैं:

तालिका-V इलायची (बड़ी) की औसत थोक कीमतें
(मूल्य: ₹/कि.ग्रा. में)

केंद्र	ग्रेड	2022-23	2023-24
गंन्तोक	बड़ादाना	562.19	930.21
सिलीगुड़ी	बड़ादाना	684.79	1177.9

स्रोत : प्रादेशिक कार्यालय, गांतोक से प्राप्त

घ) अन्य प्रमुख मसालों की कीमतें

प्रमुख मसालों की औसत कीमतें नीचे दी गई हैं। इन कीमतों को गौण, स्रोतों, जैसेकि चेंबर ऑफ़ कॉमर्स, इंडियन पेप्पर एंड स्पाइस ट्रेड एसोसिएशन (आई पी एस टी ए), मर्चेंट्स एसोसिएशन आदि द्वारा तैयार की गई बाज़ार समीक्षाओं से एकत्रित किया गया है। मुख्य बाज़ार केंद्रों में प्रमुख मसालों की कीमतें नीचे तालिका VI में दी गई हैं।

तालिका-VI मुख्य विपणन केंद्रों में प्रमुख मसालों की कीमतें
(मूल्य: ₹/कि.ग्रा. में)

मसाला	विपणि	2022-23	2023-24(*)
कालीमिर्च (एम जी-1)	कोच्ची	514.03	572.83
मिर्च	गुंटूर	164.69	161.30
हल्दी	चेन्नई निजामाबाद	98.09 58.99	109.43 95.25
धनिया	चेन्नई रामगंजमंडी	118.36 98.58	75.23
जीरा	चेन्नई ऊँझा	301.20 236.78	554.08 425.70
बड़ी सौंफ	चेन्नई	187.36	279.00
मेथी	चेन्नई	81.86	101.30

लहसुन	चेन्नई	42.58	105.55
खसखस बीज	चेन्नई	1381.40	1407.21
अजोवन बीज	चेन्नई	183.71	188.40
सरसों	चेन्नई	81.67	85.26
इमली	चेन्नई	123.86	113.43
केसर	दिल्ली	159270.83	166562.50
लौंग	कोच्ची	808.58	901.03
जायफ़ल (छिलका सहित)	कोच्ची	280.56.	229.89
जायफ़ल (छिलका रहित)	कोच्ची	551.19	425.53
जावित्री	कोच्ची	1005.40	779.04

(*): *अनंतिम*

ङ) भारत से मसालों का निर्यात निष्पादन

भारत से मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक के उच्चतम स्तर को पार कर गया। अनंतिम अनुमान के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान भारत ने ₹ 36,958.80 करोड़ (4,464.17 मिलियन अमेरिकी डॉलर) मूल्य के 15,39,692 मीट्रिक टन मसालों और मसाला उत्पादों का निर्यात किया, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में 3969.79 मिलियन अमेरिकी डॉलर (₹ 31898.64 करोड़) मूल्य के 14,14,254 मीट्रिक टन का निर्यात किया गया था। पिछले वर्ष की तुलना में भारतीय मसालों के निर्यात में मात्रा के लिहाज से नौ प्रतिशत, मूल्य के लिहाज से रुपये के लिहाज से 16 प्रतिशत और मूल्य के लिहाज से डॉलर के लिहाज से 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मसालावार विश्लेषण से पता चलता है कि मिर्च, अदरक, धनिया, अजवाइन, सौंफ, लहसुन, जायफल और जावित्री, और करी पाउडर और पेस्ट के निर्यात में वर्ष 2023-24 में मात्रा और मूल्य दोनों में वृद्धि दर्ज की गई है। इलायची (छोटी) के मामले में, भले ही मात्रा में 16 प्रतिशत की गिरावट आई है, रुपये के संदर्भ में 14 प्रतिशत और मूल्य के डॉलर के संदर्भ में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इलायची (बड़ी) के मामले में, हालांकि मात्रा में 32 प्रतिशत की गिरावट आई है, इसके मूल्य में रुपये के संदर्भ में आठ प्रतिशत और डॉलर के संदर्भ में चार प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जीरा के मामले में, निर्यात की मात्रा में 11 प्रतिशत की गिरावट के बावजूद, निर्यात मूल्य में रुपये के संदर्भ में 43 प्रतिशत और मूल्य के डॉलर के संदर्भ में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हल्दी के लिए, निर्यात की मात्रा में पांच प्रतिशत की गिरावट के बावजूद, निर्यात मूल्य में रुपये के संदर्भ में 13 प्रतिशत और डॉलर के संदर्भ में नौ प्रतिशत की वृद्धि हुई। काली मिर्च के मामले में मात्रा में एक प्रतिशत और डॉलर मूल्य में दो प्रतिशत की मामूली गिरावट के बावजूद, रुपये में मापा जाए तो मूल्य के संदर्भ में एक प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है। हालांकि मेथी के निर्यात में मात्रा में 12 प्रतिशत और डॉलर मूल्य के संदर्भ में तीन प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन रुपये के संदर्भ में निर्यात मूल्य पिछले साल के समान ही रहा। भले ही मात्रा में दो प्रतिशत और रुपये के संदर्भ में एक प्रतिशत की मामूली वृद्धि हुई है, लेकिन मसाला तेलों और तैलीराल के निर्यात में डॉलर मूल्य के संदर्भ में दो प्रतिशत की मामूली गिरावट देखी गई। पुदीना उत्पादों के मामले में भले ही निर्यात की मात्रा में 11 प्रतिशत की गिरावट आई है, लेकिन पिछले साल की तुलना में रुपये के संदर्भ में मूल्य के संदर्भ में एक प्रतिशत की मामूली वृद्धि देखी गई।

अप्रैल 2023-मार्च 2024 के दौरान भारत से मसालों का निर्यात, अप्रैल 2022-मार्च 2023 की तुलना में तालिका VII में दिया गया है।

च) वर्ष 2023-24 के दौरान प्रमुख योगदानकर्ता और गंतव्य

वर्ष 2023-24 के दौरान, मूल्य के संदर्भ में मसाला निर्यात टोकरी में प्रमुख योगदानकर्ता मिर्च (34%), जीरा (16%), मसाला तेल और तैलीराल (11%), पुदीना उत्पाद (9%), हल्दी (5%), करी पाउडर/पेस्ट (5%), धनिया (3%), छोटी इलायची (3%), काली मिर्च (2%), सौंफ़ (2%), और अदरक (2%) थे, जिन्होंने मसालों से कुल निर्यात आय में 90 प्रतिशत से अधिक का योगदान दिया।

भारतीय मसालों के लिए प्रमुख निर्यात गंतव्य चीन (21%), अमेरिका (14%), बांग्लादेश (8%), यूएई (7%), थाईलैंड (4%), मलेशिया (4%), इंडोनेशिया (3%), श्रीलंका (3%), यूके (3%), सऊदी अरब (2%), जर्मनी (2%), नीदरलैंड (2%), कनाडा (2%), नेपाल (2%), ऑस्ट्रेलिया (1%), जापान (1%), कनाडा, सिंगापुर (1%), मैक्सिको (1%), वियतनाम (1%), मोरक्को (1%) और दक्षिण अफ्रीका (1%) रहे।

तालिका-VII वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 के दौरान भारत से मसालों का वस्तुवार निर्यात

वस्तु	अप्रैल-मार्च 2022-23 (अंतिम)			अप्रैल-मार्च 2021-22 (संशोधित)			% में परिवर्तन		
	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख में)	मूल्य (मिलियन डॉलर में)	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख में)	मूल्य (मिलियन डॉलर में)	मात्रा (टन में)	मूल्य (लाख में)	मूल्य (मिलियन डॉलर में)
कालीमिर्च	17890	73648.88	88.91	18026	72733.09	90.89	-1%	1%	-2%
इलायची (छोटी)	6168	99959.85	120.52	7353	87516.75	109.72	-16%	14%	10%
इलायची (बड़ी)	1281	14815.41	17.86	1883	13720.19	17.11	-32%	8%	4%
मिर्च	601084	1249248.45	1509.00	524017	1056481.52	1309.66	15%	18%	15%
अदरक	60833	64688.57	77.95	50906	43249.38	54.06	20%	50%	44%
हल्दी	162019	187586.79	226.65	170094	166707.32	208.00	-5%	13%	9%
धनिया	108624	94820.97	114.74	54481	66501.19	82.61	99%	43%	39%
जीरा	165269	579723.43	700.37	186509	419359.76	522.20	-11%	38%	34%
अजवाइन	6599	10074.31	12.17	5248	7755.76	9.69	26%	30%	26%
बड़ी सौंफ	39565	66960.91	80.97	21201	31437.42	39.23	87%	113%	106%
मेथी	30855	26612.76	32.14	35055	26680.17	33.20	-12%	0%	-3%
अन्य बीज (1)	39438	36177.50	43.74	59155	48951.56	61.39	-33%	-26%	29%
लहसुन	73950	44118.84	53.33	57346	24579.56	30.59	29%	79%	74%
इमली	27128	18474.78	22.30	33317	21263.37	26.47	-19%	-13%	16%
जायफल व जावित्री	5143	28687.69	34.63	3447	22127.57	27.55	49%	30%	26%
अन्य बीज (3)	75005	168333.30	203.33	83164	173119.29	215.24	-10%	-3%	-6%
करी पाउडर व पेस्ट	72421	175727.66	212.18	57948	141742.82	176.26	25%	24%	20%
तेल व तैलीराल	18762	412300.59	497.98	18398	408551.25	510.40	2%	1%	-2%
पुदीना उत्पाद (2)	27659	343919.81	415.40	26708	357386.49	445.52	-11%	1%	-4%
कुल	**1539692**	**3695880.50**	**4464.17**	**1414254**	**3189864.46**	**3969.79**	**9%**	**16%**	**12%**

स्रोतः वाणिज्य मंत्रालय /डीजीसीआई व एस, कोलकाता

1. में मसाले का पौधा (अजोवन बीज), सोआ बीज, खसखस बीज, सौंफ, सरसों आदि शामिल हैं।
2. में मेंथोल, मेंथाल क्रिस्टल और पुदीना तेल शामिल हैं।
3. में हींग, दालचीनी, कैसिया, केम्बोज, केसर , मसाले(एन ई एस) आदि शामिल हैं।

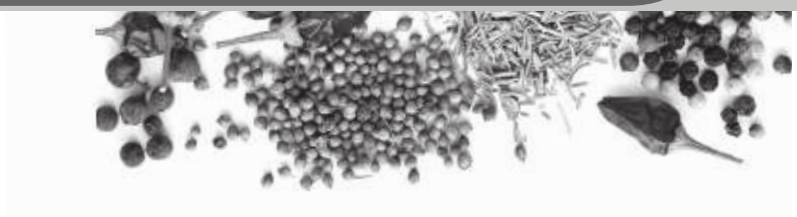

भारतीय मसाला निर्यात में प्रमुख योगदानकर्ता

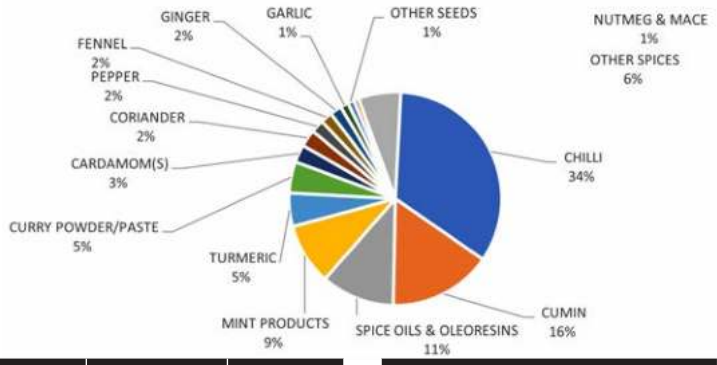

वस्तु	मूल्य (Mill US$)	% शेयर
मिर्च	1,508.94	34
जीरा	700.23	16
मसाला तेल और तैलीराल	498.01	11
पुदीना उत्पाद	415.41	9
हल्दी	226.58	5
करी पाउडर/पेस्ट	212.26	5
इलायची	120.74	3
धनिया	114.53	2

वस्तु	मूल्य (Mill US$)	% शेयर
कालीमिर्च	88.96	2
सौंफ़		2
अदरक	78.14	2
लहसुन	53.29	1
अन्य बीज		1
जायफल और जावित्री	34.65	1
अन्य मसाले	287.85	6
कुल (मूल्य मिल US$ में)	**4,464.17**	

प्रमुख गंतव्य

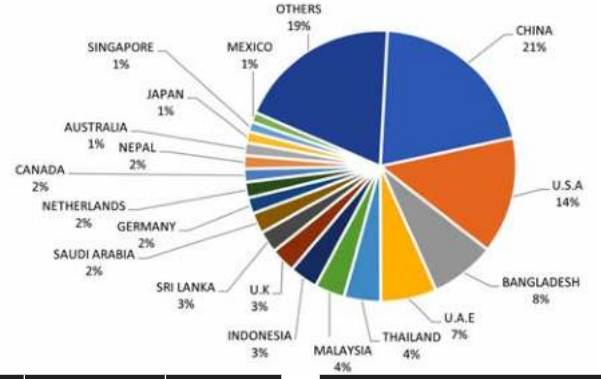

गंतव्य	मूल्य (Mill US$)	% शेयर
चीन	928.90	21
संयुक्त राज्य अमरिका	620.68	14
बांग्लादेश	344.88	8
संयुक्त अरब अमीरात	297.92	7
थाईलैंट	194.33	4
मलेशिया	159.10	4
इंदोनेशिया	151.79	3
यू.के	132.60	3
श्री लंका	117.23	3
साउदी अरेबिया	109.57	2

वस्तु	मूल्य (Mill US$)	% शेयर
जर्मनी	86.82	2
नेथरलैंड	82.34	2
कैनड़ा	71.08	2
नेपाल	70.99	2
ऑस्ट्रेलिया	66.83	1
जापान	59.95	1
सिंगपूर	52.78	1
मेक्सिको	52.30	1
अन्य	864.10	19
कुल (मूल्य मिल US$ में)	**4464.17**	

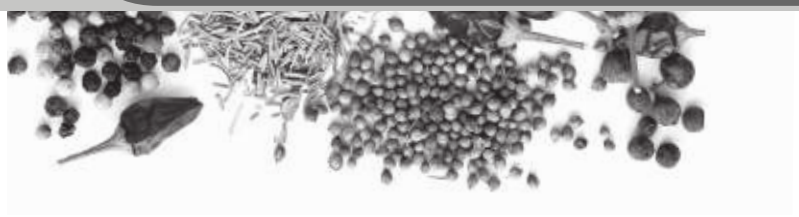

07

प्रचार एवं संवर्धन

अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान, प्रचार और संवर्धन अनुभाग ने स्पाइसेस बोर्ड की प्रतिष्ठा बढ़ाने और भारतीय मसालों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य देश से मसालों के निर्यात में वृद्धि करना था। भारतीय मसालों, मूल्यवर्धित मसाला उत्पादों, व्यंजनों में मसालों के अनुप्रयोगों और उनके संभावित स्वास्थ्य योगदान में जनता की रुचि जगाने के लिए हर प्रकार के प्रचार माध्यमों का लाभ उठाया गया। वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान विभिन्न माध्यमों का उपयोग करके स्पाइसेस बोर्ड की गतिविधियों और योजनाओं की जानकारी भी प्रसारित की गई।

वर्ष 2023-24 की प्रमुख गतिविधियों में व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों, विज्ञापन अभियानों, ऑनलाइन प्रचार अभियानों में भागीदारी और पत्रिकाओं, ब्रोशर आदि का मुद्रण और प्रकाशन शामिल हैं।

क) प्रदर्शनियों/व्यापार मेलों में प्रतिभागिता

व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना वैश्विक मसाला उद्योग के विभिन्न खिलाड़ियों से जुड़ने का एक शक्तिशाली तरीका है। वित्तीय वर्ष के दौरान, बोर्ड ने प्रमुख व्यापार मेलों में अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित की और जिन मेलों में प्रतिभागिता की है उनकी सूची नीचे दी गई है;

घरेलू मेलों की सूची जिनमें स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रतिभागिता की गई हैं।

क्रम सं	मेले का नाम	स्थान	मेले की तारीख
1.	एग्री इंटेक्स 2023	कोडिस्सिया, कोयंबटूर, तमिलनाडु	14-17 जुलाई 2023
2.	जीआई फेयर इंडिया 2023	ग्रेटर नोएडा, दिल्ली-एनसीआर	20-24 जुलाई 2023
3.	ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2023	नई दिल्ली	20-21 जुलाई 2023
4.	उज्ज्वल राजस्थान 2023	उदयपुर, राजस्थान	27-29 जुलाई 2023
5.	फ़ाई इंडिया 2023	बीईसी, गोरेगांव, मुंबई	17-19 अगस्त 2023
6.	बायोफैच इंडिया 2023	आईईएमएल, ग्रेटर नोएडा, दिल्ली-एनसीआर	06-08 सितंबर 2023
7.	अनुफूड इंडिया 2023	बॉम्बे एग्जीबिशन सेंटर, मुंबई	07-09 सितंबर 2023
8.	सीआईआई फूडप्रो नॉर्थ-ईस्ट 2023	मनीराम दीवान ट्रेड सेंटर, गुवाहाटी	14-16 सितंबर 2023
9.	वर्ल्ड कॉफ़ी कांफ्रेंस एवं एक्सपो 2023	बेंगलुरु, कर्नाटक	25-28 सितंबर 2023
10.	एशिया एग्री, हॉर्टी एंड ऑर्गेनिक एक्सपो 2023	हरिद्वार, उत्तराखंड	20-22 अक्टूबर 2023
11.	वर्ल्ड फ़ूड इंडिया	नई दिल्ली	03-05 नवंबर 2023
12.	आई आई टी एफ	नई दिल्ली	14-27 नवंबर 2023
13.	ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल 2023	तिरुवनंतपुरम, केरल	01-05 दिसंबर 2023
14.	सियाल इंडिया 2023	द्वारका, नई दिल्ली	07-09 दिसंबर 2023
15.	14वां ओनाट्टुकारा कृषि महोत्सव 2023	आलप्पुषा, केरल	27-31 दिसंबर 2023
16.	आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024	नई दिल्ली	03 -10 जनवरी 2024

17.	इंडस फूड 2024	ग्रेटर नोएडा, एनसीआर	08 -10 जनवरी 2024
18.	वाइब्रेंट गुजरात 2024	गांधीनगर, गुजरात	09 -13 जनवरी 2024
19.	एग्रीविजन 2024	कटक, ओडिशा	19 -21 जनवरी 2024
20.	अंतर्राष्ट्रीय पादप विज्ञान संगोष्ठी	त्रिवेंद्रम, केरल	18 -19 जनवरी 2024
21.	केरल प्लांटेशन एक्सपो 2024	एर्नाकुलम, केरल	20 -22 जनवरी 2024
22	कर्षक श्री कर्षिका मेला 2024	मलप्पुरम, केरल	31 जनवरी 2024 से 04 फरवरी 2024 तक
23	कृषि निर्यात पर क्षमता निर्माण कार्यक्रम और बीएसएम एवं मेरा युवा भारत	चुनार, उत्तर प्रदेश	14 फरवरी 2024
24.	आहार 2024	नई दिल्ली	7-11 मार्च 2024

अंतर्राष्ट्रीय मेलों की सूची जिनमें स्पाइसेस बोर्ड द्वारा प्रतिभागिता की गई हैं।

क्रम सं	मेले का नाम	स्थान	मेले की तारीख
1.	फ़ूडएक्स जापान 2024	टोकियो, जापान	5-8 मार्च 2024
2.	आई एफ ई मैन्युफैक्चरिंग 2024	लंदन, यू. के.	25-27 मार्च 2024

ख) जी20-व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की बैठकों में प्रतिभागिता

भारत की जी-20 की अध्यक्षता के संबंध में, स्पाइसेस बोर्ड ने व्यापार और निवेश कार्य समूह (TIWG) की बैठकों के स्थल पर स्पाइसेस एक्सपेरिएंस जोन स्थापित किया है। ये बैठकें 23-25 मई 2023 के दौरान बेंगलुरु, कर्नाटक में; 10-12 जुलाई 2023 के दौरान केवडिया, गुजरात में और 21-25 अगस्त 2023 के दौरान जयपुर, राजस्थान में आयोजित की जाएंगी। स्पाइसेस एक्सपेरिएंस जोन 24-25 अगस्त 2023 को जयपुर में आयोजित व्यापार और निवेश मंत्रियों की बैठक के दौरान भी स्थापित किया गया था।

व्यापार और निवेश कार्य समूह (TIWG) की बैठकों के दौरान, बोर्ड के एक्सपेरिएंस जोन ने अपनी सौंदर्यपरक डिजाइन से आगंतुकों को मोहित कर लिया था। इसमें कच्चे माल से लेकर नवीन मूल्यवर्धित उत्पादों तक, भारतीय मसालों की अविश्वसनीय विविधता को प्रदर्शित किया गया था। सजीव मसाला पौधों ने प्रत्यक्ष संवेदी अनुभव प्रदान किया। आगंतुकों ने विभिन्न श्रेणियों जैसे न्यूट्रास्युटिकल्स, स्वास्थ्य पूरक, इत्र और प्राकृतिक रंगों का अवलोकन किया, जानकारी प्राप्त की और इन उत्पादों को स्वयं आज़माया। इन मूल्य-संवर्धित वस्तुओं के अग्रणी निर्यातकों ने भी अपनी अनूठी पेशकश प्रस्तुत की, जिसमें भारतीय मसाला उद्योग की गतिशीलता पर प्रकाश डाला गया था।

स्पाइसेस एक्सपीरियंस ज़ोन का उद्देश्य एक व्यापक अनुभव प्रदान करना था, जिसमें भारतीय मसालों को खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए शीर्ष स्तर के उत्पादों के रूप में प्रदर्शित किया गया था। इसमें उच्च गुणवत्ता और स्वच्छता सुनिश्चित करते हुए मसाला क्षेत्र में देश की प्रगति पर जोर दिया गया था। गहन डिस्प्ले के माध्यम से, इसने आगंतुकों पर एक अमिट छाप छोड़ी, तथा भारतीय मसालों की छवि को प्रमुख, सुरक्षित और बहुमुखी उत्पाद के रूप में स्थापित किया, जो सभी उद्योगों में लागू होता है। इसके अलावा, डिजिटल ज़ोन ने भारतीय मसालों के बारे में विस्तृत जानकारी तक डिजिटल प्रारूप में सुविधाजनक पहुंच भी प्रदान की।

ग) ऑनलाइन प्रचार अभियान

प्रचार विभाग ने भारतीय मसालों और स्पाइसेस बोर्ड की गतिविधियों के प्रचार के लिए 2023-24 में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और लिंक्डइन जैसे विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्मों का उपयोग किया। ऑनलाइन दर्शकों को शिक्षित करने के उद्देश्य से बनाए गए, सोशल मीडिया अभियानों ने मसालों के बारे में इनकी वानस्पतिक और भौगोलिक जानकारी, व्यापारिक डेटा, चिकित्सकीय और पाक सम्बंधित पहलुओं आदि सहित, जागरूकता पैदा की।

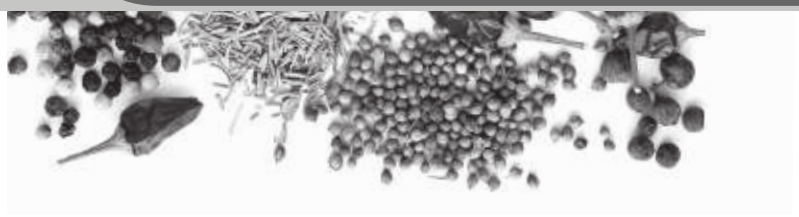

घ) स्पाइस एक्सचेंज इंडिया- स्पाइसेस बोर्ड का बी2बी पोर्टल

20 जनवरी 2022 को लॉन्च किया गया, स्पाइस एक्सचेंज इंडिया (www.spicexchangeindia.com) जो स्पाइसेस बोर्ड के अभिनव 3डी वर्चुअल पोर्टल के रूप में कार्य करता है, जिसे रणनीतिक रूप से कोविड-19 महामारी द्वारा उत्पन्न बाजार अंतराल को पाटने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह बी2बी प्लेटफॉर्म भारतीय मसाला उद्यमियों के लिए पर्याप्त व्यावसायिक संभावनाओं को खोलने के लिए तैयार है। चौबीसों घंटे वर्चुअल कार्यालय स्थान, एआई-संचालित अनुशंसा प्रणाली, बाजार अंतर्दृष्टि और वैश्विक मसाला व्यापार डेटा तक पहुंच प्रदान करते हुए, स्पाइस एक्सचेंज इंडिया का लक्ष्य व्यावसायिक परिचालन को सुव्यवस्थित करना और पहुंच को बढ़ाना है। यह पोर्टल, जिसे बोर्ड द्वारा एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में मान्यता दी गई है, वर्ष 2023-24 की अवधि के दौरान मसाला क्षेत्र के उद्यमियों को समर्थन प्रदान कर रहा है।

ङ) पत्रिकाएं

अ) स्पाइस इंडिया

आवधिक प्रकाशन, स्पाइस इंडिया, पांच अलग-अलग भाषाओं; अंग्रेजी, हिंदी, मलयालम, कन्नड़ और तमिल में एक मासिक पत्रिका के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है। पत्रिकाएँ इस अवधि के दौरान नियमित रूप से प्रकाशित होती रहीं।

आ) विदेश व्यापार पूछताछ बुलेटिन(फोरिन ट्रेड एनक्वायरीज़ बुलेटिन)

स्पाइसेस बोर्ड एक बुलेटिन तैयार करता और जारी करता है, जिसे विदेश व्यापार पूछताछ बुलेटिन (FTEB) के नाम से जाना जाता है, जिसमें विदेशी व्यापार मेलों, ईमेल और बोर्ड के कार्यालयों से सीधे पूछताछ से प्राप्त व्यापार पूछताछ को समेकित किया जाता है। यह बुलेटिन मूल्यवान व्यापारिक लीड और अवसर प्रदान करके मसालों के निर्यात की सुविधा प्रदान करने का काम करता है। ग्राहकों को यह प्रकाशन आसान पहुंच और उपयोग के लिए ईमेल के माध्यम से प्राप्त होता है।

इ) अन्य प्रकाशन

वर्ष 2023-24 के दौरान प्रकाशित पुस्तिकाएं और ब्रेशर निम्नलिखित हैं:

क) जीआई स्पाइसेस ऑफ़ इंडिया (अपडेटेड ई-बुक और मुद्रित संस्करण)

ख) स्माल कार्डमम पैकेज ऑफ़ प्रैक्टिसेज (तमिल)

ग) स्पाइस रिवोल्यूशनः प्रोमोटिंग वैल्यू ऐडीशन इन ग्लोबल स्पाइस ट्रेड

घ) द ग्रेट इंडियन स्पाइस स्टोरी- भारतीय मसालों पर सूचना पुस्तिका

ङ) प्लांट प्रोटेक्शन कोड फॉर लार्ज कार्डमम (अपडेट किया गया संस्करण)

च) प्लांट प्रोटेक्शन कोड फॉर स्माल कार्डमम (अपडेट किया गया संस्करण)

छ) स्पाइसेस बोर्ड का सामान्य ब्रेसर।

ज) विज्ञापनों का जारी होना

वर्ष के दौरान स्पाइसेस बोर्ड में रिक्तियों, निविदाओं आदि के बारे में विज्ञापन जारी किए गए। इनके अलावा स्पाइसेस बोर्ड के बारे में सामान्य जानकारी और इलायची के प्रचार के लिए भी विभिन्न समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के माध्यम से विज्ञापन जारी किए गए थे।

छ) प्रेस विज्ञप्तियां

वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान निर्यात प्रदर्शन और रुझानों, पहलों, गतिविधियों और स्पाइसेस बोर्ड द्वारा आयोजित प्रमुख कार्यक्रमों आदि का विवरण देने वाली प्रेस विज्ञप्तियाँ जारी की गईं।

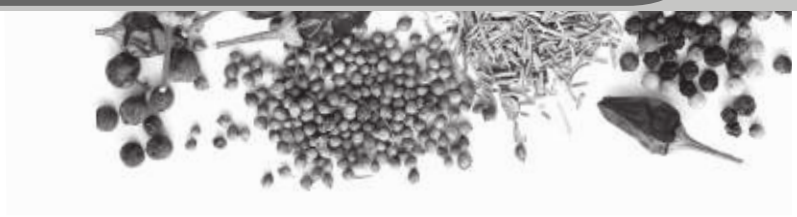

08

कोडेक्स सेल एवं हस्तक्षेप

अ) मसालों और पाक शाकों से संबंधित कोडेक्स समिति (CCSCH) की पृष्ठभूमि

कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC) संयुक्त राष्ट्र के 'खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अधीन एक अंतर्राष्ट्रीय, अंतर-सरकारी निकाय है, जिसके 189 से अधिक देश सदस्य हैं, यह रोम में स्थित है और इसका काम खाद्य से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों को तैयार करना है। कोडेक्स द्वारा विकसित खाद्य मानकों को विश्व व्यापार संगठन द्वारा खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित विवादों के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ बिंदु के रूप में मान्यता दी गई है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC) अपना कार्य विभिन्न कोडेक्स समितियों के माध्यम से संचालित करता है, जिनकी अध्यक्षता कोडेक्स के विभिन्न सदस्य देश करते हैं।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विश्वव्यापी सामंजस्यपूर्ण मानकों की कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय मसाला व्यापार प्रभावित हो रहा है, स्पाइसेस बोर्ड के अनुरोध पर भारत द्वारा 2012 में मसालों और पाक शाकों के लिए कोडेक्स में एक नई कोडेक्स समिति के गठन का प्रस्ताव पेश किया गया था। मसालों और पाक शाकों से संबंधित कोडेक्स समिति (CCSCH) को जुलाई 2013 में एफ ए ओ मुख्यालय, रोम में आयोजित कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन (CAC) के 36वें सत्र में अनुमोदित किया गया था। समिति की स्थापना 105 से अधिक सदस्य देशों के समर्थन से हुई; जिसमें भारत मेजबान देश और स्पाइसेस बोर्ड मेजबान संगठन था।

मसालों और पाक शाकों से संबंधित कोडेक्स समिति (CCSCH) समिति के कार्यक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कानूनों, अन्य उपलब्ध मानकों और विनिर्देशों को ध्यान में रखते हुए मसालों और पाक शाकों में गुणवत्ता मापदंडों के लिए वैश्विक मानकों में सामंजस्य स्थापित करना शामिल है। ये कोडेक्स मानक स्वैच्छिक हैं और सदस्य देशों द्वारा अपने राष्ट्रीय नियमों को सुसंगत और संरेखित करने में इनका उपयोग किया जाता है। कोडेक्स मानकों को विश्व व्यापार संगठन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विवादों के मध्यस्थता में भी संदर्भित किया जाता है।

मसालों और पाक शाकों से संबंधित कोडेक्स समिति (CCSCH) समिति की मेजबानी और अध्यक्षता भारत द्वारा की जाती है, तथा स्पाइसेस बोर्ड, भारत इसका स्थायी सचिवालय है। डॉ. एम.आर. सुदर्शन (सेवानिवृत्त निदेशक-अनुसंधान, स्पाइसेस बोर्ड) इस समिति के वर्तमान अध्यक्ष हैं।

अब तक भारत की ओर से स्पाइसेस बोर्ड द्वारा समिति के सात सत्र आयोजित किये जा चुके हैं। CCSCH1 सत्र 2014 में कोच्ची में, CCSCH2 सत्र 2015 में गोवा में, CCSCH3 सत्र 2017 में चेन्नई में और CCSCH4 सत्र 2019 में तिरुवनंतपुरम में आयोजित किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण, दो सत्र वर्चुअल रूप से आयोजित किए गए, अर्थात अप्रैल 2021 के दौरान CCSCH5 पूरी तरह से वर्चुअल मोड में और सितंबर-अक्तूबर 2022 के दौरान मसालों और पाक शाकों से संबंधित कोडेक्स समिति CCSCH6 पूरी तरह से भौतिक हेड टेबल और प्रतिनिधियों की ऑनलाइन उपस्थिति के साथ। सातवां सत्र 2024 में कोच्ची में आयोजित किया जाएगा। मसालों और पाक शाकों से संबंधित कोडेक्स समिति (CCSCH) समिति के सात सत्रों में, 16 मसालों और शाकों को शामिल करते हुए तेरह पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मानक विकसित किए गए हैं।

मसालों और पाक शाकों से संबंधित कोडेक्स समिति का सातवां सत्र (CCSCH7)

मसालों और पाक शाकों से संबंधित कोडेक्स समिति (CCSCH) का 7वां सत्र 29 जनवरी 2024 से 2 फरवरी 2024 तक कोच्ची, केरल में आयोजित किया गया था। कोविड-19 महामारी के बाद, मसालों और पाक शाकों से संबंधित कोडेक्स समिति CCSCH7 भौतिक रूप से आयोजित होने वाला पहला सत्र था और इस सत्र में 30 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस सत्र का उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार के अपर सचिव श्री अमरदीप सिंह भाटिया आईएएस ने, स्पाइसेस बोर्ड के सचिव श्री डी. सत्यन आईएफएस की अध्यक्षता में आयोजित एक समारोह में किया।

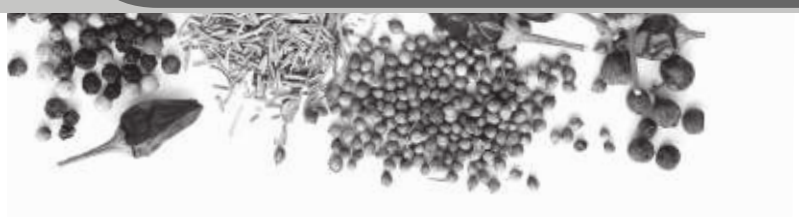

मसालों और पाक शाकों से संबंधित कोडेक्स समिति CCSCH 7 सत्र पांच मसालों अर्थात छोटी इलायची, हल्दी, जुनिपर बेरी, ऑलस्पाइस और स्टार ऐनीज़ के लिए मानकों को अंतिम रूप देने के साथ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मसालों और पाक शाकों से संबंधित कोडेक्स समिति CCSCH 7 ने इन पांचों मानकों को अंतिम चरण आठ में पूर्ण विकसित कोडेक्स मानकों के रूप में अपनाने के लिए कोडेक्स एलीमेंटेरियस आयोग (CAC) के पास भेज दिया।

इस समिति के इतिहास में पहली बार मसालों के समूहीकरण की रणनीति अपनाकर मानकों को सफलतापूर्वक विकसित किया गया। समिति ने "फलों और जामुनों से प्राप्त मसालों" के लिए (तीन मसालों अर्थात जुनिपर बेरी, ऑल स्पाइस और स्टार ऐनीज़ को शामिल करते हुए) पहले समूह मानक को अंतिम रूप दिया। वेनिला के लिए मसौदा मानक कोडेक्स चरण प्रक्रिया में आगे बढ़ा। सूखा धनिया बीज, बड़ी इलायची, मीठी मरजोरम और दालचीनी के लिए कोडेक्स मानकों के विकास के नए प्रस्तावों को समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। समिति अपने आगामी सत्रों में इन चार मसालों के लिए मानकों के मसौदे पर काम करेगी।

आ) कोडेक्स समिति की अन्य बैठकें

क) खाद्य में संदूषकों पर कोडेक्स समिति (CCCF)

खाद्य में संदूषकों पर कोडेक्स समिति (CCCF) कोडेक्स की एक सहायक संस्था है जो खाद्य में संदूषकों के लिए वैश्विक मानक विकसित करती है। भारत ने कुल एफ्लाटॉक्सिन (MLs) और ऑक्रेटोक्सिन A के लिए अधिकतम स्तर की स्थापना के लिए और चयनित मसालों में कुछ माइकोटॉक्सिन के लिए नमूना योजना विकसित करने के लिए इस कोडेक्स समिति को एक कार्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, और इन विषयों पर इलेक्ट्रॉनिक कार्य समूह (EWG) की अध्यक्षता भारत की ओर से वैज्ञानिक-सी, स्पाइसेस बोर्ड ने किया था।

अप्रैल 2023 के दौरान नीदरलैंड के यूट्रेक्ट में आयोजित इस समिति के 16वें सत्र (CCCF16) के दौरान, भारत ने समिति के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक कार्य समूहों की रिपोर्ट प्रस्तुत की। मसालों में एफ्लाटॉक्सिन और ओक्रैटॉक्सिन की EWG द्वारा प्रस्तावित अधिकतम सीमा को समिति द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे नवंबर 2023 में आयोजित CAC के 46वें सत्र में भी अपनाया गया। इससे मसालों के निर्यात में एक महत्वपूर्ण चिंता का समाधान हो गया, तथा कोडेक्स की ये सीमाएं मसालों में माइकोटॉक्सिन के लिए आयातक देशों द्वारा तय किए गए अनुचित MLs को संबोधित करने में मदद करेंगी।

इस समिति के अंतर्गत चयनित मसालों में माइकोटॉक्सिन के लिए नमूनाकरण योजनाओं का विकास कार्य प्रगति पर है तथा EWG की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इसके अलावा, इस समिति के तहत सूखे मसालों और पाक-कला संबंधी शाकों (सूखी/ताजी) में सीसे के लिए MLs स्थापित करने का कार्य भी प्रगति पर है।

ख) सामान्य सिद्धांतों पर कोडेक्स समिति (CCGP)

सामान्य सिद्धांतों पर कोडेक्स समिति (CCGP) कोडेक्स के अंतर्गत एक शीर्ष समिति है, जो कोडेक्स सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और कोडेक्स बैठकों के संगठन से सम्बंधित महत्वपूर्ण निर्णय लेती है। सामान्य सिद्धांतों पर कोडेक्स समिति का 33वां सत्र 2-6 अक्तूबर 2023 के दौरान फ्रांस के बोर्डो में आयोजित किया गया था। श्री डी. सत्यन आई एफ एस, सचिव स्पाइसेस बोर्ड, और डॉ. रमेश बाबू एन, वैज्ञानिक-सी तथा मसालों और पाक शाकों से संबंधित कोडेक्स समिति CCSCH के आयोजन सचिव, भारतीय प्रतिनिधिमंडल के हिस्से के रूप में बैठक में शामिल हुए।

कुछ शब्दों के उपयोग के संबंध में एजेंडा मदों पर चर्चा के दौरान समिति द्वारा भारत के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया गया, तथा भारत की अधिकांश चिंताओं का, जिन्हें सम्मेलन कक्ष दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया गया था, समाधान कर दिया गया। भविष्य की समिति बैठकों के कार्यक्रम तथा कोडेक्स सचिवालय द्वारा वर्तमान में अपनाई जा रही कार्यप्रणाली में परिवर्तन पर चर्चाएं हुई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने वर्ष 2025-26 की अवधि के दौरान मसालों और पाक शाकों से संबंधित कोडेक्स समिति (CCSCH) 8वीं सत्र के समय निर्धारण पर काम किया।

ग) आई एस ओ/टी सी 34

अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (ISO) एक स्वतंत्र, गैर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जिसके 169 राष्ट्रीय मानक निकाय सदस्य हैं, जो स्वैच्छिक, आम सहमति आधारित, बाजार प्रासंगिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों का विकास करता है। इसके अंतर्गत उपसमिति संख्या 7 (SC7), ISO/TC 34/SC 7 विशेष रूप से मसालों, पाक शाकों और कॉनडिमेंट्स मसालों से संबंधित है और मसालों, पाक शाकों और कॉनडिमेंट्स मसालों के लिए आई एस ओ मानकों के विकास पर काम करती है, जिसमें शब्दावली, नमूनाकरण, परीक्षण और विश्लेषण के तरीके, उत्पाद विनिर्देश, पैकेजिंग, भंडारण और परिवहन की अपेक्षाओं से संबंधित मानक शामिल हैं। अनुसंधान निदेशक स्पाइसेस बोर्ड, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार को इस उपसमिति का पदेन अध्यक्ष नामित किया गया है।

ISO/TC 34/CAG (अध्यक्ष का सलाहकार समूह) की 16वीं बैठक और ISO/TC 34 खाद्य उत्पाद की 25वीं बैठक 17 से 19 जनवरी 2024 तक जापान के साइतामा में आयोजित की गई थी। अध्यक्ष, डॉ. ए. बी. रेमा श्री, निदेशक अनुसंधान, स्पाइसेस बोर्ड ने बैठक में भाग लिया और भारत के नेतृत्व में ISO/TC 34/SC 7 के तहत कार्य और गतिविधियों की स्थिति प्रस्तुत की।

घ) मसालों, पाक शाकों और कॉनडिमेंट्स मसालों की अनुभागीय समिति (FAD 9)

मसालों, पाक शाकों और कॉनडिमेंट्स मसालों की अनुभागीय समिति की 20वीं और 21वीं बैठक क्रमशः जुलाई 2023 और दिसंबर 2023 के दौरान आयोजित की गई थी। डॉ. ए.बी. रेमा श्री, निदेशक अनुसंधान, स्पाइसेस बोर्ड, भारत ने बैठक की अध्यक्षता की। समिति ने इस क्षेत्र में अब तक 75 भारतीय मानक तैयार किए हैं और नए और संशोधित दोनों तरह के भारतीय मानकों के विकास की प्रक्रिया जारी है।

ङ) राष्ट्रीय मसाला गुणवत्ता एवं सुरक्षा समिति (NCSQS)

राष्ट्रीय मसाला गुणवत्ता एवं सुरक्षा समिति (NCSQS) सचिव स्पाइसेस बोर्ड द्वारा गठित एक सलाहकार समिति है, जिसका उद्देश्य भारतीय मसालों और उनके निर्यात को प्रभावित करने वाली चुनौतियों और तकनीकी समस्याओं का समाधान करना है, जिनमें गुणवत्ता और सुरक्षा के मुद्दे भी शामिल हैं। समिति में विभिन्न अनुसंधान संस्थानों, मसाला उत्पादकों, निर्यातकों और मसाला क्षेत्र के अन्य विशेषज्ञों और हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल हैं। स्पाइसेस बोर्ड का कोडेक्स प्रकोष्ठ इस समिति के सचिवालय के रूप में कार्य कर रहा है।

इस समिति के अंतर्गत मसालों में प्रयोग के लिए कीटनाशकों में लेबल दावों की पर्याप्त संख्या की कमी की समस्या का समाधान किया जा रहा है। वर्तमान में, स्पाइसेस बोर्ड भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (ICAR-IISR), कोषिक्कोड और कीटनाशक निर्माता, यूनाइटेड फॉस्फोरस लिमिटेड (UPL)के साथ मिलकर काम कर रहा है और मौजूदा उपलब्ध आंकड़ों का संकलन, आवश्यक अवशेष डेटा उत्पादन, MRLs को ठीक करने के लिए निगरानी डेटा का उपयोग करने की संभावना आदि जैसे कार्यों पर चर्चा की जा रही है, ताकि केंद्रीय कीट नाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति (CIBRC) को स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार प्रासंगिक डेटा प्रस्तुत किया जा सके।

च) मसाला उत्पादों के लिए मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (SION) के निर्धारण के लिए तकनीकी समिति

इस प्रयोजन के लिए गठित तकनीकी समिति ने मसाला उत्पादों के लिए मानक इनपुट आउटपुट मानदंड (SION) तय करने के लिए मसाला उद्योग के प्रस्तावों की जांच की। पांच बैठकों और क्षेत्र के निरीक्षणों के बाद समिति ने 19 मसाला उत्पादों के लिए SION की सिफारिशों को अंतिम रूप दिया और विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT)को प्रस्तुत करने के लिए रिपोर्ट तैयार की जा रही है।

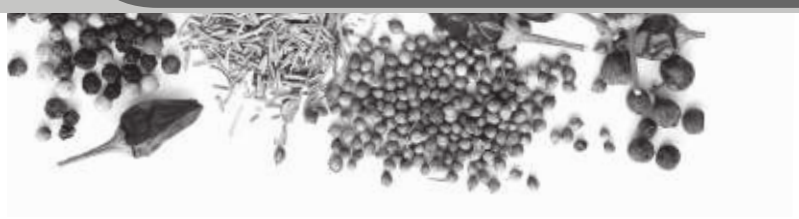

09

गुणवत्ता सुधार

कोच्ची में स्पाइसेस बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला की स्थापना वर्ष 1989 में बोर्ड की अपनी तरह की पहली प्रयोगशाला के रूप में की गई थी। गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (गु. मू. प्र.), कोच्ची को ब्रिटिश मानक संस्थान, यू.के. द्वारा 1997 से ISO 9001 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के तहत, 1999 से ISO 14001 पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के तहत प्रमाणित किया गया है और इसे राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारत सरकार द्वारा सितंबर 2004 से ISO/IEC:17025 प्रयोगशाला गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के तहत भी मान्यता प्राप्त है। चूंकि गुणवत्ता को प्रमुख प्रतिबद्धता माना जाता है, इसलिए गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (गु. मू. प्र.), कोच्ची ने गुणवत्ता प्रणालियों को निरंतर उन्नत करके अपनी विश्वसनीयता को हमेशा बनाए रखा है और बनाए रखना जारी रखा है। प्रयोगशाला को ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन, यू.के. द्वारा नवीनतम उन्नत प्रणालियां; ISO 9001:2015 और ISO 14001:2015 तथा NABL, DST विभाग, भारत सरकार द्वारा ISO/IEC 17025:2017 के तहत मान्यता प्राप्त हुई है।

भारत से निर्यात किए जाने वाले मसाले उपयुक्त राष्ट्रीय /अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप हों तथा ग्राहकों को समय पर, विश्वसनीय और सटीक परीक्षण परिणाम उपलब्ध हों, इस उद्देश्य से स्पाइसेस बोर्ड ने क्षेत्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं स्थापित करके पूरे भारत में अपनी पहुंच का विस्तार किया है। इस समय प्रमुख उत्पादक/निर्यातक केंद्रों अर्थात चेन्नई, गुंटूर, मुंबई, नई दिल्ली, तूतीकोरिन, कांडला और कोलकाता में सात क्षेत्रीय गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला (गु. मू. प्र.), काम कर रहे हैं। गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं के तहत, जोधपुर के स्पाइसेस पार्क में जीरा और अन्य बीजीय मसालों के लिए एक बुनियादी परीक्षण सुविधा स्थापित की गई, जिसका उद्घाटन 22 अप्रैल 2022 को किया गया था। कोच्ची, मुंबई, गुंटूर, चेन्नई, दिल्ली, तूतीकोरिन और कांडला स्थित प्रयोगशालाओं को NABL & QEL द्वारा ISO/IEC 17025:2017 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है और गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोलकाता मान्यता प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं बोर्ड के निर्यात खेपों के अनिवार्य नमूनन और परीक्षण के तहत नमूनों का विश्लेषण करती हैं, भारतीय मसाला उद्योग को विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करती हैं और देश में उत्पादित और संसाधित मसालों की गुणवत्ता की निगरानी में मदद करती हैं। प्रयोगशालाएं आयातक देशों की आवश्यकताओं के अनुसार विश्लेषण करने के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं। प्रयोगशाला की विश्लेषणात्मक सेवाओं से संबंधित दस्तावेज, जिसमें कार्यपत्रक तैयार करना और विश्लेषणात्मक परिणाम प्रस्तुत करना शामिल है, "QUADMAS" नामक सॉफ्टवेयर प्रणाली के माध्यम से ऑनलाइन बनाए जाते हैं और इन्हें लगातार अपडेट किया जाता है।

अ) विश्लेषणात्मक सेवाएँ

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं अपने ग्राहकों को वेबसाइट पर अपने परीक्षण का दायरा उपलब्ध कराती हैं। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड की गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं ने मसालों और मसाला उत्पादों की निर्यात खेपों के अनिवार्य परीक्षण के तहत निम्नलिखित विश्लेषण के लिए सेवाएं प्रदान करना जारी रखाः

क) मिर्च (पाउडर, टुकड़ा, पिसा हुआ), मिर्च के बीज, करी पाउडर और करी मसाला, करी पेस्ट और हल्दी पाउडर और इसके उत्पादों (कटा हुआ छोड़कर) में एफ्लाटॉक्सिन ए1 B1 (Aflatoxin B1), एफ्लाटॉक्सिन टोटल (Aflatoxin Total) और सूडान डाई I से IV तक के लिए परीक्षण ।

ख) साबुत मिर्च, हल्दी (साबुत और टुकड़ा), अदरक साबुत और अदरक उत्पाद, जायफल साबुत और जायफल उत्पाद, जावित्री साबुत और जावित्री उत्पाद और खाने के लिए तैयार वस्तुओं में एफ्लाटॉक्सिन B1(Aflatoxin B1), एफ्लाटॉक्सिन टोटल (Aflatoxin Total) के लिए परीक्षण ।

ग) करी पत्तों में कीटनाशकों (117 कीटनाशकों) का परीक्षण।

घ) जीरे में बाहरी पदार्थों और अन्य बीजों का परीक्षण।

ङ) मिर्च, अदरक, काली मिर्च, पिमेंटा (ऑलस्पाइस), वेनिला, दालचीनी और दालचीनी के फूल, लौंग (साबुत

फल, लौंग और तने), जायफल, जावित्री, इलायची, सौंफ के बीज, चीनी सौंफ, सौंफ़, धनिया, जीरा/ अजवायन; जुनिपर बेरी, केसर, हल्दी, करी और अन्य मसालों, वनस्पतियों युक्त खाद्य पूरक, सरसो के बीज, पीसा हुआ सरसो और भोजन और तैयार सरसो, थाइम, लॉरेल/ तेज पत्ता/ करी पत्ता, तुलसी, रोज़मेरी, हरा तेज पत्ता, अजमोद, तारगोन, अजवाइन, मसाला मिश्रण (मसाला, करी ग्रेवी), खाने के लिए तैयार मद, पकाने के लिए तैयार उत्पाद, सॉस और मिश्रण, मिश्रित कॉनडिमेंट्स, मसालों और मिश्रित मसालों में एथिलीन ऑक्साइड (Ethylene Oxide) का परीक्षण ।

च) मिर्च (साबुत, कुचला हुआ, पिसा हुआ, पाउडर), मिर्च के बीज, करी पाउडर और करी मसाला, करी पेस्ट, जीरा, पिसा हुआ जीरा में साल्मोनेला (Salmonella) का परीक्षण।

छ) कीटनाशक अवशेषों (ट्रायज़ोफ़ॉस, इप्रोबेनफ़ॉस, प्रोफेनोफ़ॉस, क्लोरपाइरीफ़ॉस, एथियन, मिथाइल पैराथियोन, पैराथियोन, फ़ोरेट) के लिए परीक्षण मिर्च (साबुत, पाउडर, बीज, कुचला हुआ, पिसा हुआ), करी पाउडर और करी मसाला, करी पेस्ट, जीरा साबुत, जीरा (कुचल, पिसा हुआ), हल्दी (साबुत, सूखा, कटा हुआ/ टुकड़ा, पाउडर), इलायची (साबुत, पिसा हुआ), काली मिर्च (साबुत, पिसा हुआ), मेथी (साबुत, पिसा हुआ) में।

ज) जीरा (साबुत, पिसा हुआ, कुचला हुआ) में कीटनाशक अवशेषों कार्बोसल्फान (Carbosulfan), क्लोरपाइरीफोस (Chlorpyrifos), कार्बेन्डाजाईम (Carbendazim), साइफ्लुथ्रिन (Cyfluthrin), बीटा-साइफ्लुथ्रिन (Beta-cyfluthrin), साइपरमेथ्रिन (Cypermethrin), बीटा -साइपरमेथ्रिन (Beta-cypermethrin), म्लाथियोन (Mlathion), डिसल्फोटन (Disulfoton), एकेफेट (Accephate), प्रोफेनोफोस (Profenofos) का परीक्षण।

झ) आयातित कालीमिर्च की खेप में पिपेरिन और तैलीराल की उपस्थिति का विश्लेषण।

प्रयोगशाला ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान एफ्लाटॉक्सिन (Aflatoxin), अवैधानिक रंग, कीटनाशक अवशेष, एथिलीन ऑक्साइड (EtO) और साल्मोनेला (Salmonella) सहित कुल 1 ,34 ,208 पैरामीटरों का विश्लेषण किया था।

गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं	प्राप्त नमूनों की संख्या	परीक्षण किये गये पैरामीटरों की संख्या	परीक्षण किये गये अनिवार्य नमूनों की संख्या
कोच्ची	15824	30191	27594
कांडला	16770	30810	28149
चेन्नई	18537	22692	18389
मुंबई	17367	32727	28622
नरेला	1755	3763	3658
तूतीकोरिन	3975	7743	6503
गुंटूर	9576	16548	15789
कोलकाता	4233	5434	5408
जोधपुर	48	96	96
कुल योग	**88085**	**150004**	**134208**

निर्यात खेपों के अनिवार्य नमूने और परीक्षण के दायरे के विस्तार की आवश्यकता का पता लगाने के लिए, विभिन्न आयातक देशों जैसे कि अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान, सऊदी अरब को निर्यात की अस्वीकृति के निगरानी की लगातार समीक्षा की जाती है।

आ) मानव संसाधन विकास कार्यक्रम

इस अवधि के दौरान, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाएं कर्मचारियों की तकनीकी क्षमताओं में सुधार लाने और प्रयोगशालाओं द्वारा अपनाई गई विभिन्न गुणवत्ता प्रणालियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, वैज्ञानिक और तकनीकी कर्मचारियों ने निम्नलिखित राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में भाग लिया:

i. वैज्ञानिक 'ए', गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने USFDA और JIFSAN द्वारा तोडुपुषा, केरल में 12/06/2023 से 15/06/2023 तक आयोजित GAP और GMP पर प्रशिक्षण में भाग लिया।

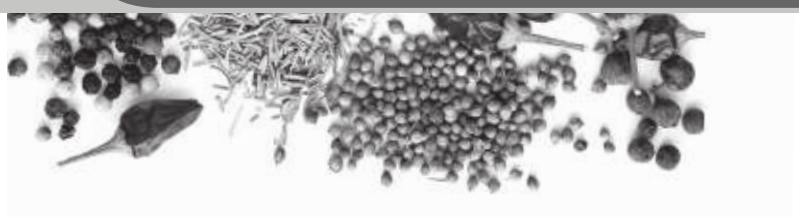

ii. वैज्ञानिक 'सी', गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, तूतीकोरिन; वैज्ञानिक 'सी', गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मुंबई; और वैज्ञानिक 'सी', गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कांडला ने चेन्नई में 11/09/2023 से 15/09/2023 तक आयोजित NABL मूल्यांकनकर्ता प्रशिक्षण में भाग लिया।

iii. वैज्ञानिक 'ए', गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने CFTRI, मैसूर में 08//01/2024 से 12/01/2024 तक आयोजित खाद्य पदार्थों के अणुओं में उन्नत स्पेक्ट्रोमेट्रिक विश्लेषण पर प्रशिक्षण में भाग लिया।

iv. वैज्ञानिक 'सी', गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मुंबई ने मुंबई में 19/01/2024 को आयोजित NABL मूल्यांकनकर्ताओं के पुनश्चर्या प्रशिक्षण में भाग लिया।

v. वैज्ञानिक 'सी', और कनिष्ठ सूक्ष्मजीवविज्ञानी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने दिनांक 21/03/2024 को आयोजित ISO 19036:2019 के अनुसार सूक्ष्मजीवविज्ञान में माप अनिश्चितता पर ऑनलाइन प्रशिक्षण में भाग लिया।

vi. वैज्ञानिक 'ए', गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने ISO/IEC 17025:2017 - सामान्य आवश्यकताएं पर प्रशिक्षण में भाग लिया।

vii. कनिष्ठ सूक्ष्मजीवविज्ञानी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, नरेला ने ओखला में 26/03/2024 से 28/03/2024 तक आयोजित खाद्य पदार्थों में रोगज़नक़ परीक्षण, विकासशील विनियमन और त्वरित समाधान पर प्रशिक्षण में भाग लिया।

इ) प्रशिक्षण कार्यक्रम

क) मसाला उद्योग के तकनीकी कर्मियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम

i. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने चार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए;

1) दिनांक 31/07/2023 से 04/08/2023 के दौरान मसालों/मसाला उत्पादों के FDA BAM/ AOAC पद्धति पर आधारित सूक्ष्मजीवीय विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

2) दिनांक 11/09/2023 से 15/09/2023 के दौरान मसालों/मसाला उत्पादों के भौतिक रासायनिक विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

3) (18/09/2023 से 22/09/2023 तक) मसालों और मसाला उत्पादों में कीटनाशक अवशेषों का GC-MS/ LC-MS/MS विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम

4) दिनांक 18/09/2023 से 22/09/2023 के दौरान मसालों और मसाला उत्पादों में माइकोटॉक्सिन (mycotoxins) और अवैध रंगों का विश्लेषण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम। विभिन्न मसाला निर्यात/प्रसंस्करण इकाइयों, निजी परीक्षण प्रयोगशालाओं और राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थानों से कुल 18 प्रतिभागियों ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लिया।

ii. वैज्ञानिक 'ए', गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने 22/07/2023 को स्पाइसेस बोर्ड, निजामाबाद द्वारा आयोजित उद्यमिता विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम में मसाले - निर्यात में गुणवत्ता और सुरक्षा विषय पर एक ऑनलाइन व्याख्यान दिया।

iii. वैज्ञानिक 'ए', गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने निवारक नियंत्रण योग्य व्यक्तिगत-मानव खाद्य (FSMA-USA के तहत PCQI-HF) पर प्रशिक्षण 11/12/2023 से 15/12/2023 तक आयोजित किया। इसमें केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और गुजरात की मसाला निर्यात फर्मों के पंद्रह तकनीकी कर्मियों ने भाग लिया।

ख) अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

i. कनिष्ठ सूक्ष्मजीवविज्ञानी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोलकाता ने कोलकाता में 7वें PTP/RMP कॉन्क्लेव में 16/08/2023 से 17/08/2023 तक भाग लिया।

ग) छात्र इंटर्नशिप/शैक्षणिक परियोजना कार्य

i. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने विभिन्न कॉलेजों/विश्वविद्यालयों के दो स्नातकोत्तर छात्रों को मार्गदर्शन/शोध प्रबंध सुविधाएं और एक स्नातकोत्तर छात्र को इंटर्नशिप सुविधा प्रदान की।

ii. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने चेन्नई के एक कॉलेज के बीएससी वोकेशनल फूड प्रोसेसिंग के छात्रों को प्रयोगशाला का दौरा कराया।

घ) राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में भागीदारी

i. वैज्ञानिक 'सी' गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मुंबई; वैज्ञानिक 'ए', गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई; कनिष्ठ सूक्ष्मजीवविज्ञानी, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोलकाता; और कनिष्ठ रसायनविज्ञानी, गुणवत्ता

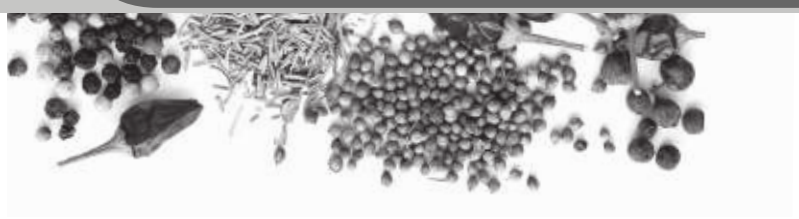

iv. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, नरेला ने पैरामीटर साल्मोनेला (Salmonella) के लिए ILC कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया। गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मुंबई, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोलकाता और गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, चेन्नई ने ILC कार्यक्रम में भाग लिया।

v. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने, थोक घनत्व, वाष्पशील तेल, पाइपरिन (Piperine), कुल राख, एसिड अघुलनशील राख, नमी, हल्की जामुन और कर्क्यूमिन पैरामीटरों के लिए, ICAR, कोषिक्कोड द्वारा आयोजित ILC कार्यक्रम में भाग लिया।

ख)पीटी कार्यक्रम विवरण

विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय एजेंसियों जैसे FAPAS, फेयर लैब्स प्राइवेट लिमिटेड, NRCG पुणे, ITC गुंटूर द्वारा संचालित दक्षता परीक्षण कार्यक्रम और AASHVI प्रवीणता परीक्षण और विश्लेषणात्मक सेवाओं के तहत, गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची, तूतीकोरिन, चेन्नई, नरेला, गुंटूर, मुंबई, कांडला और कोलकाता ने विभिन्न भौतिक, रासायनिक, अवशिष्ट और सूक्ष्मजीवविज्ञानी मापदंडों में भाग लिया जैसे एफ्लाटॉक्सिन (aflatoxin), सूडान डाई, कीटनाशक अवशेषों (एज़ोक्सीस्ट्रोबिन (Azoxystrobin), कार्बोसल्फान (Carbosulfan), डाईफेनोकोनाज़ोल (Difenoconazole), टेबुकोनाज़ोल (Tebuconazole), फेनप्रोपेथ्रिन (Fenpropathrin), फ़िप्रोनिल (Fipronil), बाईफ़ेनथ्रिन (Bifenthrin), क्लोरपाइरीफ़ोस (Chlorpyrifos), डाईमेथोमॉर्फ (Dimethomorph), एथिओन (Ethion), इमिडाक्लोप्राइड (Imidacloprid), लैम्ब्डा साइहैलोथ्रिन (Lambda Cyhalothrin), मैंडिप्रोपामाईड (Mandipropamid), थियामेथोक्सम (Thiamethoxam)), एसिड अघुलनशील राख, कुल राख, थोक घनत्व, वाष्पशील तेल, नमी, कच्चा फाइबर, स्टार्च, करक्यूमिन (Curcumin), हल्के जामुन, पाइपरिन (Piperine), बाहरी / विदेशी पदार्थ, कैप्साइसिन (Capsaicin), साल्मोनेला (Salmonella), स्टैफिलोकोकस ऑरियस (Staphylococcus aureus), कुल एरोबिक माइक्रोबियल काउंट, यीस्ट और मोल्ड काउंट, ई.कोलाई (E.coli), कोलीफॉर्म (Coliforms), एंटरोबैक्टीरिएसी (Enterobacteriaceae)।

उ) शुरू की गई परियोजनाएं/मानकीकरण कार्य

i. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची ने नए GC-MS/MS का उपयोग करके मसालों में EtO विश्लेषण को मानकीकृत किया, इसे NABL के दायरे में शामिल किया और NABL से मान्यता प्राप्त की। गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची ने 40 नए कीटनाशक अणुओं को भी NABL के दायरे में शामिल किया और NABL से मान्यता प्राप्त की। गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला कोच्ची ने यू. के. को निर्यात किए जाने वाले करी पत्ते में कीटनाशक अवशेषों की अनिवार्य जांच शुरू कर दी है, तथा पैनलबद्ध प्रयोगशालाओं की सहायता से यू.के. को निर्यात किए जाने वाले मिर्च और उसके उत्पादों में कीटनाशक अवशेषों की अनिवार्य जांच भी शुरू कर दी है।

ii. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला गुंटूर ने नव अधिग्रहीत एजिलेंट LC-MS/ MS 6470B में सुडान रंगों का मानकीकरण पूरा कर लिया है।

iii. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला चेन्नई ने LC-MS/MS विधि द्वारा एफ्लाटॉक्सिन (aflatoxin) विश्लेषण को मानकीकृत किया और अगले NABL ऑडिट के दायरे में शामिल करने के लिए आवेदन किया है। एलिसा रीडर द्वारा एफ्लाटॉक्सिन (aflatoxin) और मूंगफली एलर्जेन विश्लेषण की विधि के सत्यापन का कार्य जारी है।

iv. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोलकाता ने नमी, वाष्पशील तेल, अवाष्पशील ईथर अर्क, साल्मोनेला (Salmonella), एस्चेरिचिया कोलाइ (Escherichia coli) और कोलीफॉर्म (Coliforms) जैसे मापदंडों के लिए विश्लेषणात्मक सेवा शुरू की है।

ऊ)प्रयोगशालाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उपकरणों की खरीद

i. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, कोच्ची ने मसालों में भारी धातुओं के विश्लेषण के लिए नए एजिलेंट ICP-MS की खरीद पूरी कर ली है, इसकी स्थापना एवं अनुप्रयोग प्रशिक्षण पूरा हो गया है। प्रयोगशाला के रसायन विज्ञान अनुभाग में नया फ्यूम हुड इंस्टाल कर दिया गया है।

ii. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला, मुंबई में 18/01/24 को UV-VIS स्पेक्ट्रोफोटोमीटर शिमादज़ू 1900i इंस्ट

ाल कर दिया गया है। IQ-OQ और उपकरण ने कार्यशील स्थिति प्रदर्शित किया है। माइक्रोबायोलॉजी लैब के लिए 17/01/2024 को स्टोमैचर- एथेना टेक्नोलॉजी की स्थापना कर दी गई थी। एजिलेंट LCMS-QQQ G6470B की स्थापना 28/08/2023 को पूरी हो गई। प्रदर्शन के जांच की प्रक्रिया चल रही है। रसायन विज्ञान उपकरण कक्ष में वातावरण की स्थितियां बनाए रखने के लिए डीह्यूमिडिफायर्स स्थापित किए गए हैं।

iii. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला नरेला में रेफ्रिजरेटर हीटिंग बाथ सर्कुलेटर खरीदा गया।

iv. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला चेन्नई में जल शोधन प्रणाली-लैब लिंक मेक और एलिसा रीडर-आईजीन लैबसर्व मेक खरीदा गया।

v. गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला , कोलकाता में लेमिनर एयर फ्लो यूनिट, माइक्रोवेव ओवन, इनक्यूबेटर, डिजिटल वॉटर बाथ और सीरोलॉजिकल वॉटर बाथ जैसे उपकरणों की स्थापना पूरी हो गई है।

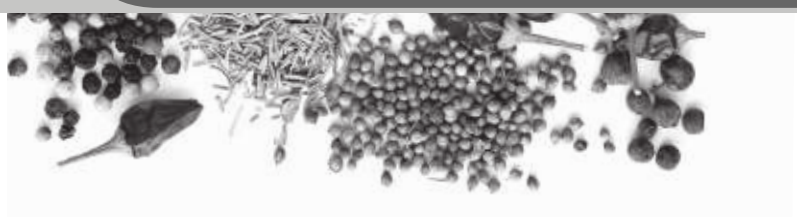

10

निर्यातोन्मुख अनुसंधान

रिपोर्ट की अवधि के दौरान, भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान (भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान) ने विभिन्न मोर्चों पर अपने अनुसंधान प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया है। मुख्य रूप से, अनुसंधान कार्यक्रम फसल सुधार, जैव प्रौद्योगिकी और फसल उत्पादन अध्ययन पर केंद्रित थे। इन अध्ययनों में छोटी और बड़ी इलायची दोनों के लिए पोषक तत्व प्रबंधन और मृदा विश्लेषण के साथ-साथ एकीकृत कीट और रोग प्रबंधन तकनीकों को अपनाते हुए फसल संरक्षण रणनीतियों पर गहन अध्ययन किया गया। इसके अलावा, भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान ने अपने अनुसंधान के परिणामों को अनेक विस्तार गतिविधियों के माध्यम से किसानों और लक्षित समूहों तक पहुंचाया। इनमें सलाहकार सेवाएं, वैज्ञानिक-किसान इंटरफेस सत्र, सचल मसाला क्लीनिक, वेबिनार, कार्यशालाएं, प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा दृश्य-श्रव्य मीडिया और प्रकाशनों के माध्यम से प्रचार-प्रसार शामिल थे। स्थायित्व पर जोर देते हुए, भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान ने इलायची की खेती में कीट नाशक के उपयोग को न्यूनतम करने के प्रयासों को आगे बढ़ाया। इसमें एकीकृत कीट प्रबंधन (IPM), एकीकृत रोग प्रबंधन (IDM) और एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन (INM) प्रणालियों के साथ-साथ जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने को प्रोत्साहन दिया गया। अपनी क्षमताओं को और बढ़ाते हुए, भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान ने मैलाडुंपारा में अत्याधुनिक गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला की स्थापना की। यह सुविधा फार्म गेट स्तर पर कीटनाशक अवशेष विश्लेषण में विशेषज्ञता रखती है, जो राज्य बागवानी मिशन, केरल से वित्तीय सहायता के माध्यम से संभव हो पाई है।

अ) फसल सुधार

क) छोटी इलाइची

भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित बेहतर गुणवत्ता के कैप्सूल तथा उच्च उपज वाली इलायची क्लोन को 30 जनवरी 2024 को कोच्ची में आयोजित स्पाइसेस बोर्ड की 94वीं बोर्ड बैठक के दौरान आइसीआरई-10 के नाम से जारी करने की मंजूरी दी गई। यह क्लोन आइ सी ए आर -राष्ट्रीय पादप आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, नई दिल्ली में एक अद्वितीय इलायची जीनोटाइप (IC 645601) के नाम से पंजीकृत है। यह एक जलवायु-सहिष्णु किस्म है, जिसकी मध्यम प्रबंधन के तहत उपज क्षमता 3200 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है तथा यह कीटों और रोगों के प्रति अपेक्षाकृत सहनशील है तथा इसकी रिकवरी प्रतिशत भी उच्च है। 70 प्रतिशत से अधिक कैप्सूल 8 मिमी या उससे अधिक आकार के होते हैं। भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान के फसल सुधार प्रभाग ने केरल के इडुक्की जिले में विभिन्न किसानों के खेतों में नव विकसित क्लोन के 10 बहु स्थानिक परीक्षण (MLTs) आयोजित किए।

ख)बड़ी इलायची

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले से दो अनोखे जर्मप्लाज्म एकत्र किए गए और उन्हें अवलोकन हेतु पृथक रूप में रोपा गया। इसके बाद संकरण किया गया और परिणामी संकर (F1) वंशक्रमों के विकास प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया। सॉनी और SCC 263 को छोड़कर सभी संकर प्रजातियों ने पैतृक वंशों की तुलना में बेहतर वृद्धि प्रदर्शित की, साथ ही विकास मापदंडों के संदर्भ में मानक जांच में भी बेहतर परिणाम दिया। बड़ी इलायची की किस्म 212 को इसके रोग सहनशीलता के कारण, इसे बहु-स्थान परीक्षणों के उद्देश्य से, आगे भी गुणन के लिए चुना गया। सूखा-सहिष्णु प्रजातियों पर किए गए अध्ययन में, प्रारंभिक अवलोकनों से पता चला कि नियंत्रित वातावरण में सिंचाई बंद कर दिए जाने पर विकास मापदंडों के संदर्भ में रैमसे ने अन्य की तुलना में बेहतर प्रदर्शन किया। विचाराधीन जीनोटाइप के जैव रासायनिक मापदंडों का भी विश्लेषण किया गया।

आ) जैव प्रौद्योगिकी

छोटी और बड़ी इलायची ट्रांसक्रिप्टोम अनुक्रमण और परियोजना का सत्यापन जवाहरलाल नेहरू उष्णकटिबंधीय वनस्पति उद्यान और अनुसंधान संस्थान (JNTBGRI), तिरुवनंतपुरम के सहयोग से किया गया। आणविक लक्षण-वर्णन के भाग के रूप में चुने हुए प्राइमरों का उपयोग करते हुए, छोटी इलायची को संक्रमित करने वाले पंद्रह फ्यूजेरियम पृथक्कों (आइसोलेट्स) का जीन अनुक्रमण किया गया। छोटी इलायची के प्रमुख फंगल रोगजनकों ((फ्यूसैरियम ऑक्सीस्पोरम (Fusarium oxysporum),

कोलेटोट्रीकम ग्लोओस्पोरियोइड्स (Colletotrichum gloeosporioides), फाइटोफ्थोरा मीडी (Phytophthora meadii), पाइथियम वेक्सन्स (Pythium vexans) और राइजोक्टोनिया सोलानी (Rhizoctonia solani)) के खिलाफ इलायची के पत्ते के तेल के अर्क के प्रभाव पर इन-विट्रो अध्ययन किए गए।

इ) कृषि विज्ञान और मृदा विज्ञान

क) छोटी इलाइची

साइट विशिष्ट उर्वरक अनुशंसा के लिए एक मोबाइल ऐप / वेब पेज संस्करण का विकास किया गया: प्रक्षेपित मिट्टी की उर्वरता के डेटा के आधार पर साइट-विशिष्ट ऑनलाइन उर्वरक सिफारिशों के लिए 'कार्ड्सएप (CardSApp)' नामक एक एंड्रॉइड-आधारित एप्लिकेशन विकसित किया गया है। कार्डएसएप (CardSApp) का उपयोग करके, उडुम्बनचोला तालुका के अठारह गांवों के किसान उत्पादकता और कृषि आय में सुधार करने के लिए ऑनलाइन उर्वरक अनुशंसाओं तक पहुंच सकते हैं और उर्वरक की मात्रा बचा सकते हैं और मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी को ठीक कर सकते हैं।

केरल के इडुक्की जिले, तमिलनाडु और कर्नाटक के कार्डामम हिल रिजर्व के 1,439 मृदा नमूनों से लगभग 17,268 मृदा उर्वरता मापदंडों का परीक्षण किया गया और परिणामों के आधार पर सिफारिशें दी गईं। इसके अलावा, सिक्किम में 70 मिट्टी के नमूनों से 840 मृदा उर्वरता मापदंडों का परीक्षण किया गया तथा मृदा पोषक तत्व प्रबंधन के लिए रिपोर्ट प्रदान की गई। कुल मिलाकर, इडुक्की जिले में 43.25 प्रतिशत मिट्टी के नमूनों में फॉस्फोरस (P) की मात्रा बहुत अधिक पाई गई, जिसके लिए फॉस्फोरस उर्वरकों का समझदारी से उपयोग करना आवश्यक है। रिकार्ड किये गए मृदा नमूनों में से लगभग 36.31 प्रतिशत में पोटेशियम (K) की मात्रा बहुत अधिक से लेकर अत्यंत अधिक तक पाई गई। द्वितीयक पोषक तत्वों में, 67.93 प्रतिशत मृदा नमूनों में सल्फर की कमी पाई गई। सूक्ष्म पोषक तत्वों में 43.49 प्रतिशत मृदा नमूनों में बोरोन की कमी पाई गई। विभिन्न सूक्ष्मपोषक तत्वों के मिश्रणों में, उन उपचारों में, जहां सूक्ष्मपोषक तत्वों को समुद्री खरपतवार निष्कर्षक के साथ संयोजित किया गया था कैप्सूल की उपज काफी अधिक देखी गई। सिलिकॉन का 2 मिली/लीटर की दर से पत्तों पर छिड़काव अ सिलिकॉन का 10 ग्राम/पौधा की दर से मृदा में उपयोग से कर्नाटक की परिस्थितियों में पत्तियों का झाड़ना, गुच्छेदार सड़न का प्रकोप सबसे कम तथा थ्रिप्स और बोरर की वजह से कैप्सूल के साथ-साथ टहनियों पर सबसे कम क्षति होना दर्ज की गई। शुरुआती रुझानों से पता चला कि 200 किग्रा/हेक्टेयर तक पॉली सल्फेट के उपयोग से कैप्सूल का आकार सुधारने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। ब्रिलियंट ब्लू (Brilliant blue) और टारट्राज़ीन (Tartrazine) के निर्धारण के लिए एक HPLC विधि विकसित की गई थी, जिसका उपयोग छोटी इलायची के कैप्सूल में गुणात्मक और मात्रात्मक रूप से कृत्रिम रंग के मानक के रूप में किया जाता है।

ख) बड़ी इलायची

दो अलग-अलग स्थानों पर: उत्तर बंगा कृषि विश्वविद्यालय (UBKV), कलिम्पोंग के पहाड़ी क्षेत्र में स्थित क्षेत्रीय अनुसंधान स्टेशन और काबी अनुसंधान फार्म में 'विविध जैविक प्रबंधन पद्धतियों में बड़ी इलायची की उत्पादन क्षमता' शीर्षक से एक प्रयोग आयोजित किया गया। बड़ी इलायची में जड़ पकड़ना और वृद्धि, UBKV, कलिम्पोंग में, समान उपचार के बावजूद, काबी रिसर्च फार्म की तुलना में बेहतर पाई गई। बड़ी इलायची के अंकुरों की वृद्धि और विकास पर विभिन्न पॉटिंग मिश्रणों के प्रभाव का आकलन करने के लिए, 'पॉलीबैग नर्सरियों में बड़ी इलायची के पौधों की वृद्धि पर विभिन्न मिट्टी मिश्रणों का तुलनात्मक अध्ययन' शीर्षक से एक अन्य प्रयोग भी शुरू किया गया था। इसके अलावा, 'ग्वाटेमाला घास (ट्रिप्सकम लैक्सम) का उपयोग करके बड़ी इलायची की मिट्टी में सुधार के लिए तुलनात्मक अध्ययन' शीर्षक से एक अवलोकन परीक्षण शुरू किया गया।

ई) पादप रोगविज्ञान

क) छोटी इलाइची

छोटी इलायची के प्रमुख रोगाणुओं के विरुद्ध विषैला खाद्य तकनीक द्वारा व्यावसायिक रूप से उपलब्ध कवकनाशकों हेक्साकोनाजोल (Hexaconazole), टेबुकोनाजोल (Tebuconazole), कार्बेन्डाजाइम (Carbendazim) (50%) अ मैन्कोजेब (Mancozeb) (75%), मेटालैक्सिल (Metalaxyl) (4%) अ मैन्कोजेब (Mancozeb) (64%), फेनामिडोन (Fenamidone) अ मैन्कोजेब (Mancozeb) और फोसेटाइल AL (Fosetyl AL) (80%) का परीक्षण किया गया। हेक्साकोनाजोल (Hexaconazole) को छोड़कर अन्य सभी कवकनाशकों का उपयोग करने से फाइटोफ्थोरा मीडी (Phytophthora meadii) की कवकवृद्धि काफी कम हो गई थी। व्यावसायिक कवकनाशकों जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड (Copper oxychloride), मैन्कोजेब

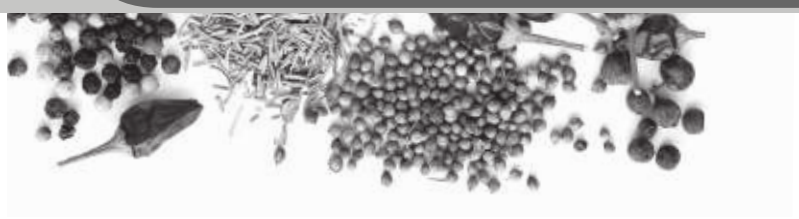

(Mancozeb), हेक्साकोनाजोल (Hexaconazole), टेबुकोनाजोल (Tebuconazole), तथा विभिन्न संयोजनों जैसे कार्बेन्डाजाइम (Carbendazim) (50%) अ मैन्कोजेब (Mancozeb) (75%), मेटालैक्सिल (Metalaxyl) (4%) अ मैन्कोजेब (Mancozeb) (64%) फेनामिडोन (Fenamidone) अ मैन्कोजेब (Mancozeb) और फोसेटाइल AL (Fosetyl AL) (80%) की प्रमुख जैव नियंत्रण एजेंटों के साथ अनुकूलता का मूल्यांकन किया गया। परीक्षण किए गए आठ कवकनाशकों में से फॉसेटाइल AL (Fosetyl AL) (80%) को छोड़कर अन्य सभी ने छह जैव नियंत्रण एजेंटों की माइसेलियल वृद्धि (mycelial growth) को कम कर दिया। भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान फार्म मैलाडुंपारा में छोटी इलायची के विभिन्न रोगों की निगरानी की गई और मृदा जनित तथा पर्णजनित रोगों का प्रकोप पांच से दस प्रतिशत तक पाया गया। औचक क्षेत्र सर्वेक्षणों के दौरान प्रकंद में सड़न, संपुट सड़न, फ्यूजेरियम में सड़न, केटे, पत्ती का झुलसा, पत्ती में धब्बा और पत्ती पर किट्ट (लीफ रस्ट) जैसी बीमारियां देखी गईं। पौधों के पांच विभिन्न भागों से कुल 44 एंडोफाइटिक फंगल आइसोलेट्स प्राप्त किए गए, जिनमें फ्यूजेरियम (Fusarium), पेनिसिलियम (Penicillium), ट्राइकोडर्मा (Trichoderma), एस्परगिलस (Aspergillus) और कई गैर-बीजाणुजनित कालोनियां शामिल थीं। अध्ययन से पता चला कि छोटी इलायची के विभिन्न ऊतकों में एंडोफाइटिक कवक की समृद्ध विविधता मौजूद है।

कवकनाशकों के नए अणुओं (फ्लूओपिकोलाइड (Fluopicolide) (4.44%) अ फोसेटाइल AL (Fosetyl AL) (66.7%), फोसेटाइल AL (Fosetyl AL) (80%) (एलिएट) और फ्लूओपिकोलाइड (Fluopicolide) (5.56%) अ प्रोपामो कार्बहाइड्रो क्लोराइड (Propamo carbhydro chloride) (55.6%) का इलायची के प्रमुख रोगजनकों के खिलाफ इन विट्रो परीक्षण किया गया। फ्लूओपिकोलाइड (Fluopicolide) (4.44%) अ फोसेटाइल Al (Fosetyl Al) (66.7%) (प्रोफाइलर) के साथ राइजोक्टोनिया सोलानी (Rhizoctonia solani) में उच्च माइसेलियल वृद्धि अवरोधन 0.3% पर दर्ज किया गया।

टैंक मिक्स में क्विनालफोस (Quinalphos), डायफेन्थियूरोन (Diafenthiuron), कॉपर ऑक्सीक्लोराइड (Copper oxychloride), फॉसेटिल-Al (Fosetyl-Al), टेबुकोनाजोल (Tebuconazole), हेक्साकोनाजोल (Hexaconazole), मेटालैक्सिल (Metalaxyl) अ मैन्कोजेब (Mancozeb), कार्बेन्डाजिम (Carbendazim) अ मैन्कोजेब (Mancozeb), मैन्कोजेब (Mancozeb), फेनामिडोन (Fenamidone) अ मैन्कोजेब (Mancozeb), लैम्ब्डा साइहेलोथ्रिन (Lambda Cyhalothrin) और फ्लूओपिकोलाइड (Fluopicolide) अ फॉसेटिल-Al (Fosetyl-Al) की अनुकूलता का अध्ययन किया गया। राइजोक्टोनिया सोलानी (Rhizoctonia solani) के विरूद्ध कीटनाशकों के 29 संयोजनों का इन विट्रो परीक्षण किया गया, जिनमें से 27 ने रोगाणु की माइसेलियल वृद्धि (mycelial growth) को पूरी तरह से बाधित कर दिया। छोटी इलायची में प्रकंद सड़न और पत्ती झुलसा रोगों के नियंत्रण के लिए कवकनाशकों के मूल्यांकन हेतु क्षेत्र परीक्षण किए गए। राइज़ोम की सड़न की घटना में सबसे अधिक कमी फेनामिडोन (Fenamidone) अ मैन्कोज़ेब (Mancozeb) का उपयोग करने पर देखी गई, इसके बाद मेटालैक्सिल (Metalaxyl) अ मैन्कोज़ेब (Mancozeb) और टेबुकोनाज़ोल (Tebuconazole) का स्थान रहा। पत्ती का झुलसा रोग के प्रकोप में सबसे अधिक कमी टेबुकोनाजोल (Tebuconazole) का उपयोग करने में, उसके बाद हेक्साकोनाजोल (Hexaconazole) का उपयोग करने में देखी गई, हालांकि अंतर ज्यादा नहीं था। छोटी इलायची में प्रकंद की सड़न और सूत्रकृमि के प्रबंधन के लिए ट्राइकोडर्मा एस्परेलम (Trichoderma asperellum) और पोचोनिया क्लैमाइडोस्पोरिया (Pochonia chlamydosporia) की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए अवलोकनात्मक क्षेत्र परीक्षण किया गया। प्रकंद के सड़न की घटना में सबसे अधिक कमी ट्राइकोडर्मा एस्परेलम (Trichoderma asperellum) टैल्क फार्मूलेशन का उपयोग करने में, उसके बाद मेटालैक्सिल (Metalaxyl) अ मैन्कोजेब (Mancozeb) का उपयोग करने में देखी गई, हालांकि अंतर ज्यादा नहीं था। इलायची के पत्तों पर चिटोसन का उपयोग करने से रक्षा एंजाइम फेनिल एलानिन अमोनिया लाइस (phenyl alanine ammonia lyase, PAL) की गतिविधि 15.32 से बढ़कर 19.36 U/ml/मिनट हो गई, इसके बाद $CaCl^2$ अ चिटोसन (chitosan) का संयुक्त उपयोग किया गया, जिससे PAL गतिविधि में मामूली वृद्धि देखी गई, जो 14.11 से बढ़कर 15.15 U/ml/मिनट हो गई। इसी प्रकार, चिटोसन (chitosan) के उपयोग से परऑक्सीडेज (POD) गतिविधि 26.28 से बढ़कर 28.87 U/ml/मिनट हो गई तथा $CaCl^2$ अ चिटोसन (chitosan) के संयुक्त उपयोग से POD गतिविधि में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं देखी गई। ट्राइकोडर्मा हरजियानम (Trichoderma harzianum) का एक ग्राम वजन वाला हार्ड जिलेटिन कैप्सूल तैयार किया गया। बीजाणु छह महीने तक उपयुक्त, एवं खेत में उपयोग किए जा सकने में सक्षम पाए गए।

ख) बड़ी इलायची

एक सर्वेक्षण से पता चला कि झुलसा (0-100%) और लीफ रस्ट (0-100%) जैसे रोग पूरे वर्ष भर अपना प्रभाव दिखाते रहते हैं, तथा पत्तियों की सतह पर संक्रमण की मात्रा अलग-अलग होती है। विल्ट/शुष्क सड़न (5-78%) अक्टूबर से मार्च तक विशेष रूप से अधिक थी, इसके बाद पत्ती में धारियाँ (लीफ स्ट्रीक) (0-40%), जुलाई से सितम्बर तक चरम पर थीं। बड़ी इलायची पर फाइटोटॉक्सिसिटी अध्ययन से पता चला कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड (copper oxychloride) (0.15%, 0.3%, और 5.0%) और कॉपर हाइड्रॉक्साइड (copper hydroxide) फॉर्मूलेशन (0.15%, 0.3%, और 5.0%) की सभी खुराकों के परिणामस्वरूप पत्तियों पर जले हुए धब्बे जैसे फाइटोटॉक्सिक लक्षण विकसित हुए। हालाँकि, 1.0% बोर्डेक्स (Bordeaux) मिश्रण से पौधों की पत्तियों पर फाइटोटॉक्सिसिटी नहीं दिखाई दी। विभिन्न कापर मिश्रणों की खुराक बढ़ाने से इलायची के पौधों में फाइटोटॉक्सिसिटी के साथ-साथ इसके लक्षणों की गंभीरता भी बढ़ गई। पैराफिनिक तेल की अकेले और बायोएजेंट के साथ संयोजन में प्रभावकारिता का परीक्षण ब्लाइट और अन्य पत्ती रोगों के खिलाफ किया गया। परिणामों से पता चला कि बोर्डो मिश्रण (1.0%), पैराफिनिक तेल (0.5%) अ बैसिलस सबटिलिस (1.5%), पैराफिनिक तेल (1.0%) अ बैसिलस सबटिलिस (1.5%) और पैराफिनिक तेल (1.0%) अ स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस (1.5%) के साथ उपचार में ब्लाइट की घटना में कमी काफी अधिक और बराबर थी। किट्ट रोग के मामले में, बोर्डो मिश्रण (1.0%) के साथ उपचार ने रोग की घटनाओं में सबसे अधिक कमी दर्ज की। इसके बाद पैराफिनिक तेल (1.0%) अ बैसिलस सबटिलिस (1.5%) और पैराफिनिक तेल (1.0%) अ स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस (1.5%) का समान रूप से पालन किया गया। रोगग्रस्त पौधों के नमूनों से फंगल कल्चर अलग किया गया और स्वस्थ बड़ी इलायची के पौधों में उनकी रोग पैदा करने की क्षमता का आकलन करने के लिए अलग किये गए विभिन्न फंगल कल्चर की रोगजनकता का अध्ययन किया गया। इसके अलावा, ट्राइकोडर्मा (Trichoderma), स्यूडोमोनास (Pseudomonas) और अन्य जैव-एजेंट जैसे फॉस्फेट-घुलनशील सूक्ष्मजीव (18 प्रकार) को भी स्थानीय मिट्टी से अलग किया गया। विभिन्न जैविक सामग्रियों का, सब्सट्रेट के रूप में ट्राइकोडर्मा हरजियानम (Trichoderma harzianum) को सहारा देने में उनकी उपयोगिता के लिए परीक्षण किया गया। परीक्षण किये गये सब्सट्रेटों में, अधिकतम वृद्धि गाय के गोबर की खाद में देखी गयी, उसके बाद मिश्रित पत्तियों, बड़ी इलायची की डंडी और छद्म तने की खाद में वृद्धि देखी गयी। बड़ी इलायची की भूसी की खाद पर ट्राइकोडर्मा हरजियानम (Trichoderma harzianum) कॉलोनी की कोई वृद्धि नहीं देखी गई।

उ) कीटविज्ञान

क) छोटी इलाइची

नया कीटनाशक अणु, स्पिनेटोरम (Spinetoram) 12% च्क का मूल्यांकन दो मौसमों के दौरान केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न कृषि क्षेत्रों में किया गया और पाया गया कि 450 मिली प्रति हेक्टेयर की खुराक, थ्रिप्स और तना छेदक के खिलाफ, प्रभावी खुराक है और इससे छोटी इलायची पर कोई फाइटोटॉक्सिसिटी लक्षण भी उत्पन्न नहीं हुए। नए कीटनाशक अणुओं जैसे स्पिनेटोरम (Spinetoram) 12% SC (11.70% w/w), स्पिरोटेट्रामैट (Spirotetramat) 15.31% SC (w/w), साइंट्रानिलिप्रोल (Cyantraniliprole) 16.9% + लुफेनुरन (Lufenuron) 16.9% SC (मिनेक्टो (Minecto) + क 16.9% SC w/w), ब्रेफ्लैनिलाइड (Broflanilide) 20% SC (एलेक्टो (Alecto) 20% SC w/w) और क्लोरेंट्रानिलिप्रोल (Chlorantraniliprole) 18.5% SC (w/w) के जैव-प्रभावशीलता अध्ययन से पता चला कि स्पिनेटोरम (Spinetoram) 12% SC (0.45 मिली/लीटर), साइंट्रानिलिप्रोल (Cyantraniliprole) 16.9% SC + लुफेनुरन (Lufenuron) 16.9% SC (0.5 मिली/लीटर) और ब्रेफ्लैनिलाइड (Broflanilide) 20% SC (0.75 मिली/लीटर) के संयोजन की उच्च खुराक से थ्रिप्स और तना छेदक कारण होने वाली क्षति काफी कम हो जाती है। कीट परजीवियों और प्राकृतिक शत्रुओं की इडुक्की, केरल के विभिन्न क्षेत्रों में निगरानी आयोजित की गई और पौधों पर छोटे कीट का प्रकोप (द्वितीयक), इलायची स्केल्स (45.5 से 56.5% तक) दर्ज किया गया। इलायची स्केल्स के प्रकोप के प्रबंधन के लिए उपयुक्त जैव-तर्कसंगत प्रबंधन पद्धति का सुझाव दिया गया।

जिन किसानों के खेतों में कीटनाशकों के आवश्यकता आधारित उपयोग और भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान की क्ष्घ अनुसूची की सिफारिशों को अपनाया गया था, उनसे एकत्रित इलायची कैप्सूल में कीटनाशक अवशेष का स्तर, पता लगाने योग्य स्तर (BDL) से नीचे था। इलायची को नुकसान पहुंचाने वाले मृत रूट ग्रब्स (जड़ के कीटों) से एंटोमोपैथोजेनिक कवक के तीन स्थानीय उपभेदों अर्थात मेटारिज़ियम प्रजाति (Metarhizium sp.) को अलग किया गया था। इसी प्रकार, भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान फार्म, मैलाडुंपारा में इलायची को प्रभावित करने वाले मृत तना छेदक से एन्टोमोपैथोजेनिक (entomopathogenic) बैक्टीरिया के स्थानीय प्रकार को अलग किया गया था।

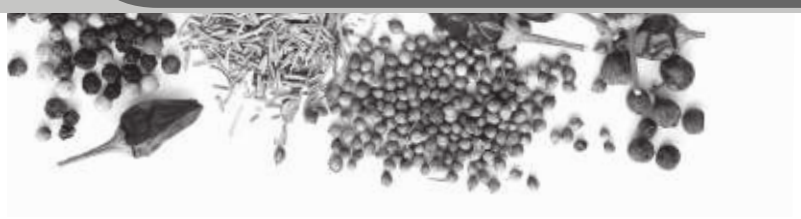

भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान फार्म, मैलाडुंपारा के विभिन्न ब्लॉकों में कीट परजीवियों और उनके प्राकृतिक शत्रुओं की निगरानी से पता चला कि छोटे कीटों का कोई द्वितीयक प्रकोप नहीं हुआ और थ्रिप्स और आक्रामक विदेशी कीटों का भी कोई प्रकोप नहीं हुआ। भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान फार्म में रूट ग्रब, रूट नॉट नेमाटोड (PPN) और रूट मीली बग का प्रकोप भी बहुत न्यूनतम (5.0% से कम) था।

ख) बड़ी इलायची

पूर्वोत्तर भारत के प्रमुख बड़ी इलायची उत्पादन वाले क्षेत्रों में, जिनमें सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय और पश्चिम बंगाल का कलिम्पोंग जिला शामिल है, दो प्रकार की कीट निगरानी, अर्थात् घुमंतू और भूखंड में स्थिर, आयोजित की गई थी। प्राकृतिक शत्रुओं की सक्रियता के कारण कीटों का प्रकोप नियंत्रण में था तथा किसी भी आक्रामक कीट का प्रकोप दर्ज नहीं किया गया था। हालाँकि, बड़ी इलायची पर मानव-पशु टकराव, विशेष रूप से बंदरों का आतंक देखा गया।

बड़ी इलायची में कैप्सूल बनने पर अजैविक कारकों (वर्षा) और जैविक कारकों (परागण कर्ताओं) की भूमिका पर अध्ययन जारी था। अवलोकनों से पता चला कि जब वर्षा (अजैविक) और परागण (जैविक) एक साथ हुए तो कैप्सूल बनना सबसे अधिक (26.03%) था। परागणकर्ताओं के संरक्षण की दिशा में प्रयास किए गए। मधुमक्खियों की आबादी बढ़ाने के लिए, ग्रामीणों के पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करते हुए मौरीकोड्डुर नामक कृत्रिम आश्रयों (मधुमक्खी पालन संरचनाओं) का निर्माण किया गया, जिसके परिणामस्वरूप 33.33% की सफलता दर प्राप्त हुई। भौंरों के संरक्षण के लिए, कृषि कार्यों के दौरान मिट्टी में बने उनके घोंसलों को नुकसान न पहुंचाने का ध्यान रखा गया, तथा परागणकर्ताओं के लिए निर्बाध भोजन आपूर्ति बनाए रखने के लिए खेतों में फूलदार पौधे लगाए गए।

बड़ी इलायची के कीटों के खिलाफ स्वदेशी तकनीकी ज्ञान (ITK) के सत्यापन के भाग के रूप में, पत्ती खाने वाले कैटरपिलर (आर्टोना चोरिस्ता, Artona chorista) पर एक जैव-परीक्षण अध्ययन किया गया, जिसमें पत्ती उपचार विधि के उपयोग की आवश्यकता में 56.25% तक कमी देखी गई।

प्रयोगशाला स्थितियों में कैप्सूल बोरर (जैमाइड्स एलेक्टो, Jamides alecto) के अण्डे के ऊष्मायन काल, लार्वा-प्यूपा विकास काल, तथा वयस्क उत्तरजीविता को रिकॉर्ड किया गया। परिणामों से पता चला कि प्रत्येक जीवन चरण का विकास समय तापमान और सापेक्ष आर्द्रता से काफी हद तक प्रभावित होता है, जो दर्शाता है कि तापमान में वृद्धि से कीट का प्रकोप अधिक हो सकता है। प्राकृतिक परिस्थितियों में कैप्सूल बेधक लार्वा और प्यूपा को प्रभावित करने वाले एन्टोमोपैथोजेनिक कवकों को अलग किया जा रहा है, तथा उनकी पहचान और जैवपरीक्षण अध्ययन जारी हैं।

बड़ी इलायची में कीट-सहनशील प्रजातियों की पहचान के लिए अध्ययन किए गए सात जीनोटाइप में से, गोल्सी (Golsey) किस्म में लीफ कैटरपिलर का प्रकोप सबसे कम (3.59) और शूटफ्लाई का (2.91) देखा गया, जबकि स्टेम बोरर का प्रकोप सेरेमना (Seremna) में सबसे कम (0.93) और रूट ग्रब का संक्रमण रैम्सी (Ramsey) किस्म में सबसे कम (1.29) पाया गया।

ऊ) प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण

क) छोटी इलायची

छोटी इलायची और कालीमिर्च की विभिन्न किस्मों की लगभग 18,200 गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री का भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान मैलाडुंपारा में उत्पादन किया गया और किसानों को आपूर्ति की गई। केरल के इडुक्की जिले, तमिलनाडु और कर्नाटक के कार्डामम हिल रिजर्व के 1, 439 मृदा नमूनों से लगभग 17,268 मृदा उर्वरता मापदंडों का परीक्षण किया गया और परिणामों के आधार पर सिफारिशें दी गईं। स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस (Pseudomonas fluorescens) (1,747 लीटर) और ट्राइकोडर्मा हरजियानम (Trichoderma harzianum) (1,529 लीटर) के तरल फॉर्मूलेशन का उत्पादन किया गया और मसालों में रोग प्रबंधन के लिए किसानों को इसकी आपूर्ति की गई। एन्टोमोपैथोजेनिक नेमाटोड (Entomopathogenic nematode) (भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान EPN 18) के लगभग 15,600 गैलेरिया कैडावर्स (Galleria cadavers) का उत्पादन किया गया और छोटी इलायची में रूट ग्रब प्रबंधन के लिए किसानों को इसकी आपूर्ति की गई। विभिन्न मसाला उत्पादक क्षेत्रों में पंद्रह मोबाइल मसाला क्लिनिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनसे लगभग 300 किसान लाभान्वित हुए। नए पैकिंग कार्डबोर्ड बॉक्स और पॉलीथीन कवर में 10 जैव एजेंटों के पाउडर फॉर्मूलेशन तैयार किए गए। इन उत्पादों को 26 फरवरी 2024 को आयोजित स्पाइसेस बोर्ड की स्थापना दिवस समारोह के दौरान वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव और स्पाइसेस बोर्ड के अध्यक्ष श्री अमरदीप सिंह भाटिया, आईएएस द्वारा जारी किया गया।

फार्म गेट स्तर पर कीटनाशक अवशेष विश्लेषण के लिए भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान मैलाडुम्पारा में राज्य बागवानी मिशन (SHM) केरल के वित्त पोषण से एक गुणवत्ता

मूल्यांकन प्रयोगशाला (गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला) की स्थापना की गई। इस गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशाला का उद्घाटन वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अपर सचिव एवं स्पाइसेस बोर्ड के अध्यक्ष श्री अमरदीप सिंह भाटिया, आईएएस द्वारा 31 जनवरी 2024 को किया गया था। डॉ. के. प्रदीप कुमार और उनकी टीम को "पारंपरिक पौध प्रजनन तकनीकों के माध्यम से विकसित एक नया छोटी इलायची क्लोन" शीर्षक वाले सर्वश्रेष्ठ मौलिक शोध पत्र के लिए प्रतिष्ठित डॉ. आर. एल. नरसिम्हास्वामी स्मारक पुरस्कार दिया गया और इसे 12-14 दिसंबर 2023 के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय ऑयल पाम अनुसंधान संस्थान (ICAR-IIOPR), पेडावेगी, आंध्र प्रदेश में आयोजित 25वें प्लाक्रोसिम में प्रस्तुत किया गया।

ख) बड़ी इलायची

वर्ष 2023-24 के दौरान, सिक्किम, दार्जिलिंग और पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग जिलों में बड़ी इलायची के विभिन्न पहलुओं को कवर करते हुए छह मसाला क्लीनिक आयोजित किए गए। कृषि परामर्श सेवा के एक भाग के रूप में, 65 बड़ी इलायची के खेतों का दौरा किया गया, तथा बागान सुधार के लिए आवश्यक कृषि परामर्श प्रदान किए गए। इसके अलावा, दो प्रदर्शनियों में भाग लिया गया जहां बड़ी इलायची में अनुसंधान गतिविधियों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया। मेरा युवा भारत कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सुगंध उद्योग मंथन पहल के अंतर्गत युवा मसाला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए खेती, गुणवत्ता प्रबंधन और निर्यात पर दो बूट कैंप आयोजित किए गए। चित्रमय बड़ी इलायची गाइड का 7वां संस्करण (अंग्रेजी और नेपाली भाषा में) प्रकाशित किया गया, और बड़ी इलायची पर अपडेट की गई पौध संरक्षण संहिता (दूसरा संस्करण) जारी किया गया।

ऋ कटाई-पश्चात प्रौद्योगिकी

क) बड़ी इलायची

बड़ी इलायची के कैप्सूल के भंडारण और शेल्फ लाइफ में सुधार के लिए विभिन्न पैकेजिंग सामग्रियों, अर्थात् बोरियों, पॉलिथीन-लाइन वाली बोरियों, प्लास्टिक की थैलियों, पॉलिथीन-लाइन वाली प्लास्टिक की थैलियों, पॉलिथीन की थैलियों और अनाज समर्थक थैलियों पर एक अध्ययन किया गया। प्रयोग के आरंभ में और पैकेजिंग के एक महीने बाद सूक्ष्मजीवी आबादी (बैक्टीरिया और कवक) की गणना की गई थी। प्लास्टिक की थैलियों में, देखा गया कि बैक्टीरिया की संख्या एक महीने के बाद भी समान बनी रही ($2.2x10^3$ cfu/g शुष्क कैप्सूल)। हालांकि, कवक की वृद्धि $2.5x10^2$ cfu/g से बढ़कर $2.8x10^2$ cfu/g सूखी कैप्सूल हो गई।

इसी तरह, अनाज प्रो बैग में, देखा गया कि कवक की संख्या एक महीने के बाद भी समान ($2.5x10^2$ cfu/g सूखी कैप्सूल) रही, लेकिन बैक्टीरिया की वृद्धि $2.2x10^3$ cfu/g से बढ़कर $2.6x10^3$ cfu/g सूखी कैप्सूल हो गई। इस पहलू पर काम अभी भी जारी है।

ए) बाहर से वित्तपोषित परियोजनाएँ

क) छोटी इलायची

केरल के राज्य बागवानी मिशन ने वर्ष 2023-24 के दौरान "भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान, स्पाइसेस बोर्ड, मैलाडुंपारा, इडुक्की जिले में हाई-टेक इलायची और कालीमिर्च नर्सरी का विकास" नामक परियोजना के लिए एक करोड़ रुपये मंजूर किए।

ख) बड़ी इलायची

अरुणाचल प्रदेश के निचले सुबनसिरी जिले से एकत्रित की गईं दो प्राप्तियों के साथ, बड़ी इलायची के जर्मप्लाज्म की निगरानी और रखरखाव किया गया, और उन्हें जर्मप्लाज्म संरक्षण में शामिल करने के लिए संगरोध में रखा गया। इससे अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना (AICRPS) के अंतर्गत कुल संग्रह बढ़कर 57 हो गया। सात आशाजनक जीनोटाइप (रामला-2, गोल्सी-2, रैम्सी-1, सॉनी-1 और वर्लांगे-1) के साथ किस्मों के विमोचन की दिशा में बड़ी इलायची पर एक नया समन्वित वैरिएटल परीक्षण (क्ज्ट्र) शुरू किया गया। सिक्किम के मंगन जिले के रोंगपा में किसानों के खेतों में लगातार दूसरे वर्ष मल्चिंग सामग्री की प्रभावशीलता का मूल्यांकन किया गया, जिसमें पुष्टि हुई कि 1.70 किग्रा/पौधा की दर से लीफ मोल्ड का प्रयोग बड़ी इलायची की खेती के लिए सर्वोत्तम उपचार है।

इस अवधि के दौरान, अखिल भारतीय समन्वित मसाला अनुसंधान परियोजना (AICRPS) के अंतर्गत तीन मसाला क्लिनिक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें 66 किसानों (13 महिला और 53 पुरुष) ने सक्रिय रूप से भाग लिया। सिक्किम के मंगन जिले के काबी में स्थित भारतीय इलायची अनुसंधान संस्थान, फार्म में, मेघा हल्दी-1 केंद्रिक बीज उत्पादन ब्लॉक की निगरानी और रखरखाव किया गया।

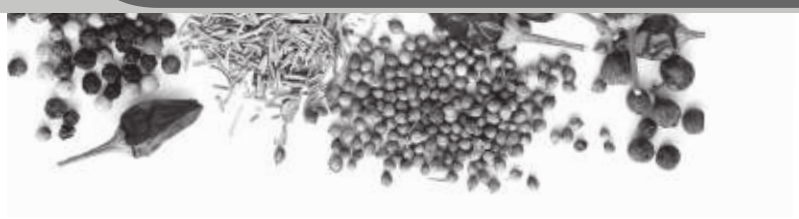

11

सूचना प्रौद्योगिकी और इलक्ट्रॉनिक डाटा प्रक्रमण

सूचना प्रौद्योगिकी के लाभ के साथ स्पाइसेस बोर्ड की गतिविधियों में काफी बदलाव आया है। कई मैनुअल संचालन को ऑनलाइन सिस्टम से बदल दिया गया जो बोर्ड के विभिन्न विभागों के कार्यभार को प्रभावी ढंग से कम किया और संचालन के समय को भी कम किया। ईडीपी विभाग उनके साथ काम करके बोर्ड के विभिन्न विभागों में सूचना प्रौद्योगिकी के उपयोग की सुविधा प्रदान करता है। वास्तव में, यह पूरी प्रणाली को तेज और अधिक उत्पादी बनाता है और बोर्ड को अधिक कुशलता से प्रदर्शन करने में सक्षम बनाता है।

क. ईडीपी विभाग की मुख्य गतिविधियाँ

क) सूचना प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग के लिए बोर्ड के विभिन्न विभागों और कार्यालयों को सलाह देना, उनका माग्रदर्शन और सहायता करना।

ख) मौजूदा एप्लिकेशन, मैसेजिंग समाधान, इंटरनेट और वेबसाइट रखरखाव के लिए हेल्प डेस्क प्रबंधन।

ग) हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटाबेस, नेटवर्किंग और परिधीय उपकरण जैसे संगठन के व्यापाक आईटी संसाधनों का प्रशासन।

घ) प्रौद्योगिकी अधिग्रहण, एकीकरण और कार्यान्वयन के लिए रणनीति तैयार करना।

ङ) आईटी अवसंरचना का उन्नयन।

च) आईटी उपकरण और सॉफ्टवेयर के सुचारु कामकाज के लिए सिस्टम और प्रक्रियाओं को परिभाषित और कार्यान्वित करना।

छ) डेटा प्रोससिंग

ज) नए सिस्टम (या मौजूदा सिस्टम में संशोधन) की आवश्यकता की पहचान करना और उपयोगकर्ताओं के अनुरोधों का जवाब देना।

झ) सूचना प्रणाली और एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर की डिजाइन, विकास, प्रलेखन, परीक्षण, कार्यान्वयन और रखरखाव।

ञ) बोर्ड की वेबसाइट indianspices.com, spicesboard.in, indianspices.org.in, worldspicecongress.com एवं ccsch.in. का रखरखाव और अद्यतनीकरण।

ट) कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम को तैयार और संचालित करना।

ख. वर्ष 2023-24 की प्रमुख उपलब्धियाँ

- बोर्ड की तीन योजनाओं को सर्विस प्लस में शामिल किया गया
- ऑनलाइन भुगतान प्राप्त करने के लिए भुगतान गेटवे एकीकरण के साथ निर्यात सहायता प्रणाली (ईएसएस) को उन्नत किया गया

ग) साइबर सुरक्षा दिशानिर्देशों के अनुपालन पर स्थिति नोट

स्पाइसेस बोर्ड ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के माध्यम से प्रमुख अनुप्रयोगों को सफलतापूर्वक MeitY पैनलबद्ध क्लाउड सर्वर पर स्थानांतरित और कार्यान्वित किया है। इन अनुप्रयोगों का CERT-in के पैनलबद्ध एजेंसियों द्वारा सुरक्षा ऑडिट किया गया है और इनमें आपदा रिकवरी (DR) तंत्र मौजूद हैं।

बोर्ड सर्विस प्लस और ई-ऑफिस जैसे अतिरिक्त अनुप्रयोगों का उपयोग करता है जिन्हें एन आई सी द्वारा विकसित और अनुरक्षित किया जाता है और सक्रिय आपदा रिकवरी तंत्र के साथ सुरक्षित क्लाउड सर्वर पर होस्ट किया जाता है।

स्पाइसेस बोर्ड द्वारा बनाए गए अनुप्रयोगों ने दैनिक, मासिक और वार्षिक बैकअप को शामिल करते हुए एक व्यापक बैक-अप रणनीति लागू की है, जिसकी नियमित रूप से समीक्षा की जाती है। सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन बैकअप को कई क्लाउड इंस्टेंस में संग्रहीत किया जाता है। किसी भी आवश्यकता के मामले में, बोर्ड उपलब्ध बैकअप का उपयोग करके सर्वर को पुनर्स्थापित करने में सक्षम है।

12

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का कार्यान्वयन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (2005 का 22) संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था और राष्ट्रपति की स्वीकृति 15 जून 2005 को प्राप्त हूई थी। अधिनियम का उद्देश्य सार्वजनिक प्राधिकरण के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के क्रम में , सार्वजनिक पराधिकरमों के नियंत्रण के अधीन की जानकारी सुरक्षित रूप से प्राप्त करने हेतु नागरिकों को सूचना के अधिकार का एक व्यावहारिक शासन व्यवस्था स्थापित करना है। नागरिक सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत बोर्ड की जानकारी तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं और अधिनियम की धारा 8 के तहत अधिसूचित कुछ जानकारी को छोड़कर निर्धारित शुल्क के भुगतान पर बोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

बोर्ड सूचना का अधिकार अधिनियम को कारगर ढंग से कार्यान्वित किया है और इस संबंध में सरकार के सभी निर्देशों का अनुालन किया है। बोर्ड ने केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों द्वारा प्रेषित सूचना के प्रसारण के समायोजन हेतु उपनिदेशक (लेखापरीक्षा और सतर्कता) को समन्वयक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी के रूप में नामित किया। मुख्यालय में एक सहायक समन्वयक केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को भी नामित किया गया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के प्रसारण के लिए बोर्ड ने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 5 (2) के तहत मुख्यालय में सात केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) और अनुसंधान स्टेशन, मैलाडुम्पारा, इडुक्की में एक केंद्रीय सार्वजनिक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) को पदनामित किया गया था। निदेशक (अनुसंधान), स्पाइसेस बोर्ड को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नामित किया गया है और सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के सक्रिय प्रकटीकरण दिशानिर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उप निदेशक (लेखापरीक्षा और सतर्कता) को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है। उप निदेशक (ईडीपी) को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अंतर्गत दायित्वों के कार्यन्वयन की देखरेख के लिए बोर्ड के 'पारदर्शिता अधिकारी' के रूप में नामित किया गया है। बोर्ड ने हर सूचना, जो प्रकट करना अपेक्षित है, को स्वप्रेरणा से, ऐसे प्रारूप और रीति में बोर्ड के आधिकारिक वेबसाइट के ज़रिए आवश्यक जानकारी का ऐसे प्राकार और रूप में प्रकट किया है, जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1) जनता के लिए सहज रूप से पहुँच योग्य है। वर्ष 2022-23 के दौरान, कुल 74 सूचना का अधिकार आवेदन (भौतिक रूप से और ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से) और 15 अपीलें प्राप्त हुईं और निर्धारित समय के भीतर सभी मामलों में सूचना का प्रसार किया गया। इस अवधि के दौरान केंद्रीय सूचना आयोग(सीआईसी) की एक सुनवाई हुई। आरटीआई पंजीकरण शुल्क के रूप में 140 रुपए प्राप्त हुए। केंद्रीय सूचना आयोग की वोबसाइट पर निर्धारित क्रम के अनुसार त्रैमासिक आरटीआई विवरणी (पहली तिमाही से चौथी तिमाही तक) का अद्यतनीकरण किया गया।

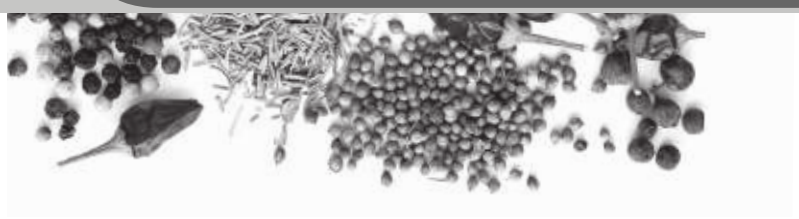

भविष्य की ओर

भारत दुनिया में मसालों और मसाला उत्पादों का अग्रणी उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। भारत के कुल कृषि निर्यात में मसालों का योगदान लगभग नौ प्रतिशत और भारत के कुल बागवानी निर्यात में 40 प्रतिशत से अधिक है। भारतीय मसाला क्षेत्र वैश्विक स्तर पर मसालों और मूल्य वर्धित मसाला उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला के एक विश्वसनीय आपूर्तिकर्ता के रूप में उभरा है और वर्तमान में 180 से अधिक देशों को 225 से अधिक अद्वितीय उत्पादों का निर्यात करता है।

देश में विविध कृषि-जलवायु क्षेत्रों की उपस्थिति भारत के लगभग सभी राज्यों में मसालों के उत्पादन को सुविधाजनक बनाती है। स्पाइसेस बोर्ड के हस्तक्षेप ने मसालों के निर्यात को वर्ष 1987 के 229.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 4.46 बिलियन अमेरिकी डॉलर करने में मदद की है। इसके अलावा, वर्ष 2013-14 और 2023-24 के बीच, भारत के मसालों के निर्यात में मात्रा में 88 प्रतिशत और मूल्य (रुपये) में 169 प्रतिशत और मूल्य (यूएसडी) में 97 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिसमें मात्रा में सात प्रतिशत सीएजीआर और मूल्य (रुपये) में 10 प्रतिशत और मूल्य (यूएसडी) में सात प्रतिशत की वृद्धि हुई।

मसालों की वैश्विक मांग में कोविड-19 महामारी के बाद महत्वपूर्ण वृद्धि देखी गई है, जो बड़े पैमाने पर स्वास्थ्य और कल्याण पर ध्यान केंद्रित करने से प्रेरित है। मसालों, जो लंबे समय से अपने औषधीय गुणों के लिए पहचाने जाते हैं, ने प्रतिरक्षा बढ़ाने और प्राकृतिक स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की उनकी क्षमता के लिए नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया है। निवारक देखभाल पर बढ़ते ध्यान ने हल्दी, अदरक और लहसुन जैसे मसालों को उनके सूजनरोधी, एंटीवायरल और एंटीऑक्सिडेंट गुणों के लिए व्यापक रूप से स्वीकार किया है।

मांग में इस वृद्धि ने मसालों की खपत और विपणन के तरीके में विविधीकरण को भी जन्म दिया है। पारंपरिक साबुत मसालों और पाउडर के अलावा, वाष्पशील तेल, तैलीराल और मसाले के अर्क जैसे उच्च मूल्य वाले व्युत्पन्न के उत्पादन और खपत में वृद्धि हुई है, जिनका उपयोग न्यूट्रास्यूटिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स और यहां तक कि सौंदर्य प्रसाधनों में भी किया जाता है। ये उत्पाद केंद्रित लाभ प्रदान करते हैं और विश्व स्तर पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बाजारों में तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। चूंकि उपभोक्ता कल्याण के लिए प्राकृतिक, पौधे-आधारित विकल्पों की तलाश करते हैं, मसाला उद्योग मसालों की चिकित्सीय क्षमता का लाभ उठाने वाले अभिनव उत्पादों के साथ इस मांग को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए तैयार है।

मसालों और मसाला उत्पादों के निर्यात में लगातार प्रगति के बावजूद, यह उल्लेखनीय है कि भारत के मसाला निर्यात बास्केट में मूल्य वर्धित उत्पादों की हिस्सेदारी पिछले कुछ वर्षों में लगभग 50 प्रतिशत पर स्थिर रही है। भारतीय मसाला उद्योग सीमित तकनीकी प्रगति और प्रसंस्करण के लिए अपर्याप्त बुनियादी ढांचे जैसी चुनौतियों का सामना कर रहा है। इन अंतरालों को पाटने से वैश्विक मूल्य वर्धित मसाला बाजार में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को काफी बढ़ावा मिल सकता है, जिससे यह न्यूट्रास्यूटिकल्स, सौंदर्य प्रसाधन और फार्मास्यूटिकल्स जैसे उच्च मांग वाले क्षेत्रों के बड़े हिस्से पर कब्जा कर सकता है।

नए उत्पादों के लिए नए बाजार बनाने में उनकी सफलता की ऊँची एड़ी के जूते पर, अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और पेय निगम (TFBCs) वैश्विक खाद्य उद्योग पर हावी रहे हैं। समवर्ती रूप से, सुविधा खाद्य क्षेत्र, जिसमें रेडी टू ईट (आरटीई), रेडी टू कुक (आरटीसी) और रेडी टू ड्रिंक (आरटीडी) उत्पाद शामिल हैं, ने हाल के वर्षों में कामकाजी आबादी के बीच सुविधाजनक और आसानी से तैयार होने वाले भोजन की बढ़ती प्राथमिकता के कारण महत्वपूर्ण वृद्धि का अनुभव किया है। यह वृद्धि एक मजबूत नियामक ढांचे, अनुसंधान और विकास पहल द्वारा समर्थित है। सुविधाजनक भोजन विकल्पों की बढ़ती लोकप्रियता बाजार के विस्तार में योगदान देने वाला एक प्रमुख कारक है। कोविड-19 महामारी, इसके लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग उपायों के साथ, रेडी-टू-ईट (RTE) खाद्य पदार्थों की मांग को और तेज कर दिया है, क्योंकि उपभोक्ता लंबे समय तक शेल्फ जीवन और न्यूनतम तैयारी के समय वाले उत्पादों की तलाश करते हैं। मसाला क्षेत्र न केवल स्वाद और सुगंध जोड़कर सुविधाजनक खाद्य क्षेत्र में मूल्य जोड़ सकता है, बल्कि मसालों के संरक्षक और पोषण गुणों के माध्यम से उत्पादों की शेल्फ लाइफ का समर्थन कर सकता है।

वैश्विक औद्योगिक खाद्य प्रसंस्करण में बदलाव देखे जा रहे हैं और उपभोक्ता वरीयताओं और नियामक आवश्यकताओं के साथ उत्पादन को संरेखित करने के लिए बाजार की जरूरतों की गहरी समझ आवश्यक है। सभी हितधारकों- किसानों, प्रोसेसरों, निर्यातकों और नियामकों के बीच सहयोगात्मक प्रयास एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने के लिए आवश्यक हैं जो मसाला क्षेत्र में विकास और प्रतिस्पर्धात्मकता का समर्थन करता है। मूल्य श्रृंखला में भारतीय मसालों की गुणवत्ता और सुरक्षा को बनाए रखने और बढ़ाने पर एक महत्वपूर्ण ध्यान, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के कड़े मानकों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है।

यह क्षेत्र मसालों की गुणवत्ता और सुरक्षा पहलुओं पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखेगा, ताकि भारत से निर्यात किए जाने वाले मसालों का आयातक देशों के गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों के अनुपालन में सक्षम बनाया जा सके, जिससे गुणवत्ता और सुरक्षा के पर्याय बन गए भारतीय मसालों के लिए एक ब्रंड छवि का निर्माण किया जा सके।

भारतीय मसाला क्षेत्र के आगे विस्तार और संवर्धन की विशाल क्षमता की पृष्ठभूमि के खिलाफ, बोर्ड ने निम्नलिखित विशन और मिशन निर्धारित किए हैं।

विशन

मसालों और मूल्य वर्धित मसाला उत्पादों के वैश्विक व्यापार में नेतृत्व को बनाए रखने के लिए, जिससे भारत से कृषि निर्यात के विकास में योगदान दिया जा सके।

मिशन

वैश्विक मसाला बाजार के औद्योगिक और खुदरा क्षेत्रों में स्वच्छ, सुरक्षित और मूल्य वर्धित मसालों और मसालों के उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंस्करण केंद्र और प्रमुख आपूर्तिकर्ता बनने के लिए

भविष्य के हस्तक्षेप के प्रमुख क्षेत्र होंगे

- मसालों में उच्चतर अन्त्य मूल्यवर्धन के लिए भारतीय मसाला क्षेत्र की विनिर्माण क्षमता का सुदृढ़ीकरण/उन्नयन।
- निर्यात पर ध्यान केंद्रित करते हुए नए और अभिनव मसाला उत्पादों/प्रक्रियाओं में अपने अभिनव विचारों को विकसित करने के लिए मसाला क्षेत्र में निर्यातकों/उद्यमियों/स्टार्ट-अप/एफपीओ को इनक्यूबेट और बढ़ावा देने के लिए स्पाइस इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने के लिए विशेषज्ञ संस्थानों की पहचान करना और उनके साथ समझौता करना।
- मसालों और खाद्य क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति में बदलाव के साथ तालमेल रखने और इस क्षेत्र में व्यापार क्षमता में सुधार जारी रखने के लिए, भारतीय मसाला उद्योग में परिवर्तन लाने के लिए कई तकनीकी हस्तक्षेपों का प्रस्ताव किया गया है, जिसमें इनक्यूबेशन केंद्रों, डिजिटलीकरण आदि के माध्यम से तकनीकी नवाचारों का समर्थन करना शामिल है। इसके अलावा, मसाला उत्पादकों और निर्यातकों को जोड़ने के लिए प्रौद्योगिकी-आधारित उपकरणों/प्लेटफार्मों के उपयोग को मजबूत करने का प्रस्ताव है, जिससे निर्यात के लिए ट्रेसबिलिटी सक्षम प्रत्यक्ष सोर्सिंग की सुविधा मिल सके।
- मसालों के विभिन्न गुणों के आधार पर नए उत्पादों और अनुप्रयोगों के विकास के लिए ध्यान केंद्रित किया जाएगा और वैश्विक मसाला क्षेत्र की बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं के अनुरूप नए उत्पादों को विकसित किया जाएगा।
- मसालों के निर्यात संवर्धन के लिए संभावित बाजारों पर, नए मसाला उत्पाद, साथ ही मौजूदा बाजारों और उत्पादों में उपस्थिति को मजबूत करने के लिए रणनीतियों पर अध्ययन करना।
- संभावित निर्यात गंतव्यों में दूतावासों के साथ समन्वय में प्रचार अभियान चलाएं।
- लागू मानकों के अनुपालन के साथ-साथ वैज्ञानिक साक्ष्य के आधार पर निर्यात परेषणों की गुणवत्ता और सुरक्षा पहलुओं का मूल्यांकन करने के लिए गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम।
- व्यापार की नियामक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए गुणवत्ता मूल्यांकन प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण
- वर्ष 2027-28 तक छोटी इलायची के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार लाकर क्रमशः 31000 मीट्रिक टन और 636 किग्रा/हेक्टेयर तथा बड़ी इलायची का उत्पादन और उत्पादकता क्रमशः 13500 मीट्रिक टन और 410 किग्रा/हेक्टेयर करने के लिए हस्तक्षेप।
- गुणवत्ताप्रद मसालों और मूल्यवधत मसाला उत्पादों के निर्यात योग्य अधिशेष के सृजन को बढ़ाने की दृष्टि से मसालों के फसलोपरान्त प्रबंधन के लिए संकेन्द्रित प्रयास करना। इसके अलावा, आयात प्रतिस्थापन आदि

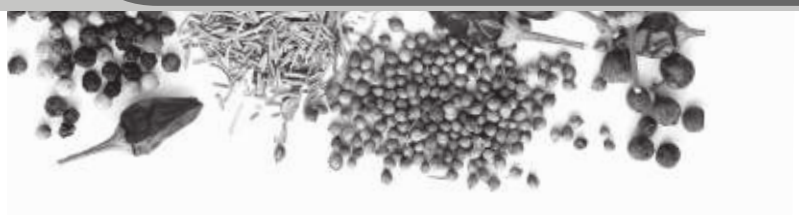

को सुविधाजनक बनाने की दृष्टि से पूर्वोत्तर क्षेत्र के मसालों, जीआई मसालों, आंतरिक पैरामीटरों से भरपूर मसाला किस्मों की सहायता के लिए तैयार किए गए कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित करना।

- बाजार संपर्क बनाने और पोषित करने, जीआई टैग किए गए मसालों आदि को बढ़ावा देने के लिए व्यापार संवर्धन पहलों को मजबूत किया जाएगा।
- जैव-पूर्वेक्षण, जलवायु अनुकूल पद्धतियों, अन्य उन्नत हस्तक्षेपों, निर्यात पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पेटेंट और वाणिज्यीकरण का पता लगाने के लिए नवोन्मेषी केन्द्र आदि जैसे उभरते पहलुओं के संबंध में मसाला क्षेत्र को बहु-आयामी सहायता प्रदान करने के लिए अनुप्रयुक्त अनुसंधान हस्तक्षेप करना.
- क्षेत्र में विभिन्न उभरती आवश्यकताओं पर मसाला क्षेत्र के हितधारकों के लिए क्षमता निर्माण की पहल करने से सूचना विनिमय और ज्ञान हस्तांतरण में मदद मिलेगी जिससे भारत के मसाला क्षेत्र के समग्र विकास और निर्यात संवर्धन में योगदान होगा।
- मसाला क्षेत्रों से संबंधित सभी उत्पादों, सेवाओं और सूचनाओं के लिए समाधान प्रदान करने के लिए एकीकृत मोबाइल ऐप विकसित करना।

परिशिष्ट -1

31-03-2024 को समाप्त वर्ष केलिए स्पाइसेस बोर्ड के वार्षिक लेखे की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट केलिए जवाब तुलनपत्र, जैसेकि 31 मार्च, 2024 को है

क्रम सं	विषय	जवाब/प्रस्तावित कार्य
अ.	**देनदारियां**	
अ.1	उद्दिष्ट/धर्मस्व निधियां(अनुसूची 3)- ₹ 317 करोड उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि/सहायता अनुदान से प्राप्त अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास को उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि/संबंधित अनुदान में समायोजन/उपयोग के रूप में मूल्यह्रास प्रभार को मानने के बजाय आय और व्यय खाते में व्यय के रूप में दर्ज किया जा रहा था। इस प्रकार, उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि का संतुलन, वर्ष के लिए घाटा और कॉर्पस/पूंजी निधि को खातों में सही ढंग से नहीं बताया गया। हालांकि, उद्दिष्ट/धर्मस्व निधि से प्राप्त संपत्तियों और सहायता अनुदान से प्राप्त संपत्तियों के विवरण की अनुपलब्धता के कारण, लेखापरीक्षा मूल्यह्रास प्रभार के गलत लेखांकन के वित्तीय प्रभाव को निर्धारित नहीं कर सकी। पिछले वर्ष 2021-22 और 2022-23 में बार-बार की गई टिप्पणियों के बावजूद स्पाइसेस बोर्ड ने इस संबंध में कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की है ।	चूंकि ए एस आई डी ई योजना भारत सरकार की ओर से एक सहायता कार्यक्रम थी, इसलिए इसे राजस्व अनुदान के रूप में माना जा सकता है, और इन परिसंपत्तियों को बोर्ड की परिसंपत्तियों के रूप में दर्ज करना उचित है। ए एस आई डी ई योजना अब सक्रिय नहीं है, और भारत सरकार ने इन योजनाओं के लिए धन देना बंद कर दिया है। इसके अलावा, चूंकि धर्मस्व निधि से प्राप्त परिसंपत्तियों को पहले ही भारत सरकार से प्राप्त अनुदान सहायता के विरुद्ध दर्ज किया जा चुका है, इसलिए धर्मस्व निधि के बजाय अनुदान के विरुद्ध मूल्यह्रास लगाया जाता है।
आ	**परिसंपत्तियां**	
आ.1	चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि- ऋण, अग्रिम (अनुसूची 11ख) : ₹28.85 करोड़ उपरोक्त में वर्ष 2017-18 से आगे बढ़ाए जा रहे ₹7.67 करोड़ के लंबे समय से लंबित अग्रिम शामिल हैं। बोर्ड इन राशियों की पहचान करने और उन्हें वसूलने में असमर्थ रहा, क्योंकि अग्रिमों का ब्यौरा पता नहीं चल पाया है। समय बीतने और प्रासंगिक अभिलेखों की अनुपस्थिति को देखते हुए, खातों में अग्रिमों के लिए प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए प्रावधान और घाटा ₹7.67 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई।	लेखापरीक्षा अवलोकन में पाया गया है कि कई अग्रिम राशि कई वर्षों से लंबित है। बोर्ड इन अग्रिम राशियों का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। यह समय लेने वाला कार्य होगा, क्योंकि अग्रिम राशियों का निपटान कई वर्षों से लंबित है। हालाँकि, इस मुद्दे को संबोधित करने और हल करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।
आ.2	चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण, अग्रिम आदि- चालू परिसंपत्तियाँ (अनुसूची 11क) : ₹261.84 करोड़ इसमें स्पाइसेस बोर्ड की पट्टे पर दी गई सुविधाओं के लिए फ्लेवरिट स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड से प्राप्त होने वाले संचित किराए के रूप में ₹0.62 करोड़ शामिल नहीं हैं। हालांकि फ्लेवरिट स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड के वर्ष 2023-24 के खातों के विवरण में (संबंधित पक्ष प्रकटीकरण के तहत) वर्ष के अंत में स्पाइसेस बोर्ड को पट्टे पर दी गई सुविधाओं के लिए देय संचित किराए के रूप में ₹0.87 करोड़ का समापन शेष दर्शाया गया है, स्पाइसेस बोर्ड की खाता बही में इस संबंध में कोई प्राप्य राशि नहीं दिखाई गई है। इस प्रकार, चालू परिसंपत्तियां, वर्ष के लिए घाटा और कॉर्पस/पूंजी निधि को क्रमशः 0.87 करोड़ रुपये, 0.25 करोड़ रुपये और 0.62 करोड़ रुपये कम दर्शाया गया।	लेखापरीक्षा की टिप्पणी नोट कर ली गई है। आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई शुरू कर दी गई है तथा उसे चालू वित्तीय वर्ष के लेखों में शामिल कर लिया जाएगा।

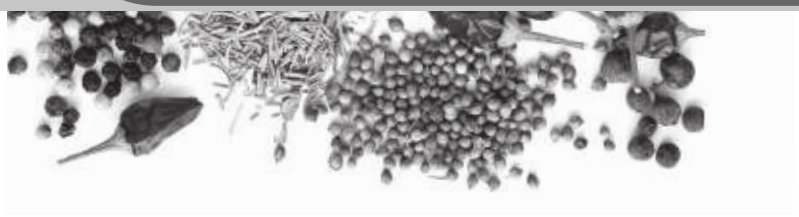

इ	**आय और व्यय विवरणी**	
इ.1	**आय** बिक्री/सेवाओं से आय (अनुसूची-12) - 17.75 करोड़ रुपये सेवाओं से आय - क) विश्लेषणात्मक शुल्कः 16.38 करोड़ रुपये। क) उपरोक्त में वर्ष के दौरान प्राप्त 12 करोड़ रुपये के विश्लेषणात्मक प्रभार, जिसे आय और व्यय विवरण के आय में लेखांकित किए बिना सीधे पेंशन (10 करोड़ रुपये) और मसालों के निर्यात में गुणवत्ता मानक (₹2 करोड़) (अनुसूची 57 के नोट-1-खातों पर टिपाणियां) के लिए उद्दिष्ट निधियों स्थानांतरित किए गए है, में शामिल नहीं की गई है। इसके परिणामस्वरूप बिक्री और सेवाओं से आय (विश्लेषणात्मक प्रभार) को कम करके दिखाया गया और आय और व्यय खाते में घाटे को ₹12 करोड़ की अत्यक्ति हुई है। इसके अलावा, 'पेंशन और मसालों के निर्यात में गुणवत्ता मानक के लिए निर्धारित निधियों में स्थानांतरण' को भी आय और व्यय खाते में ₹12 करोड़ कम करके दिखाया गया। ख) इसके अलावा, इस उद्देश्य केलिए गठित उद्दिष्ट निधि से ₹24.62 करोड़ का वार्षिक पेंशन भुगतान नहीं किया गया है और भारत सरकार से वर्ष के दौरान प्राप्त सामान्य सहायता अनुदान से इसका खर्च किया गया है। वर्ष 2021-22, 2022-23 के पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में भी इसकी टिप्पणी की गई थी।	क) स्वायत्त निकायों के लिए निर्धारित सामान्य प्रारूप के अनुसार, यदि हम किसी विशेष उद्देश्य के लिए आय में से कोई राशि निर्धारित रूप में दिखा रहे हैं, तो उसे अलग शीर्षक के अंतर्गत अनुसूची 3 में दिखाना होगा। कृपया ध्यान दें कि हम तुलनपत्र में आय और व्यय तथा अनुसूची 3 दोनों में आई इ बी आर के निर्धारित हिस्से को नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि परिसंपत्ति और देयता निर्धारित आई इ बी आर की सीमा से मेल नहीं खाएगी। यह सामान्य प्रारूप की प्रकृति है। इसलिए आमतौर पर यह आय पर निर्धारित आई इ बी आर की सीमा तक अतिरिक्त व्यय की वित्तीय तस्वीर बना देगा, भले ही वास्तविक अर्थों में कोई अतिरिक्त नकदी प्रवाह न हो। ख) बोर्ड ने, जैसेकि 31.03.2021 को है, बोर्ड की पेंशन देनदारियों का बीमांकिक मूल्यांकन किया है। बीमांकिक मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, बोर्ड की देनदारी ₹348.72 करोड़ है। (उपदान - ₹18.54 करोड़; पेंशन - ₹319.07 करोड़ ; छुट्टी नकदीकरण - ₹11.10 करोड़) यह 01.01.2004 से पहले और बाद में शामिल हुए कर्मचारियों के विवरण पर विचार करने के बाद निकाला गया है। 01.01.2004 से पहले शामिल हुए कर्मचारियों के संबंध में उपदान, छुट्टी नकदीकरण और मासिक पेंशन के लिए बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है। दिनांक 01.01.2004 के बाद शामिल हुए कर्मचारियों के संबंध में उपदान छुट्टी नकदीकरण के लिए बीमांकिक मूल्यांकन किया जाता है और हम एन एस डी एल के माध्यम से नई पेंशन योजना में कर्मचारी और नियोक्ता का योगदान भेज रहे हैं। कुल मूल्य 348.72 करोड़ रुपए में से बोर्ड ने 31.03.2024 तक 300.55 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले ही कर लिया है और इस प्रावधान के विरुद्ध वास्तविक निधि शेष ₹132.43 करोड़ है। शेष प्रावधान राशि ₹48.17 करोड़ है। चूंकि यह एक अत्यंत काल्पनिक घटना है, इसलिए यदि हम एक ही वित्तीय वर्ष में कुल राशि प्रदान करते हैं तो आय पर अतिरिक्त व्यय का प्रभाव मंत्रालय से प्राप्त अनुदान की तुलना में बहुत अधिक होगा। इसका प्रभाव लेखा नोट में भी दर्शाया गया है। बोर्ड शेष ₹48.17 करोड़ की राशि को भी समय-समय पर समान रूप से विभाजित करेगा।
ई.	**महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ व लेखों पर टिप्पणियाँ**	
	राजस्थान सरकार ने रामगंज मंडी, कोटा जिला, राजस्थान में 99 वर्षों केलिए 12.14 हेक्टेयर क्षेत्रवाली भूमि 99 वर्षों केलिए पट्टे पर निशुल्क आबंटित किया था। उस भूमि का स्पाइसेस बोर्ड के नाम पर पंजीकृत नहीं किया गया था। दूसरे पार्टियों द्वारा 0.61 हेक्टेयर के क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है। हालांकि, आबंटन के बाद, जिलाधीश महोदय ने भूमि के मूल्य के रूप में ₹1.33 करोड़ की मांग(2016) की गई थी। जिलाधीश महोदय से प्राप्त मांग के लिए उपरोक्त तथ्यों और आकस्मिक देयता का खुलासा लेखा टिप्पणियों में नहीं किया गया था। वर्ष 2010 में राजस्थान सरकार ने राजस्थान के कोटा जिले के रामगंजमंडी में 12.14 हेक्टयर भूमि 99 वर्ष के पट्टे पर निःशुल्क आवंटित की थी। पश्चिमी चारदीवारी के निर्माण के संबंध में विवाद के कारण राजस्व विभाग ने भूमि का पुनः सर्वेक्षण किया तथा पुष्टि की कि मूल रूप से आवंटित भूमि बोर्ड के कब्जे में है। भूमि का पंजीकरण नहीं हुआ क्योंकि यह राज्य सरकार से पट्टे पर ली गई थी।	आबंटन आदेश की प्रतियां तथा अन्य प्रासंगिक दस्तावेज लेखापरीक्षा के दौरान प्रस्तुत किए जाते हैं। कलेक्टर द्वारा भूमि की कीमत के रूप में ₹1.33 करोड़ की मांग करते हुए एक पत्र में बोर्ड ने न्यायालय का दरवाजा खट खटाया, जिसके परिणामस्वरूप 20.10.2016 को स्थगन आदेश जारी किया गया। मामला वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है।

संलग्नक-1		
	आंतरिक लेखापरीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता	
1.	लेखापरीक्षा को प्रस्तुत अभिलेखों के अनुसार, वर्ष 2023-24 के दौरान 83 कार्यालयों में से आठ इकाई कार्यालयों में आंतरिक लेखापरीक्षा की गई। स्पाइसेस बोर्ड के अंतर्गत आने वाले 83 कार्यालयों में से, क्रमशः दस, सात, दो और तीन कार्यालयों में मार्च 2023, मार्च 2022, दिसंबर 2021 और मार्च 2021 तक आंतरिक लेखापरीक्षा की गई। इकसठ(61) कार्यालयों के संबंध में, लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने में असमर्थ थी कि क्या आंतरिक लेखापरीक्षा की गई थी या नहीं, क्योंकि इसे दिखाने के लिए कोई रिकॉर्ड नहीं थे।	लेखापरीक्षा का अवलोकन सही नहीं लगता। वित्तीय वर्ष 2023-24 के दौरान बोर्ड ने आठ यूनिट कार्यालयों (प्रादेशिक कार्यालय, ईरोड, गुवाहटी, गंगटोक, सकलेसपुर, बेंगलुरु, वारंगल आईसीआरआई सकलेसपुर, और मण्डल कार्यालय निजामाबाद) का आंतरिक लेखापरीक्षा पूरा कर लिया है। लेखापरीक्षा में वर्ष 2022-2023 तक उपरोक्त यूनिट कार्यालयों के लेन-देन को शामिल किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान किया जाएगा।
2.	**आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता**	
	बोर्ड में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली मौजूद है।	
3.	**स्थिर परिसंपत्तियों और मालसूची के प्रत्यक्ष सत्यापन की प्रणाली**	
	वर्ष 2023-24 के दौरान, बोर्ड ने अपने क्षेत्राधिकार के 83 इकाइयों में से 47 की स्थिर परिसंपत्तियों एवं मालसूचियों का वार्षिक प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। इस प्रकार, अचल संपत्तियों और सूची के भौतिक सत्यापन की प्रणाली पर्याप्त नहीं थी।	मुख्यालय और बाहरी कार्यालयों में सभी उपलब्ध परिसंपत्तियों का भौतिक स्टॉक 31 मार्च 2024 तक पूरा कर लिया गया है और उसे लेखापरीक्षा को उपलब्ध करा दिया गया है। बोर्ड के आईसीआरआई और क्यूईएल के पास केवल रसायनों, कृषि उपज और उपभोग्य सामग्रियों की सूची है। सूची का भौतिक सत्यापन समेकित कर लेखापरीक्षा को दे दिया गया है।
4.	**सांविधिक देयों के भुगतान में नियमितता**	
	बोर्ड द्वारा, वर्ष 2004-2010 की अवधि के लिए नई पेंशन प्रणाली में कर्मचारियों के अंशदान से अर्जित ब्याज के रूप में पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण को अभी तक □3.61 लाख का भुगतान शेष था।	हालांकि नई पेंशन योजना 01/04/2004 को लागू हुई, लेकिन बोर्ड ने 2011 के दौरान ही पीएफआरडीए में नामांकन किया। यह राशि नियोक्ता और कर्मचारी अंशदान के लिए ब्याज संचय को दर्शाती है, जो कर्मचारी 2004-2011 की अवधि के लिए भर्ती हुए हैं। नियमों के अनुसार, एनपीएस में कर्मचारी जीपीएफ ब्याज दरों के अनुसार विलंबित प्रेषण के लिए ब्याज के पात्र हैं। बोर्ड ने पहले ही बोर्ड की सेवा में रहने वाले एनपीएस ग्राहकों को देय ब्याज की गणना कर ली है। इसे चालू वर्ष के दौरान एनपीएस खाते में भेजा जाएगा।

IN PICTURES
SPICES BOARD
2023-24

Spices Experience Zone at G-20 TIWG Meetings

Smt. Anupriya Patel, Hon'ble Minister of State for Commerce and Industry and Shri Som Parkash, Hon'ble Minister of State for Commerce and Industry at Spices Board's experience centre during the G20- 2nd TIWG meeting in Bengaluru

Delegates checking on indigenous spices and value-added spice products at Spices Board's experience centre at the G20- 2nd TIWG meeting in Bengaluru

Dr A.B. Rema Shree, Director, Spices Board with visitors at Spices Board's experience centre at the G20- 3rd TIWG meeting held in Kevadia, Gujarat

Indian spice exporters interacting with visitors at Spices Board's experience centre at the G20- 3rd TIWG meeting held in Kevadia, Gujarat

Spices Board officials with Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister of Commerce and Industry, Government of India at the Board's experience centre at the G20-Ministerial meeting

Shri Sunil Barthwal IAS, Commerce Secretary with officials and visitors at Spices Board's experience centre at the G20-Ministerial meeting

Partnerships for Synergy

Shri Amardeep Singh Bhatia IAS, Additional Secretary, Department of Commerce, Government of India addresses the participants of CCSCH7

Inauguration of the 7th session of Codex Committee on Spices and Culinary Herbs by lighting the lamp

Participants attending the 7th session of CCSCH

Participants of USFDA training on GAP and GMP to growers and processors of Indian spices

Shri D. Sathiyan IFS, Secretary, Spices Board at International Pepper Community's Annual Session 2023

Export Development and Promotion-World Spice Congress

Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister of Commerce and Industry, Government of India addressing the spice fraternity on the second day of WSC 2023

Shri Amardeep Singh Bhatia IAS, Additional Secretary, Ministry of Commerce and Industry inaugurates World Spice Congress 2023 by lighting the lamp

Smt. Anupriya Patel, Hon'ble Minister of State for Commerce and Industry, Government of India addresses the gathering at WSC 2023

A view of the exhibition pavilions at World Spice Congress 2023

Technical session on 'Evolving Market Requirements for Spices Trade' during World Spice Congress 2023

Export Development and Promotion- World Spice Congress 2023

Tech Talk by M/s. Flavourtech, Australia, on Processing Machinery during World Spice Congress 2023

Participants of World Spice Congress 2023

Reverse Buyer Seller Meet organised as part of the World Spice Congress 2023

Glimpse of the cookery show during World Spice Congress 2023

Interaction and networking during the World Spice Congress 2023

Glimpse of the cultural programme organised as part of WSC 2023

Export Development & Promotion

M/s N.K. Agro Exports (India) Private Limited receives the award for Topmost Exporter of Spices and Spice Products during 2020-21 from Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister of Commerce and Industry, Government of India.

Dr Viju Jacob, Managing Director, M/s Synthite Industries Private Limited receives the award for Topmost Exporter of Spices and Spice Products during 2017-18 and 2018-19 from Smt. Anupriya Patel, Hon'ble Minister of State for Commerce and Industry, Government of India

M/s. Bergwerff Organic India Private Limited receives the award for Topmost Exporter of Organic Spices during 2019-20 and 2020-21 from Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister of Commerce and Industry, Government of India.

M/s Nandyala Satyanarayana Limited receives the award for 2nd Topmost Exporter of Spices and Spice Products during 2017-18 from Smt. Anupriya Patel, Hon'ble Minister of State for Commerce and Industry, Government of India

M/s. Plant Lipids receives the award for 2nd Topmost Exporter of Spices and Spice Products during 2019-20 and 2020-21 from Shri Piyush Goyal, Hon'ble Minister of Commerce and Industry Government of India.

Export Development & Promotion

Smt. Anupriya Patel, Hon'ble Minister of State for Commerce and Industry inaugurates the Spices Mahotsav and Buyer Seller Meet at Mirzapur on 10th December 2023

Smt. Anupriya Patel, Hon'ble Minister of State for Commerce and Industry inaugurates the exhibition organised on the sidelines of the Spices Mahotsav and Buyer Seller Meet at Mirzapur

Buyer Seller Meet with the association of Dr Rajendra Prasad Central Agriculture University, Pusa, Samastipur, Bihar

Inauguration of Buyer Seller Meet organised at Tamil Nadu Agricultural University, Coimbatore on 15th February 2024

Inauguration of Buyer Seller Meet for chilli at Bellary, Karnataka on 09th January 2024

Export Development & Promotion

Inauguration of Investor Conclave and Buyer Seller Meet for Spices at Spices Park, Sivaganga on 23rd December 2023

Dignitaries during the Buyer Seller Meet for Spices of North East organised on 23rd February 2024 at Shillong, Meghalaya

Inauguration of Buyer Seller Meet and Seed Spices Conclave focusing on STDF project region in Rajasthan on 10th January 2024

Shri B.N. Jha, Director, Spices Board interacts with saffron farmers at IIKSTC, Dussu, Jammu and Kashmir

Entrepreneurship Development Training programme held during 30-31 January 2024 at Ahmedabad, Gujarat

Officials of Spices Board attending the Training programme on Global GAP Certification Standards organised under the Indo- German Co-operation on Agriculture Market Development, at Lucknow, Uttar Pradesh

Export Development & Promotion

Shri Sambhu L Hakki IFS, Consul General of India in Guangzhou, China interacts with Spices Board officials

Spices Board's pavilion at SIAL India 2023

D. Sathiyan IFS, Secretary, Spices Board and Shri Sibi George IFS, Ambassador of India to Japan with Indian spice exporters during Foodex Japan 2024

Officials of Spices Board and Indian spice exporters with Ms. Shreeranjani Kanagavel IFS, First Secretary, High Commission of India, London during the International Food & Drink Event 2024

Spices Board's pavilion at Biofach India held from 6-8 September 2023 at Noida

Spices Board official and co-participants receiving institutional award during GI Fair India 2023 organised by Export Promotion Council for Handicrafts

Export Development and Promotion

Spices experience centre at the 5th edition of World Coffee Conference held at Bengaluru during 25 to 28 September 2023

Shri D. Sathiyan IFS, Secretary, Spices Board at the Board's pavilion during Food Ingredients India 2023 exhibition in Mumbai

Glimpse of Spices Reverse Buyer Seller Meet at World Food India 2023

Spices Board pavilion at World Food India 2023

Seminar on "Unlocking Value Addition in India's Agri Exports, and Leveraging Innovation & the Startup Ecosystem" organised as part of World Food India 2023

Shri B. N. Jha , Director, Spices Board with saffron farmers at Pampore

Outreach Programmes for Production & Quality Improvement

Cumin field visit by Spices Board team in Rajasthan

Distribution of cardamom polisher

USFDA training programme -GAP and GMP for the production and processing of spices on 14th March 2024

Rain water harvesting structure for small cardamom

Distribution of turmeric boiler at Vellaturu village in Andhra Pradesh

Promotion of GI tagged Karbi Anglong ginger production in the North East

Outreach Programmes for Production & Quality Improvement

Distribution of Trichoderma to farmers under STDF project at Ber Kalan on 23rd October 2023

Distribution of pepper thresher in Shanthigrama village, Chikkamagalur in Karnataka

Planting material production of large cardamom in Mangan, North Sikkim

Distribution of seed spice thresher in Banaskantha, Gujarat

Production of small cardamom planting material at Spices Board department nursery, Bettadamne, Karnataka

Distribution of large cardamom Sawo Dryer in Nagaland

Outreach Programmes for Production & Quality Improvement

D. Sathiyan IFS, Secretary, Spices Board visits organic turmeric field in Sathyamangalam

Construction of vermicompost unit in Tripura

Mera Yuva Bharat - Sugandha Udyog Mandhan training programme in Nizamabad

Campaign conducted on quality turmeric production at Siddulakunta village in Nizamabad

Large Cardamom Growers Training Programme at Khemlee in Arunachal Pradesh

Exposure Visit of farmers of Nizamabad to CFTRI Mysore

Outreach Programmes for Production & Quality Improvement

'Clean and Safe Spices' campaign organised as part of Spices Board's 37th Foundation Day at Erode in Tamil Nadu

'Clean and Safe Spices' campaign organised in Nizamabad as part of Spices Board's 37th Foundation Day

Clean and Safe Spices campaign at Guntur, Andhra Pradesh

Clean and Safe Spices campaign at West Khupilong, Gomati district, Tripura

Clean and Safe Spices campaign at Chhindwara, Madhya Pradesh

Clean and Safe Spices campaign at Puttady, Kerala

Outreach Programmes for Production & Quality Improvement

Signing of MoU between Spices Board and the Department of Industries, Government of Maharashtra aimed at mutual co-operation to promote the spice industry

Inspection of large cardamom productivity award plot by Spices Board team

Training of Trainers Programme - GAP and GHP in cumin and fennel at Jodhpur on 07th December 2023

Collaborative training on GAP and GMP to growers and processors of Indian spices at Thodupuzha

Shri D. Sathiyan IFS, Secretary, Spices Board inaugurating the IPM Seva Kendra at KADS Village Square, Thodupuzha, Idukki, Kerala

Spices Board representatives during the 25th National Symposium on Plantation Crops held during 12-14 December 2023 at Pedavegi, Andhra Pradesh

Capacity Building & Quality Upgradation Programmes

Participants of Indian Cardamom Research Institute's XXXI Annual Research Council Meeting on Large Cardamom

Awareness Programme on Food Safety in Spices Sector on the World Food Safety Day at Spices Park, Guna

12th meeting of the International Pepper Community Committee on Research & Development (12th IPC R & D)

Shri D. Sathiyan IFS, Secretary, Spices Board lights the lamp during the inauguration of quality evaluation lab at ICRI, Myladumpara

Dr A. B. Rema Shree, Director, Spices Board during the inauguration of 2nd National Spice Conference which focused on the theme "Food Safe Spices – The Way Forward to a Stable & Sustainable Income"

General Administration

77th Independence Day celebration at Spices Board

75th Republic Day celebration at Spices Board

The winners and the participants of the "VARTHALAP" competition held at Guwahati as part of Special Programme of Hindi Fortnight Celebrations 2023

Third Sub-committee of the Committee of Parliament on Official Language during the inspection of Spices Board, Regional Office, New Delhi on 12th March 2024

Swachhata Pakhwada campaign at Spices Board

Rashtriya Ekta Diwas celebration and Run for Unity on 31st October 2023

General Administration

37th Foundation Day celebration of Spices Board

Shri D. Sathiyan IFS, Secretary, Spices Board and Dr Suchithra Pyarelal of National Informatics Centre during the inauguration of the new Financial Accounting System at Spices Board

Shri D. Sathiyan IFS, Secretary, Spices Board inaugurated the modified- divyangjan friendly reception of Spices Board head office in Kochi

The 94th Board meeting of Spices Board conducted in hybrid mode on 30th January 2024

Farewell to Shri D. Sathiyan IFS, Secretary, Spices Board

BOARD MEMBERS

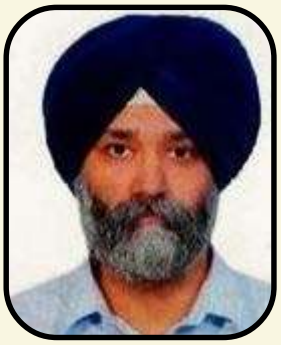

Shri Amardeep Singh Bhatia IAS
Chairman

Shri D. Sathiyan IFS
Secretary
01-04-2023 to 17-03-2024

Dr KG Jagadeesha IAS
Secretary
18-03-2024 to 31-03-2024

Shri S.K. Sathyanarayana
Vice Chairman

Shri Aravind Dharmapuri
Hon'ble MP, Member
Lok Sabha

Shri Balashowry Vallabbhaneni
Hon'ble MP, Member
Lok Sabha

Shri G.V.L. Narasimha Rao
Hon'ble MP, Member
Rajya Sabha

Dr Vanlalramsanga IES
Member
Economic Advisor
Dept. of Commerce
Ministry of Commerce & Industry

Shri S. Thirumurugan
Member

Shri Chandrasekhar Singh Raghuvanshi
Member

Dr Prabhat Kumar
Member
Horticulture Commissioner
New Delhi

Shri Akkiseti Baburao
Member

Dr. Neelam Patel
Senior Advisor (Agriculture),
NITI Aayog

Shri Rajesh Kumar Mishra IRS
Member
Indian Institute of Packaging
Mumbai

Dr. R. Dinesh
Member
ICAR-Indian Institute of
Spices Research, Kozhikode

Dr. Atya Nand
Member
Director, Ministry of Labour &
Employment, New Delhi

Shri Gautam Ghosh
Member

Member
CSIR - Central Food Technological
Research Institute (CFTRI)

Number of vacant positions - 14

स्पाइसेस बोर्ड
भारत

ANNUAL REPORT
2023-24

Compiled and Edited by:

Shri Nithin Joe
Deputy Director

Shri T.P. Prathyush
Deputy Director

Shri Biju D. Shenoy
Assistant Director

Ms Reshmi E.G.
Farm Manager

Ms Aneenamol P.S.
Editor

Technical Support:

Shri R. Jayachandran
EDP Assistant

CONTENTS

Executive Summary

1.	Constitution and Functions	**10**
2.	Administration	**13**
3.	Finance and Accounts	**19**
4.	Export Oriented Production and Post-harvest Improvement of Spices	**21**
5.	Export Development and Promotion	**33**
6.	Trade Information Service	**46**
7.	Publicity and Promotion	**52**
8.	Codex Cell and Interventions	**55**
9.	Quality Improvement	**58**
10.	Export Oriented Research	**63**
11.	Information Technology and Electronic Data Processing	**69**
12.	Implementation of Right to Information Act, 2005	**70**
	Way Forward	**71**
	Appendix	
	Paras in Separate Audit Report 2023-24	

Executive Summary

Spices Board is the flagship organisation under the Ministry of Commerce and Industry, Government of India for the development and world-wide promotion of Indian spices. The Board has been spearheading activities for excellence of Indian spices to help the Indian spice industry to attain the vision of becoming the international processing hub and premier supplier of clean and value -added spices and herbs to the industrial, retail and food service segments of the global spices market. The Board has made quality and hygiene as the cornerstones for its development and promotional strategies.

During 2023-24, India exported 15,39,692 MT of spices and spice products valued at ₹36,958.80 crore (4,464.17 million US$) as compared to 14,14,254 MT valued US$ 3,969.79 million (₹31898.64 crore.) of the same period of last year. Compared to previous year, the Indian spices export increased by nine per cent in quantity terms, 16 per cent in rupee terms of value and 12 per cent increase in dollar terms of value.

Indian spice export basket contains 225 spices and spice products which were exported to more than 180 destinations globally during the period under report. During 2023-24, the major contributors in spice export basket in terms of value were chilli (34%), cumin (16%), spice oils & oleoresins (11%), mint products (9%), turmeric (5%), curry powder/ paste (5%), coriander (3%), small cardamom (3%), pepper (2%), fennel(2%), and ginger (2%) which together contributed to more than 90 per cent to the total export earnings from spices.

The major export destinations for Indian spices during 2023-24 were China (21%), U.S.A. (14%), Bangladesh (8%), U.A.E. (7%), Thailand (4%), Malaysia (4%),Indonesia (3%), Sri Lanka (3%), U.K. (3%), Saudi Arabia (2%), Germany (2%), Netherlands (2%), Canada (2%), Nepal (2%), Australia (1%), Japan (1%), Singapore (1%), Mexico (1%), Vietnam (1%),Morocco (1%), and South Africa (1%).

In the year 2023-24, export of spices like chilli, ginger, coriander, celery, fennel, garlic, nutmeg & mace, and curry powder & paste registered an increase both in quantity and value. The export value of cardamom(small) increased 14 per cent in rupee terms and 10 per cent in dollar terms compared to previous year. Similarly, the export value of cardamom (large) increased by eight percent in rupee terms and four per cent in dollar terms. Despite the decline of 11 per cent in volume, the export value of cumin seed increased by 43 per cent in rupee terms and 39 per cent in dollar terms of value. For turmeric, in spite of the decline of five per cent in volume of export, the export value increased by 13 per cent in rupee terms and nine per cent in dollar terms. In the case of black pepper, despite a marginal decline of one per cent in volume and two per cent in dollar value, there is a slight increase of one per cent in value terms when measured in rupees. The export value of fenugreek in rupee terms remained the same as that of last year despite the 12 per cent decline in volume and three per cent decline in dollar terms of value. Export of spice oils and oleoresins registered a marginal increase of two per cent in volume and one per cent in rupee terms of value though its value in dollar terms declined by two per cent. In spite of the decline of 11 per cent in volume of export, the mint products registered a marginal increase of one per cent in rupee terms of value as compared to last year.

During 2023-24, a total of 2,401 Certificates of Registration as Exporter of Spices (CRES) were issued by the Board. Of these, 2,169 certificates were issued to merchant exporters and 232 to

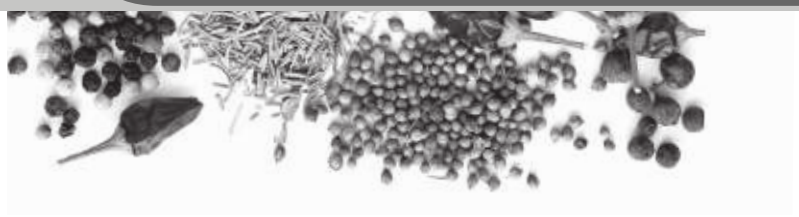

manufacturer exporters. Additionally, 295 CRES were renewed, with 159 for merchant exporters and 136 for manufacturer exporters. The Board issued 607 Cardamom Dealer Licenses (600 Small Cardamom Dealer Licenses and seven Large Cardamom Dealer Licenses) all over India of which 593 licenses (587 Small Cardamom Dealer Licenses and six Large Cardamom Dealer Licenses) were issued during FY 2023-2024. Also, 15 e-auctioneer licenses and three manual auctioneer licenses were issued by the Board during the financial year.

During 2023-24 a total quantity of 29,217 MT of cardamom (small) was sold through e-auction/ manual auction with weighted average price of ₹1,764.51/kg out of which the quantity sold through special auction is around 10 MT with a weighted average price of ₹1,086.83/kg. Production of small and large cardamom during 2023-24 was 25,230 MT and 9,288 MT respectively with a productivity of 521.33 kg/ha in small cardamom and 288.54 kg/ha in large cardamom.

The budget approved for the Board during 2023-24 was ₹11, 550.00 lakh. An amount of ₹ 6,753.50 lakh against grants, ₹3,199 lakh against subsidies; ₹747.50 lakh towards grant in aid for the North Eastern Region; ₹300 lakh towards provision for SC sub plan; and ₹ 550 lakh towards provision for Tribal sub plan were received by the Board from the Government of India during 2023-24. The Board generated a revenue (IEBR) of ₹3,349.29 lakh from analytical charges for quality testing services rendered by the Quality Evaluation Laboratory, sale of seedlings from nurseries and farm products of research farms, subscription and advertisement charges, exporters' registration fee, interest on advance, interest on short term deposits, etc., in 2023-24. The total expenditure of the Board during 2023-24 was ₹12,164.66 lakh.

Spices Board, in association with the leading spices exporters' associations and trade bodies in India and abroad organised the 14th Edition of World Spice Congress (WSC-2023) during 15-17 September 2023 at CIDCO Exhibition and Convention Centre, Navi Mumbai, Maharashtra. The World Spice Congress 2023 was inaugurated by Shri Amardeep Singh Bhatia IAS, Additional Secretary, Department of Commerce, Government of India and Chairman, Spices Board on 15 September 2023. The event was graced by the august presence of Shri Piyush Goyal, Minister of Commerce and Industry, Consumer Affairs, Food and Public Distribution, and Textiles, Government of India and Smt. Anupriya Patel, Minister of State for Commerce and Industry, Government of India.

WSC 2023 served as an effective platform to demonstrate India's strength and capabilities to meet global demand in spices and value- added spice products. The event had a registration of 825 Indian delegates and 132 international delegates from 33 countries. Including the delegates manning the exhibition stalls, award winners for excellence in export of spices, special invitees from the spice industry, etc., the total participants in the 14th edition of World Spice Congress was more than 1300, making it the largest spice event in the world. The exhibition organised as part of the event had components such as state pavilions, commodity pavilions for different spices and experience zone giving first-hand experience of various spices and their value-added products and it turned out to be the largest exhibition focusing on spices. Around 130 exhibitors displayed their product range and supply capability in 156 stalls.

The trophies/ awards/ certificates of merit for excellence in export of spices from India, instituted by Spices Board, for the years 2017-18, 2018-19, 2019-20, and 2020-21 were bestowed during WSC 2023 on 15 September 2023 and 16 September 2023. The trophies/ awards/ certificates of merit during the years 2017-18 and 2018-19 were given away on the first day by Smt. Anupriya Patel, Minister of State for Commerce and Industry, Govt of India and the trophies/ awards/ certificates of merit during the year 2019-20 and 2020-21 were given away on the second day by Shri Piyush Goyal, Minister of Commerce & Industry, Consumer Affairs, Food & Public Distribution, and Textiles, Government of India.

The 7th session of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) was held from 29 January 2024 to 2 February 2024 in Kochi, Kerala. After the Covid-19 pandemic, CCSCH7 was the first session to be conducted physically and delegates from 30 countries attended the session. The Session was inaugurated by Shri Amardeep Singh Bhatia IAS, Additional Secretary, Ministry of Commerce and Industry, Government of India. The Session concluded successfully with the finalisation of standards for five spices, viz. small cardamom, turmeric, juniper berry, allspice, and star anise. CCSCH7 forwarded these five standards to the Codex Alimentarius Commission (CAC) for adoption at final Step 8 as full-fledged Codex standards.

During 2023-24, Spices Board participated in 24 domestic trade fairs and two international trade fairs with an aim to promote Indian spices globally. In connection with India's G20 presidency, Spices Board set up Spices Experience Zones at the venue of the Trade and Investment Working Group (TIWG) meetings held during 23rd - 25th May 2023 in Bengaluru, Karnataka; 10th -12th July 2023 in Kevadia, Gujarat, and 21st-25th August 2023 in Jaipur, Rajasthan. The spices experience zone was also set up during the Trade and Investment Ministers' Meeting held during 24th -25th August 2023 in Jaipur.

With a view to promote the export of spices and to strengthen linkages for export sourcing of spices, the Board has been conducting Buyer Seller Meets (BSMs). During 2023-24, 10 domestic buyer seller meets and two international buyer seller meets were organised. Spices Board, so as to attract, motivate, and equip the progressive stakeholders to enter into the spices business, has been organising Entrepreneurship Development Training Programmes (EDPs), involving participants from across India. In 2023-24, the Board organised two entrepreneurship development training programmes.

Spices Board being responsible for the overall development of cardamom (small and large) in terms of improving production, productivity, and quality, implemented various schemes and programmes for betterment of the cardamom sector. During 2023-24, through implementation of Replanting/new planting Programme, the Board aided replanting / new planting 728 ha of small cardamom with financial assistance of ₹ 370.41 lakh. Assistance was also given for replanting/ new planting of 927.85 ha of large cardamom with assistance of ₹3,22 lakh. Through these 5,993 growers were benefitted.

Departmental Nurseries of the Board produced a total of 65,576 cardamom planting materials, 2,14,316 rooted pepper cuttings, and 11,985 pepper nucleus planting materials and distributed to 751 growers during 2023-24. Under certified nursery scheme, 151.4 small cardamom units (7,57,000 planting materials)and 319.87 large cardamom units (15,99,350 planting materials) were established with financial assistance of ₹118.86 lakh. Under Irrigation and Land Development Programme, a total number of 23 water storage structures and 44 rainwater harvesting structures were constructed and 57 irrigation pump sets were installed benefiting 124 farmers with financial assistance of ₹ 26.82 lakh in 2023-24. Under Post-harvest Quality Improvement Programme, 43 improved cardamom curing devices for small cardamom were setup at a total expenditure of ₹53.21 lakh. For curing large cardamom, 22 Modified Bhatti units were constructed at financial assistance of ₹ 5.19 lakh.

The Board extended assistance for installing 88 power operated threshers in the farmers' fields at a total subsidy of ₹ 68.91 lakh; 356 pepper threshers at a total subsidy of ₹ 65.92 lakh; 89 turmeric steam boiling units at financial assistance of ₹199.49 lakh; 132 spices polishing units at a financial assistance of ₹120.44 lakh and 373 nutmeg/ clove dryers to the tune of ₹75.89 lakh. Further, assistance for establishing nine mint distillation

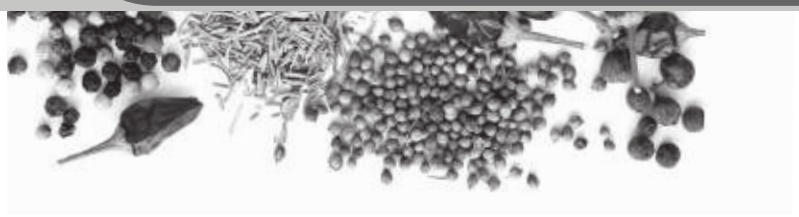

units, 62 spice cleaners/graders/spiral gravity separators, and 36 spices washing machines was provided at a financial subsidy of ₹ 53.91 lakh. Under Quality Gap Bridging Groups, 47 farmers' groups in spices sector installed various post-harvest machines and financial assistance of ₹ 326.88 lakh was provided benefitting 1,18,44 farmers.

In order to promote organic production of spices, 254 vermicomposting units were set up benefitting 236 growers at a total subsidy of ₹ 23.99 lakh. Quality Improvement Trainings were extended to 15,003 personnel under 264 training programmes during 2023-24 with a total expenditure of ₹ 27.23 lakh. During 2023-24, 17,157 extension visits were made and 1920 group meetings/campaigns were organised for cardamom (small and large) in the states of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, and Kalimpong and Darjeeling districts of West Bengal and for other spices in the respective growing areas. The total expenditure under extension advisory service was ₹ 129.30 lakh.

To protect small cardamom growers against the adverse weather incidences such as deficit or excess rainfall, heat (temperature), relative humidity, etc., which are deemed to adversely affect the production, Weather Based Crop Insurance Scheme for Small Cardamom in Idukki district of Kerala was launched as a pilot project in collaboration with the Agriculture Insurance Company of India Ltd (AIC) as the implementing agency. During 2023-24, 60 farmers were enrolled under the scheme covering an area of 39.29 ha and provided assistance of ₹6.26 lakh as the Board's share.

An IPM Seva Kendra for spices was set up at KADS Village Square Thodupuzha for promoting sustainable cultivation of cardamom and other spices among the farmers on 23 May 2023. The IPM Seva Kendra was established in collaboration with allied departments viz., Central Integrated Pest Management Centre (CIPMC), Ernakulam; ICAR-Indian Institute of Spices Research (IISR), Kozhikode; Indian Cardamom Research Institute (ICRI), Myladumpara; Cardamom Research Station, Kerala Agriculture University, Pampadumpara; and Krishi Vigyan Kendra (KVK) Santhanpara.

During the year 2023-24, the training centre jointly established by Spices Board and Kerala Agricultural Development Society (KADS) PCL at Thodupuzha, Idukki, Kerala facilitated 17 training programmes and 588 participants were empowered and sensitised as per modules organised at the training centre.

To strengthen Good Agricultural Practices in India, the Quality Council of India (QCI) implements India Good Agricultural Practices (IndGAP) Certification Scheme. The scheme is aligned as per ISO 17065, the international standard for product/process certification requirements, complete with certification and accreditation framework. Spices Board entered a MoU with QCI to carry out the second phase of "Pilot project on IndGAP Certification of spices" covering spices such as cumin, coriander, fennel and black pepper in the states of Rajasthan, Madhya Pradesh, Gujarat Telangana, and Andhra Pradesh.

A campaign on 'Clean and safe spices' was conducted on 27th February 2024, covering 1307 participants from 22 locations across 14 states of the country, commemorating the 37th foundation day of the Board. The campaign was designed to sensitise the stakeholders on the risk, corrective actions, and good practices to be followed at various stages of production, processing, value addition and export of spices.

As part of the Mera Yuva Bharat (My Bharat) campaign of Ministry of Youth Affairs & Sports, Government of India,Spices Board implemented the Mera Yuva Bharat event entitled "SUGANDHA UDYOG MANTHAN" for 2023-24 with a sub programme 'Boot Camp on Cultivation, Quality Management and Export- Empowering Youth Spicepreneur'. The event was conducted for

the youths to provide a platform for knowledge sharing on spices supply chain, IPM, GAP, GHP, GMP and post-harvest quality enhancement. Food safety protocols, value addition, e-commerce, leadership and soft skills were other important aspects covered under the event. A total of 1,823 participants from 11 locations in eight states were benefitted out of this programme.

Collaborative training programme on Good Agricultural Practices (GAP) for spice growers was conducted at Horticultural Research Station, Assam Agricultural University, Kahikuchi, Guwahati and KADS Training Centre, Village Square, Thodupuzha, Kerala during June 2023 and at Alakkode, Thodupuzha, Kerala during March 2024. The programmes were organised by Spices Board in collaboration with United States Food & Drug Administration (USFDA) and Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition (JIFSAN) with one time grant of ₹ 3.74 lakh from USFDA. A total of 196 farmers were trained under this collaborative training programme.

Human resource development programmes were conducted for pepper farmers during 2023-24 under the Integrated Project on Production and Post-Harvest Management of Black Pepper for Tripura. The programmes were organised by Spices Board with financial assistance from the Government of Tripura. A total of 115 personnel (30 officials and 85 farmers) were trained under two training programmes during 2023-24 at a total expenditure of ₹ 0.30 lakh.

Various programmes implemented under the component 'Export Development and Promotion' (EDP) aimed at supporting the exporters to develop infrastructure, promote Indian spices and spice products, etc., with a view to enhance export of processed and value-added spices, which comply with the changing food safety standards of the importing countries. Besides encouraging adoption of scientific practices and process upgradation, the Board focused on enhancing compliance with quality and food safety norms across the supply chain of spices. The major thrust areas under Export Development and Promotion are trade promotion, product development and research, infrastructure development, promotion of Indian spice brands abroad, setting up of infrastructure for common cleaning, grading, processing, packing, and storing (Spices Park) in major spice growing/marketing centers, promotion of organic spices/GI spices, organising Buyer Seller Meets, etc. Also, special programmes were undertaken for promoting the spices of the North Eastern region. Under Infrastructure Development and Trade Promotion programmes, assistance of ₹456.70 lakh was provided to eligible exporters under various components.

The Quality Evaluation Laboratories (QEL) of Spices Board at Kochi, Chennai, Guntur, Mumbai, New Delhi, Tuticorin, Kandla, and Kolkata continued to provide analytical services and mandatory testing and certification of export consignments of select spices. During the FY2023-24, the laboratory analysed a total of 1,34,208 parameters including aflatoxin, illegal dyes, pesticide residues, Ethylene Oxide (EtO), and *Salmonella spp.*, etc.

During FY 2023-24, the Indian Cardamom Research Institute (ICRI) focused its research efforts on various fronts. Primarily, research programmes centered on crop improvement, biotechnology, and crop production studies. A high yielding cardamom clone with superior quality capsules developed by ICRI was approved for release as ICRI-10 during the 94th Board meeting of Spices Board held at Kochi on 30thJanuary 2024. The clone is registered with ICAR-National Bureau of Plant Genetic Resources, New Delhi as a unique cardamom genotype (IC 645601). It is a climate resilient variety with a yield potential of 3200 kg per ha under moderate management and relatively tolerant to pests and diseases with high recovery percentage.

A Mobile App/Web page edition developed for site specific fertiliser recommendation. An Android-

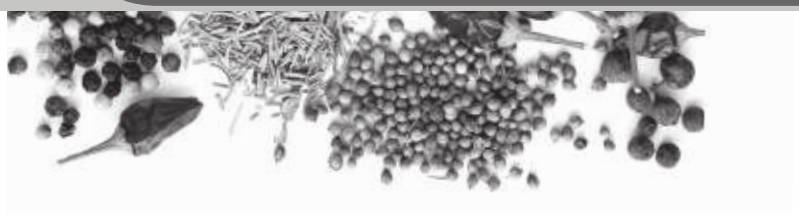

based application called "CardSApp" has been developed based on interpolated soil fertility data for site-specific online fertiliser recommendations.

About 17,268 soil fertility parameters were tested from 1,439 soil samples of Cardamom Hill Reserve of Idukki district in Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka and recommendations were given on inputs. Additionally, 840 soil fertility parameters from 70 soil samples in Sikkim were tested and reports provided for soil nutrient management.

Powder formulations of 10 bioagents were prepared in new packing cardboard boxes and polythene cover. The products were released during the Spices Board Foundation Day celebrations held on 26th February 2024 by Shri Amardeep Sing Bhatia IAS, Additional Secretary, Ministry of Commerce and Industry and Chairman, Spices Board.

A Quality Evaluation Laboratory (QEL) was established at ICRI Myladumpara for pesticide residue analysis at the farm gate level with the funding of State Horticulture Mission (SHM) Kerala. The QEL was inaugurated by Shri Amardeep Sing Bhatia IAS, Additional Secretary, Ministry of Commerce and Industry and Chairman, Spices Board on 31st January 2024.

During the period 2023-24, two Board meetings were conducted, i.e., the 93rd Board Meeting on 20th October, 2023 and 94th Board Meeting on 30th January, 2024 at Kochi in hybrid mode. Shri Amardeep Singh Bhatia IAS, Additional Secretary, Ministry of Commerce, Government of India was appointed as Chairman of the Board on 12thJuly 2023 and assumed charge on 26th July 2023.

In line with the Annual Programme as well as the orders issued by the Dept. of Official Language, M/o Home Affairs in regard to use of Hindi as Official Language, the OL section continued its efforts to make the OL policy implementation more fruitful and effective during 2023-24.

The Board effectively implemented the RTI Act, 2005 and complied with all the directions of the Government in this regard. The Board designated the Library & Information Officer as the Co-ordinating Central Public Information Officer for coordinating the dissemination of information by CPIOs. The Board disclosed every information required to be disclosed suo moto in such form and manner, which is accessible to the public [Section 4(1) of RTI Act 2005] through the Board's official website. During 2023-24, a total of 88 RTI applications (through physical and through the online portal)and 25 appeals were received under the RTI Act and information disseminated to all the cases within the stipulated time. Two Central Information Commission (CIC) hearings were held during this period.

01

Constitution and Functions

A. Constitution of Spices Board

The Spices Board Act 1986, (No.10 of 1986) enacted by the Parliament provides for the constitution of a Board for the development of export of spices and for the control of cardamom industry including control of cultivation of cardamom and matters connected therewith. The Central Government by notification in the official gazette constituted the Spices Board, which came into being on 26th February, 1987.

B. The Spices Board consists of:

a) A Chairman to be appointed by the Central Government

b) Three members of Parliament of whom two shall be elected by the House of the People and one by the Council of States;

c) Three members to represent the Ministries of the Central Government dealing with:

(i) Commerce;

(ii) Agriculture; and

(iii) Finance;

d) Six members to represent the growers of spices*;

e) Ten members to represent the exporters of spices;

f) Three members to represent major spice producing states;

g) Four members one each to represent:

(i) The Planning Commission (now NITI Aayog);

(ii) The Indian Institute of Packaging, Mumbai;

(iii) The Central Food Technological Research Institute, Mysuru;

(iv) Indian Institute of Spices Research, Kozhikode;

h) One member to represent spices labour interests

* Amended as per Ministry of Commerce & Industry, Government of India, Gazette Notification (Extraordinary) No.G.S.R.157 (E) dated 2nd February, 2018.

C. Functions of the Board

The Spices Board Act, 1986 has assigned the following functions to the Board:

a) The Board may:

(i) Develop, promote, and regulate export of spices;

(ii) Grant certificate for export of spices;

(iii) Undertake programmes and projects for promotion of export of spices;

(iv) Assist and encourage studies and research, for improvement of processing, quality techniques of grading and packaging of spices;

(v) Strive towards stabilisation of prices of spices for export;

(vi) Evolve suitable quality standards and introduce certification of quality through 'quality marking' of spices for export;

(vii) Control quality of spices for export;

(viii) Give licences, subject to such terms and conditions as may be prescribed, to the manufacturers of spices for export;

(ix) Market any spice, if it considers necessary in the interest of promotion of export;

(x) Provide warehousing facilities abroad for spices;

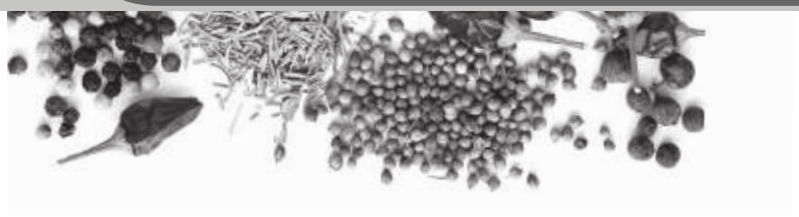

(xi) Collect statistics with regard to spices for compilation and publication;

(xii) Import with prior approval of the Central Government any spice for sale; and

(xiii) Advise the Central Government on matters relating to import and export of spices.

b) The Board may also:

(i) Promote cooperative efforts among growers of cardamom;

(ii) Ensure remunerative returns to growers of cardamom;

(iii) Provide financial or other assistance for improved methods of cultivation and processing of cardamom, for replanting cardamom and for extension of cardamom growing areas;

(iv) Regulate the sale of cardamom and stabilisation of the prices of cardamom;

(v) Provide training in cardamom testing and fixing grade standards of cardamom;

(vi) Increase the consumption of cardamom and carry on propaganda for that purpose;

(vii) Register and license brokers (including auctioneers) of cardamom and persons engaged in the business of cardamom;

(viii Improve the marketing of cardamom;

(ix) Collect statistics from growers, dealers and such other persons as may be prescribed on any matter relating to the cardamom industry, publish statistics so collected or portions thereof, extracts therefrom;

(x) Secure better working conditions and the provision and improvement of amenities and incentives for workers; and

(xi) Undertake, assist, or encourage scientific, technological, and economic research.

D. Spices under the purview of the Board

The following 52 spices (table below) are listed in the schedule of the Spices Board Act:

1	Cardamom	19	Kokam	37	Juniper berry
2	Pepper	20	Mint	38	Bayleaf
3	Chilli	21	Mustard	39	Lovage
4	Ginger	22	Parsley	40	Marjoram
5	Turmeric	23	Pomegranate seed	41	Nutmeg
6	Coriander	24	Saffron	42	Mace
7	Cumin	25	Vanilla	43	Basil
8	Fennel	26	Tejpat	44	Poppy seed
9	Fenugreek	27	Pepper long	45	All-Spice
10	Celery	28	Star anise	46	Rosemary
11	Aniseed	29	Sweet flag	47	Sage
12	Bishop's weed	30	Greater Galanga	48	Savory
13	Caraway	31	Horseradish	49	Thyme
14	Dill	32	Caper	50	Oregano
15	Cinnamon	33	Clove	51	Tarragon
16	Cassia	34	Asafoetida	52	Tamarind
17	Garlic	35	Cambodge		
18	Curry leaf	36	Hyssop		

[In any form including curry powders, spice oils, oleoresins and other mixtures where spice content is predominant]

स्पाइसेस बोर्ड
भारत

Organogram of Spices Board

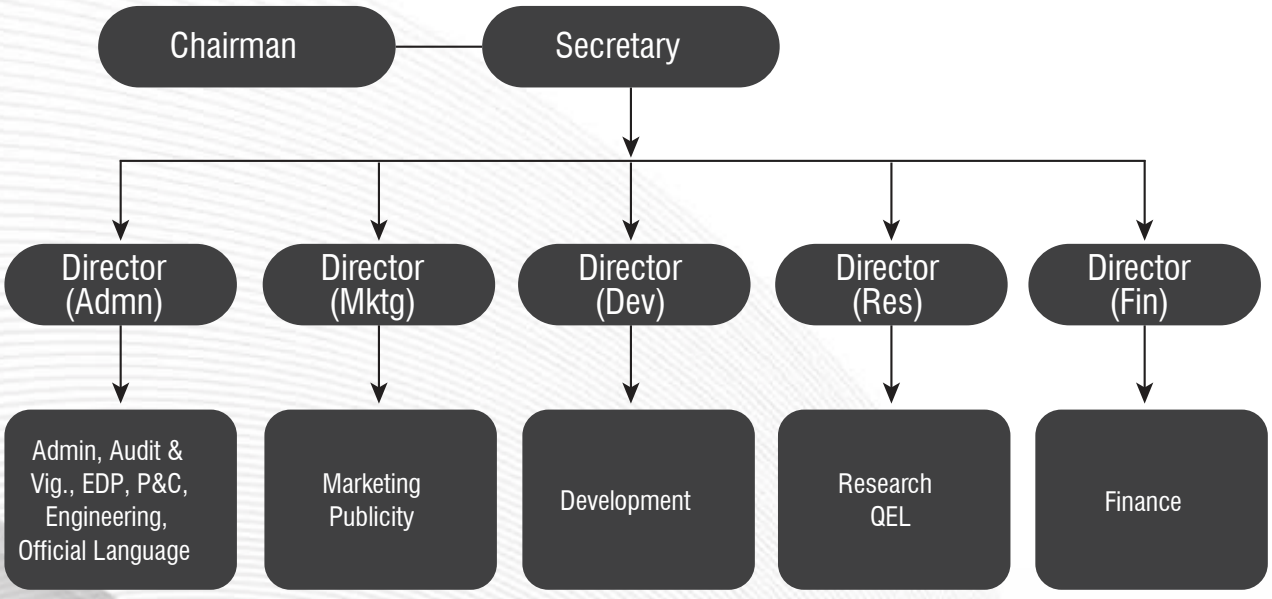

Sanctioned strength - 379
In position - 223 (as on 31.03.2024)

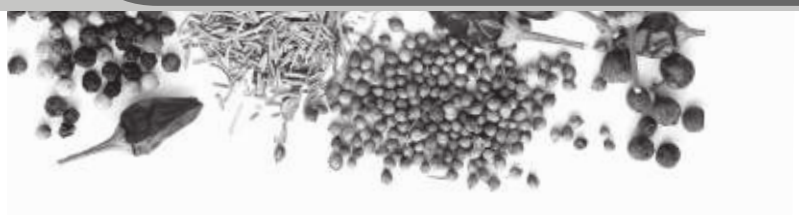

02

Administration

A Administration

Shri D. Sathiyan IFS continued to serve as the Secretary, Spices Board till 17th March 2024. Dr K. G. Jagadeesha IAS assumed the charge of Secretary, Spices Board with effect from 18 March 2024. Dr Rema Shree A. B. continued as Director (Research) and held additional charge of Director (Finance) during the period under report. Shri Jijesh T. Das, Deputy Director (EDP) and Shri B. N. Jha, Deputy Director (Marketing) continued to hold the charge of Director (Administration) and Director (Marketing) respectively. Shri Joji Mathew, Deputy Director (Development) held the charge of Director (Development) upto 31st May 2023. Thereafter, Shri Dharmendra Das, Deputy Director (Development) held the charge of Director (Development) during the period under report.

Spices Board has already achieved the targeted staff strength approved in the restructuring proposal. Against the sanctioned strength of 379, as on 31st March, 2024, the existing staff strength of Spices Board is 223 consisting of 68 Group A, 75 Group B, and 80 Group C employees.

The Board granted promotion to 44 employees and financial upgradation under Modified Assured Career Progression Scheme (MACPS) to one eligible employee during the period under report. The Board engaged four Marketing Consultants, two Marketing Executives, and seven Development Executives to support export promotion and development activities.

The Board engaged over 144 unemployed youth from the SC/ST category in the graduate/ postgraduate level as trainees for imparting training in analytical services in the Quality Evaluation Laboratories, agricultural extension service in the Field Offices and Research Stations, and for attending official works in the Accounts and Library section.

a) Reservation for SC/ST/OBC in appointments and promotions

The Board is properly implementing the post-based reservation roster for SC/ST/OBC. The instructions issued by the Government from time to time in this regard were strictly adhered to. As on 31 March 2024, there were 131 (OBC-76, SC-32 and ST-23) employees belonging to SC/ST and OBC categories.

No appointment was made during the period under report as per the direction from the Department of Commerce due to pending approval of the Recruitment Regulation (R.R.) of Spices Board. The Ministry vide Letter No.5/6/2018-Plant-D dated 4 February, 2020 has directed the Board not to go ahead with recruitment till the R.R. is approved by the Ministry.

b) Welfare of women

As on 31st March 2024, the total strength of women employees in the Board in Group A, B, and C categories was 61. The grievances of women employees were timely and properly attended to. A Group-A level woman officer of the Board has been appointed as 'Women Welfare Officer' to sort out the difficulties/ problems, if any, or to bring them to the notice of the higher authorities along with suggestions for possible solutions. An Internal Complaints Committee was re-constituted under the Sexual Harassment of Women at Work Place (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013.

c) SC/ST/OBC welfare

The Board had constituted SC/ST and OBC Committees for looking after the welfare of the employees and to sort out their problems. The Board had nominated a Liaison Officer for reservation matters relating to SC / ST / OBC. Apart from this an "Internal Grievance Committee"

for scheduled tribes employees was also constituted as recommended by the National Commission for Scheduled Tribes (NCST).

d) Welfare of persons with disabilities

Spices Board had constituted PWD Cell for looking after the welfare of the employees belonging to PWD category and to sort out their problems. The Board had nominated a Liaison Officer for reservation matters related to persons with disabilities. The Board also implemented reservation in promotion to the persons with disabilities as per the instructions from the Government. An expert committee has also been re-constituted for the purpose of identification of posts suitable for Persons with Disabilities as per the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016. As on 31st March 2024, there were 9(OH-5,VH-3,HH-1) employees belonging to Persons with Disabilities(Divyangjan) category.

e) Functional network of Spices Board

The Head Office of Spices Board is located at Kochi in Kerala. Further, the Board has offices across the country which include Export Promotion Offices, Development Offices for Small and Large Cardamom, Quality Evaluation Laboratories (QEL), Research Stations, and Spices Parks.

The following offices of the Board functioned during 2023-24:

(i) Export Promotion Offices

Sl. No.	Location	State/UT
1	Paderu	Andhra Pradesh
2	Warangal	Andhra Pradesh
3	Guntur	Andhra Pradesh
4	Guwahati	Assam
5	Patna	Bihar
6	Jagdalpur	Chhattisgarh
7	New Delhi	Delhi
8	Ponda	Goa
9	Ahmedabad	Gujarat
10	Unjha	Gujarat
11	Una	Himachal Pradesh
12	Srinagar	Jammu & Kashmir
13	Bangalore	Karnataka
14	Mumbai	Maharashtra
15	Shillong	Meghalaya
16	Aizawl	Mizoram
17	Koraput	Odisha
18	Jodhpur	Rajasthan
19	Chennai	Tamil Nadu
20	Nagercoil	Tamil Nadu
21	Nizamabad	Telangana
22	Hyderabad	Telangana
23	Agartala	Tripura
24	Barabanki	Uttar Pradesh
25	Kolkata	West Bengal

(ii) Development Offices/Farms

Research and Development of Small Cardamom		
Sl. No.	Location	State
1	Adimali	Kerala
2	Elappara	Kerala
3	Kalpetta	Kerala
4	Kattappana	Kerala
5	Kumily	Kerala
6	Nedumkandam	Kerala
7	Pampadumpara	Kerala
8	Peermade	Kerala
9	Puttady	Kerala
10	Rajakkad	Kerala
11	Rajakumari	Kerala
12	Santhanpara	Kerala
13	Udumbanchola	Kerala

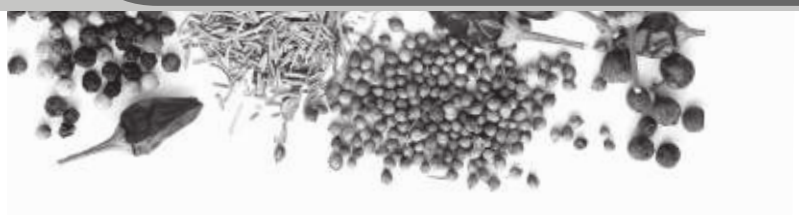

14	Bodinayakanur	Tamil Nadu
15	Erode	Tamil Nadu
16	Bathlagundu	Tamil Nadu
17	Aigoor (farm)	Karnataka
18	Belagola (farm)	Karnataka
19	Beligeri (farm)	Karnataka
20	Bettadamane(farm)	Karnataka
21	Sakleshpur	Karnataka
22	Haveri	Karnataka
23	Koppa	Karnataka
24	Madikeri	Karnataka
25	Mudigere	Karnataka
26	Shivamogga	Karnataka
27	Sirsi	Karnataka
28	Somwarpet	Karnataka
29	Vanagur	Karnataka
30	Yeslur (farm)	Karnataka

Research and Development of Large Cardamom		
Sl. No	**Location**	**State**
1	Itanagar	Arunachal Pradesh
2	Namsai	Arunachal Pradesh
3	Pasighat	Arunachal Pradesh
4	Roing	Arunachal Pradesh
5	Ziro	Arunachal Pradesh
6	Dimapur	Nagaland
7	Kohima	Nagaland
8	Gangtok	Sikkim
9	Geyzing	Sikkim
10	Jorethang	Sikkim
11	Mangan	Sikkim
12	Kalimpong	West Bengal
13	Sukhiapokhri	West Bengal
14	Churachandpur	Manipur

(iii) Research Stations

Sl. No.	Location	State
1	Myladumpara	Kerala
2	Donigal-Sakleshpur	Karnataka
3	Thadiyankudissai	Tamil Nadu
4	Tadong	Sikkim

(iv) Quality Evaluation Laboratories (QEL)

Sl. No.	Location	State
1	Guntur	Andhra Pradesh
2	Kandla	Gujarat
3	Kochi	Kerala
4	Mumbai	Maharashtra
5	Narela	New Delhi
6	Chennai	Tamil Nadu
7	Tuticorin	Tamil Nadu
8	Kolkata	West Bengal

(v) Spices Parks

Sl. No.	Location	State
1	Guntur	Andhra Pradesh
2	Puttady	Kerala
3	Chhindwara	Madhya Pradesh
4	Guna	Madhya Pradesh
5	Jodhpur	Rajasthan
6	Ramganj Mandi (Kota)	Rajasthan
7	Sivaganga	Tamil Nadu
8	Raebareli	Uttar Pradesh

f. Activities during 2023-24

(i) Procurement of goods and services

All the outsourced services like security, housekeeping, electricians, drivers, etc., were procured through Central/State Government owned Service Providers. Purchase of products like computers, printers, stationery, etc., were also made through GeM (More than 80 per cent of the total purchase was done through GeM).

(ii) Implementation of Swachh Bharat Mission

All the activities notified by the Ministry as part of implementation of Swachh Bharat Mission were successfully implemented in Spices Board and reports including photos were forwarded to the Ministry.

As a part of the Swachhata Hi Seva (Special Campaign 3.0), the dormant and scrap items of different locations of Spices Board were

identified and disposed by following the procedure as laid down in the Manual for Procurement of Goods and Services and credited the proceedings to the Spices Board.

(iii) Board meetings during 2023-24

During the period 2023-24, two Board meetings were conducted, i.e., the 93rd Board Meeting on 20 October 2023 and 94th Board Meeting on 30th January 2024 at Kochi in hybrid mode. Out of total strength of 31, 16 members of the Board were appointed. Shri Amardeep Singh Bhatia IAS, Additional Secretary, Ministry of Commerce, Government of India was appointed as Chairman of the Board on 12th July 2023 and assumed charge on 26th July 2023.

The tenure of Shri D. Sathiyan IFS as Secretary, Spices Board was completed on 17th March 2024 and Dr K.G. Jagadeesha IAS, Secretary, Coffee Board was given the additional charge of Secretary, Spices Board with effect from 18 March 2024 to 17th September 2024 or until further orders.

(iv) Maintenance of outstation offices

Maintenance of the Head Office of the Board located at Kochi and 82 offices across the country which include Export Promotion Offices, Development Offices, eight Quality Evaluation Laboratories (QELs), four Research Stations, and eight Spices Parks was attended to.

(v) Observance of Days of National Importance

Days of National Importance notified by the Government of India were observed in Spices Board. Following such days were observed during the year 2023-24:-

a) International Day of Yoga

b) World Blood Donation Day

c) Communal Harmony Week

d) Lifestyle for Environment (LiFE)

e) Campaign on "Meri Maati Mera Desh"

f) Implementation of Har Ghar Tiranga initiatives

g) Campaign on 'Swachh Diwali, Shubh Diwali'

h) Martyrs' Day

i) Campaign on Online Organ Donation Pledge Drive

j) Janjatiya Gaurav Divas

k) All other days of national importance like Independence Day, Republic Day, Constitution Day, etc.

B. Implementation of Official Language Policy

The Official Language section in Spices Board HO is the nodal point responsible to assist the Board to formulate and carry out programmes to promote use of Hindi as official language and also to monitor and guideline implementation of OL policy in the offices of the Board. In line with the Annual Programme as well as the orders issued by the Dept. of Official Language, M/o Home Affairs in regard to use of Hindi as Official Language, the OL section, with concurrence and approval of the Secretary and the Official Language Implementation Committee of the Board, kept its efforts continued to make the OL policy implementation more fruitful and effective during 2023-24.

Major Activities and Achievements

(i) Translation

Major translation work [English to Hindi and Vice versa] undertaken were of the;

- Documents coming under section 3(3) of OL Act, like General Orders [Circulars], Tender Documents, Advertisements, Press Release, Notifications, VIP references, etc.
- Annual Report & Audit Report 2022-23 and other administrative reports of the Board placed before the Parliament.
- Letters received in Hindi and replies thereof.
- Material for visiting cards, rubber stamps for

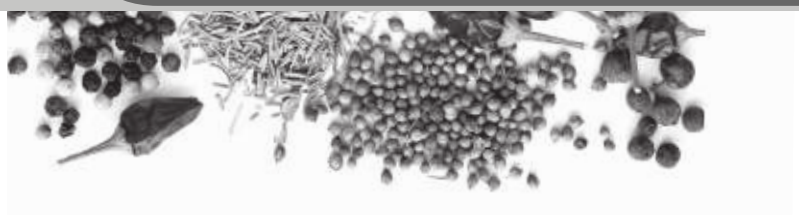

the officials in service and mementos for the officials retiring from the service of the Board.

- Materials [banner, backdrop, invitation card, programme sheets, etc.) for various official functions arranged by the Board.

(ii) Implementation of OL policy

a) OLIC meetings

Four Official Language Implementation Committee (OLIC) meetings, in the tune of one in each quarter, were convened on 27th June 2023 (April-June 2023), 29th September 2023 (July-September 2023), 28th December 2023 (October-December 2023) and 15th March 2024 (January-March 2024) respectively.

b) Hindi workshop

Four Hindi workshops were organised regularly in each quarter for the staff members of the Board and information was provided to the participants about the latest techniques to increase the use of Hindi in the office. They were made aware of the OL policy as well as the Boards' activities to implement the OL policy with a thrust on ensuring compliance of check-points effectively.

c) Subscription to Hindi newspaper/ magazines

Continued subscription to Hindi newspaper 'Daily Hindi Milap' and Hindi magazines namely Sarita and Vanita.

d) Official Language inspection

The Third Sub-Committee of the Hon'ble Committee of Parliament on Official Language inspected the Official Language of the Board's Regional cum Liaison Office, New Delhi on 12th March 2024. The Committee appraised the progress made by the Board in the field of implementation of the Official Language Policy of the Union. During the inspection/meeting, the Committee gave valuable suggestions for better implementation of the Official Language policy. Action is being taken on the suggestions given by the committee and the assurances were given to the committee.

Shri Rajendra Singh Toor, Assistant Director (OL), Ministry of Commerce visited the Board's head Office for OL Inspection on 22nd November 2023. In this connection, a hybrid meeting was scheduled in which all the regular staff in outstation offices were joined.

e) Hindi Day/Fortnight celebrations 2023

14th September 2023 was celebrated as Hindi Day in the Board. On behalf of the Board, the Deputy Director, Regional Office, Bodinayakannur participated in the All India Hindi Conference held at Pune, Maharashtra during 14-15 September 2023. The same day was celebrated as Hindi Day across the Board. Officials from across India participated in the Hindi Fortnight Celebrations held during 14–29 September 2023. Various competitions were organised through online medium for the staff members in connection with Hindi Fortnight Celebrations 2023.

Hindi Fortnight 2023 - Special Programmes

Spices Board has been organising special programs in Hindi for school children and public every year as part of its Hindi Fortnight Celebrations. During the year 2023-24, the Board organised a conversation competition in Hindi - 'Vartalaap'- on 06th January 2024 for the High School children from the schools in and around Guwahati city. The programme was duly inaugurated by Dr Dwijendra Mohan Barman, Deputy Director, Spices Board Regional Office, Guwahati. The winners were awarded with trophy and spice gift box.

f) Participation in the programmes arranged by TOLIC

During the period under report, Spices Board was awarded the Rolling Trophy (2nd position) instituted by Kochi Town Official Language Implementation

ANNUAL
REPORT

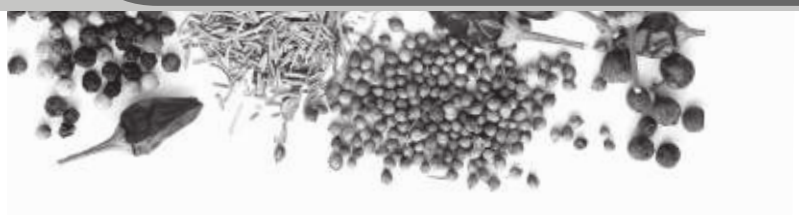

03

Finance and Accounts

The schemes, projects, and programmes of Spices Board are financed through grants from the Government of India. The expenditure on Administration is partly met through Internal and Extra Budgetary Resources (IEBR) generated from various activities of the Board.

The budget approved for the Board during 2023-24 was ₹11, 550.00 lakh. The detailed allocation of the Grant-in-aid of ₹11,550.00 lakh was as under:

Sl. No.	Allocation of Grant-in-aid	₹ in lakh
1	Grant-in-aid General, Capital Expenditure, Salaries, Other Expenditure and Swachh Bharath	6753.50
2	Grant-in-aid for Subsidies/financial assistance	3199.00
3	Grant-in-aid for North East Region	747.50
4	Grant-in-aid for Scheduled Caste Sub Plan	300.00
5	Grant-in-aid for Tribal Sub Plan	550.00
	Total	**11550.00**

The Board generated a revenue (IEBR) of ₹3,349.29 lakh from analytical charges for quality testing services rendered by the Quality Evaluation Laboratory, sale of seedlings from nurseries and farm products of research farms, subscription, and advertisement charges, exporters' registration fee, interest on advance, interest on short term deposits, etc., in 2023-24.

Spices Board is mandated with the Export Promotion of spices (52 scheduled spices and their products); Production, Research, Development, and Domestic Marketing of cardamom (small and large); and Quality Evaluation and Certification of Spices for export. To achieve this objective, the Board has been implementing various programmes and activities under the Central Sector Scheme – 'Integrated Scheme for Export Promotion and Quality Improvement in Spices and Research and Development of Cardamom'. The scheme includes various components such as Export Oriented Production, Export Oriented Research, Export Development and Promotion, Quality Improvement, and Human Resource Development.

The total expenditure of the Board during 2023-24 was ₹12,164.66 lakh, break-up of which is given below:

Head of Account	Expenditure (₹ Lakh)
Export Oriented Production	2172.23
Export Development & Promotion	1553.52
Export Oriented Research	64.61
Quality Improvement	1,117.88
HRD & Works	29.40
Establishment	7227.02
Total	**12164.66**

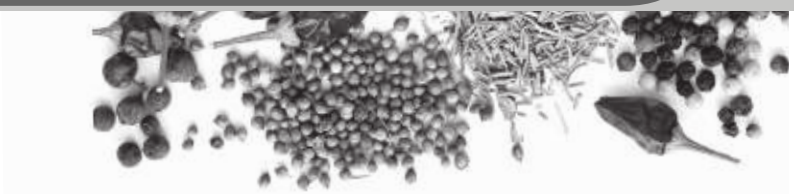

The Board has also been implementing certain ongoing projects and programmes with grants received from other Government Departments and national agencies such as, ICAR, ASIDE, and others. The details of grants received and expenditure incurred for such projects during 2023-24 are given below :-

Programmes	Grants Received (₹lakh)	Expenditure (₹ lakh)(*)
Area wide IPM Black Pepper	2.00	2.25
ICAR - AICRPS	14.18	15.38
Bayer Project	-	7.61
Evaluation of Flupyrimin	11.92	0.16
WTO-STDF	65.05	84.37
DUS Test Centre	1.00	-
Assessment of Polysulphate	-	3.84
Evaluation of Spinetoram	-	10.70
Evaluation of Nano Fertiliser	2.40	0.75
SHM – High Tech Nursery	100.00	-
Syngenta Fungicide	9.71	0.61
Syngenta Insecticide	23.88	-
RKVY Andhra Pradesh	-	12.19
MIDH	-	5.82
NABARD Sikkim	0.94	-
Total	**231.08**	**143.68**

(*) Expenditure includes grants received in the previous years and utilsed in FY 2023-24, as well.

During the year 2023-24, the Board successfully launched a new Financial Accounting System (FAS) developed by the National Informatics Center (NIC), Government of India, New Delhi. The software provides better data security, transparency, unlimited storage capacity, reduced manpower intervention, web-based accessibility, etc. The new FAS enables the Board to give user access to unit offices all over India and provision to record day to day expenditure and receipts. The Payment Gateway Systems in the new FAS will help accounting of bank receipts in 'real time' basis. Monitory limits can be allocated form Head office to each unit office levels based on approved schemes/budget requirements. These features enabled the Finance Department to view the current position of bank balances, expenditures, advances, subsidy payment, allocated expenditure limits, etc., related to all unit offices of the Board, which in turn helps in better management control and regular monitoring from Head office. The software is user friendly and during the current financial year, the annual accounts of the Board is prepared from this software. Developing additional features and integration with other department modules are also initiated by the NIC.

The paras in the statutory Audit Report 2023-24 on Spices Board are placed as Appendix I.

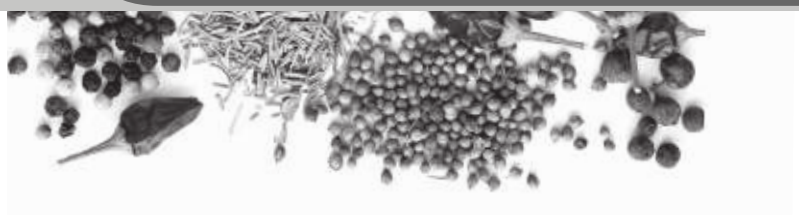

04

Export Oriented Production and Post-harvest Improvement of Spices

Spices Board is responsible for the overall development of cardamom (small and large) in terms of improving production, productivity, and quality. The Board is also implementing post-harvest improvement programmes for production of quality spices for export. Various development programmes and post-harvest quality improvement programmes of the Board are included in the component "Export Oriented Production" under the Central Sector Scheme - "Integrated Scheme for Export Promotion and Quality Improvement in Spices and Research and Development of Cardamom".

The development programmes are implemented through the extension network of the Board consisting of Regional Offices, Divisional Offices, and Field Offices. The Board is maintaining five Departmental Nurseries in the major cardamom growing areas in Karnataka to cater to the requirements of quality planting materials for the spice growers.

Export Oriented Production of Spices

The various programmes implemented under the component 'Export Oriented Production of Spices' during the year 2023-24 are detailed as follows:

A. Cardamom (small)

Small cardamom is grown mainly in the Western Ghats of Kerala, Karnataka, and Tamil Nadu. Majority of cardamom holdings are small and marginal. The total area under small cardamom during 2023-24 was 70,410 hectares (ha) with an estimated production of 25,230 metric tonnes. The programmes implemented for the development of small cardamom are given below:

a) Replanting/new planting

The objective of this programme is to motivate the growers to improve production and productivity through systematic replanting of the diseased, old, senile, and uneconomic plantations and to take up area expansion of small cardamom in the states of Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka by encouraging small and marginal growers and providing them financial assistance for replantation/new plantation. The growers are being offered financial assistance of ₹1,00,000/- for General and ₹2,10,000/- for SC and ST farmers per ha in Kerala and Tamil Nadu and ₹75,000/- for General and ₹1,68,000/- for SC and ST farmers per ha in Karnataka, towards 33.33 per cent and 75 per cent respectively for the cost of replanting and maintenance during gestation period, payable in two equal annual instalments. Registered small and marginal cardamom growers owning up to eight (8) ha are eligible for benefit under this programme.

During 2023-24, financial assistance of ₹370.41 lakh was provided for replanting 728 ha of small cardamom (which includes ₹146.56 lakh towards 1st instalment for replanting 288.08 ha during 2023-24, ₹ 223.39 lakh towards 2nd instalment for replanting 439 ha during 2022-23 and backlog cases of 2022-23), benefitting 2052 growers (female: 578, transgender: 0, SC: 47, ST: 48).

b) Production and distribution of quality planting materials

Production and distribution of disease free, healthy, and quality planting materials were taken up by the Board's Departmental Nurseries. The planting materials produced in the five Departmental Nurseries were distributed at a nominal rate to growers.

During 2023–24, a total of 65,576 cardamom planting materials, 2,14,316 rooted pepper cuttings, and 11,985 pepper nucleus planting materials were produced and distributed to 751 growers, from the five Departmental Nurseries in the Karnataka region.

c) Planting material production

In order to produce disease free, healthy, and quality planting materials for the ensuing season, farmers were motivated to produce cardamom suckers/seedlings in their own field. Planting materials produced in the certified nurseries of the farmers (applicant) will be used for replanting / gap filling by the applicant (not more than 50 per cent) and the balance will be supplied to neighbouring/ needy farmers at an optimum price not exceeding the market price.

During 2023-24, under this programme 151.4 units (i.e.,7,57,000 planting materials) were established covering 356 beneficiary farmers (i.e., female:110, transgender: 0, SC:13, ST:1)with financial assistance of ₹ 23.28 lakh.

d) Irrigation and land development

Irrigation during summer months is essential in cardamom plantations for getting higher yield. This programme aims at promoting irrigation in cardamom plantations by augmenting water resources through construction of irrigation structures like farm ponds, tanks, wells, rainwater harvesting structures, installation of irrigation equipment, and soil conservation works. The Board is implementing the programme in the states of Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka.

(i) Construction of storage structures

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to avail benefit under the programme. In order to extend the benefit to more growers under the programme, the financial assistance to an individual is restricted for only one construction i.e., farm pond/well/storage tank. The minimum capacity of irrigation structure should be 25 cubic metres for availing maximum assistance under the programme. The financial assistance offered under the programme is 50 per cent of the actual cost or ₹30,000/- to General category and 75 per cent of the actual cost or ₹45,000/- to SC/ST category, whichever is less.

(ii) Installation of irrigation equipment

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to avail the financial assistance under the programme IP set/gravity irrigation equipment. In the case of sprinkler/drip/micro irrigation, registered cardamom growers having land holding size of 0.40 ha to 8.00 ha are eligible to avail the financial assistance. The scale of assistance offered is 50 per cent of the actual cost or ₹5,000/- for gravity irrigation; ₹15,000/- for irrigation pump set; ₹32,000/- for sprinkler/drip/micro irrigation whichever is less to General category and 75 per cent of the actual cost or ₹11,250/- for gravity irrigation; ₹45,000/- for irrigation pump set; ₹95,000/- for sprinkler/drip/micro irrigation whichever is less to SC/ST category.

(iii) Construction of rainwater harvesting structure

Registered cardamom growers having a land holding size of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to avail the benefits under the programme. Any farmer who has availed this benefit earlier is not eligible to avail the benefit. Financial assistance at the rate of 33.33 per cent of the actual cost limited to ₹18,000/- to General category and 75 per cent of the actual cost limited to ₹40,000/- to SC/ST category, whichever is less, is extended for the construction of 200 cubic metre capacity tank.

During 2023–24, a total number of 18 water storage structures and 27 rainwater harvesting structures were constructed and 23 irrigation pump sets were installed benefitting 68 farmers (female:15, transgender: 0, SC:3, ST:0) with the financial assistance of ₹13,75 lakh.

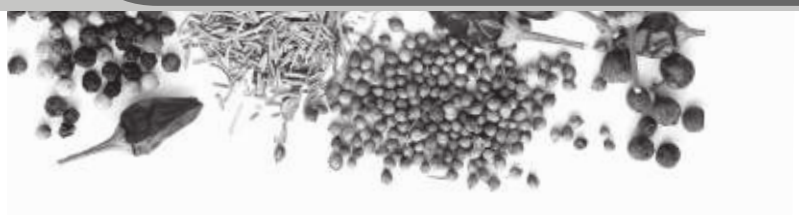

B. Development Programmes for the North East

Cardamom (large)

Large cardamom is mainly grown in the sub-Himalayan tracts of Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, and Darjeeling and Kalimpong districts of West Bengal. The total area under large cardamom in Darjeeling and Kalimpong districts of West Bengal and Sikkim during 2023–24 was 26,617 ha with an estimated production of 6,349.29 MT. The total large cardamom growing area under Arunachal Pradesh, Manipur, and Nagaland in 2023–24 was 18,979 ha with an estimated production of 2,939.07 MT. Non-availability of quality planting materials, presence of senile, old, and uneconomic plants, and incidence of blight diseases are the major challenges affecting large cardamom production. Keeping this in view,the Board is implementing the following programmes for large cardamom.

a) Large cardamom: Replanting/new planting

Large cardamom is grown by small and marginal farmers belonging to weaker sections of the society. The objective of the programme is to motivate the growers to adopt replanting in a systematic way to increase productivity. It is difficult for cardamom farmers to meet the cost of replanting / new planting due to higher investment. The programme provides assistance of 33.33 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of new planting in non-traditional areas and replanting in traditional areas as well as maintenance during gestation period (1st and 2nd years) as financial assistance subject to a maximum of ₹33,600/- and ₹75,000/- per hectare respectively, payable in two equal annual instalments.

During 2023-24, financial assistance of ₹322 lakh was provided for replanting / new planting 927.85 ha of large cardamom (which includes ₹125.31 lakh towards 1st instalment for replanting 354.25 ha during 2023-24, ₹189.68 lakh towards 2nd instalment for replanting 549 ha during 2022-23 and backlog payments of 2022-23), benefitting 3941 growers (female:1,065, transgender: 0, SC:44, ST:3475).

b) Planting material production

In order to produce disease free, healthy and quality planting materials for the ensuing season, farmers were motivated to produce cardamom suckers in their own field.

During 2023–24, under this programme, 319.87 units (i.e., 15,99,350 planting materials) were established covering 623 beneficiary farmers(female:147, transgender: 0, SC:11, ST:454) with financial assistance of ₹95.58 lakh.

c) Irrigation and land development

Large cardamom is mainly grown as a rainfed crop. Vagaries of climate often affect the production. The long dry spell from November to March coincides with severe winter resulting in retardation of growth and adversely affecting production of cardamom. In order to combat long dry spells during winter months and ensure effective irrigation in cardamom plantations the Board is implementing the following programmes in the North Eastern Region and Darjeeling district of West Bengal.

(i) Construction of storage structures

Registered cardamom growers having a land holding size of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to avail benefit under the programme. In order to extend the benefit to more growers under the programme, the financial assistance to an individual is restricted for only one construction i.e., farm pond/well/storage tank. The minimum capacity of irrigation structure should be 25 cubic metres for availing financial assistance under the programme. The financial assistance offered under the programme is 50 per cent of the actual cost or ₹30,000/- to General category and 75 per cent of the actual cost or ₹45,000/- to SC/ST category, whichever is less.

(ii) Installation of irrigation equipment

Registered cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to avail the financial assistance under the

programme IP set/gravity irrigation equipment. In order to extend the benefit to more growers under the programme, the financial assistance to an individual is restricted for only one unit. The scale of assistance under irrigation equipment/gravity irrigation equipment is 50 per cent of actual cost or ₹15,000/- to General category and 75 per cent of actual cost or ₹ 20,000/- to SC/ST category, whichever is less.

(iii) Construction of rainwater harvesting structures

Registered cardamom growers having a land holding size of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to avail the benefits under the programme. Any farmer who has availed this benefit earlier is not eligible to avail the benefit. Financial assistance at the rate of 33.33 per cent of the actual cost, limited to ₹ 18,000/- for General category and 75 per cent of actual cost or ₹ 40,000/- to SC/ST category is allowed for the construction of 200 cubic metre capacity tank.

During 2023–24, five water storage structures and 17 rainwater harvesting structures were constructed and 34 irrigation pump sets were installed benefitting 56 (female:9, transgender: 0, SC:2, ST:51)farmers with the financial assistance of ₹13.07 lakh.

C. Promotion of Exportable Surplus of Identified Spices in the North East

a) Cultivation of Lakadong turmeric

The objective of the programme is to promote cultivation of Lakadong turmeric for exports. The turmeric growers of the North East India having land holding size of 0.10 to 8.00 ha are eligible to avail the assistance. The programme provides assistance of 50 per cent of cost of planting material subject to a maximum of ₹ 30,000/- per ha.

During 2023-24, assistance was provided to 92(female:31, transgender: 0, SC: 0, ST: 92) farmers of North Eastern states of India covering 21.41 ha of Lakadong turmeric area with financial assistance of ₹ 6.42 lakh.

b) Cultivation of specific ginger varieties in North East

The objective of the programme is to promote cultivation of specific ginger varieties in North East for exports. The ginger growers of the North East having land holding size of 0.10 to 8.00 ha are eligible to avail the assistance. The programme provides 50 per cent of cost of planting material as assistance subject to a maximum of ₹ 30,000/- per ha.

During 2023-24, assistance has been provided to 77 farmers(female:18, transgender: 0, SC: 0, ST: 41) of North Eastern states of India covering 22.46 ha of North-East ginger area with financial assistance of ₹ 6.74 lakh.

D. Post-harvest Improvement of Spices

a) Supply of improved cardamom curing devices for small cardamom

The objective of the programme is to motivate the growers to adopt improved cardamom curing devices for drying cardamom to produce good quality cardamom for export. The programme provides assistance of 33.33 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the dryer, subject to a maximum of ₹1,50,000/- for General and ₹3,37,500/- for SC and ST farmers respectively.

During 2023–24, 43 improved cardamom curing devices were set up at total financial assistance of ₹ 53.21 lakh, benefitting 43 growers(female:13, transgender: 0, SC: 2 ST: 0).

b) Supply of large cardamom dryers (Sawo dryer/Modified Bhatti/Approved equivalent dryer)

The objective of the programme is to motivate the farming community to adopt scientific curing methods for improving the quality of large cardamom. The programme provides financial assistance at the rate of 33.33 per cent of total cost for General and 75 per cent for SC and ST

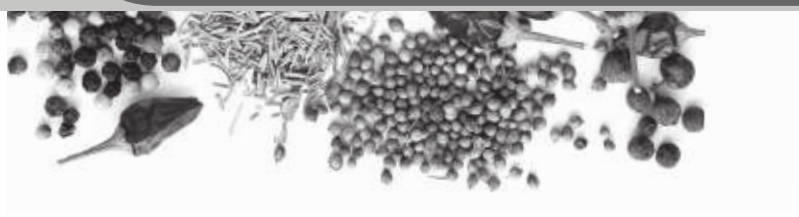

farmers, subject to a maximum of ₹16,000/- per unit for General and ₹ 28,000/- per unit for NE/SC/ ST farmers respectively.

During 2023–24, a total of 22 Modified Bhatti units were constructed at financial assistance of ₹ 5.19 lakh, benefitting 22 growers(female:11, transgender: 0, SC: 0, ST:19).

c) Supply of seed spice threshers

The harvest and post-harvest practices followed by some of the seed spice growers are unhygienic which result in contamination of the products with foreign matters like stalks, dirt, sand, stem bits, etc. The seeds are separated by beating the harvested and dried plants with bamboo sticks, rubbing the plants manually by hand, etc. In order to separate the seeds from the dried plants and to produce clean spices, the Board popularises the use of threshers which are operated manually or by using power.

The Board is providing 50 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the thresher as financial assistance, subject to a maximum of ₹75,000/- and ₹1,12,000/- respectively for General and SC/ST farmers.

During 2023–24, assistance was provided for installing 88 power operated threshers in the farmers' fields with total financial assistance of ₹ 68.91 lakh, benefitting 88 growers(female:20, transgender: 0, SC:6,ST:3).

d) Supply of pepper threshers

The objective of the programme is to motivate the pepper growers to produce good quality pepper for export by promoting installation of pepper threshers for hygienic separation of pepper berries from the spikes. The programme provides assistance of 50 per cent for General and 75 per cent for SC and ST farmers for the cost of the thresher subject to a maximum of ₹ 19,000/- for General and ₹ 28,000/- for SC and ST farmers respectively as financial assistance .

During 2023–24, assistance was provided for installing 356 threshers with total financial assistance of ₹ 65.92 lakh, benefitting 356 growers(female:44, transgender: 0, SC: 9, ST: 98).

e) Supply of turmeric steam boiling units

The programme is intended to assist the turmeric growers to adopt improved scientific methods for processing turmeric using steam boiling units. This provides better colour and quality to the final produce. Spices Board popularises the use of large-scale turmeric boiling units among growers for production of quality turmeric, suitable for exports. The financial assistance provided under this programme is 50 per cent for General and 75 per cent for NE/SC/ST farmers for the actual cost of the boiling unit or ₹ 1,88, 000/- for General and ₹ 2,82,000/- for NE/SC/ST farmers respectively, whichever is less.

During 2023–24, a total number of 89 turmeric steam boiling units were installed with financial assistance of ₹ 199.49 lakh, benefitting 89 growers (female:22, transgender:0, SC:18, ST:18).

f) Supply of polisher for spices

The programme aims at motivating and assisting the spices growers especially turmeric and small cardamom growers, growers group, spice producer societies / spice farmer producer company and so on, to adopt polishing of spices by supplying improved polishers at subsidised rates to produce quality spices suitable for exports. The financial assistance provided under this programme is 50 per cent for General and 75 per cent for NE/SC/ST farmers for the actual cost of the boiling unit or₹ 94,000/- for General and ₹ 1,40,000/- for NE/SC/ST farmers respectively, whichever is less.

During 2023–24, assistance was provided for 132 spices polishing units (cardamom polisher & turmeric polisher) with financial assistance of ₹ 120.44 lakh, benefitting 132 growers (female:38, transgender: 0, SC:26 ,ST:27).

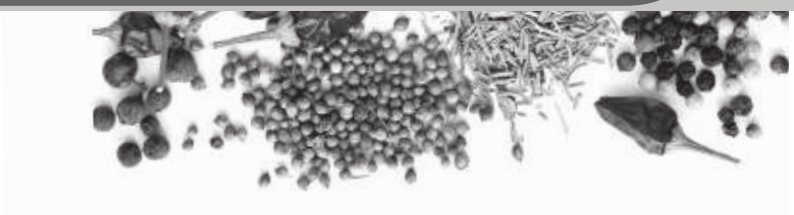

g) Supply of nutmeg/ clove dryer

The objective of the programme is to popularise mechanical dryers among the growers to produce quality nutmeg, mace, and clove. The programme provides assistance of 50 per cent for General and 75 per cent for NE/SC/ST farmers for the cost of the dryer, subject to a maximum of ₹ 37,500/- for General and ₹ 56,000/- for NE/SC/ST farmers respectively as financial assistance .

During 2023–24, assistance was given for setting up of 373 nutmeg dryers with financial assistance of ₹ 75.89 lakh, benefitting 373 growers (female:88, transgender: 0, SC:0,ST:0).

h) Supply of mint distillation unit

The objective of the programme is to motivate the mint growers to set up modern field distillation units lined with stainless steel in their fields to improve the efficiency of distillation unit as well as to improve the quality of the oil for exports. The scheme provides assistance of 50 per cent for General and 75 per cent for SC / ST farmers for the cost of the distillation unit subject to a maximum of ₹ 1,88,000/- for General and ₹2,80,000/- for SC /ST farmers respectively as financial assistance .

During 2023–24, nine mint distillation units were installed with total financial assistance of ₹11.59 lakh, benefitting nine growers (female:2, transgender: 0, SC:1,ST:0).

i) Supply of spices cleaners/graders/spiral gravity separators

The objective of the programme is to popularise the spice cleaners/graders/spiral gravity separators to increase profitability in production of spices by way of mechanisation and to improve the quality of spices for export. The programme provides assistance of 50 per cent of cost of unit, subject to a maximum of ₹ 44,000/- per unit for General category and 75 per cent subject to maximum of₹ 66,000/- per unit for NE/SC/ST farmers.

During 2023–24, a total of 62 spice cleaners/ graders/spiral gravity separators were installed with financial assistance of ₹ 23.44 lakh, benefiting 62 growers (female:13, transgender: 0, SC:0, ST:8).

j) Supply of spices washing machines

The objective of the programme is to popularise the spice washing machines to increase profitability in production of spices by way of mechanisation and to improve the quality of spices for exports. The programme provides assistance of 50 per cent of cost of unit, subject to a maximum of ₹ 53,000/- per unit for General category and 75 per cent subject to maximum of ₹ 80,000, per unit for NE/SC/ST farmers respectively.

During 2023–24, a total of 36 spices washing machines were installed with financial assistance of ₹ 18.88 lakh, benefiting 36 growers(female:9, transgender: 0. SC:1, ST:0).

k) Supply of spices slicing machines

The objective of the programme is to motivate the growers to adopt slicing of ginger / turmeric before drying using simple slicing machines to improve the quality. The programme provides assistance of 50 per cent of cost of unit, subject to a maximum of ₹ 9,000 /- per unit for General category and 75 per cent subject to maximum of ₹ 13,000, per unit for NE/SC/ST farmers respectively.

During 2023–24, one spices slicing machine was installed with financial assistance of ₹ 0.13 lakh.

l) Supply of tarpaulin/ silpaulin sheets

The objective of the scheme is to motivate growers to adopt hygienic drying of spices for improving the quality. Spices growers having land holdings from 0.20 to 8 ha are eligible to avail the assistance. The scheme provides assistance of 50 per cent of cost, subject to a maximum of ₹ 2,000 per sheet for general category and 75 per cent subject to a maximum of ₹ 3,000 per sheet for SC/ST farmers.

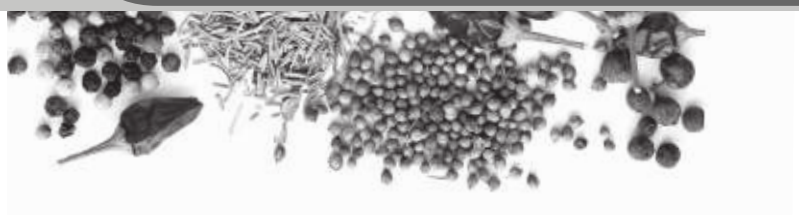

During 2023-24, 6500 tarpaulin sheets were procured through GeM and supplied to the spices growers across India with a financial assistance of ₹ 91.46 lakh benefiting 4,795 farmers. (Female: 881, Transgender: 0 SC: 556, ST: 1219).

m) Quality Gap Bridging Groups - spice producers' groups in identified clusters

The objective of the programme is to capacitate the spices producers to produce spices with quality, safety and traceability, by supporting identified groups. The programme provides assistance of a maximum of ₹ 25 lakh per Spice Producers Group for setting up of post-harvest machine /equipment bank, IT support for joining online platform on traceability and improving quantum of sale, establishment of plot for Good Agricultural Practices (GAP) and support for technical manpower for maintenance of online platforms, GAP plot, and office of Spice Producers Group based on MoU with Spices Board. A group with legal entity such as registered FPO, FPC, SHG, SPS, etc., actively engaged in spices sector is eligible for the assistance.

During 2023–24, 47 farmer groups in spices sector were assisted for installing various post-harvest machines with financial assistance of ₹ 326.88 lakh benefiting 11,844 farmers (including backlog payments of 2022-23).

n) Weather based crop insurance for small cardamom in Idukki district of Kerala

The objective of the programme is to protect small cardamom growers against the adverse weather incidences, such as deficit or excess rainfall, heat (temperature), relative humidity, , which are deemed to adversely affect the production. Registered small cardamom growers having land holding size of 0.10 ha to 8.00 ha are eligible to enroll for the programme. This pilot programme is applicable for farmers growing any prevailing variety of small cardamom as monocrop or intercrop. Agriculture Insurance Company of India Ltd (AIC) is the Implementing Agency of this programme under the aegis of Spices Board. The programme provides assistance of 75 per cent of the premium by Spices Board and 25 per cent by the beneficiary. The Board provides maximum assistance of ₹ 16,040/ ha (including GST).

During 2023-24, 60 farmers were enrolled under the programme covering an area of 39.29 ha with financial assistance of ₹ 6.26 lakh as the Board's share.

E. Organic Farming

In order to promote organic production of spices, support for setting up vermicompost units and promoting organic seed bank of spices were implemented in 2023-24.

a) Organic certification (Groups)

The objective of the programme is to assist spices growers' groups / FPOs in acquiring certification for organic spices farms, thereby promoting exports of organic spices. The programme provides assistance of 50 per cent of cost of organic certification subject to a maximum of ₹ 1,50,000 for other than NER groups and 90 per cent subject to a maximum of ₹ 2,70,000 for NER groups.

Financial assistance of ₹ 0.23 lakh was provided to a farmer group during 2023-24 .

b) Internal control system (Groups)

Spices Board is promoting organic farming in spices sector by supporting farmer groups/ FPOs to establish grower group certification. The farmers who are desirous of adopting organic farming need to go through the procedures of organic certification. Establishing an Internal Control System [ICS] is a pre-requisite for grower group certification (Umbrella certification), in order to prepare these farmers on group formation, organic regulations, certification procedures, training, documentation, internal inspection, etc. The Board proposes to support the grower groups / FPOs etc., to establish ICS for organic certification

and aggregation of the produce. A group/FPO is eligible for financial assistance thrice in a block year of five years consecutively or in staggered manner as per the availability of fund. Preference will be given to the group which produces organic spices. The scheme provides assistance of 50 per cent of cost of organic certification subject to a maximum of ₹ 1,12,000 for other than NER groups and 90 per cent subject to a maximum of ₹ 1,68,000 for NER groups.

Financial assistance of ₹ 0.25 lakh was provided to a farmer group during 2023-24.

c) Setting up of vermicompost units

It is necessary to produce organic inputs in the farm itself to maintain soil fertility in organic production. In order to enable the growers to produce organic farm inputs, particularly vermicompost, ₹ 4,500/- as financial assistance at the rate of 33.33 per cent of financial assistance to the General category growers and ₹ 10,000/- at the rate of 75 per cent financial assistance to the SC/ST farmers is offered to set up a unit having a capacity of one tonne output of vermicompost.

During 2023–24, assistance was provided for construction of 254 vermicompost units with financial assistance of ₹ 23.99 lakh benefitting 236 growers (female:51, transgender: 0, SC:32 , ST:181).

F. Training Programme for Quality Improvement of Spices (QITP)

Spices Board is regularly conducting quality improvement training programmes for farmers, officials of state agriculture / horticulture departments, traders, members of NGOs, etc., for educating them on scientific methods of pre-harvest and post-harvest, storage technologies and updated quality requirements for major spices.

A total of 15,003 personnel were trained under 264 training programmes during 2023-24 at a total expenditure of ₹ 27.23 lakh (female: 3,591; transgender 0, SC: 701, ST: 4,551). The expenditure was met under the HRD head.

G. Extension Advisory Service

Training on transfer of technical know-how to growers on production and post-harvest improvement of spices is an important factor in increasing productivity and improving quality of spices. This programme envisages technical/extension support to growers on the scientific aspects of cultivation and post-harvest management through personal contact, field visits, group meetings, and distribution of literature for small cardamom (in the states of Kerala, Tamil Nadu, and Karnataka) and for large cardamom (in the states of Sikkim and West Bengal).

Besides extension advisory service, the production and post-harvest programmes of the Board under the component 'Export Oriented Production' are implemented through the extension network.

During 2023-24, a total of 17,157 extension visits were made and 1,920 group meetings/ campaigns were organised for cardamom (small and large) in the states of Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Kalimpong and Darjeeling districts of West Bengal, and other spices growing areas. The total expenditure under extension advisory service was ₹129.30 lakh during 2023-24.

H. Exposure Visits of Farmers

Exposure visits were organised by the Board for the farmers. A total of 45 farmers from the regions under the jurisdiction of Regional Office Bodinayakanur (Kerala) and Regional Office Nizamabad (Telangana) were benefitted through the exposure visits arranged in two different batches with the financial assistance of ₹ 1.62 lakh. The farmers from Nizamabad were taken to the Central Food Technology Research Institute, Mysore and KVK in Karnataka. The cardamom farmers from Idukki were taken to Central Integrated Pest Management centre, Kakkanad, Kerala.

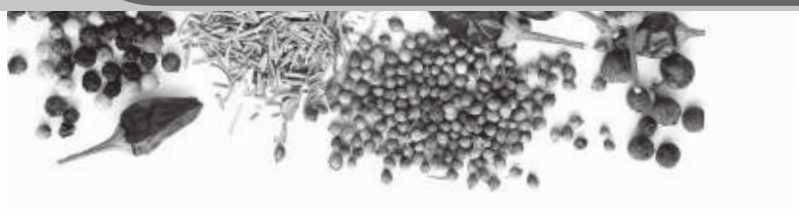

I. Saffron Production & Export Development Agency (SPEDA)

In exercise of the powers conferred under Section 5 of the Spices Board act, 1986, the Board established the Saffron Production and Export Development Agency (SPEDA) vide Gazette notification dated 17 March 2015, to co-ordinate the programmes / projects implemented by Central / State Agencies for research, development, marketing, quality, consumption, and export of saffron from Jammu and Kashmir. SPEDA consists of 17 members representing various stakeholders including representatives from Ministry of Agriculture, Ministry of Commerce & Industry, farmers, traders, and exporters. The SPEDA is co-chaired by the Secretary, Ministry of Commerce & Industry, Government of India and the Chief Secretary, Government of Jammu & Kashmir.

During the period of report, the Board has taken steps for the reconstitution of SPEDA. Further activities, such as quality improvement training programmes, buyer seller meets, were conducted. The Board also participated in the Saffron Festival for the promotion of GI Kashmir Saffron.

J. Other Activities

a. IPM Seva Kendra for Spices at Thodupuzha

An IPM Seva Kendra for spices was set up at KADS Village Square Thodupuzha for promoting sustainable cultivation of cardamom and other spices among the farmers. The IPM Seva Kendra was inaugurated by the Secretary, Spices Board on 23 May 2023. KADS PCL had offered a 150 sq. ft. rent free space at KADS Village Square for setting up of the IPM Seva Kendra. Spices Board set up the IPM Seva Kendra in collaboration with allied departments viz. Central Integrated Pest Management Centre (CIPMC), Ernakulam; ICAR-Indian Institute of Spices Research (IISR), Kozhikode; Indian Cardamom Research Institute (ICRI), Myladumpara; Cardamom Research Station, Kerala Agriculture University, Pampadumpara; and Krishi Vigyan Kendra (KVK) Santhanpara. A monitoring committee has been formed to observe the functions of IPM Seva Kendra and to suggest further improvements. Stakeholders from spice industry regularly visit the IPM Seva Kendra and their queries on production and post-harvest improvement of spices are addressed by the Spices Board extension personnel and the allied departments periodically.

b. Activities at the training centre at Thodupuzha, Idukki, Kerala

During the year 2023-24, the training centre jointly established by Spices Board and Kerala Agricultural Development Society (KADS) PCL at Thodupuzha, Idukki, Kerala facilitated training programmes as follows:

Sl. No.	Particulars of training since the inception of the training centre	Total
1	No of training conducted	17
2	Total number of participants empowered and sensitised as per modules organised at the training centre	588
3	Total number of participants - collaborative training programme on GAP for production of spices for spice stakeholders and officials	49
4	Total number of participants - collaborative training programme on GMP for production of spices for exporters & officials.	57
5	Total number of participants - training on the documentation process for IndGAP certification under STDF project for officials	28

c. Strengthening of spice value chain in India and improving market access through capacity building

In order to address the Sanitary and Phytosanitary (SPS) issues in spices, Spices Board submitted a project proposal in 2014 titled " Strengthening of spice value chain in India and improving market access through capacity building and innovative

interventions", to the Standards and Trade Development Facility (STDF- an organisation under World Trade Organization (WTO) that supports developing countries in building capacity to implement international standards, guidelines and recommendations as a means to improve their human, animal and plant health status and ability to gain or maintain access to international markets).

The project was approved by the STDF in October 2018. FAO India is the implementation partner of the project and the budget holder and is responsible for the overall supervision of the project. Spices Board is the local partner of the project and has to ensure the implementation of all local activities and their coordination.

The overall objectives of the project are:

- Capacity building of stakeholders in spices value chain to expand exports of safe and high-quality spices from India to overseas market.
- Boost income of small-scale farmers, empower women and other marginalised communities
- Support efforts to reduce poverty (SDG 1/0 and hunger (SDG 2))

The project is being implemented in 12 villages across four states focusing four spices namely;

- Cumin and Fennel in Gujarat and Rajasthan (implemented in four villages in each state)
- Coriander in Madhya Pradesh (in two villages)
- Black Pepper in Andhra Pradesh (in two villages)

The project had commenced with an inception workshop conducted on 22 October, 2020. The project has completed three phases successfully and is currently in the fourth phase. The activities conducted during third phase include:

- Development and standardisation of Good Agricultural (GAP) and Good Hygienic Practices (GHP) for the focus spices as per the requirement of the global market. Development of Information, Education and Communication (IEC) materials like brochures, information videos, etc. A total of 226 master trainers were trained on the GAPs and GHPs developed under the project, for imparting the knowledge to the farmers in the four states(female: 59; SC: 2; ST: 105). Conducted three Buyer Seller Meets for seed spices in the states of Rajasthan, Madhya Pradesh, and Gujarat. Conducted 16 street plays in the project villages benefiting 1238 farmers(female: 424; SC: 9; ST: 400). Conducted 8 local project implementation committee meeting in the states of Andhra Pradesh, Rajasthan, Madhya Pradesh, and Gujarat. Conducted four workshops for FIGs / farmers group / FPOs on Management and Market Linkage benefitting 230 farmers (female: 23; SC: 9; ST: 74). Conducted 12 trainings of farmers on GAP and GHP at different crop stages, including bio-input production at farm level, application of bio-pesticides, judicious use of pesticides benefitting 699 farmers (female: 75; SC: 25; ST: 119).
- Conducted 12 training of farmers and traders on IndGAP certification benefiting 532 farmers (female: 44; SC: 30; ST: 110).
- 144 spice samples were collected and analysed through empanelled lab of Spices Board.
- Twenty-eight project implementing officials were trained on documentation procedures of IndGAP certification.
- GAP input *Trichoderma* was distributed to 1000 farmers (female: 65; SC: 27; ST: 6).
- 5000 yellow sticky traps were distributed to 1000 farmers of Rajasthan(400), Gujarat(400), and Madhya Pradesh(200) for promoting IPM.
- Ten moisture meters were distributed to the five FPOs of Rajasthan(2),Gujarat (2), and Madhya Pradesh (1) for ensuring the moisture level of seed spices.

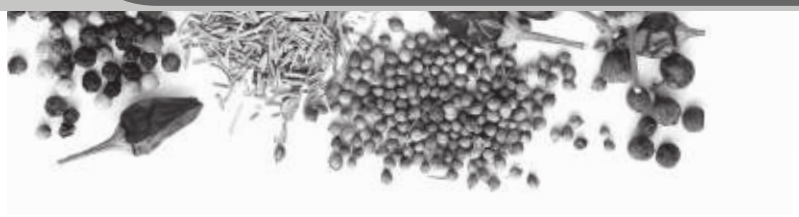

d. IndGAP

In India, the quality of food and food safety are enforced through an array of Quality Assurance (QA) systems and norms, which are followed by various industry based on the target market and as per the suitability to their sector.

The Quality Council of India (QCI) operates the national accreditation structure for conformity assessment bodies as well as provides accreditation in the field of education, health, and quality promotion. It also promotes the adoption of quality standards relating to Quality Management Systems (ISO 14001 Series), Food Safety Management Systems (ISO 22000 Series) and Product Certification and Inspection Bodies through the accreditation services provided by the National Accreditation Board for Certification Bodies (NABCB).

India Good Agricultural Practices (IndGAP) Certification Scheme is one such certification developed by the QCI to strengthen Good Agriculture Practices in India. The scheme is aligned as per ISO 17065, the international standard for product/process certification requirements, complete with certification and accreditation framework. The standards ensure greater efficiency in production, improves business performance, and benefits farmers, retailers, and consumers throughout the world.

Spices Board entered a MoU with QCI to carry out second phase of "Pilot project on IndGAP Certification of spices". The spices covered under the five projects and area of implementation are as follows:

Sl. No.	Spices	District & State	Project
a.	Cumin	Pali, Rajasthan	Jaitaran Farmers Producer Company Limited
b.	Coriander	Guna, Madhya Pradesh	Jay Shri Bajrangarh Organic Farmers Producer Company Limited
c.	Fennel	Unjha, Gujarat	Krushidhan Producer Co. Ltd
d.	Black Pepper	Alluri Sitharama Raju district, Andhra Pradesh	Modapalli Farmers Producers Organisation
e.	Turmeric	Nizamabad, Telangana	Morthad Fed Producer Company Limited

e. Campaign on Clean and Safe Spices

A campaign on 'Clean and safe spices' was conducted on 27 February 2024 commemorating the 37th foundation day of the Board. The campaign was inaugurated by Shri Amardeep Singh Bhatia IAS, Additional Secretary, Department of Commerce, Government of India, and Chairman, Spices Board through online mode.

The campaign was designed to sensitise the stakeholders on the risk, corrective actions, and good practices to be followed at various stages of production, processing, value addition, and export of spices. The campaign was conducted across the country for creating an awareness to all the stakeholders of spices sector and public.

Sl. No.	Abstract of the campaign	
1	No. of states covered	14
2	No. of locations	22
3	No. of participants	1307 (female 400 SC:119,ST:265)

f. Mera Yuva Bharat Programme:

As part of the Mera Yuva Bharat (My Bharat) campaign of Ministry of Youth Affairs & Sports, GOI, Spices Board implemented the Mera Yuva Bharat event entitled "SUGANDHA UDYOG MANTHAN" for 2023-24 with a sub programme

'Boot Camp on Cultivation, Quality Management, and Export- Empowering Youth Spicepreneur'. The event was conducted for the youths to provide a platform for knowledge sharing on spices supply chain, IPM, GAP, GHP, GMP, and post-harvest quality enhancement. Food safety protocols, value addition, e-commerce, leadership and soft skills were other important aspects covered under the event.

Sl. No.	Abstract of the programme	
1	No. of states covered	08
2	No. of locations	11(17 programmes)
3	No. of participants	1823 (female:1173, SC:184, ST:154)

g. Collaborative training programme on Good Agricultural Practices (GAP) for spices

Collaborative training programme on Good Agricultural Practices (GAP) for spice growers was conducted at Horticultural Research Station, Assam Agricultural University, Kahikuchi, Guwahati, and KADS Training Centre, Village Square, Thodupuzha, Kerala during June 2023 and at Alakkode, Thodupuzha, Kerala during March 2024. The programmes were organised by Spices Board in collaboration with United States Food & Drug Administration (USFDA) and Joint Institute for Food Safety and Applied Nutrition (JIFSAN) with one time grant of ₹ 3.74 lakh from USFDA

Sl. No.	Abstract of the programme	
1	No. of states covered	02
2	No. of locations	3 (3 programmes)
3	No. of participants	196 (female:26, SC:23, ST:17)

h. Integrated Project on Production and Post-harvest Management of Black Pepper for Tripura

Human resource development programmes were conducted for pepper farmers during 2023-24 under the integrated project on Production and Post-Harvest Management of Black Pepper for Tripura. The programmes were organised by Spices Board with financial assistance from the Government of Tripura.

A total of 115 personnel (30 officials and 85 farmers) were trained under two training programmes during 2023-24 at a total expenditure of ₹0.30 lakh (Female: 21; SC: 14; ST: 78).

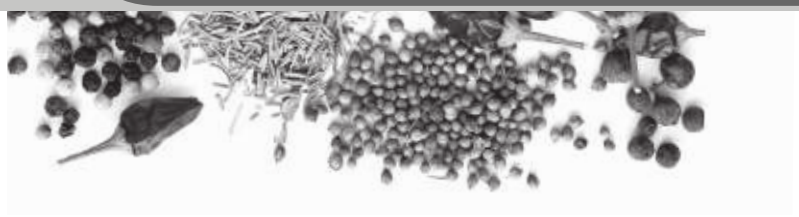

05

Export Development and Promotion

Spices Board is mandated with the Export Promotion of spices (52 scheduled spices and their products) & Production, Research, Development, and Domestic Marketing of Cardamom (Small & Large) and Quality Evaluation & Certification of Spices for Export. To achieve this objective, the Board has been implementing various programmes and activities under the Central Sector Scheme - "Integrated Scheme for Export Promotion and Quality Improvement in Spices and Research and Development of Cardamom". The scheme includes various components such as Export Oriented Production, Export Oriented Research, Export Development, and Promotion, Quality Improvement and Human Resource Development.

India's export of spices increased from 8,17,250 MT valued at ₹13,735.39 crore (2,268 million US$) in 2013-14 to 15,39,692 MT valued at ₹36,958.80 crore (4,464.17 million US$) in 2023-24 registering an increase of 88 per cent in volume, 169 per cent in value (INR) and 97 per cent in value (US$). The export of spices registered a CAGR of seven per cent in volume, ten per cent in value (INR) and seven per cent in value (US$) since 2013-14.

The various programmes implemented under the component 'Export Development and Promotion' (EDP) aim at supporting the exporters to develop infrastructure, promote Indian spices, and spice products, etc., with a view to enhance export of processed and value-added spices, which comply with the changing food safety standards of the importing countries. Besides encouraging adoption of scientific practices and process upgradation, the Board focuses on enhancing compliance with quality and food safety norms across the supply chain of spices. The major thrust areas under Export Development and Promotion (EDP) are trade promotion, product development and research, infrastructure development, promotion of Indian spice brands abroad, setting up of infrastructure for common cleaning, grading, processing, packing, and storing (Spices Park) in major spice growing/ marketing centers, promotion of organic spices/ GI spices, organising Buyer Seller Meets, etc. Also, special programmes are undertaken for promoting the spices of the North Eastern region.

A. Infrastructure Development

a. Adoption of Hi-Tech/ Technology Up-gradation & Setting up/ upgradation of in-house labs

Under this programme, the Board aims at assisting exporters in setting up facilities for processing and value addition of spices, quality evaluation of spices, and spice products, etc. The scale of assistance under the programme is 33 per cent of the cost of machinery/equipment and accessories subject to a maximum of ₹1.00 crore per exporter for General category and 75 per cent of the cost of machinery/equipment and accessories subject to a maximum of ₹1.50 crore for SC/ST exporters; FPO exporters; exporters in NE region (including Sikkim and Darjeeling region), Jammu & Kashmir, Ladakh, Himalayan States, State notified ITDP areas and Islands (Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep). During 2023-24, assistance of ₹319.28 lakh was provided under this programme to six exporters.

b) Assistance to exporters for installing primary processing equipment for spices

Under this programme, the cost of machinery for the primary processing such as cleaning, grading, sorting, slicing, cutting, crushing, grinding, packing, etc., is considered for assistance. The scale of assistance is 33 per cent of the cost of machinery subject to a maximum of ₹10 lakh per exporter for General category and 75 per cent of the cost of machinery subject to a maximum of ₹15 lakh for SC/ST exporters and FPO exporters. During 2023-24, assistance of ₹27.98 lakh was provided to four exporters under this programme.

c) Assistance to exporters for Rapid Food Testing Devices and Kits

Rapid Food Testing Devices and Kits are used for testing intrinsic properties, physical parameters, toxins, contaminants, residues, etc., in spices and spice products. The scheme aims at encouraging the exporters to install the rapid testing devices and kits to undertake testing of raw materials as well as processed products across various stages of the supply chain, which will help to monitor the intrinsic parameters, quality and safety aspects, etc.

The scale of assistance under the programme is 33 per cent of the cost of rapid quality and safety testing device and kits subject to a maximum of ₹10 lakh per exporter for General category and 75 per cent of the cost, subject to a maximum of ₹15 lakh for SC/ST exporters; FPO exporters; exporters in NE region (including Sikkim and Darjeeling region), Jammu & Kashmir, Ladakh, other Himalayan States, State notified ITDP areas and Islands (Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep). During 2023-24, assistance of ₹0.32 lakh was provided under this programme to one exporter.

d) Assistance for implementation of food safety and quality assurance mechanisms/ certifications

Under this programme, cost of accreditation/ certification of processing units, in house laboratories, etc., of spices exporters under ISO/ HACCP/ FSSC 22000/ NPOP, etc. (including KOSHER, HALAL, GMP, SQF, BRC, etc.) by recognised agencies, certification by authorised agencies of importing countries/Foreign Buyer Verification Programme (FBVP), etc., are considered.

The Board gives 33 per cent of the cost of certification subject to a maximum of ₹5.00 lakh for general category exporter and 75 per cent of the cost of certification subject to a maximum of ₹7.50 lakh for SC/ST exporters, FPO exporters and exporters in NE region (including Sikkim and Darjeeling region) and other Himalayan States/ J&K and Ladakh, States notified ITDP areas and Islands (Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep).

e) Setting up and maintenance of infrastructure for common processing (Spices Parks)

Spices Board, with a view to empower the farmers to get better price realisation and wider market access for their produce, has established eight crop specific Spices Parks in major production/ market centers. The objective of the Park is to have an integrated operation for cultivation, post-harvesting, processing, value addition, packaging, and storage of spices and spice products. The common processing facilities for cleaning, grading, packing, steam sterilisation, etc., will help the farmers to improve the quality of their produce and thus result in a higher price realisation. Ministry of Food Processing Industries, Govt of India had notified all the eight Spices Parks as designated Food Parks during May 2018. The crop specific Spices Parks established by the Board in the major production/market centers are as below:

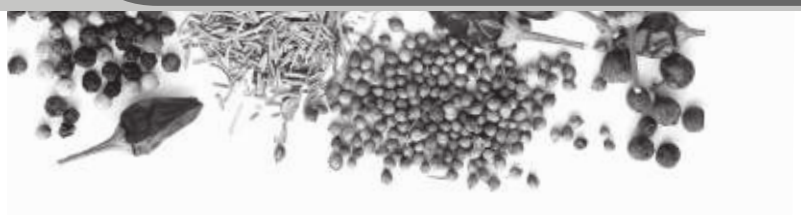

Sl No	Location/State	Spices Covered	Land Area (Acre)
1	Chhindwara, Madhya Pradesh	Chilli & Garlic	10.00
2	Puttady, Kerala	Pepper & Cardamom	12.50
3	Jodhpur, Rajasthan	Cumin & Coriander	60.00
4	Guna, Madhya Pradesh	Coriander	100.00
5	Sivaganga, Tamil Nadu	Chilli & Turmeric	75.00
6	Guntur, Andhra Pradesh	Chilli	125.00
7	Ramganjmandi (Kota), Rajasthan	Coriander	30.00
8	Raebareli, Uttar Pradesh	Mint	11.79

(i) Status of Common Processing Units in Spices Parks

All the Parks have well established common processing units for processing, value addition and storage of spices and spice products and the units in all the Parks except Raebareli are functioning presently through the operators identified by the Board. The processing facilities available in each Park along with the name of the operators are given below:

Location of the Spices Park	Details of processing facilities	Name of the Operator
Chhindwara	Garlic drying / dehydration and chilli extraction	M/s Vee Natural
Guna	Cleaning, grading, colour sorting, grinding, packaging facilities for seed spices particularly coriander	M/s Mayank Industries
Guntur	Cleaning, sorting, grinding and packaging facilities for chillies	M/s Mane Kancor Spices Pvt Ltd.
Jodhpur	Cleaning, grading, colour sorting, grinding, packaging facilities for Seed spices particularly cumin	M/s Shree Radhey Krishna Spices Pvt Ltd.
Ramganjmandi (Kota)	Cleaning, grading, colour sorting, grinding, packaging facilities for Seed spices particularly coriander	M/s Orkla India Pvt ltd .
Puttady	Cleaning, grading, grinding, packaging facilities for cardamom and pepper	M/s Flavourit Spices Trading Ltd
Raebareli	Mint and other herbs oil distillation unit in Park and Impact Zone	The distillation units are directly operated by farmers' groups
Sivaganga	Cleaning, grading, colour sorting, grinding, packaging facilities for chillies and turmeric	M/s Season Fresh Agro Foods

The common storage facilities (warehouses) at Spices Park Jodhpur and Sivaganga have been leased out to exporters.

(ii) Status of allotment of plots to exporters and status of units established at Spices Parks

All the Spices Parks except Chhindwara and Puttady have land that is earmarked for allotting to prospective entrepreneurs for developing their own processing units for value addition and high-end processing of spices.

During 2023-24, the Board has allotted two plots in Spices Park, Jodhpur to two exporters, two plots to one exporter at Spices Park, Guna; three plots to one exporter at Spices Park, Raebareli and two plots to one exporter at Spices Park, Sivaganga for establishing spice processing units.

As on 31st March 2024, twenty five plots have been allotted to 21 exporters at Spices Park, Jodhpur, of which ten units are functioning; 39 plots have been allotted to 22 exporters at Spices Park, Guna, of which three units are functioning; 16 plots have been allotted to 15 exporters at Spices Park, Ramganjmandi (Kota), of which one unit is functioning; 52 plots have been allotted to 27 exporters at Spices Park, Guntur, of which, eight units are functioning; 22 plots have been allotted to 16 exporters at Spices Park, Sivaganga; and nine plots have been allotted to four exporters at Spices Park, Raebareli.

In order to make the units fully functional, the Board is regularly following up with the plot holders to complete the construction. Show Cause notices and letters were sent to the plot holders based on the stage of construction of units in the allotted plots.

Also, the Board is in the process of allotting vacant plots in different Spices Parks. The plots which could not be allotted even after long Expression of Interest (EoI) periods, like in Sivaganga and Guna, allotments were opened to exporters registered with APEDA, Tea Board, and Coffee Board for establishing allied food processing units based on the decision taken in the Board meeting dated 30th January 2024. The EoIs have been invited with last date as 30th September 2024.

Further, the Board is in the process of allotting supporting facilities in the Park viz. built up area for establishing laboratory, office space, canteen building, bank building, etc., to eligible stakeholders through bidding.

(iii) Performance of Spices Parks

During 2023-2024, 46,101 MT spices worth ₹58,000 lakh was processed in the common processing units and units established by the exporters in the Spices Parks, of which 19,075 MT spices / spices products valued at ₹25,858.08 lakh were exported / supplied to exporters for export In addition, a total of 31094.05 MT of spices worth ₹42,997.89 lakh have been stored in the warehouses at Spices Parks. Further, through the Mint Distillation units established in the impact zone of Spices Park, Raebareli 1,580 litre mint oil valued at ₹18.5 lakh was processed. Also, a total of 825 workers / labourers were engaged in the Spices Parks. During 2023-2024, total expenditure of ₹77.69 lakh was incurred for maintenance / undertaking works in the Spices Parks.

(iv) Spice Complex Sikkim

Govt. of Sikkim had allotted ten acres of land free of cost at Namcheybong in East District of Sikkim to Spices Board to establish Spice Complex for development of infrastructure for promoting spices exports from the state. The Executive Committee of Trade Infrastructure for Export Scheme (TIES) in its 13th meeting held on 9th February 2021 accorded approval for the establishment of Spice Complex in Sikkim, within a period of three years, at a total financial outlay of ₹26.51 crore, out of which Spices Board's share is ₹8.77 crore and the remaining amount of ₹17.74 crore would be the contribution from TIES. Spices Board signed a MoU with Central Public Works Department (CPWD), Gangtok for establishment of the Spice Complex on a turn-key basis. CPWD has divided the construction works into three packages as detailed below:

Package-I: Gate complex & fencing of the site area with barbed wire, with an estimated cost of ₹120 lakh.

Package-II: Construction of amenities centre, common processing centre and bio-agent production centre and Spice Research & Quality Control Lab including equipment, with an estimated cost of ₹884 lakh.

Package-III: Construction of administrative building, training hall, guest house and canteen, service block including roads, storm water drains, power supply and other works as per the DPR with estimated cost of ₹1,523 lakh.

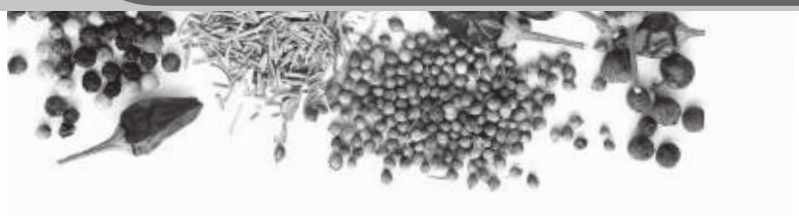

During the financial year 2023-24, the CPWD has revised the lay out of Spice Complex, Sikkim with changes in location of the entrance gate and starting portion of the road, for the smooth movement of heavy vehicles for the feasibility of movement of long chassis/heavy loaded vehicle in Spice Complex considering the future requirement, with the approval of the Director (Marketing), Spices Board.

A total of ₹11.77 cores (₹8.87 crore received from TIES and Board's share of ₹.2.90 crore) is released to CPWD, out of which ₹6.37 crore was released during 2023-2024.

At present, CPWD has completed 75 per cent of the barbed wire fencing and protection work including electrical work at a cost of ₹38.72 lakh and two per cent of construction of administrative building, core processing unit, and bio agent unit at an expenditure of ₹3.46 lakh. The total expenditure incurred is ₹42.18 lakh and balance amount of ₹11.34 crore is with CPWD. The work is under progress and expected to be completed by March 2025.

B. Trade Promotion

a) Sending business samples abroad

Export contracts for spices and spice products in general are concluded based on samples provided to the buyers. Exporters are required to send samples to their customers abroad, for approval and to match the requirements of the buyers. Considering the higher cost of couriering samples and number of samples required to be couriered for securing a contract, the Board provides assistance to exporters to offset the cost of courier charges for sending samples abroad. The assistance is provided, as reimbursement, to Merchant Exporters with annual turnover not more than ₹250 crore during FY 2021-22 and MSME exporters at the rate of 50 per cent of the cost of courier charges subject to a maximum of ₹1.50 lakh per annum for general category and 75 per cent of the courier charges subject to a maximum of ₹2.25 lakh per annum for SC/ST exporters; FPO exporters; exporters in NE region (including Sikkim and Darjeeling region), Jammu & Kashmir, Ladakh, Himalayan States, State notified ITDP areas, and Islands (Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep). During 2023-24, assistance of ₹4.09 lakh was provided under this programme to 31 exporters.

b) Packaging development & barcoding

There is a felt need to improve the existing packaging and to develop modern packaging for increasing shelf life, reducing the storage space, and better presentation of Indian spices in markets abroad. The Board, under the programme, provides assistance to all registered exporters who have registered their brand names with Spices Board to improve the existing packaging and to develop modern packaging. Under the programme, activities such as Packaging Development, Bar coding, QR code, Electronic Product Code (EPC) / Radio Frequency Identification (RFID) tags, etc., are considered, as per the emerging market requirements.

c) Product research & development

Spices are known to have medicinal, cosmetic, nutritional, and health values. A vast body of traditional knowledge about such uses is available in the country. However, sufficient documented evidence/ validation studies do not exist to establish the acclaimed properties of spice/ spice extracts/ spice mixes. The absence of documentation/ validation prevents the marketability of such products. It is felt that if the required documentation/ validation is generated on the basis of scientifically conducted trials and clinical evaluation, products can be formulated with very high value addition and these products can be marketed and patented (if required) in the established markets as alternative medicines, functional foods, nutraceuticals, immunity boosters, etc. Also, there is scope for deriving

new end uses and applications from the spices produced within the country.

The returns from exports of such new products and formulations would be significantly higher than the value realised by exporting whole spices with low levels of value addition. Development of new end products from spices involve scientific research in the areas of unconventional applications, which can further lead to creation of patentable products with higher potential for exports. The scheme offers financial assistance for product research and development, clinical trials, validation of properties, and patenting and test marketing. Registered exporters and R&D institutions having required facilities are eligible to avail assistance under the programme to the tune of 50 per cent of the cost of product research and development subject to a maximum of ₹25.00 lakh in installments based on evaluation of the progress of the study. If clinical trials and patenting are involved, the ceiling of assistance is ₹1.00 crore. Also, for Central/State Universities, R&D and other institutions of the Government, the scale of assistance is extended up to 100 per cent of the cost of the project, without any change in the ceiling. During 2023-24, the Board provided an assistance of ₹13.70 lakh to three firms under the programme.

d) Promotion of Indian spice brands abroad

A considerable portion of spices from India is exported in bulk form and is facing stiff international competition from low-cost economies of Southeast Asia, Africa, and the Far East. India being the hub for spice processing, the spice sector needs to evolve to be better, stronger, and more adaptable than the competitors. The scheme aims to assist exporters in penetration of Indian brands in overseas markets, with a clear mark of traceability and food safety.

The objective of the programme is to assist penetration of Indian brands in the identified overseas markets, through a series of promotional programmes. Under this programme, exporters who have registered their brand with the Board can avail the financial assistance as interest free loan of up to ₹100 lakh per brand. Assistance under the programme covers 100 per cent of slotting / listing fee and promotional expenditure, and 50 per cent of the cost of product development, so as to help the exporters to position specified brands in the identified outlets in selected cities abroad.

During 2023-24, the Board released an amount of ₹52.20 lakh to two exporters under the programme.

e) Participation in international trade fairs/ exhibitions/ meetings and trainings

Spices Board functions as an international link between the Indian exporters and the importers abroad. As part of its initiatives for promotion of Indian spices in international markets and to provide opportunities for exporters, the Board participates in international fairs, exhibitions, etc., to showcase the capabilities of Indian spices to the international buyers. During 2023-24, the Board participated in two international fairs and 24 domestic exhibitions.

The Board also encourages exporters to participate in the international trade fairs and exhibitions abroad for promoting exports. The Board proposes to support exporters in setting up their own stalls in international fairs to showcase their capabilities and capacities in the export of spices. Under the programme, the registered exporters of the Board are eligible to avail an assistance of 50 per cent of the cost of air fare subject to a maximum of ₹1.50 lakh and 50 per cent of the cost of stall rent subject to a maximum of ₹5.00 lakh for General category and 75 per cent of the cost of air fare subject to a maximum of ₹2.25 lakh and 75 per cent of the cost of stall rent, subject to a maximum of ₹7.50 lakh for SC/ST exporters; FPO exporters; exporters in NE region (including Sikkim and Darjeeling region), Jammu & Kashmir, Ladakh, Himalayan States, State notified ITDP areas, and Islands (Union Territories of Andaman &

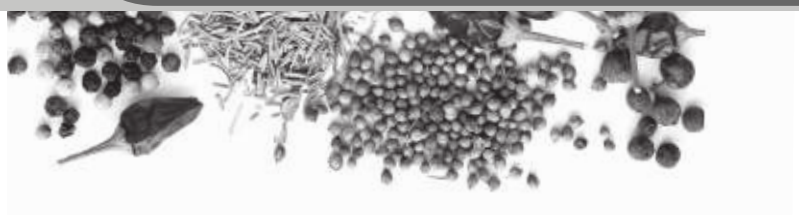

Nicobar and Lakshadweep). During 2023-24, the Board provided assistance to the tune of ₹39.28 lakh as reimbursement of air fare as well as stall charges to 21 exporters.

f) Reimbursement of fees for Certificate of Registration as Exporter of Spices

Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES) is mandatory for export of spices from the country. In order to encourage the entrepreneurs in NE region (including Sikkim & Darjeeling region) and other Himalayan states/ J&K and Ladakh, State Notified ITDP areas and Islands (Union Territories of Andaman & Nicobar and Lakshadweep) and SC/ ST exporters and Farmer Producer Organizations (FPOs) across the country to undertake export business in spices, the Board reimburses part of CRES fee. During 2023-2024, the Board provided assistance of ₹0.23 lakh under this component to two exporters.

C. Marketing and Auxiliary Services

a) Marketing services

Spices Board is implementing a series of programmes to develop and promote the export of spices and spice products from India and to strengthen the domestic marketing of cardamom. The Board assists stakeholders on a day-to-day basis to sort out various issues faced with regard to post-harvest management, marketing, processing, quality improvement, etc., of spices and provides advice and technical support to exporters, farmers, and state governments.

(i) Registration & licensing

(a) Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES)

As per the Spices Board Act 1986, any person exporting spices is required to possess a valid Certificate of Registration as Exporter of Spices (CRES). As per Spices Board (Registration of Exporters) (Amendment) Regulations, 2021, the CRES is valid for three years from the date of issuance.

The issuance of CRES by the Board was migrated to the Common Digital Platform (eRCMC) developed by the DGFT during FY 2022-23 and starting from May 2022, CRES was issued through the DGFT platform.

During 2023-24, a total of 2,401 Certificates of Registration as Exporter of Spices (CRES) were issued by the Board. Of these, 2,169 certificates were issued to merchant exporters and 232 to manufacturer exporters. Additionally, 295 CRES were renewed, with 159 for merchant exporters and 136 for manufacturer exporters.

(b) Cardamom Dealer & Auctioneer License

Any person who wishes to carry on the business of cardamom, as auctioneer or dealer shall have a valid license from the Board, as per the Cardamom Licensing & Marketing Rules, 1987. Accordingly, Auctioneer and Dealer Licenses for Cardamom (Small & Large) are issued by the Board. As part of facilitating ease of doing business, Spices Board has on- boarded to the National Single Window System (NSWS) developed by the Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT), for the issuance of Cardamom Dealer and Auctioneer License, with effect from 1 August 2022. The Auctioneer and Dealer Licenses are issued for a block period of the three years and the current block period (2023-26), extends till 31st August 2026.

The Board has issued 607 Cardamom Dealer Licenses (600 Small Cardamom Dealer Licenses and seven large cardamom Dealer Licenses) all over India of which 593 licenses (587 Small Cardamom dealer licenses and six large cardamom dealer licenses) were issued during FY 2023-2024. Also, 15 e-auctioneer licenses and three manual auctioneer licenses were issued by the Board during the financial year.

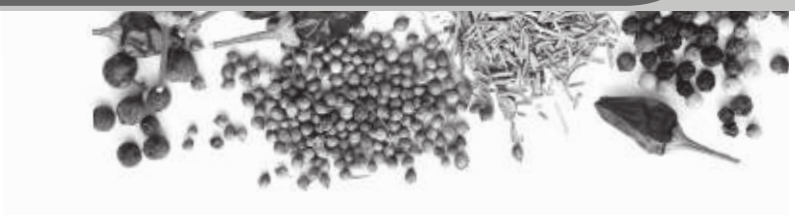

(ii) Auction of cardamom

(a) Establishment of cloud-based live e-auction system

The Board introduced 'Cloud Based Live e-Auction' with effect from 1st November 2021, which enabled virtual linking of both the auction centres and simultaneous conduct of the e-auction. In this system, the farmers and dealers can take part in the cardamom auctions from any of the auction centre as per their convenience unlike the earlier system, wherein the farmers and dealers had to travel to the respective auction centres for participating in the auction. The Board continued to run the cloud based live e-auction system during FY 2023-24 as well. The cloud based live e-auction system helped increase the buyer participation in the auction, thereby enabling better price realisation.

The Board continued the intervention for streamlining the pooling of cardamom by the dealers. During 2023-24 a total quantity of 29, 217 MT of cardamom(small) was sold through e-auction/manual auction with weighted average price of ₹1764.51/kg out of which the quantity sold through special auction is around 10 MT with a weighted average price of ₹1086.83/kg.

(b) Special auction for cardamom

The Board has introduced special e-auction of lab tested cardamom on pilot basis i.e., to facilitate a separate marketing channel for cardamom tested in lab for pesticides and artificial colours from 22nd October 2022 onwards. The special auction is conducted once in a month for cardamom with the objective to promote production and to facilitate export sourcing of Integrated Pest Management (IPM) cardamom, which complies with the pesticide MRLs, and that are free of artificial green colour. At present, two artificial colours (Brilliant Blue and Tartrazine) and six pesticides, viz., Acetamiprid, Cyhalothrin (includes lambda cyhalothrin), Cypermethrin (Including alpha- and zeta cypermethrin), Profenofos, Triazophos, and Dithiocarbamates, are being tested and only those cardamom lots which demonstrate compliance with the prescribed standards, on the basis of test reports are placed in the special e-auction.

The Board provides assistance to the extent of 1/3 of the testing charges to the farmers as discount in the invoice if the samples are found suitable for placing in the special e-auction. The farmer has to bear the total testing charges as per the invoice raised if the samples are not cleared for placing in the special e-auction. If the dealers are pooling cardamom in the special e-auction, they have to bear full testing charges of the samples irrespective of whether the sample is cleared for placing in special e-auction or not.

During 2023-24, a total quantity of 10 MT of cardamom was sold through special auction with a weighted average price of ₹1086.83/kg.

(iii) Mandatory sampling and testing

Under the provisions of the Spices Board Act, 1986 and Spices Board (Registration of Exporters) Regulations 1989, Spices Board is undertaking Mandatory Sampling & Testing of export consignments of some of the spices and spice products to selected destinations based on the requirement of the importing countries, previous incidences of export alerts, risk assessment, etc. During FY 2023-24, the Board continued the mandatory sampling, testing, and clearance of spice consignments, with periodic amendments to the parameters and spices tested, in line with the changing requirements.

As part of mandatory sampling and testing programme, the Board analysed 1,49,852 parameters such as, Aflatoxin, Illegal dyes, Extraneous matters, Pesticide residues, *Salmonella*, and EtO, in 86,456 samples of spices and spice products meant for export to various countries during 2023-24. Also, the Board issued 7556 Official Certificates for export consignments of spices and spice products to the EU and UK.

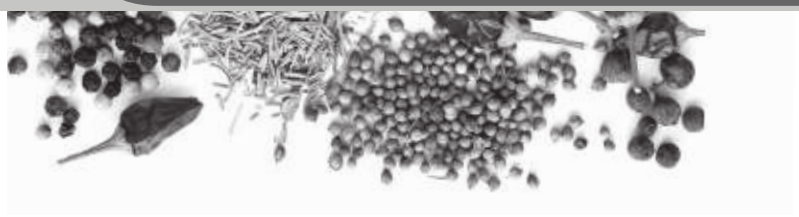

To facilitate ease of doing business, the Board introduced online payment gateway in Export Support System towards the payment of analytical charges and fee for Health Certificates with effect from 1st March 2024. All other modes of payment were discontinued after the implementation of the online payment system.

(iv) Testing of customs samples of spices

The Board is receiving samples of spices and spice products, imported into the country under Advance Authorisation Scheme (AAS) through Customs Department, for yield assessment and providing recommendation to the DGFT for the fixation of Standard Input Output Norms (SION). During 2023-2024, the Board tested 393 samples in import consignments of spices and spice products received from the Customs Department and test reports were issued.

(v) Geographical Indication registration

Spices Board obtained GI Tags for five spices viz., Malabar Pepper, Alleppey Green Cardamom, Coorg Green Cardamom, Guntur Sannam Chilli, and Byadagi Chilli from the GI registry and is the Registered Proprietor of these five GI tagged spices.

(vi) Buyer Seller Meets, Seminars and Training Programmes

In order to impart knowledge to stakeholders on export procedures, import documentation, etc., and to motivate them to enter spices business, the Board has been organising Entrepreneurship Development Training Programmes. Further, to facilitate the market linkages between buyers and sellers, the Board has been conducting Buyer Seller Meets targeting producers, exporters, and importers of spices.

(a) Buyer Seller Meets

With a view to promote the export of spices and to strengthen linkages for export sourcing of spices, the Board has been conducting Buyer Seller Meets (BSMs) which shall provide a platform for interaction between the spice growers, exporters, and importers for establishing direct market linkages.

(i) Domestic Buyer Seller Meets

The domestic buyer seller meets facilitate direct interaction between the farmers' groups and exporters, and helps to strengthen the export sourcing, besides facilitating information exchange on the quality and safety requirements of the export sector. During 2023-24, the Board conducted following domestic buyer seller meets.

Sl No	Name of the Programme	Date
1	Buyer Seller and Spices Park Investors Meet for Spices with focus on Madhya Pradesh , Guna, Madhya Pradesh	20 April 2023
2	Buyer Seller Meet for Spices at Srinagar, Jammu and Kashmir	07 November 2023
3	Buyer Seller Meet for Seed Spices at Gandhi Nagar, Gujarat	05 December 2023
4	Spices Mahotsav and Buyer Seller Meet at Mirzapur, Uttar Pradesh	10 December 2023
5	Investor Conclave and Buyer Seller Meet for Spices at Sivaganga, Tamil Nadu	23 December 2023
6	Buyer Seller Meet for Chilli at Bellary, Karnataka	09 January 2024
7	Buyer Seller Meet for Seed Spices at Jodhpur, Rajasthan	10 January 2024
8	Buyer Seller Meet for Spices at Coimbatore, Tamil Nadu	15 February 2024
9	Buyer Seller Meet for Spices with focus on North-Eastern region at Shillong, Meghalaya	23 February 2024
10	Buyer Seller Meet for Spices at Samastipur, Bihar	29 February 2024

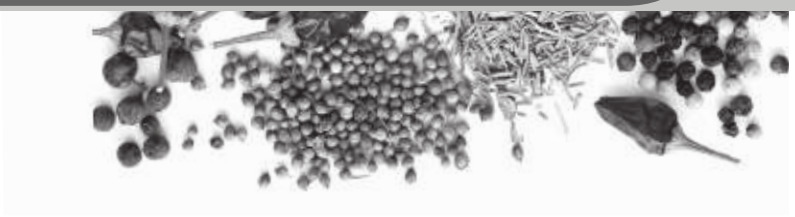

(ii) International Buyer Seller Meets

Spices Board, in association with the Embassies / Missions, has been conducting International Buyer Seller Meets (IBSMs) through virtual platform. The IBSM involves the participation of Indian spice exporters, leading importers in the respective countries, trade associations, chambers of commerce, leading supermarket chains /departmental stores, etc. The event offers a platform for the Indian exporters to build direct business linkages with the importers across the globe. During 2023-24, the Board conducted following international buyer seller meets.

Sl No	Name of the Programme	Date
1	International Buyer Seller Meet for Guatemala	15 June 2023
2	International Buyer Seller Meet for China	27 February 2024

The stakeholders of the spice industry have shown keen interest and have actively participated in the BSMs, so as to make the best use of the platform, to build market linkages.

(b) Entrepreneurship Development Programmes

Spices and value-added spice products have been registering a steady growth in world market, thereby enhancing the potential for entrepreneurial ventures in spice processing and value addition. Spices Board, so as to attract, motivate and equip the progressive stake holders to enter into the spices business, has been organising Entrepreneurship Development Training Programmes, involving participants from across India. The main purpose of the programme is to sensitise and educate the participants on various aspects of the spice export sector, including export documentation and procedure, quality and safety standards, regulatory requirements for exports, international marketing, export logistics, analysing export data and trends, etc. During FY 2023-24, the Board organised two Entrepreneurship Development Training Programmes, the details of which are given below:

Sl No	Name of the Programme	Date
1	Entrepreneurship Development Training Programme for Spice Stakeholders, Indore, Madhya Pradesh	02 – 03 February 2024
2	Entrepreneurship Development Training Programme for Spice Stakeholders, Ahmedabad, Gujarat	23- 24 January 2024

D) International Pepper Community (IPC)

The International Pepper Community is an intergovernmental organisation under the auspices of the United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UN-ESCAP). The Community now includes India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka and Vietnam as permanent members and Papua New Guinea and Philippines as associate members. The Community is a non-profit organisation designed as a platform for the global pepper industry to discuss the common issues and seek solutions for the betterment of global pepper industry. Representative of the member countries hold the office of the Chairman of IPC on rotation basis for a period of one year. IPC has formed different Standing Committees to frame policies and specific strategies in respect of Research & Development, Marketing and Quality evaluation of Pepper for addressing current and emerging issues. The major committees are:

(a) IPC Committee on Research & Development

The 11th Meeting of the International Pepper Community (IPC) on Research and Development was hosted by the IPC Secretariat in virtual mode on 5th July 2023. Delegates from India, Indonesia,

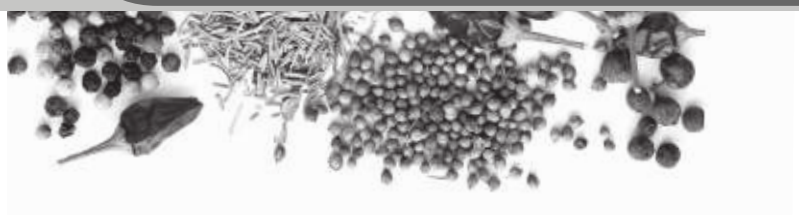

Malaysia, Sri Lanka and Vietnam as well as the government officials from all member countries attended the virtual meeting. The Meeting elected Dr A.B. Rema Shree, Director (Research) Spices Board, Government of India as the Chairperson and Mr Ananda Subasinghe, Director (Research), Department of Export Agriculture, and Government of Sri Lanka as the Vice-chairperson of the meeting.

(b) IPC Committee on Marketing

The 9th Meeting of the IPC Committee on Marketing was held during 21 - 22 August 2023 in Ho Chi Minh City , Vietnam. The meeting was attended by the delegates from India, Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, and Vietnam as well as government officials from the member countries. Shri B.N. Jha, Director i/c (Marketing), Spices Board attended the meeting.

E. Major Interventions Undertaken for Export of Spices

The General Administration of Customs of China (GACC), People's Republic of China (PRC), implemented the 'Regulations on the Registration and Administration of Overseas Manufacturers of Imported Food', and has stipulated for registration of overseas production enterprises of 14 categories of food products, including spices during the year 2021. Accordingly, establishments involved in the production, processing, and storage of the aforementioned categories of products, exported to China were formerly required by GACC to be registered in the China Import Food Enterprise Registration (CIFER) system.

During 2022-23, GACC bifurcated the procedure for registration of spices to ground and unground segments and registration of establishments involved in the production, processing, storage, and export of unground/unprocessed Spices has been entrusted to the Department of Animal and Plant Quarantine (DAPQ) of GACC. Accordingly, the Board facilitated the DAPQ registration of exporters of unground spices to China and the list of registered exporters is updated periodically by adding new exporters.

F. Visit of Consul General of India in Guangzhou, China

Shri Shambu L. Hakki IFS, Consul General of India in Guangzhou, China visited Spices Board on 18th July 2023. The Consul General detailed on the seven provinces of China under the Guangzhou Consulate of India, their economy and volume of spices traded with percentage of spices imported from India. He informed that, in China, post the COVID-19 lockdown which lasted for over three years, the domestic consumption of Spices is increasing. Hence, there is a huge potential for growth of Indian spices export to China. The Consul General also informed that his team shall assist the Indian spice traders in addressing their concerns within its provinces as well as port.

G. Block chain-enabled Traceability System for Indian Spices

United Nations Development Programme (UNDP) India's Accelerator Lab and Spices Board signed a Memorandum of Understanding (MoU) on 5th April 2021 with the aim to build a blockchain based traceability interface for Indian spices to enhance transparency in trading. Blockchain, the decentralised process of recording transactions on an open and shared electronic ledger, allows for ease and transparency in data management across a complex network, including, farmers, brokers, distributors, processors, retailers, regulators, and consumers, thus simplifying the supply chain.

H. World Spice Congress

Spices Board, in association with the leading spices exporters' associations and trade bodies in India and abroad organised the 14th Edition of World Spice Congress (WSC-2023) during 15-17 September 2023 at CIDCO Exhibition and Convention Centre, Navi Mumbai, Maharashtra.

The event served as an effective platform to demonstrate India's strength and capabilities to meet global demand in spices and value- added spice products.

The exhibition organised as part of the event had components such as state pavilions, commodity pavilions for different spices and experience zone giving first-hand experience of various spices and their value-added products and it turned out to be the largest exhibition focusing on spices. Around 130 exhibitors displayed their product range and supply capability in 156 stalls. Participation of all the leading spice brands and key stakeholders of the industry in the exhibition helped to highlight India as "Land of Diverse Spices and the World's Spice Processing Hub".

The event had a registration of 825 Indian delegates and 132 international delegates from 33 countries. Out of 132 registered international delegates some of them could not attend due to Visa issues. Including the delegates manning the exhibition stalls, award winners for excellence in export of spices, special invitees from the spice industry, etc., the total participants in the 14th edition of World Spice Congress was more than 1300, making it the largest spice event in the world.

The awards for excellence in export of spices from India, instituted by Spices Board, for the years 2017-18, 2018-19, 2019-2020, and 2020-21 were bestowed during WSC 2023 on 15th and 16th September, 2023.

There were two technical sessions on the first day of WSC 2023 on 15th September 2023 and the sessions focused on 'Country Perspective of Spice Industry and Global Opportunities', and 'Evolving Market Requirements for Spices'. The sessions had speakers from USFDA, High Commission of Canada, Embassy of Azerbaijan, Embassy of Islamic Republic of Iran, India Middle East Agri Alliance, and Ministry of Foreign Affairs, Indonesia who elaborated on Country Perspective of the Spice Industry and Global Opportunities and the Evolving Market Requirements for Spices.

On the second day, 16th September 2023, the first business session focused on Spice Based Applications: Potentials & Prospects, which had a very eminent panel of speakers covering the Indian spice industry represented by the leading spice brands such as AVT McCormic, IIF, MDH, and Synthite. The session was chaired by the Director General Foreign Trade, Govt of India. The session discussed different aspects such as Consumer Preferences and Emerging Trends: Ground and Blended Spices, Spices for Health, Wellness & Nutraceuticals, Future of Food and Role of Spices in Food Design, Spice-Based Seasonings & Sauces: Opportunities for Growth, and Responsible Food Packaging and Emerging Trends.

Reverse Buyer Seller Meet (RBSM) and product launch sessions were held on the second day of the Congress. The RBSM facilitated business interactions between the Indian exporters and leading overseas buyers from Sri Lanka, Bangladesh, Canada, Germany, Russia, etc. The product launch session witnessed onboarding of new initiatives on Open Network for Digital Commerce (ONDC) and launch of nutraceutical products prepared from cardamom.

The tech talk session held on the last day of the congress helped the industry to know about the latest development in the processing technologies worldwide and up to date analytical services offered by the leading testing and certification labs in India.

On the final day, 17th September 2023, the business session was focused on presentation by the leading international spice trade associations on 'Global Spice Markets: Trends & Opportunities'. The global spice trade associations such as American Spice Trade Association (ASTA), All Nippon Spice Association (ANSA), Cambodia

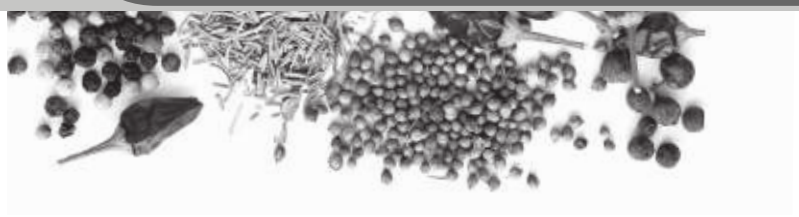

Pepper and Spices Federation (CPSF), Spice Council of Sri Lanka, Vietnam Pepper and Spice Association (VPSA), etc., presented their views and requirements for the global spice trade.

The last business session featured 'Crop and Market Reports' during which the industry experts discussed the present and future of the major spice crops viz., cardamom, chilli, ginger, turmeric, coriander, fenugreek, cumin, fennel, mint & herbs, nutmeg & mace, garlic, and clove.

A visit to the spices processing units was organised on the final day for the overseas delegates to witness the capabilities and strength of the spice processing facilities established by the Indian spice industry. A visit to the Agricultural Produce Marketing Committee (APMC) yard at Navi Mumbai, Maharashtra was also arranged for the participants.

I. Exporters Trophy/Award/ Certificate of Merit

The Trophies/ Awards/ Certificates of Merit for excellence in export of spices from India, instituted by Spices Board, for the years 2017-18, 2018-19, 2019-2020, and 2020-21 were bestowed during WSC 2023 on 15 September 2023 and 16 September 2023. The trophies/ awards/ Certificates of Merit during the years 2017-18 and 2018-19 were given away on the first day by Smt. Anupriya Patel, Minister of State for Commerce and Industry, Govt of India and the Trophies / Awards / Certificates of Merit during the year 2019-20 and 2020-2s1 were give away on the second day by Shri Piyush Goyal, Minister of Commerce & Industry, Consumer Affairs, Food & Public Distribution, and Textiles, Government of India.

06

Trade Information Service

Trade Information Service of the Marketing Department is responsible for the collection, compilation, analysis, and dissemination of statistics relating to exports, imports, area, production, auction, and domestic prices of spices.

The major source of information for compiling the estimated export/import of spices from India is the export/import data provided by the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S), Kolkata/ Ministry of Commerce (MoC) website/Daily List of Exports (DLE)/Daily List of Imports (DLI) published by Customs. The Board is compiling the export details of spices on a monthly basis and import details of spices on an annual basis and disseminating the export and import figures of spices to stakeholders through its website and Ministry/Departments on a regular basis. For this purpose, the Board regularly collects both the DLE and DLI from all major ports like Cochin, JNPT, Chennai, Tuticorin, Mundra, Kolkata, Petrapole, Mohadhipur, Raxual, Amritsar / DGCI&S, Kolkata and information is also collected through the Regional Offices of the Board.

The Board compiles and disseminates information on prices of spices from major markets in India and abroad on regular basis to the end-users through its website and publications. The major sources for collecting the price details are agencies like India Pepper and Spice Trade Association, Agricultural Produce Marketing Committees, Merchants Associations, International Trade Centre, Geneva, International Pepper Community, Indonesia. All these information are also collected through online/offline mode through the Regional Offices of the Board and subscription to the international agencies.

Since the Board is responsible for the production and development of cardamom (small and large), the area, production and productivity of cardamoms are estimated by the Trade Information Service by the support of the field sample study conducted through the field set up of the Board. Area and production of other spices are collected from the State Economics and Statistics/ Agriculture/Horticulture Departments/DASD for compilation. Information on area and production of all spices has been disseminated through the Board's publications as well as the website to the stakeholders and policymakers.

As per the Registration of Exporters (Regulations), all the registered exporters of spices have to submit their quarterly export returns to the Board. Trade Information Service is compiling the Quarterly Export Returns submitted by the registered exporters and maintaining the database of exporter wise export of spices. By using this database, the details of leading exporters of each spice are compiled and used for official purpose/ dissemination to stakeholders based on their request.

Spices Board is conducting e-auction for trading of Cardamom through e-auction centres developed by the Board at Bodinayakanur and Puttady. The details on daily auction quantity and average price of cardamom are compiled and published on a daily basis through the Board's website. The consolidated details on auction sale and average prices are compiled and disseminated through the Board's publication.

Weekly domestic price of different spices for different markets centres are compiled and published through the publication of the Board namely Spices Market on a weekly basis (on website) for the benefit of stakeholders of the industry.

A. Area and production of spices

The area, production and productivity of Cardamom (Small) and Cardamom (Large) for 2023-24 compared to 2022-23 are given in Table I & II. Area and production of other spices is given in Table-III.

Table I: State-wise area and production of cardamom (small) in India

(Area in Hectare; Production in Tonnes ; Yield in kg/ha)

	2022-23				2023-24			
State	Total Area	Yielding Area	Prodn.	Yield	Total Area	Yielding Area	Prodn.	Yield
Kerala	40345	30295.1	22165	731.636	40345	30949.3	22868.5	738.9
Karnataka	25134.5	14547.9	832.582	57.2304	25134.8	14666.26	866.8	59.1
Tamil Nadu	4930.48	2780.52	1465.84	527.182	4931.04	2780.52	1495.16	537.73
Total	**70410**	**47624**	**24463.4**	**513.678**	**70410.8**	**48396.08**	**25230.5**	**521.33**

Source : Estimate by Spices Board

Table II: State-wise area and production of cardamom (large) in India

(Area in Hectare; Production in Tonnes ; Yield in kg/ha)

	2022-23				2023-24			
State	Total Area	Yielding Area	Prodn.	Yield	Total Area	Yielding Area	Prodn.	Yield
Sikkim	23312	17281	5147	297.84	23312	17453	5279.5	302.50
West Bengal	3305	3159	1076	340.49	3305	3165	1069.8	338.00
Sikkim& WB total	26617	20440	6223	304.45	26617	20618	6349.3	307.95
Arunachal Pradesh	11912	6953	1751	251.78	12131	7078	1806	255.14
Nagaland	6650	4298	1096	254.98	6631	4431	1128	254.64
Manipur	217	64	4.74	74.11	217	64	4.90	76.50
Grand Total	**45396**	**31755**	**9074**	**285.76**	**45596**	**32191**	**9288.35**	**288.54**

Source : Estimate by Spices Board

Table III: Major spice wise area and production in India

(Area in Hectare; Production in Tonnes)

Spices	2022-23		2023-24(*)	
	Area	Prodn.	Area	Prodn.
Pepper	299053	117067	313632	125927
Chilli	851607	2782009	871504	2596634
Ginger(fresh)	190959	2201187	193192	2226239
Turmeric(dry)	320782	1169982	305182	1074526
Coriander	710613	973973	583294	791273
Cumin	937596	577273	1187609	860087
Celery	4596	6627	4562	6537
Fennel	88299	151937	155476	292292
Fenugreek	145363	229841	145366	228649
Garlic	386832	3239453	382610	3213930
Tamarind	38855	151282	39639	148958
Clove	1952	1270	2063	1578
Nutmeg	24250	18094	24176	18254
Grand total including others	4544253	11827483	4761260	11801737
Grand total in Mil. Tonnes		**11.83**		**11.80**

Source: Directorate of Arecanut & Spices Development, Kozhikode; Cardamoms estimated by Spices Board, (*) 1st Advance Estimate

B. Auction Sales and Prices of Cardamom (Small)

The state-wise auction sales and weighted average price of Cardamom (Small) for 2023-24 (August 2023-July 2024) and 2022-23 (August 2022-July 2023) are given in Table-IV.

Table IV :- Auction sales & prices of cardamom (small) (Qty. in Tonnes, Price in ₹/kg)

Centre	2022-23 (August -July)		2023-24 (August-July) *	
	Quantity Sold	Wt. Avg Auction Price	Quantity Sold	Wt. Avg Auction Price
Kerala and Tamil Nadu (e-auction)	27604	1088.45	29099	1763.94
Karnataka	15.86	706.64	11	1335.40
Maharashtra	119.29	1164.69	106	1916.09
Total	**27739**	**1177.90**	**29217**	**1764.51**

*Source: Reports received from Licensed auctioneers, * provisional*

C. Prices of Cardamom (Large)

The average wholesale prices of Cardamom (Large) at Gangtok and Siliguri Markets for 2022-23 and 2023-24 are given in Table V.

Table V: Average wholesale price of cardamom (large) (Price in ₹/kg)

Centre	Grade	2022-23	2023-24
Gangtok	Badadana	562.19	930.21
Siliguri	Badadana	684.79	1177.9

Source : Spices Board Regional Office, Gangtok.

D. Prices of Other Major Spices

The average domestic prices of major spices were collected from secondary sources like Chamber of Commerce, Indian Pepper and Spice Trade Association, Market reviews prepared by the Merchants Associations, etc. Prices of major spices in important market centers are given in Table VI

Table VI :- Prices of major spices in important market centers (Price in ₹/kg)

Spice	Market	2022-23	2023-24(*)
Black Pepper(MG-1)	Cochin	514.03	572.83
Chillies	Guntur	164.69	161.30
Turmeric	Chennai Nizamabad	98.09 58.99	109.43 95.25
Coriander	Chennai Ramghanj mandi	118.36 98.58	75.23
Cumin	Chennai Unjha	301.20 236.78	554.08 425.70
Fennel	Chennai	187.36	279.00
Fenugreek	Chennai	81.86	101.30
Garlic	Chennai	42.58	105.55
Poppy seed	Chennai	1381.40	1407.21
Ajwan seed	Chennai	183.71	188.40
Mustard	Chennai	81.67	85.26
Tamarind	Chennai	123.86	113.43
Saffron	Delhi	159270.83	166562.50
Clove	Cochin	808.58	901.03
Nutmeg (with shell)	Cochin	280.56.	229.89
Nutmeg(without shell)	Cochin	551.19	425.53
Mace	Cochin	1005.40	779.04

(*): provisional

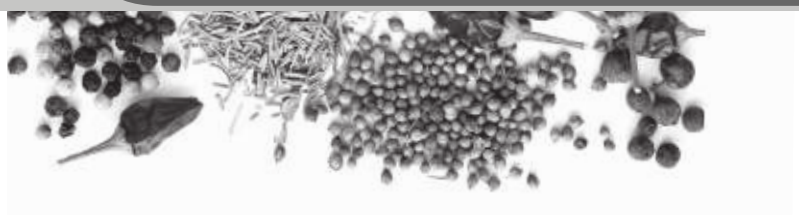

E. Export Performance of Spices from India

The export of spices and spice products from India crossed an all-time high in FY 2023-24. As per the provisional estimate, during 2023-24, India exported 15,39,692 MT of spices and spice products valued at ₹ 36,958.80 crore (4,464.17 million US$) as compared to 14,14,254 MT valued US$ 3969.79 million (INR 31898.64 crore.) of the same period of last year. Compared to previous year, the Indian spices export increased by nine per cent in quantity terms, 16 per cent in rupee terms of value and 12 per cent increase in dollar terms of value.

The spice wise analysis shows that the export of chilli, ginger, coriander, celery, fennel, garlic, nutmeg &mace, and curry powder & paste has registered increase both in quantity and value in 2023-24. In the case of cardamom (small), even though there is a decline of 16 per cent in volume, there is an increase of 14 percent in rupee terms and 10 per cent in dollar terms of value. In the case of cardamom (large), though there is decline of 32 per cent in volume, its value increased by eight per cent in rupee terms and four percent in dollar terms. In the case of cumin seed, despite the decline of 11 per cent in volume of export, the export value has increased by 43 per cent in rupee terms and 39 per cent in dollar terms of value. For turmeric, in spite of the decline of five per cent in volume of export, the export value increased by 13 per cent in rupee terms and nine per cent in dollar terms. In the case of black pepper, despite a marginal decline of one per cent in volume and two per cent in dollar value, there is a slight increase of one per cent in value terms when measured in rupees. Though there is 12 per cent decline in volume and three per cent decline in dollar terms of value in the export of fenugreek, the export value in rupee terms remained the same as that of last year. Even though there is a marginal increase of two per cent in volume and one per cent in rupee terms, export of spice oils and oleoresin showed a marginal decline of two per cent in dollar terms of value. In the case of mint products even though there is a decline of 11 per cent in volume of export, a marginal increase of one per cent in rupee terms of value as compared to last year was seen.

The export of spices from India during April 2023 – March 2024 compared with April 2022-March 2023 is given as Table VII.

F. Major Contributors & Destinations during 2023-24

During 2023-24, the major contributors in spice export basket in terms of value were chilli (34%), cumin (16%), spice oils & oleoresins (11%), mint products (9%), turmeric (5%), curry powder/ paste (5%), coriander (3%), small cardamom (3%), pepper (2%), fennel (2%), and ginger (2%) which together contributed to more than 90 per cent to the total export earnings from spices.

The major export destinations for Indian spices were China (21%), USA (14%), Bangladesh (8%), UAE (7%), Thailand (4%), Malaysia (4%), Indonesia (3%), Sri Lanka (3%), U K (3%), Saudi Arabia (2%), Germany (2%), Netherlands (2%), Canada (2%), Nepal (2%), Australia (1%), Japan (1%), Singapore (1%), Mexico (1%), Vietnam (1%), Morocco (1%), and South Africa (1%).

Table Vii- Commodity Wise Export of Spices from India during 2023-24 Compared With 2022-23

Commodity	Apr-Mar 2023-24 (F)			Apr-Mar 2022-23 (R)			% Change in		
	Qty (Tonnes)	Value (Lakh)	Value (Mln $)	Qty (Tonnes)	Value (Lakh)	Value (Mln $)	Qty (Tonnes)	Value (Lakh)	Value (Mln $)
PEPPER	17890	73648.88	88.91	18026	72733.09	90.89	-1%	1%	-2%
CARDAMOM SMALL	6168	99959.85	120.52	7353	87516.75	109.72	-16%	14%	10%
CARDAMOM LARGE	1281	14815.41	17.86	1883	13720.19	17.11	-32%	8%	4%
CHILLI	601084	1249248.45	1509.00	524017	1056481.52	1309.66	15%	18%	15%
GINGER	60833	64688.57	77.95	50906	43249.38	54.06	20%	50%	44%
TURMERIC	162019	187586.79	226.65	170094	166707.32	208.00	-5%	13%	9%
CORIANDER	108624	94820.97	114.74	54481	66501.19	82.61	99%	43%	39%
CUMIN	165269	579723.43	700.37	186509	419359.76	522.20	-11%	38%	34%
CELERY	6599	10074.31	12.17	5248	7755.76	9.69	26%	30%	26%
FENNEL	39565	66960.91	80.97	21201	31437.42	39.23	87%	113%	106%
FENUGREEK	30855	26612.76	32.14	35055	26680.17	33.20	-12%	0%	-3%
OTHER SEEDS (1)	39438	36177.50	43.74	59155	48951.56	61.39	-33%	-26%	29%
GARLIC	73950	44118.84	53.33	57346	24579.56	30.59	29%	79%	74%
TAMARIND	27128	18474.78	22.30	33317	21263.37	26.47	-19%	-13%	16%
NUTMEG&MACE	5143	28687.69	34.63	3447	22127.57	27.55	49%	30%	26%
OTHER SPICES (3)	75005	168333.30	203.33	83164	173119.29	215.24	-10%	-3%	-6%
CURRY POWDER/PASTE	72421	175727.66	212.18	57948	141742.82	176.26	25%	24%	20%
SPICES OILS & OLEORESINS	18762	412300.59	497.98	18398	408551.25	510.40	2%	1%	-2%
MINT PRODUCTS (2)	27659	343919.81	415.40	26708	357386.49	445.52	-11%	1%	-4%
TOTAL	**1539692**	**3695880.50**	**4464.17**	**1414254**	**3189864.46**	**3969.79**	**9%**	**16%**	**12%**

Source: MOC/DGCI&S, Kolkata MOC

(1) Include Bishops weed(Ajwan seed), Dill seed, Poppy seed, Aniseed, Mustard, etc.

(2) Include Menthol, Menthol crystals and other Mint oils.

(3) Include Asafoetida, Cinnamon, cassia, Cambodge, Saffron, Spices (nes), etc.

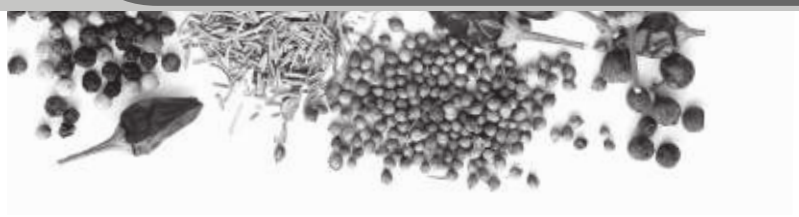

Major Contributors in Indian Spice Export Basket

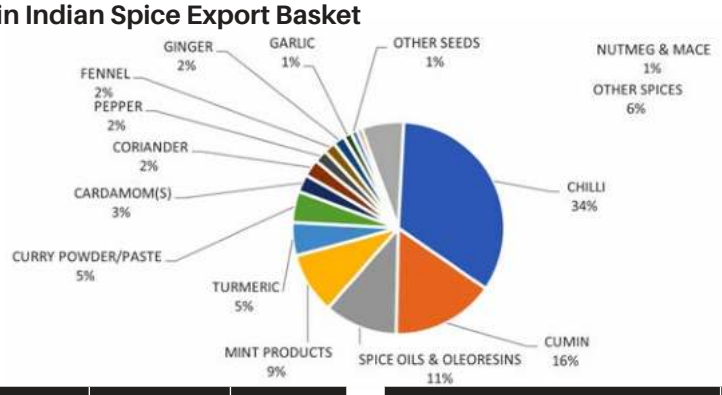

Item	Value (Mill US$)	% Share
Chilli	1,508.94	34
Cumin	700.23	16
Spice Oils & Oleoresins	498.01	11
Mint Products	415.41	9
Turmeric	226.58	5
Curry Powder/Paste	212.26	5
Cardamom(s)	120.74	3
Coriander	114.53	2

Item	Value (Mill US$)	% Share
Pepper	88.96	2
Fennel	80.88	2
Ginger	78.14	2
Garlic	53.29	1
Other Seeds	43.70	1
Nutmeg & Mace	34.65	1
Other Spices	287.85	6
Total (Value in mill US$)	**4,464.17**	

Major Destinations

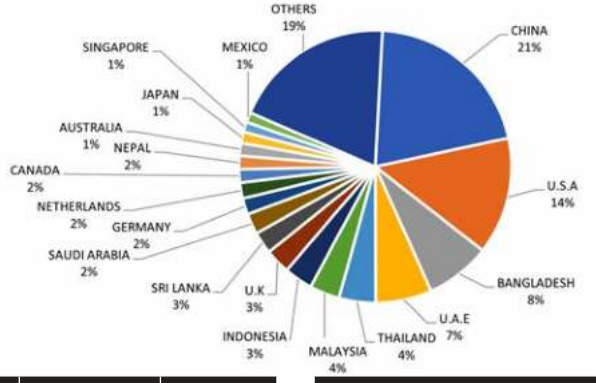

Destination	Value (Mill US$)	% Share
China	928.90	21
U.S.A.	620.68	14
Bangladesh	344.88	8
U.A.E.	297.92	7
Thailand	194.33	4
Malaysia	159.10	4
Indonesia	151.79	3
U.K.	132.60	3
Sri Lanka	117.23	3
Saudi Arabia	109.57	2

Destination	Value (Mill US$)	% Share
Germany	86.82	2
Netherlands	82.34	2
Canada	71.08	2
Nepal	70.99	2
Australia	66.83	1
Japan	59.95	1
Singapore	52.78	1
Mexico	52.30	1
Others	864.10	19
Total (Mill US$)	**4464.17**	

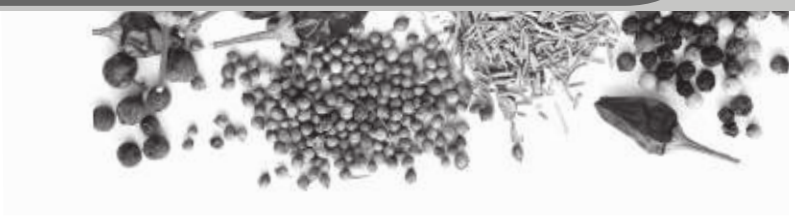

07

Publicity and Promotion

During the period April 2023 to March 2024, the Publicity and Promotion Section carried out various activities for enhancing the reputation of Spices Board and for promotion of Indian spices aiming at increased export of spices from the country. Every promotional avenue was leveraged to ignite public interest in Indian spices, value-added spice products, culinary applications of spices, and their potential health contributions. Information on the activities and schemes of Spices Board were also disseminated using various channels during the period 2023-24.

The major highlights of 2023-24 include participation in trade fairs/exhibitions, advertisement campaigns, online promotional campaigns, and printing & publication of magazines, brochures, etc.

A. Participation in Exhibitions/Trade Fairs

Attending trade shows and exhibitions is a powerful way to connect with different players in the global spice industry. During the financial year, the Board ensured its participation in major trade fairs and the list of fairs attended is given below;

List of Domestic Fairs Participated by Spices Board

Sl. No.	Event Name	Place	Event Date
1.	Agri Intex 2023	CODISSIYA, Coimbatore, Tamil Nadu	14-17 July 2023
2.	GI Fair India 2023	Greater Noida, Delhi-NCR	20-24 July 2023
3.	Global Food Regulators Summit 2023	New Delhi	20-21 July 2023
4.	Ujjval Rajasthan 2023	Udaipur, Rajasthan	27-29 July 2023
5.	Fi India 2023	BEC, Goregaon, Mumbai	17-19 August 2023
6.	Biofach India 2023	IEML, Greater Noida, Delhi-NCR	06-08 September 2023
7.	Anufood India 2023	Bombay Exhibition Centre, Mumbai	07-09 September 2023
8.	CII Foodpro North-East 2023	Maniram Dewan Trade Centre, Guwahati	14-16 September 2023
9.	World Coffee Conference & Expo 2023	Bengaluru, Karnataka	25-28 September 2023
10.	Asia Agri, Horti & Organic Expo 2023	Haridwar, Uttarakhand	20-22 October 2023
11.	World Food India	New Delhi	03-05 November 2023
12.	IITF	New Delhi	14-27 November 2023
13.	Global Ayurveda Festival 2023	Thiruvananthapuram, Kerala	01-05 December 2023
14.	SIAL India 2023	Dwarka, New Delhi	07-09 December 2023
15.	14th Onattukara Agri Fest 2023	Alappuzha, Kerala	27-31 December 2023
16.	Aatmanirbhar Bharat Utsav 2024	New Delhi	03-10 January 2024
17.	Indus Food 2024	Greater Noida, NCR	08-10 January 2024
18.	Vibrant Gujarat 2024	Gandhinagar, Gujarat	09-13 January 2024
19.	Agrivision 2024	Cuttack, Odisha	19-21 January 2024
20.	International Plant Science Symposium	Trivandrum, Kerala	18-19 January 2024
21.	The Kerala Plantation Expo 2024	Ernakulam, Kerala	20-22 January 2024
22	Karshaka Sree Karshika Mela 2024	Malappuram, Kerala	31January 2024 to 04 February 2024
23	Capacity Building Program on Agri Export and BSM & Mera Yuva Bharat	Chunar, Uttar Pradesh	14 February 2024
24.	AAHAR 2024	New Delhi	7-11 March 2024

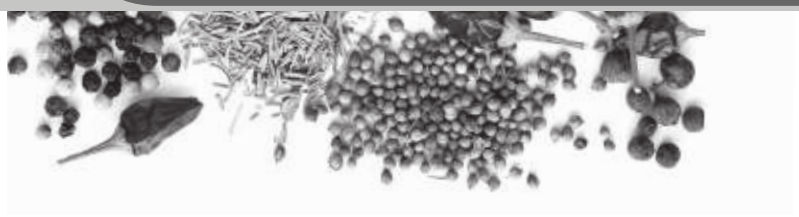

List of International Fairs Participated by Spices Board

Sl. No.	Event Name	Place	Event Date
1.	Foodex Japan 2024	Tokyo, Japan	5-8 March 2024
2.	IFE Manufacturing 2024	London, UK	25-27 March 2024

B. Participation in G20- Trade and Investment Working Group Meetings

In connection with India's G20 presidency, Spices Board set up Spices Experience Zones at the venue of the Trade and Investment Working Group (TIWG) meetings held during 23rd - 25th May 2023 in Bengaluru, Karnataka; 10th -12th July 2023 in Kevadia, Gujarat and 21st -25th August 2023 in Jaipur, Rajasthan. The spices experience zone was also set up during the Trade and Investment Ministers' Meeting held during 24th -25th August 2023 in Jaipur.

During the TIWG meetings, the Board's experience zone captivated visitors with its aesthetic design. It showcased the incredible diversity of Indian spices, from raw ingredients to innovative value-added products. Live spice plants offered a first-hand sensory experience. Visitors explored various categories like nutraceuticals, health supplements, perfumes, and natural colours, gaining insights and trying these products firsthand. Leading exporters of these value-added goods also presented their unique offerings, highlighting the dynamism of the Indian spice industry.

The Spices Experience Zone aimed to offer a comprehensive experience, showcasing Indian spices as top-tier products adhering to food safety standards. It emphasised the country's prowess in the spices sector while ensuring high quality and hygiene. Through immersive displays, it left a lasting impression on visitors, bolstering the image of Indian spices as premium, safe, and versatile products applicable across industries. Moreover, the digital zone provided convenient access to detailed information on Indian spices in a digital format.

C. Online Promotional Campaigns

The publicity department made use of the various social media platforms like Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, and LinkedIn for promotion of Indian spices and Spices Board's activities in 2023-24. Designed to educate the online viewers, the social media campaigns created awareness on spices including its botanical and geographical information, trade data, therapeutic, and culinary aspects, etc.

D. Spice Xchange India- Spices Board's B2B Portal

Launched on 20th January 2022, Spice Xchange India (www.spicexchangeindia.com) serves as the Spices Board's innovative 3D virtual portal, strategically designed to bridge market gaps exacerbated by the COVID-19 pandemic. This B2B platform is poised to unlock substantial business prospects for Indian spice entrepreneurs. Offering round-the-clock virtual office spaces, an AI-driven recommendation system, market insights, and access to global spice trade data, Spice Xchange India aims to streamline business operations and enhance accessibility. Recognised as a pivotal initiative by the Board, this portal has been supporting entrepreneurs in the spices sector throughout the 2023-24 period.

E. Periodicals

a) Spice India

The periodical publication, Spice India is being published in five different languages; English, Hindi, Malayalam, Kannada, and Tamil, as a monthly. The periodicals were published regularly during this period.

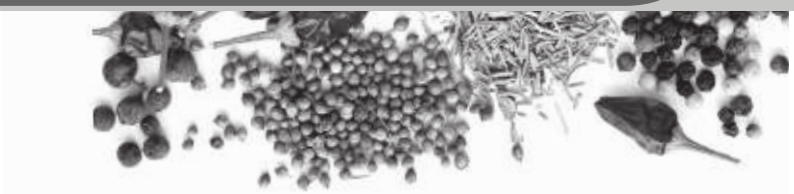

b) Foreign Trade Enquiries Bulletin

The Spices Board curates and releases a bulletin known as the Foreign Trade Enquiries Bulletin (FTEB), consolidating trade inquiries sourced from overseas trade fairs, emails, and direct inquiries to the Board's offices. This bulletin serves to facilitate the export of spices by providing valuable trade leads and opportunities. Subscribers receive this publication via email for easy access and utilsation.

c) Other Publications

Booklets and brochures printed during 2023-24 were:

a) GI Spices of India (Updated E -book and printed version)

b) Small Cardamom Package of Practices (Tamil)

c) Spice Revolution: Promoting Value Addition in Global Spices Trade

d) The Great Indian Spice Story- Information Handbook on Indian Spices

e) Plant Protection Code for large cardamom (Updated version)

f) Plant Protection Code for small cardamom (Updated version)

g) General Brochure on Spices Board

F. Release of Advertisements

Advertisements on vacancies in Spices Board, tenders, etc., were released during the year. Besides these, advertisements on general information on Spices Board and for promotion of cardamom and advertorials were also released through various newspapers and magazines.

G. Press Releases

Press releases detailing the export performance and trends, initiatives, activities, and major events organised by Spices Board, etc., were released during FY 2023-24.

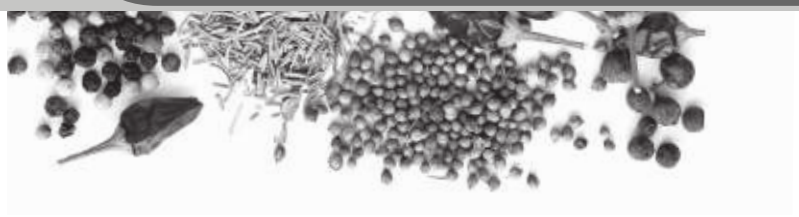

08

Codex Cell and Interventions

A. Background of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH)

The Codex Alimentarius Commission (CAC) is an international, intergovernmental body under the United Nations' Food and Agriculture Organization (FAO) and World Health Organization (WHO), with membership of over 189 countries, based in Rome and tasked with formulating internationally accepted standards pertaining to food. The food standards developed by Codex are recognised by the WTO as an international reference points for the resolution of disputes concerning food safety and consumer protection. The CAC conducts its work through various Codex committees, hosted by different member countries of Codex.

Considering the fact that international spice trade was being affected by the lack of worldwide harmonised standards, a proposal for the constitution of a new Codex committee for Spices and Culinary Herbs was initiated in Codex by India in 2012, at the behest of Spices Board. The Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) was approved at the 36th Session of the CAC held at the FAO Headquarters, Rome in July 2013. The committee got established with the support of over 105 member countries; with India as the host country and Spices Board as the host organisation.

The scope of work of the CCSCH committee includes harmonisation of global standards for quality parameters in spices and culinary herbs, taking into consideration the international and national legislations, other available standards and specifications. These Codex standards are voluntary and are used by member countries to harmonise and align their national regulations. Codex standards are also referred by WTO in arbitration of international trade disputes.

The CCSCH Committee is hosted and chaired by India, with Spices Board India as its permanent Secretariat. Dr M.R. Sudharshan (Retired Director-Research, Spices Board) is the present Chairman of this Committee.

So far, seven sessions of the committee have been organised by Spices Board on behalf of India. The CCSCH1 session was held in 2014 at Kochi, CCSCH2 in 2015 at Goa, CCSCH3 in 2017 at Chennai, and CCSCH4 in 2019 at Thiruvananthapuram. Due to COVID-19 pandemic, two sessions were held virtually, viz. CCSCH5 in fully virtual mode during April 2021 and CCSCH6 with a full physical head table and delegates attending online, during September- October 2022. The seventh session was held at Kochi in 2024. Over the seven sessions of the CCSCH committee, thirteen full-fledged international standards covering 16 spices and herbs have been developed.

Seventh Session of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH7)

The 7th session of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) was held from 29th January 2024 to 2nd February 2024 in Kochi, Kerala. After the Covid-19 pandemic, CCSCH7 was the first session to be conducted physically and delegates from 30 countries attended the session. The Session was inaugurated by Shri Amardeep Singh Bhatia IAS, Additional Secretary, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, in a function presided over by Shri D. Sathiyan IFS, Secretary, Spices Board.

The CCSCH7 Session concluded successfully with the finalisation of standards for five spices, viz. small cardamom, turmeric, juniper berry, allspice,

and star anise. CCSCH7 forwarded these five standards to the Codex Alimentarius Commission (CAC) for adoption at final Step 8 as full-fledged Codex standards.

For the first time in the history of this Committee, standards were successfully developed adopting the strategy of grouping of spices. The Committee finalised the first group standard for 'spices derived from fruits and berries' (covering three spices, viz, juniper berry, allspice and star anise. The draft standard for Vanilla progressed in the Codex step procedure. New proposals for development of Codex standards for dried coriander seeds, large cardamom, sweet marjoram, and cinnamon were accepted by the committee. The committee will work on draft standards for these four spices in its forthcoming sessions.

B. Other Codex Committee Meetings

a) Codex Committee on Contaminants in Food (CCCF)

Codex Committee on Contaminants in Food (CCCF) is a Codex subsidiary body that develops global standards for food contaminants. India had submitted a work proposal to this Codex committee for the establishment of maximum levels (MLs) for total aflatoxins and ochratoxin A, and to develop a sampling plan for certain mycotoxins in selected spices, and the electronic working group (EWG) on these topics were chaired by Scientist C, Spices Board, on behalf of India.

During the 16th session of this committee that was held at Utrecht, The Netherlands during April 2023 (CCCF16), India presented the report of the Electronic Working Groups before the committee. This EWG was chaired by Dr. Dinesh Singh Bisht, Scientist C, Spices Board. The maximum limits for aflatoxins and ochratoxins in spices, proposed by the EWG, was approved by the committee and was also adopted in the 46th session of CAC held during November 2023. This addressed an important concern in spice exports, and these Codex limits will help address the unreasonable MLs fixed by importing countries for mycotoxins in spices.

Development of sampling plans for mycotoxins in selected spices is progressing under this committee and the EWG is chaired by India. Dr. Dinesh Singh Bisht is continuing as the Chair of this EWG on behalf of India. Also, establishing MLs for lead in dried spices and in culinary herbs (dried/fresh) is progressing under this committee.

b) Codex Committee on General Principles (CCGP)

Codex Committee on General Principles (CCGP) is an apex committee under Codex, which takes important decisions on Codex principles, procedures and the organisation of Codex meetings. The 33rd Session of CCGP was held at Bordeaux, France, during 2-6 October 2023. Shri D. Sathiyan IFS, Secretary Spices Board, and Dr. Ramesh Babu N, Scientist C and Organising Secretary of the CCSCH, attended the meeting as part of the Indian delegation.

India's intervention during the discussion on agenda items on the usage of certain terms were accepted by the Committee, and most of India's concerns which were voiced and submitted as conference room document, were addressed. There were discussions on the schedules for future committee sessions and changes of methodology presently being considered by Codex secretariat. The Indian delegation worked on the scheduling of the CCSCH8 session during the 2025-26 period.

C. ISO/TC 34

International Organization for Standardization (ISO) is an independent, non-governmental international organisation with a membership of 169 national standards bodies that develops voluntary, consensus-based, market relevant international standards. The subcommittee no. 7 (SC7) under this, i.e., ISO/TC 34/SC 7 deals specifically with spices, culinary herbs and condiments and works on the development of

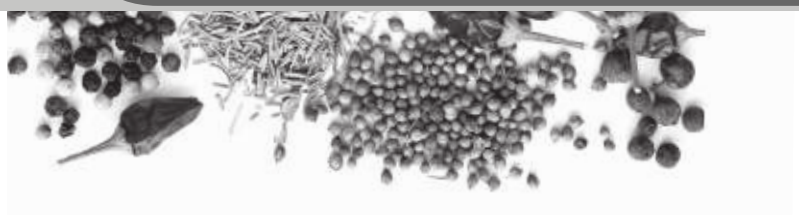

ISO standards for spices, culinary herbs and condiments, including standards related to terminology, sampling, methods of test and analysis, product specifications, requirements for packaging, storage and transportation. The Director Research of Spices Board, Ministry of Commerce, Govt of India is by designation the Chairperson of this subcommittee.

The 16th meeting of ISO/TC 34/CAG (Chair's Advisory group) and 25th meeting of ISO/TC 34 Food Products was held from 17 to 19 January 2024 in Saitama, Japan. The Chairperson, Dr A. B. Rema Shree, Director Research, Spices Board, attended the meeting and presented the status of work and activities under ISO/TC 34/SC 7 under India's leadership.

D. Spices, Culinary Herbs and Condiments Sectional Committee (FAD 9)

The 20th and 21st meeting of the FAD 9 Sectional Committee on Spices, Culinary Herbs, and Condiments was held during July 2023 and December 2023 respectively. Dr A. B. Rema Shree, Director Research, Spices Board, India chaired the meeting. The committee has formulated 75 Indian Standards in the field till now and Indian Standards, both new and revisions, are under development.

E. National Committee on Spices Quality & Safety (NCSQS)

National Committee on Spices Quality & Safety (NCSQS) is an advisory committee, constituted by the Secretary Spices Board, to address the challenges and technical issues affecting Indian spices and their exports, including quality and safety issues. The committee consists of representatives from various research institutions, spice growers, exporters and other experts and stakeholders of the spice sector. Codex cell of Spices Board is functioning as the secretariat for this committee.

The problem of lack of sufficient number of label claims in pesticides for use in spices is being addressed under this committee. Presently, Spices Board is closely working with Indian Council of Agricultural Research-Indian Institute of Spices Research (ICAR-IISR), Kozhikkode and pesticide manufacturer, United Phosphorus Ltd (UPL) and works like compilation of existing available data, necessary residue data generation, possibility of using monitoring data for fixing MRLs, etc., are being discussed for submitting the relevant data to Central Insecticides Board & Registration Committee (CIBRC) as per established procedures.

F. Technical Committee for Fixation of Standard Input Output Norms (SION) for Spice Products

The Technical Committee constituted for the purpose examined the proposals from spice industry for fixing Standard Input Output Norms (SION) for spice products. Over a course of five meetings and field inspections, the committee finalised the recommendations for SION for 19 spice products and the report is being prepared for submission to the Directorate General of Foreign Trade (DGFT).

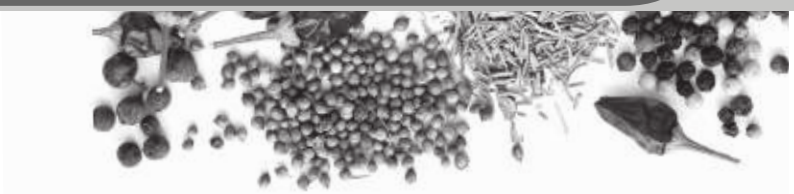

09

Quality Improvement

The Quality Evaluation Laboratory (QEL) of Spices Board at Kochi was established as the Boards' first of its kind laboratory in the year 1989. QEL, Kochi is certified under ISO 9001 Quality Management System since 1997, ISO 14001 Environmental Management System since 1999 by the British Standards Institution, U.K and is also accredited under ISO/IEC:17025 Laboratory Quality Management System since September 2004 by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL), Department of Science & Technology (DST), Govt. of India. Quality being considered the prime commitment, QEL, Kochi had always maintained and continues to maintain its credentials by consistently upgrading the quality systems. The lab had got its accreditation under the latest upgraded systems; ISO 9001:2015 and ISO 14001:2015 by British Standard Institution, U.K. and ISO/IEC 17025:2017 by the NABL, DST, Govt. of India.

With the objective that spices exported from India conform to specifications laid down by appropriate national/international organisations and also to provide the customers timely, reliable and accurate test results, Spices board has expanded its reach throughout India by establishing its Regional Quality Evaluation laboratories. Seven Regional QELs are now in operation at major producing/ exporting centers viz., Chennai, Guntur, Mumbai, New Delhi, Tuticorin, Kandla and Kolkata. Under the QEL, a basic testing facility for cumin and other seed spices was established at Spices Park, Jodhpur which was inaugurated on 22 April 2022. The laboratories at Kochi, Mumbai, Guntur, Chennai, Delhi, Titicorin, and Kandla are accredited under ISO/IEC 17025:2017 by NABL and QEL Kolkata is in the process of obtaining accreditation.

QELs undertake analysis of samples under the Board's mandatory sampling and testing of export consignments, provide analytical services to the Indian spice industry and help monitor the quality of spices produced and processed in the country. The laboratories are equipped with sophisticated instruments to undertake the analysis as per the requirements of importing countries. The documents pertinent to analytical services of the laboratory, including the generation of worksheets and submission of analytical results are made online through a software system called "QUADMAS" and the same is constantly updated.

A. Analytical Services

The Quality Evaluation Laboratories make available to its customers scope of its testing in the website. During the financial year 2023-24, the Quality Evaluation Laboratories of the Board continued providing services for the following analysis under the mandatory testing of export consignments of spices and spice products:

a) Testing for Aflatoxin B1, Aflatoxin Total and Sudan dye I to IV in chilli (powder, crushed, ground), chilli seed, curry powder & curry masalas, curry pastes and turmeric powder & products (except Sliced).

b) Testing for Aflatoxin B1 and Aflatoxin Total in chilli whole, turmeric (whole, sliced), ginger whole & ginger products, nutmeg whole & nutmeg products, mace whole & mace products and ready to eat items.

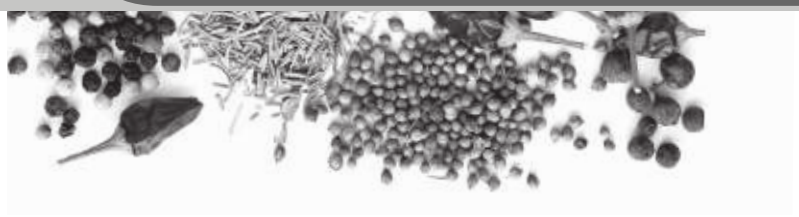

c) Testing for Pesticides (117 pesticides) in curry leaves.

d) Testing for extraneous matter and other seeds in cumin seeds.

e) Testing for Ethylene Oxide in chilli, ginger, pepper, pimenta (allspice), vanilla, cinnamon & cinamon-tree flowers, cloves (whole fruit, cloves and stems), nutmeg, mace, cardamoms, seeds of anise, badian, fennel, coriander, cumin/ caraway; juniper berries, saffron, turmeric, curry & other spices, food supplements containing botanicals, mustard seeds, mustard flour and meal and prepared mustard, thyme, laurel/ bay leaves/ curry leaves, basil, rosemary, sage, parsley, tarragon, celery, spice mix (masalas, curry gravy, ready to eat items, ready to cook products, sauces & preparations, mixed condiments & mixed seasonings.

f) Testing for Salmonella in Chilli (Whole, Crushed, Ground, Powder), Chilli Seed, Curry Powder & Curry Masalas, Curry Pastes, Cumin seeds, Cumin Ground.

g) Testing for Pesticide Residues (Triazophos, Iprobenfos, Profenofos, Chlorpyrifos, Ethion, Methyl Parathion, Parathion, Phorate) in chilli (whole,crushed, ground, powder), chilli seed, curry powder & curry masalas, curry pastes, cumin seeds, cumin ground.

h) Testing for Pesticide Residues (Carbosulfan, Chlorpyrifos, Carbendazim, Cyfluthrin, Beta-cyfluthrin, Cypermethrin, Beta-cypermethrin, Mlathion, Disulfoton, Accephate, Profenofos) in cumin (seed, ground, crushed).

i) Analysis of piperine and oleoresin content in imported black pepper consignments.

The laboratory had analysed a total of 1,34,208 parameters including aflatoxin, illegal dyes, pesticide residues, EtO and Salmonella during the financial year 2023-24

QEL	No. of Samples Received	No. of Parameters Tested	No. of Mandatory Samples Tested
Kochi	15824	30191	27594
Kandla	16770	30810	28149
Chennai	18537	22692	18389
Mumbai	17367	32727	28622
Narela	1755	3763	3658
Tuticorin	3975	7743	6503
Guntur	9576	16548	15789
Kolkata	4233	5434	5408
Jodhpur	48	96	96
Total	**88085**	**150004**	**134208**

Monitoring of rejections of export to various importing countries like the U.S.A., E.U., Japan, Saudi Arabia, are consistently reviewed for the need for expansion of scope of mandatory sampling and testing of export consignments.

B. Human Resources Development Programme

During the period, as a part of improving the technical capabilities of the QEL staff and to meet the requirements of various Quality Systems adopted by the laboratories, the following national/ international training programs/workshops were attended by the scientific and technical staff:

i. Scientist 'A', QEL, Chennai attended training on GAP and GMP by USFDA & JIFSAN at Thodupuzha, Kerala from 12/06/2023 to 15/06/2023.

ii. Scientist 'C', QEL, Tuticorin; Scientist 'C', QEL, Mumbai; and Scientist 'C', QEL, Kandla attended NABL Assessors' Training at Chennai from 11/09/2023 to 15/09/2023.

iii. Scientist 'A', QEL, Chennai attended Training on Advanced Spectrometric Analysis in Food Molecules at CFTRI, Mysuru from 08//01/2024 to 12/01/2024.

iv. Scientist 'C', QEL, Mumbai attended NABL Assessors' Refresher Training at Mumbai on 19/01/2024.

v. Scientist 'C', and Junior Microbiologist QEL, Chennai attended online Training on Measurement Uncertainty in Microbiology as per ISO 19036:2019 on 21/03/2024.

vi. Scientist 'A', QEL, Chennai attended Training on ISO/IEC 17025:2017 – General Requirements.

vii. Junior Microbiologist, QEL, Narela attended training on Food Pathogen Testing, Evolving Regulation and Rapid Solution at Okhla from 26/03/2024 to 28/03/2024.

C. Training Programmes

a. Training programmes for the technical personnel from spice industry

i. QEL, Kochi conducted four training programmes;

(1) Training Programme on Microbiological Analysis of Spices/Spice Products based on FDA BAM/ AOAC Method during 31/07/2023 to 04/08/2023

(2) Training Programme on Physical Chemical Analysis of Spices/Spice Products during 11/09/2023 to 15/09/2023

(3) Training Programme on GC-MS/LC-MS/MS Analysis of Pesticide Residues in Spices & Spice Products (18/09/2023 to 22/09/2023)

(4) Training Programme on Analysis of Mycotoxins and Illegal Dyes in Spices and Spice Products during 18/09/2023 to 22/09/2023. A total of 18 participants from various spice export/ processing units, private testing laboratories and national research institutes) attended the training programme.

ii. Scientist 'A', QEL, Chennai delivered an online talk on Spices –Quality and Safety at Export for the Entrepreneurship Development Training Program arranged by Spices Board, Nizamabad on 22/07/2023.

iii. Scientist 'A', QEL, Chennai conducted a training on Preventive Control Qualified Individual-Human Food (PCQI-HF under FSMA-USA) from 11/12/2023 to 15/12/2023. Fifteen technical personnel from spices export firms from Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh and Gujarat participated.

b. Other training programmes

i. Junior Microbiologist, QEL, Kolkata attended 7th PTP/RMP CONCLAVE at Kolkata from 16/08/2023 to 17/08/2023.

c. Student internship/ academic project works

i. QEL, Kochi provided guidance/dissertation facilities to two students of Post Graduation and internship facility to one student of Post Graduation from different colleges/universities.

ii. QEL, Chennai imparted visit to the Lab for the BSc Vocational Food Processing students from a college in Chennai.

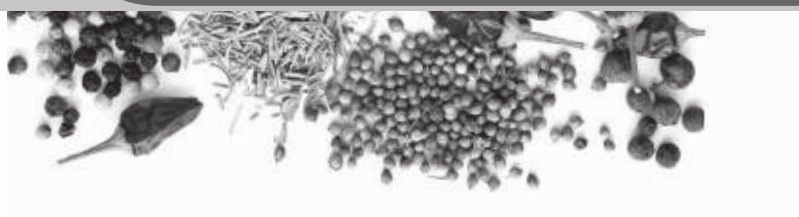

d. Participation in national/ international meetings

i. Scientist 'C' QEL, Mumbai; Scientist 'A', QEL, Chennai; Junior Microbiologist, QEL, Kolkata ; and Junior Chemist, QEL, Kolkata, attended an online meeting organised by Spices Board in collaboration with USFDA on ''Spice Safety and Import Process" on 16/06/2023.

ii. Scientist 'C', QEL, Mumbai had online meeting with BARC officials regarding technology transfer for pesticide residue analysis on 18/08/2023.

iii. Scientist 'C', QEL, Kochi attended the 33rd session of Codex Committee on General Principles (CCGP) held from 02/10/2023 to 06/10/2023 at Bordeaux, France.

iv. Scientist 'C', QEL, Chennai attended an online meeting on Current Trends in Food Safety and Traceability in Spices organised by CODEX Cell on 13/12/2023.

v. Scientist 'C' and Scientist 'A', QEL, Mumbai attended online Codex meeting on Food Safety on 14/12/2023

vi. Scientist 'C', QEL, Kochi; Scientist 'C', QEL, Chennai; Scientist 'C', QEL, Narela; Scientist 'C', QEL, Mumbai; and Scientist 'A', QEL, Chennai attended the 7th session of the Codex Committee on Spices and Culinary Herbs (CCSCH) held from 29/01/2024 to 02/02/2024 at Kochi.

vii. Scientist 'C' QEL, Kochi attended workshop on Pesticide Residue Analysis for Compliance to FSSAI Standards on 14/02/2024 at NRC Grapes, Pune, Maharashtra.

viii. Scientist in charge of QELs and Laboratory staff conducted on site verification of empanelled laboratories for continued compliances to ISO/ IEC 17025 requirements and scope expansion during the period.

ix. Scientist 'C' QEL,Tuticorin attended WTO Sanitary and Phytosanitary Measures National Workshop from 17/10/2023 to 19/10/2023 at Delhi

D. ISO System Related Activities

i. QEL Chennai completed NABL desktop audit for the continuous compliance of ISO 17025-2017.

ii. QEL, Mumbai successfully completed the NABL Desktop audit.

iii. QEL, Tuticorin successfully completed the NABL Desktop Surveillance Audit.

iv. Integrated FSSAI-NABL assessment successfully completed during 06-07 January 2024 and laboratory got NABL accreditation from 26.03.2024 to 25.03.2026 and FSSAI accreditation from 13.04.2024 to 12.04.2026.

E. Spices Board Check Sample Programme/ Proficiency Testing Programme

a. Inter Laboratory Check Sample (ILC) programme details

i. QEL successfully organised ILC progra-mme for parameter Ethylene Oxide. QEL Chennai participated in the ILC programme.

ii. QEL, Mumbai successfully organised ILC programme for parameters Escherichia coli, Capsaicin, Colour Value and Other seeds. QEL Kochi, QEL Chennai, QEL Tuticorin, QEL Narela, and QEL Kandla, participated in the ILC programme.

iii. QEL Guntur, successfully organised ILC programme for parameters Curcumin, Moisture, and Volatile Oil in Turmeric. QEL Mumbai, QEL Chennai and QEL Kandla participated in the ILC programme.

iv. QEL Narela, successfully organised ILC programme for parameter Salmonella. QEL Kochi, QEL Mumbai, QEL Kolkata, QEL Chennai participated in the ILC programme.

v. QEL Kochi participated in an ILC programme conducted by ICAR-IISR, Kozhikode for parameters; Bulk Density, Volatile Oil, Piperine, Total ash, Acid Insoluble Ash, Moisture, Light Berries, and Curcumin.

b. PT programme details

Under the proficiency-testing program conducted by various international/ national agencies like FAPAS, Fare Labs Pvt. Ltd., NRCG Pune, ITC Guntur and AASHVI Proficiency Testing and Analytical Services, QEL, Kochi, Tuticorin, Chennai, Narela, Guntur, Mumbai, Kandla, and Kolkata participated in various physical, chemical, residual and microbiological parameters like Aflatoxins, Sudan dyes, Pesticide Residues (Azoxystrobin, Carbosulfan, Difenoconazole, Tebuco-nazole, Fenpropathrin, Fipronil, Bifen-thrin, Chlorpyrifos, Dimethomorph, Ethion, Imidacloprid, Lambda Cyhalo-thrin, Mandipropamid, Thiamethoxam), Acid insoluble ash, Total ash, Bulk density, Volatile oil, Moisture, Crude fibre, Starch, Curcumin, Light berries, Piperine, Extraneous/ Foreign matter, Capsaicin, *Salmonella, Staphylococcus aureus,* Total aerobic microbial count, Yeast and mould count, *E.coli, Coliforms, Enterobacteriaceae*.

F. Projects /Standardisation Works Undertaken

i. QEL Kochi had standardised EtO analysis in spices using new GC-MS/MS, included it in NABL scope and got accredited by NABL. QEL Kochi also included new 40 pesticide molecules in NABL scope and got accredited by NABL. QEL Kochi started the mandatory testing of pesticide residues in curry leaf exported to the U.K. and also started the mandatory testing of pesticide residues in chilli and its products exported to U.K. by engaging empanelled labs.

ii. QEL Guntur completed the Standardisation of Sudan dyes in newly procured Agilent LC-MS/ MS 6470B.

iii. QEL Chennai standardised Aflatoxin analysis by LC-MS/MS method and applied for inclusion in the scope for the next NABL audit. Method verification for Aflatoxin and peanut allergen analysis by Elisa Reader is under progress.

iv. QEL Kolkata started analytical service for the parameters Moisture, Volatile Oil, Non-Volatile Ether Extract, Salmonella, Escherichia coli and Coliforms.

H. Strengthening of Labs' Infrastructure and Purchase of Equipment

i. QEL Kochi completed purchase of new Agilent ICP-MS for the analysis of heavy metals in spices, installation and application training completed. New fume hood installed in Chemistry section of the lab.

ii. QEL Mumbai had installed UV-VIS Spectrophotometer Shimadzu 1900i on 18/01/24. Performed IQ-OQ and instrument under working condition. Stomacher- Athena Technology for Microbiology lab installed on 17/01/2024. Installation of Agilent LCMS-QQQ G6470B completed on 28/08/2023. Performance check is progressing. Dehumidifiers installed in Chemistry instrumentation room for maintaining environmental conditions.

iii. QEL Narela purchased Refrigerator Heating Bath Circulator.

iv. QEL Chennai purchased Water purification system-Lab link make and Elisa Reader –iGene Labserve make.

v. Installation of equipment like Laminar Air Flow Unit, Microwave oven, Incubator, Digital water bath and Serological water bath completed in QEL, Kolkata.

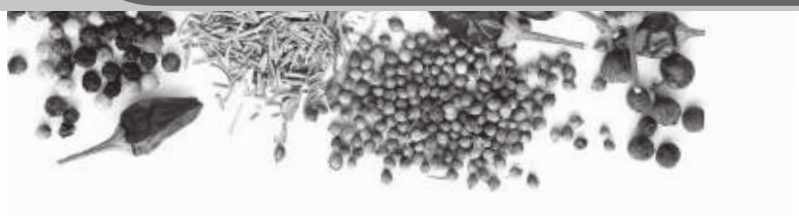

10

Export Oriented Research

During the reported period, the Indian Cardamom Research Institute (ICRI) focused its research efforts on various fronts. Primarily, research programs centered on crop improvement, biotechnology, and crop production studies. These studies delved into nutrient management and soil analysis, alongside crop protection strategies employing Integrated Pest and Disease Management techniques for both small and large cardamom. Moreover, ICRI extended the fruits of its research to farmers and targeted groups through a plethora of extension activities. These included advisory services, scientist-farmer interface sessions, mobile spice clinics, webinars, workshops, training programmes, and dissemination via audio-visual media and publications. Emphasising sustainability, ICRI spearheaded efforts to minimise pesticide usage in cardamom cultivation. It advocated for the adoption of Integrated Pest Management (IPM), Integrated Disease Management (IDM), and Integrated Nutrient Management (INM) systems, as well as Organic Farming practices. Further enhancing its capabilities, ICRI established a cutting-edge Quality Evaluation Laboratory at Myladumpara. This facility specialises in pesticide residue analysis at farm gate level, made possible through financial support from the State Horticulture Mission, Kerala.

A. Crop Improvement

a) Small cardamom

A high yielding cardamom clone with superior quality capsules developed by ICRI was approved for release as ICRI-10 during the 94th Board meeting of Spices Board held at Kochi on 30th January 2024. The clone is registered with ICAR-National Bureau of Plant Genetic Resources, New Delhi as a unique cardamom genotype (IC 645601). It is a climate resilient variety with a yield potential of 3200 kg per ha under moderate management and relatively tolerant to pests and diseases with high recovery percentage. More than 70 per cent of the capsules are 8 mm and above in size. The Crop Improvement Division of ICRI established 10 Multi Locational Trials (MLTs) of the newly developed clone in different farmers' field across Idukki District of Kerala.

b) Large cardamom

Two unique germplasms were collected from Darjeeling District of West Bengal and planted in isolation for observation. Hybridisation was then conducted, and the growth performance of the resulting hybrid (F1) lines was evaluated. All hybrids exhibited superior growth compared to the parental lines, except for Sawney and SCC 263, as well as the standard check in terms of growth parameters. Accession 212 of large cardamom was selected for further multiplication due to its disease tolerance, with the objective of subjecting it to multi-location trials. In the study on drought-tolerant lines, preliminary observations indicated that Ramsey outperformed others in terms of growth parameters when irrigation was withdrawn in a controlled environment. Biochemical parameters of the genotype under consideration were also analysed.

B. Biotechnology

Small and large cardamom transcriptome sequencing and validation of the project was carried out in collaboration with Jawaharlal Nehru Tropical Botanic Garden & Research Institute (JNTBGRI), Thiruvananthapuram. Gene sequencing of fifteen *Fusarium* isolates infecting small cardamom was carried out using selective

primers as part of molecular characterisation. In-vitro studies on the effect of cardamom leaf oil extract against major fungal pathogens of small cardamom (*Fusarium oxysporum, Colletotrichum gloeosporioides, Phytophthora meadii, Pythium vexans and Rhizoctonia solani*) were carried out.

C. Agronomy and Soil Science

a. Small cardamom

A Mobile App / Web page edition developed for site specific fertiliser recommendation: An Android-based application called "CardSApp" has been developed based on interpolated soil fertility data for site-specific online fertiliser recommendations. By utilising CardSApp, farmers from eighteen villages in Udumbanchola taluk can access online fertiliser recommendations and save fertiliser dose and correct soil nutrient constraints to improve productivity and farm income.

About 17,268 soil fertility parameters were tested from 1,439 soil samples of Cardamom Hill Reserve of Idukki district in Kerala, Tamil Nadu and Karnataka and recommendations were given on inputs. Additionally, 840 soil fertility parameters from 70 soil samples in Sikkim were tested and reports provided for soil nutrient management. Overall, 43.25 per cent of the soil samples in Idukki district were recorded very high phosphorous (P) status which necessitates judicious application of P fertilisers. About 36.31 per cent of the soil samples recorded was very high to extremely high potassium (K) status of soil samples. Among secondary nutrients, 67.93 per cent of the soil samples were deficient in available sulphur status. Among micronutrients 43.49 per cent of the soil samples were deficient in available boron status. Among the different micronutrient formulations, significantly higher capsule yield was observed in treatments where micronutrients were conjugated with sea weed extractant. Silicon foliar spray at the rate of 2 ml/l+ Silicon soil application at the rate of 10 g/plant recoded lowest leaf blight, clump rot incidence and lowest thrips and borer damage on capsule as well as shoot under Karnataka conditions. The initial trend indicated positive impact of applying poly sulphate up to 200 kg / ha as beneficial in improving capsule size. A HPLC method was developed for the determination of Brilliant blue and Tartrazine, which are used as the standards for artificial colour, qualitatively and quantitatively from small cardamom capsules.

b. Large cardamom

An experiment titled "Production potential of large cardamom under diverse organic management practices" was conducted in two distinct locations: the Regional Research Station in the Hill Zone of Uttar Banga Krishi Viswavidyalaya (UBKV), Kalimpong, and at Kabi Research Farm. It was found that the establishment and growth of large cardamom outperformed at UBKV, Kalimpong, compared to Kabi Research Farm, despite similar sets of treatments being applied. Another experiment was initiated titled "Comparative study of different soil mixtures on the growth of large cardamom seedlings in polybag nurseries" to assess the impact of various potting mixtures on the growth and development of large cardamom seedlings. Additionally, an observational trial titled "Comparative study for reclamation of large cardamom soil using Guatemala grass (*Tripsacum laxum*)" was initiated.

D. Plant Pathology

a. Small cardamom

The commercially available fungicides Hexaconazole, Tebuconazole, Carbendazim (50%) + Mancozeb (75%), Metalaxyl (4%) + Mancozeb (64%), Fenamidone + Mancozeb and Fosetyl AL (80 %) were tested by poisoned food technique against major pathogens of small cardamom. The mycelial growth of *Phytophthora meadii* was significantly reduced in all the fungicides except Hexaconazole. The compatibility of commercial fungicides such as Copper oxychloride, Mancozeb, Hexaconazole, Tebuconazole, combinations of Carbendazim (50%) + Mancozeb (75%), Metalaxyl (4%) + Mancozeb (64%) Fenamidone + Mancozeb and

Paraffinic oil (0.5%) + *Bacillus subtilis* (1.5%), Paraffinic oil (1.0%) + *Bacillus subtilis*(1.5%) and Paraffinic oil(1.0%) + *Pseudomonas fluorescence* (1.5%). In case of rust disease, treatment with Bordeaux mixture (1.0%) recorded the highest reduction of disease incidence. This was followed equally by Paraffinic oil(1.0%) + *Bacillus subtilis* (1.5%) and Paraffinic oil(1.0%) + *Pseudomonas fluorescence* (1.5%). Fungal cultures were isolated from diseased plant samples and pathogenicity studies of different isolated fungal cultures were conducted in healthy large cardamom plants to assess their disease-causing ability. Additionally, *Trichoderma, Pseudomonas*, and other bioagents such as phosphate-solubilizing microbes (18 types) were isolated from native soils. Various organic materials were tested for their utility as substrates for supporting *Trichoderma harzianum*. Among the tested substrates, the maximum growth was observed in cow manure, followed by mixed leaves, large cardamom spike, and pseudostem. No growth of *Trichoderma harzianum* colony was exhibited on large cardamom husk.

E. Entomology

a. Small cardamom

The new insecticide molecule, Spinetoram 12 % SC was evaluated during two seasons in different agro zones covering Kerala, Karnataka and Tamil Nadu and found that 450 ml per ha is the effective dose against thrips and shoot borer and did not produce any phytotoxicity symptoms on small cardamom. Bio-efficacy studies of new insecticide molecules viz., Spinetoram 12 % SC (11.70 % w/w), Spirotetramat 15.31 % SC (w/w), Cyantraniliprole 16.9% + Lufenuron 16.9% SC (Minecto xtra 16.9% SC w/w), Broflanilide 20 % SC (Alecto 20 % SC w/w) and Chlorantraniliprole 18.5 % SC (w/w) revealed that, the higher dose of Spinetoram 12 % SC (0.45 ml/ lit), combination of Cyantraniliprole 16.9 % SC + Lufenuron 16.9% SC (0.5 ml / lit) and Broflanilide 20 % SC (0.75 ml / lit) recorded significantly lesser damage by thrips and shoot borer. Surveillance of insect pests and natural enemies were conducted in different zones of Idukki, Kerala and an outbreak (secondary) of the minor pest, cardamom scales (45.5 to 56.5 %), was recorded on shoots. Suitable bio-rational method of management was advocated to manage the outbreak of cardamom scales.

The insecticide residue level was below detectable level (BDL) in cardamom capsules collected from farmers' fields where the recommendations of need based application of insecticides and IPM schedule of ICRI was adopted. The three native strains of entomopathogenic fungus viz., *Metarhizium sp.* was isolated from dead root grubs infesting cardamom. Similarly, native stain of entomopathogenic bacteria was isolated form dead shoot borer infesting cardamom at ICRI farm, Myladumpara.

Surveillance of insect pests and natural enemies conducted at different blocks of ICRI farm, Myladumpara revealed that there is no secondary outbreak of minor pests and no resurgence of thrips and incidence of invasive alien. The incidence of root grubs, root knot nematodes (PPN) and root mealy bugs were also very minimum (below 5.0 %) in the ICRI farm.

b. Large cardamom

Two types of pest surveillance, namely roving and fixed plots, were conducted in the major large cardamom growing tracts of Northeast India, including Sikkim, Arunachal Pradesh, Nagaland, Meghalaya, and the Kalimpong district of West Bengal. Pest incidence was under control due to the action of natural enemies, and no incidence of invasive pests was recorded. However, human-animal conflicts, specifically monkey menace on large cardamom, were observed.

The study on the role of abiotic factors (rainfall) and biotic factors (pollinators) on capsule setting in large cardamom was continued. Observations revealed that capsule setting was highest (26.03%) when rainfall (abiotic) and pollinators (biotic) occurred together. Efforts towards the conservation of pollinators were made. To augment honey bee populations, artificial

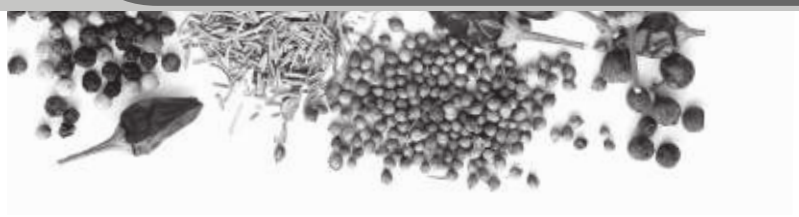

shelters called *MouriKoddur* (Honey bee rearing structures) were constructed using traditional knowledge of villagers, resulting in a success rate of 33.33%. To conserve bumble bees, care was taken not to disturb nests in soil during farm operations, and flowering plants were planted on farms to maintain an uninterrupted food supply for the pollinators.

As part of the validation of Indigenous Technical Knowledge (ITKs) against large cardamom pests, a bioassay study on the leaf-eating caterpillar (*Artona chorista*) was conducted, observing up to 56.25% dispersal in the leaf treatment method.

The egg incubation period, larval-pupal development time, and adult survivorship of the capsule borer (*Jamides alecto*) were recorded under laboratory conditions. Results revealed that the development time of each life stage was significantly affected by temperature and relative humidity, indicating that an increase in temperature may lead to more infestations of the pest. Entomopathogenic fungi affecting capsule borer larvae and pupae in natural conditions are being isolated, and identification and bioassay studies are in progress.

Among the seven genotypes studied for the identification of insect pest-tolerant lines in large cardamom, the Golsey cultivar showed the least incidence of leaf caterpillar (3.59) and shootfly (2.91), while the incidence of stem borer was lowest in Seremna (0.93) and root grub infestation (1.29) in the Ramsey cultivar.

F. Transfer of Technology

a. Small cardamom

About 18,200 quality planting materials of different small cardamom and black pepper varieties were produced at ICRI Myladumpara and supplied to the farmers. About 17,268 soil fertility parameters were tested from 1, 439 soil samples of Cardamom Hill Reserve of Idukki district in Kerala, Tamil Nadu and Karnataka and recommendations were given on inputs. Liquid formulations of *Pseudomonas fluorescens* (1,747 litre) and *Trichoderma harzianum* (1,529 litre) were produced and supplied to the farmers for disease management in spices . About 15,600 Galleria cadavers of Entomopathogenic nematode (ICRI EPN 18) were produced and supplied to the farmers for root grub management in small cardamom. Fifteen mobile spice clinic programmes were conducted in different spice growing areas benefitting about 300 farmers. Powder formulations of 10 bioagents were prepared in new packing cardboard boxes and polythene cover. The products were released during the Spices Board Foundation Day celebrations held on 26 February 2024 by Shri Amardeep Sing Bhatia IAS, Additional Secretary, Ministry of Commerce and Industry and Chairman, Spices Board.

A Quality Evaluation Laboratory (QEL) was established at ICRI Myladumpara for pesticide residue analysis at the farm gate level with the funding of State Horticulture Mission (SHM) Kerala. The QEL was inaugurated by Shri Amardeep Sing Bhatia IAS, Additional Secretary, Ministry of Commerce and Industry and Chairman, Spices Board on 31 January 2024. Dr K. Pradip Kumar and team bagged the prestigious Dr R. L. Narasimhaswamy memorial award for the best original research paper entitled 'A novel small cardamom clone evolved through conventional plant breeding techniques' and presented in the 25th PLACROSYM held at Indian Council of Agricultural Research-Indian Institute Of Oil Palm Research (ICAR-IIOPR), Pedavegi, Andhra Pradesh during 12-14 December 2023.

b. Large cardamom

During 2023-24, six spices clinics were conducted covering various aspects of large cardamom in Sikkim, Darjeeling, and Kalimpong districts of West Bengal. As part of the farm advisory service, 65 large cardamom fields were visited, and necessary agro-advisories were provided for

plantation improvement. Additionally, participated in two exhibitions where research activities and achievements in large cardamom were showcased. Two boot camps were conducted on cultivation, quality management, and export, empowering youth spicepreneurs under the Sugandha Udyog Manthan initiative as part of the MeraYuva Bharat programme. The 7th edition of the pictorial large cardamom guide (in English and Nepali) was published, and an updated Plant Protection Code on Large Cardamom (2nd edition) was released.

G. Post-Harvest Technology

a. Large cardamom

A study on different packaging materials, namely gunny bags, polythene-lined gunny bags, plastic bags, polythene-lined plastic bags, polythene bags, and grain pro bags, for storage and improvement of shelf life of large cardamom capsules was undertaken. Microbial populations (bacteria and fungi) were counted at the initiation of the experiment and after one month of packaging. In plastic bags, it was observed that the population of bacteria remained the same after one month ($2.2x10^3$ cfu/g dry capsule). However, fungal growth increased from $2.5x10^2$ cfu/g to $2.8x10^2$ cfu/g of dry capsule.

Similarly, in grain pro bags, it was noted that the population of fungi remained the same after one month ($2.5x10^2$ cfu/g dry capsule), but bacterial growth increased from $2.2x10^3$ cfu/g to $2.6x10^3$ cfu/g of dry capsule. Work on this aspect is still in progress.

H. Externally Funded Projects

a. Small Cardamom

The State Horticulture Mission, Kerala has sanctioned rupees One Crore towards the project entitled 'Development of Hi-Tech Cardamom and Pepper Nursery at Indian Cardamom Research Institute, Spices Board, Myladumpara, Idukki district' during 2023-24.

b. Large cardamom

Large cardamom germplasm was monitored and maintained, with two accessions collected from the Lower Subansiri district of Arunachal Pradesh and kept in quarantine for incorporation into the germplasm conservatory. This raised the total collection under All India Coordinated Research Project on Spices (AICRPS) to 57. A new Coordinated Varietal Trial (CVT) on large cardamom with seven promising genotypes (Ramla-2, Golsey-2, Ramsey-1, Sawney-1, and Varlangey-1) towards the release of varieties was initiated. The efficacy of mulching materials was evaluated for the second consecutive year in farmers' fields at Rongpa in the Mangan district of Sikkim, confirming leaf mould at the rate of 1.70 kg/plant as the best treatment for large cardamom cultivation.

During the period, three spice clinic programmes were conducted under AICRPS, with 66 farmers (13 female and 53 male) actively participating. The Megha Turmeric-1 nucleus seed production block was monitored and maintained at the ICRI farm in Kabi, Mangan district of Sikkim.

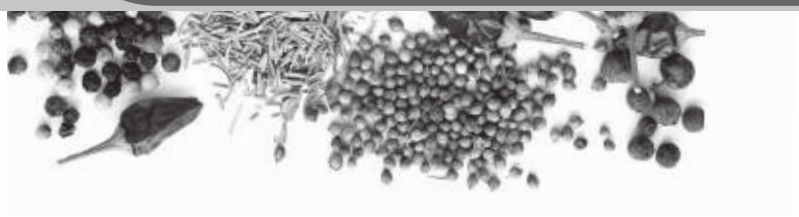

11

Information Technology and Electronic Data Processing

The activities of Spices Board have changed significantly with the leverage of information technology. Many manual operations were replaced with online systems which effectively reduced the workload of various departments of the Board and reduced the turnaround time for operations. Electronic Data Processing (EDP) department facilitates the use of information technology in various departments of the Board by working along with them. In effect, this makes the whole system faster and more productive and enables the Board to perform more efficiently.

A. Main Activities of EDP Department

a. Advising, guiding, and assisting various departments and offices of the Board for effective use of information technology.

b. Help desk management for existing applications, messaging solutions, internet, and website maintenance.

c. Administration of organisation wide IT resources namely hardware, software, databases, networking, and peripheral equipment.

d. Formulate strategies for technology acquisition, integration, and implementation.

e. Upgradation of IT infrastructure.

f. Defining and implementing systems and procedures for the smooth functioning of IT equipment and software.

g. Data processing.

h. Identify the need for new systems (or modifications to existing systems) and respond to requests from users.

i. Design, development, documentation, testing, implementation and maintenance of Information Systems and application softwares.

j. Maintenance and update of the Board's websites indianspices.com, spicesboard.in, indianspices.org.in, worldspicecongress.com and ccsch.in.

k. Formulate and conduct computer training programmes.

B. Major Achievements during 2023-24

- Onboarded Board's three schemes to Service Plus
- Enhanced the Export Support System (ESS) with payment gateway integration for accepting online payments.

C. Status Note on Compliance to Cyber Security Guidelines.

Spices Board has successfully transitioned and implemented key applications through National Informatics Centre (NIC) onto MeitY empaneled cloud servers. These applications have undergone security audits by CERT-In empaneled agencies and have Disaster Recovery (DR) mechanisms in place.

The Board utilises additional applications such as Service Plus and e-Office which are developed and maintained by NIC and hosted on secure cloud servers with active disaster recovery mechanisms.

Applications maintained by Spices Board have implemented a comprehensive backup strategy encompassing daily, monthly, and yearly backups, which are regularly reviewed. These backups are stored in multiple cloud instances to ensure safety. In case of any requirement, the Board is capable of restoring the servers using the backups available.

12

Implementation of Right to Information Act, 2005

The Right to Information Act, 2005 (22 of 2005) was enacted by the Parliament and the assent of the President was obtained on 15th June 2005. The objective of the Act is to provide for setting out the practical regime of right to information for citizens to secure access to information under the control of public authorities, in order to promote transparency and accountability in the working of every public authority. The citizens can have access to the information of the Board under the provisions of the Right to Information Act except certain information as notified under Section 8 of the Act and can obtain the information about the Board on payment of a prescribed fees.

The Board effectively implemented the RTI Act, 2005 and complied with all the directions of the Government in this regard. The Board designated the Library & Information Officer as the Co-ordinating Central Public Information Officer for coordinating the dissemination of information by CPIOs. An Assistant Co-ordinating Central Public Information Officer in Head Office also was nominated. Seven Central Public Information Officers (CPIOs) in Head Office and one Central Public Information Officer (CPIO) in the Research Station at Myladumpara, Idukki were designated under Section 5(2) of the Right to Information Act, 2005 to disseminate information under Right to Information Act, 2005. The Director (Research) is nominated as Appellate Authority of the Board to hear appeals under Section 19(1) of the Right to Information Act, 2005 and the Library & Information Officer, Spices Board is nominated as the Nodal Officer for ensuring compliance with the proactive disclosure Guidelines of the RTI Act 2005. The Deputy Director (EDP), has been designated as the 'Transparency Officer' of the Board to oversee the implementation of obligations under Section 4 of the RTI Act. The Board has disclosed every information required to be disclosed suo motu in such form and manner, which is accessible to the public [Section 4(1) of RTI Act, 2005] through the Board's official website. During 2023-24, a total of 88 RTI applications (through physical and through the online portal) and 25 appeals were received under the RTI Act and information disseminated to all the cases within the stipulated time. Two Central Information Commission (CIC) hearings were held during this period. An amount of ₹ 90/- was received as RTI registration fee. The Quarterly RTI Returns (1st quarter to 4th quarter) were updated in the Central Information Commission's website as scheduled.

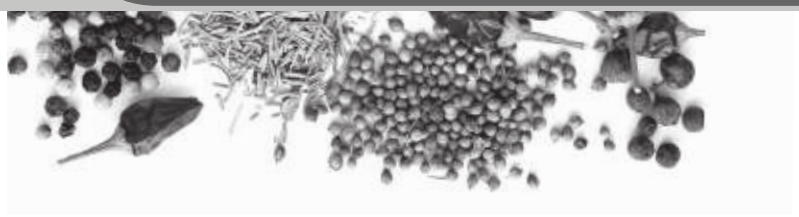

Way Forward

India is the leading producer, consumer, and exporter of spices and spice products in the world. Spices contributes to around 9 per cent of India's total Agri exports and over 40 per cent of India's total Horti exports. The Indian spice sector has emerged as a trusted supplier of a wide range of spices and value-added spice products globally and currently exports over 225 unique products to more than 180 countries.

The presence of diverse agro-climatic zones in the country facilitates production of spices in almost all States of India. The interventions of Spices Board have helped spices exports to increase from US$ 229.90 mn in 1987 to US$ 4.46 billion in 2023-24. Further, between 2013-14 and 2023-24, India's spices exports increased by 88 per cent in volume and 169 per cent in value (INR) and 97 per cent in value (USD), with a CAGR of seven per cent in volume, and 10 per cent in value (INR) and seven per cent in value (USD).

The global demand for spices has seen significant growth after the COVID-19 pandemic, largely driven by a heightened focus on health and wellness. Spices, long recognised for their medicinal properties, have gained renewed attention for their ability to enhance immunity and provide natural health benefits. A growing focus on preventive care has led to the widespread acceptance of spices such as turmeric, ginger, and garlic for their anti-inflammatory, antiviral, and antioxidant properties.

This surge in demand has also led to diversification in how spices are consumed and marketed. In addition to traditional whole spices and powders, there has been a rise in the production and consumption of high-value derivatives such as essential oils, oleoresins, and spice extracts, which are used in nutraceuticals, pharmaceuticals, and even cosmetics. These products offer concentrated benefits and are becoming increasingly popular in health-conscious markets globally. As consumers seek natural, plant-based alternatives for wellness, the spice industry is poised to play a crucial role in meeting this demand with innovative products that leverage the therapeutic potential of spices.

Despite the steady progress in the export of spices and spice products, it is noteworthy that the share of value-added products in India's spice export basket has remained stagnant at around 50 per cent in the last few years. The Indian spice industry faces challenges such as limited technological advancements and insufficient infrastructure for processing. Addressing these gaps could significantly boost India's competitiveness in the global value-added spice market, allowing it to capture a larger share of high-demand sectors like nutraceuticals, cosmetics, and pharmaceuticals.

On the heels of their success in creating new markets for new products, the transnational food and beverage corporations (TFBCs) have been dominating the global food industry. Concurrently, the convenience food sector, consisting of Ready to Eat (RTE), Ready to Cook (RTC) and Ready to Drink (RTD) products, has experienced significant growth in recent years due to the increasing preference for convenient and easy-to-prepare food among the working population. This growth is supported by a strong regulatory framework, research, and development initiatives. The growing popularity of convenient food options is a major factor contributing to the market's expansion. The COVID-19 pandemic, with its

lockdowns and social distancing measures, has further accelerated the demand for ready-to-eat (RTE) foods, as consumers seek products with longer shelf lives and minimal preparation time. Spices sector can add value to the convenient food sector not just by adding flavour and aroma, but by aiding the products' shelf life through the preservative and nutritional properties of spices.

The global industrial food processing has been witnessing changes and a deep understanding of market needs is essential to align production with evolving consumer preferences and regulatory requirements. Collaborative efforts among all stakeholders-farmers, processors, exporters, and regulators-are necessary to create a robust ecosystem that supports growth and competitiveness in the spices sector. A key focus on maintaining and enhancing the quality and safety of Indian spices across the value chain, is crucial for meeting the stringent standards of international markets.

The sector shall continue its focus on quality and safety aspects in spices, so as to enable compliance of the spices exported from India with the quality and safety standards of the importing countries, thereby building a brand image for Indian spices synonymous to quality and safety.

Against the backdrop of the vast potential for further expansion and promotion of the Indian spice sector, the Board has set the following Vision & Mission.

Vision

To sustain the leadership in global trade of spices & value-added spice products, thereby contributing to the growth of agricultural exports from India

Mission

To become the international processing hub and premier supplier of clean, safe and value-added spices & spices products to the industrial and retail segments of the global spices market

The Key areas of future intervention will be

- Strengthening / upgradation of the manufacturing capacity of the Indian spice sector for higher end value addition in spices.
- Identify and enter into agreement with expert institutes to establish Spice Incubation Centres to incubate and foster the exporters/ entrepreneurs/start-ups/FPOs in spices sector to develop their innovative ideas in to new and innovative spice products / processes, focusing on exports.
- To keep pace with the changes in technological advancement in the spices and food sectors, and continue improving trading efficiencies in the sector, several technological interventions have been proposed to bring transformation to the Indian spice industry, which includes supporting technological innovations through incubation centres, digitization, etc. Also, it is proposed to strengthen the use of technology-based tools/platforms to connect spice growers and exporters, thereby facilitating traceability enabled direct sourcing for exports.
- Focus will be given for development of new products and applications based on various properties of spices and evolve new products, aligned with the changing consumer preferences and requirements of the global spice sector.
- Undertake studies on the potential markets for export promotion of spices, new spice products, as well as on strategies to strengthen the presence in the existing markets and products.
- Take up promotional campaigns in co-ordination with Embassies in potential export destinations.
- Quality Assurance programmes to assess the quality and safety aspects of export consignments for compliance with the applicable standards as well as based on scientific evidence.

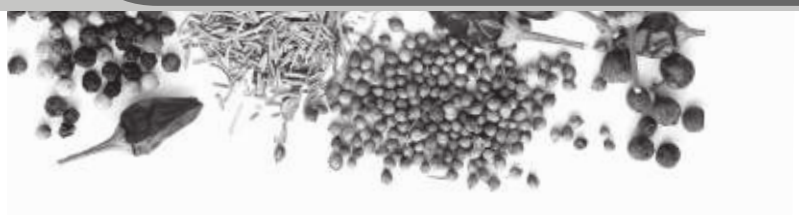

- Strengthening of Quality evaluation laboratories to meet the regulatory requirements of the trade
- Interventions to improve the production and productivity of small cardamom to 31000 MT and 636 kg/ha respectively and the production and productivity of large cardamom 13500 MT and 410 kg/ha, respectively by 2027-28.
- Undertake focused efforts for post-harvest management of spices, with a view to enhance generation of an exportable surplus of quality spices and value-added spice products. Also, implement programs designed for supporting the spices of North Eastern Region, GI spices, spice varieties rich in intrinsic parameters with a view to facilitate import substitution, etc.
- Trade Promotion Initiatives will be strengthened to build and nurture market linkages, promotion of GI tagged spices etc.
- Carry out applied research interventions to provide multi-dimensional support to the spice sector, with regard to the emerging aspects such as bio-prospecting, climate resilient practices, other advanced interventions, innovative hub to explore patenting and commercialisation focusing on exports etc.
- Undertake capacity building initiatives for the stakeholders of the spices sector on various emerging requirements in the sector will help in information exchange & knowledge transfer thereby contributing to the overall development & export promotion of the spices sector of India.
- Developing integrated mobile app for providing solution for all the products, services, and information related to spices sectors.

Reply for the Separate Audit Report of Annual Accounts of the Spices Board for the year ended on 31st March 2024

Sl. No.	Subject	Reply/Action Proposed
	Balance Sheet as on 31st March 2024	
A.	**LIABILITIES**	
A.1	**Earmarked/Endowment Funds (Schedule 3)-317 crore** Depreciation on fixed assets procured from earmarked/endowment funds/grant in aids was being accounted as expenditure in Income and Expenditure Account instead of treating the depreciation charge as adjustment / utilisation in earmarked/endowment funds/related grants. Thus, the balance of Earmarked/Endowment funds, deficit for the year and Corpus/Capital Fund were not correctly stated in the accounts. However, due to non-availability of details of assets procured from earmarked/endowment funds and assets procured from grants in aid, audit could not quantify the financial impact of the incorrect accounting of depreciation charge. Spices Board did not take any corrective action in this regard despite the repeated comments in previous years 2021-22 and 2022-23.	Since the ASIDE Scheme was an assistance program from the Government of India, it can be treated as a revenue grant, and booking these assets as the Board's assets is appropriate. The ASIDE Scheme is no longer active, and the Government of India has ceased funding for these schemes. Furthermore, as the assets procured from the Endowment Fund have already been booked against the grant-in-aid received from the Government of India, depreciation is charged against the grant rather than the Endowment Fund.
B	**ASSETS**	
B.1	Current Assets, Loans, Advances (Schedule 11B)-28.25 Crore. The above includes long pending advances being carried over from 2017-18 onwards amounting to 7.67 crore. The Board was unable to identify and recover these amounts as the break-up of the advances is not traceable. Considering the passage of time and absence of relevant records, a provision for the advances should have been created in the accounts. This resulted in understatement of provisions and deficit for the year by 7.67 crore.	The audit observation has noted that several advances have been outstanding for over a period of years. The Board is making all efforts to reconcile these advances. It will be a time consuming task, since the advances are pending for settlement for a period of years. However, action has been initiated to address and resolve this issue.
B.2	Current Assets, Loans, Advances etc.: Current Assets (Schedule 11A) - 261.84 crore. This does not include 0.62 crore being the accumulated rent receivable from Flavourit Spices Trading Limited for the leased facilities of Spices Board. Though the statement of accounts of Flavourit Spices Trading Limited for the year 2023-24 depicts (under Related Party Disclosure) a closing balance of 0.87 crore being the accumulated rent payable for the leased facilities to Spices Board at the year end, the Books of accounts of Spices Board do not reflect any receivable amount in this regard. Thus, the Current Assets, deficit for the year and Corpus/Capital Fund were understated by 0.87 Crore, 0.25 crore and 0.62 crore respectively.	The observation of the audit is noted. Necessary follow-up initiated and the same will be incorporated in the accounts of the current Financial Year.

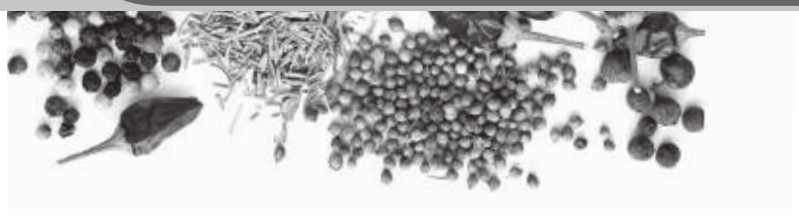

C.	**INCOME AND EXPENDITURE STATEMENT**	
C.1	**Income** Income from Sales/ Services (Schedule-12)- ₹.17.75 crore Income from services –a) Analytical charges: ₹.16.38 crore. a) The above does not include Analytical charges amounting to Rs2 crore received during the year and transferred to earmarked funds for Pension (10 crore) and Quality Standard in Export of Spices (`2 crore) (Note I of Schedule 57- Notes to Accounts) directly without accounting the income in Income and Expenditure statement. This resulted in understatement of income from sales and services (Analytical charges) and overstatement of deficit by 12 crore in Income and Expenditure Account. Besides this, 'Transfer to Earmarked Funds for Pension and Quality Standard in Export of Spices' was also Understated by 12 crore in Income and Expenditure Account. b) Further, annual pension payments of 24.62 crore were not met from the Earmarked Fund created for the purpose and the same was expensed from the general Grants-in aid received during the year from Government of India. This was also commented in the SAR 2021-22.	a) As per the common format prescribed for autonomous bodies, if we are showing any amount as earmarked, out of the income for any special purpose, it has to be shown in Schedule 3 under separate head. It may please be noted that we cannot show the earmarked part of IEBR in both Income and Expenditure and Schedule 3 in the Balance Sheet as the Asset and Liability will not tally by the extent of the earmarked IEBR. This is the nature of common format. Hence usually it will make a financial picture of excess expenditure to the extent of earmarked IEBR over income, even though in real sense there is no excess cash out flow. b) The Board has conducted Actuarial valuation of Board's Pension Liabilities as on 31.03.2021. As per the Actuarial valuation report, Board's liability comes to ₹.348.72 crores. (Gratuity - ₹.18.54 crores; Pension – ₹.319.07 crores; Leave Encashment – ₹.11.10 crores) This has been arrived after considering the details of employees joined before and after 01.01.2004. Regarding employees joined before 01.01.2004 actuarial valuation is done for Gratuity, Leave Encashment and monthly pension. Regarding employees joined after 01.01.2004 actuarial valuation is done for gratuity and leave encashment and we are remitting the employee and employer contribution to New Pension Scheme through NSDL. Out of the total value of 348.72 crore the Board has already made provision of ₹.300.55 crore till 31.03.2024 and the actual fund balance against this provision is ₹.132.43 crore. The remaining provision amount is ₹.48.17 crore. As this is an extreme hypothetical eventuality, if we provide the total amount in a single financial year the impact of excess expenditure over income will be so high compare to the grant received from the Ministry. The impact of the same is also disclosed in the Note on Accounts. The Board will also apportion the remaining amount of ₹.48.17 crores equally over a period of time.
D.	**SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES AND NOTES TO ACCOUNTS**	
	The Government of Rajasthan had allotted land admeasuring 12.14 hectares for 99 years lease in Ramganjmandi, Kota district, Rajasthan free of cost. The land was not registered in the name of Spices Board. An area of 0.61 hectares was occupied by two other parties. However, after allotment, District Collector demanded (2016) ₹.1.33 crore as cost of the land. The above facts and contingent liability for the demand from the District Collector were not disclosed in the notes to accounts.	In 2010, the Government of Rajasthan allotted 12.14 hectares of land on a 99-year lease, free of cost, in Ramganjmandi, Kota district, Rajasthan. Due to a dispute regarding the construction of the western boundary wall, the Revenue Department resurveyed the land and confirmed that the originally allotted land is within the Board's possession. The land was not registered as it was leased from the State Government. Copies of the allotment order and other relevant documents are submitted during the audit. In a letter from the Collector demanding ₹.1.33 crore as the cost of the land, the Board approached the court, resulting in a stay order issued on 20.10.2016. The matter is currently sub judice.

ANNEXURE- 1		
	Adequacy of Internal Audit System	
1.	As per the records furnished to audit, internal audit was conducted in 8 unit offices out of 83 offices during the year 2023-24. Of the 83 offices under Spices Board, Internal Audit was conducted up to March 2023, March 2022, December 2021 and March 2021 in ten, seven, two and three offices respectively. In respect of 61 offices, audit was unable to ensure whether internal audit was conducted at all as there were no records to show the same.	The observation of audit doesn't seem to be correct. During the financial year 2023-24 the Board has completed internal audit of 8 Unit offices (RO Erode, Ro Guwahati, RO Gangtok, DO Nizamabad, RO Saklespur, ICRI Saklespur, RO Bengaluru and RO Warangal). The audit covered the transactions of the above unit offices upto 2022-2023. Internal Audit for the FY 2023-24 shall be conducted during the FY 2024-25.
2.	Adequacy of internal control	
	There exists adequate Internal Control System in the Board.	
3.	System of physical verification of fixed assets and Inventory	
	The Board had carried out physical verification of fixed assets and inventory in 47 out of 83 units under its jurisdiction during the year 2023-24. Thus, the system of physical verification of fixed assets and inventory was not adequate.	Physical stock taking of all available Assets at HO and outstation offices completed by 31st March 2024 and same has been provided to audit. Board's ICRI and QELs are only having the inventory of chemicals, farm produce and consumables. Physical verification of inventory has been consolidated and given to audit.
4.	Regularity in payment of statutory dues	
	The Board was yet to pay ₹.3.61 lakh to Pension Fund Regulatory and Development Authority being the interest earned from employee contributions towards NPS for the period 2004-2010.	Though the NPS Scheme came into effect on 01/04/2004, the Board enrolled in PFRDA only during 2011. This amount represents the interest accumulations for the employer and employee contributions for those employees who have been recruited for the period from 2004-2011. As per rules, the employees in NPS are eligible for interest for the delayed remittance as per GPF interest rates. The Board has already calculated the interest payable to the NPS subscribers who are in service of the Board. The same shall be remitted to the NPS account during current year.

flavourit™

EXOTIC INDIAN SPICES

Promoting Heritage, Hygiene & Health

Spices India

FLAVOURFULLY YOURS

Now open at:

Spices India
Lulu Mall, Edapally,
Kochi-682 024, Kerala
Tel: 0484-4073489